# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] बारहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का इक्कीसवां दिवस [संख्या : 9

बुधवार

23 फरवरी, 2005

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

## तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : श्री अर्जुन लाल मीणा।

### शिक्षकों की भर्ती में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अभ्यर्थियों का आरक्षण

132. श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अभयर्थियों हेतु पद संख्या 1 से 6 तक के लिए 45 प्रतिशत आरक्षण है?

(2) क्या सरकार शिक्षकों की भर्ती में 45 प्रतिशत आरक्षण जनजाति उपयोजना के लिए लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं, तो क्यों?

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री कनकमल कटारा) : जी हां। जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अभ्यर्थियों हेतु पद संख्या 1 से 6 तक 45 प्रतिशत आरक्षण स्थानीय अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया है।

(2) जी हां। जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापकों (तृतीय श्रेणी अध्यापक) शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक तृतीय श्रेणी की भर्ती के समय 45 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का सरकार विचार रखती है। भर्ती के समय इन रिक्त पदों की शिक्षा विभाग द्वारा भरने की कार्यवाही की जाएगी।

**श्री अर्जुन लाल मीणा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि महामहिम उप राष्ट्रपति भैरोंसिंह जी शेखावत साहब के शासनकाल में टी.ए.डी. मंत्री नन्दलालजी मीणा और गृह मंत्री कटारिया साहब के अथक प्रयास से जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिए 45 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि राजस्थान के सभी विभागों में क्या 45 प्रतिशत आरक्षण लागू है? दूसरा मेरा प्रश्न है, क्या सरकार राजस्थान में पी.एम.टी. की भांति जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण आर.एस.एस., आर.टी.एस., पी.ई.टी. और सभी एलाइड सर्विसेज में लागू करना चाहती है?

**श्री कनकमल कटारा** : अध्यक्ष महोदय, उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत यह सदन लम्बे समय से चिंता करता आ रहा है और उस आधार पर 22.3.1995 से 45 प्रतिशत आरक्षण जनजाति उपयोजना क्षेत्र के लिए किया गया है, 1 से 6 स्केल के तमाम पदों के लिए आरक्षण किया गया है और उसी के अनुसार सरकार ने कार्यवाही की है। आने वाले समय में जितनी भी भर्तियां होंगी, वे सभी उसी के आधार पर की जाएंगी। जो आज दिन तक नौकरियों से अछूते रहे, ऐसे उपयोजना क्षेत्र के अंदर जनजाति भाई-बहनों को सर्विस निश्चित रूप से मिलेगी और वह अपना जीवन यापन कर पाएंगे। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मूल प्रश्नकर्ता।

**श्री अर्जुन लाल मीणा** : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान में पी.एम.टी. की परीक्षा के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण टी.एस.पी. एरिया के लिए लागू है, क्या सरकार राजस्थान में आर.ए.एस. आर.टी.एस. और पी.ई.टी. की सर्विसेज के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण लागू करना चाहती है?

**श्री अध्यक्ष** : श्री नन्दलाल मीणा। (व्यवधान) दोनों का आ जाने दीजिये, उनको भी पूछ लेने दीजिये।

**श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि ट्राइबल सब प्लान एरिया में चित्तौड़गढ़ जिले की अरणोद और प्रतापगढ़ तहसील, सिरोही जिले का आबू रोड़ तालुका और उदयपुर जिले में धरियाबद, सलूम्बर, सराड़ा, खैरवाड़ा, गिरबा, झाड़ोल और कोटड़ा तहसीलें आती हैं, तो जो 45 प्रतिशत आरक्षण का निर्धारण है,

(श्री नन्दलाल मीणा)

वह इस सब डिवीजन में या तहसील के आधार पर किस हिसाब से बाइफरकेट किया गया है, कृपया मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें?

**श्री शांतिलाल चपलोत (मावली) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह पूछना चाहता हूं कि यह योजना कब लागू की गई...

**श्री अध्यक्ष :** मैंने आपका नाम पुकारा ही नहीं ।

**श्री शांतिलाल चपलोत :** और अब तक इस प्लान में कितने ट्राइबल को लगा दिया गया है, मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें?

**श्री अध्यक्ष :** श्री हेमराज मीणा।

**श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत यह सवाल पूछना चाहूंगा कि उस योजना क्षेत्र में 1 से 6 तक की नौकरियों में 45 प्रतिशत आरक्षण है, इसी से सम्बन्धित मेरा सहरिया क्षेत्र भी है, क्या सहरिया क्षेत्र जिसमें किशनगंज-शाहबाद शामिल है, उसमें भी 1 से 6 तक की नौकरियों में 45 प्रतिशत आरक्षण देने का सरकार विचार रखती है, मंत्रीजी यह जानकारी दें?

**श्री कनकमल कटारा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत प्रतापगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जैसा बताया है, पूरे टी.एस.पी. क्षेत्र के अंदर 45 प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण दिया जा रहा है। शाहबाद और किशनगंज, इसके अन्दर 25 प्रतिशत आरक्षण सहरिया क्षेत्र के लिए दिया जा रहा है। इसके अलावा आप अगर डिटेल में जानना चाहेंगे तो अभी तक भर्ती पदों की संख्या, 1995 के बाद, आपने पूछा कब से लागू है, तो 1995 के बाद कुल भर्ती किये गये पदों की संख्या 13931 जिसमें अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के आधार पर 3063 और उसमें 45 प्रतिशत के आधार पर जो रिक्त पदों की संख्या है वह 3206 है। वैसे एस.टी. का 45 प्रतिशत के आधार पर यहां पर 6269 होना चाहिए था, उस आधार पर जो भरे गये वे हैं 3063 और रिक्तियां 3206 हैं।

**श्री अर्जुन लाल मीणा :** अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब तो आया ही नहीं।

**श्री नन्दलाल मीणा :** एक मिनट, अर्जुन लालजी। अध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ़ जिले का प्रतापगढ़ सब डिवीजन, सिरोही जिले का आबू रोड़ तालुका और उदयपुर जिले की सात तहसीलें हैं, क्या यह ट्राइबल सब प्लान में हैं? क्या इनमें 45 प्रतिशत आरक्षण है या कम है?

**श्री कनकमल कटारा :** यह 45 प्रतिशत टी.एस.सी. एरिया के लिए है, जहां आप बता रहे हैं उसके आधार पर ..

**श्री नन्दलाल मीणा :** चित्तौड़गढ़ में आप भर्ती करोगे तो प्रतापगढ़ सब डिवीजन, ट्राइबल सब प्लान एरिया में आता है, तो उसमें 45 प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण होगा या कम होगा?

**श्री कनकमल कटारा :** होगा ।

**श्री नन्दलाल मीणा :** कितना होगा?

**श्री कनकमल कटारा :** 45 प्रतिशत के हिसाब से होगा।

**श्री नन्दलाल मीणा :** नहीं, इतना नहीं है। जहां-जहां जिले में आबादी कम है, जिस क्षेत्र की जितनी आबादी है उसके अनुपात में किया जाता है। क्या उदयपुर जिले में भी 45 प्रतिशत आरक्षण होगा?

**श्री कनकमल कटारा :** उदयपुर में उनकी जनसंख्या के आधार पर..

**श्री नन्दलाल मीणा :** हां तो कितना-कितना है? यह तय कितना कर रखा है आपने?

**श्री कनकमल कटारा :** उदयपुर में कुल जनसंख्या 26 लाख 33 हजार 312 है, उदयपुर टी.एस.पी. के अन्तर्गत 14 लाख 33 हजार 565, उसमें अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 54.44 है। इसमें 45 प्रतिशत के आधार पर 24.50 का आरक्षण होता है।

**श्री नन्दलाल मीणा :** ठीक है।

**डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा) :** अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि ट्राइबल सब प्लान के अलावा नाथद्वारा, कुम्भलगढ़, मावली, गोगुन्दा में भी आदिवासी रहते हैं? क्या उन लोगों के लिए भी आरक्षण की सरकार की मंशा है?

**श्री कनकमल कटारा :** निश्चित रूप से सरकार इसके बारे में विचार करेगी आने वाले समय में।

**श्री अध्यक्ष :** नैक्स्ट क्वेश्चन । श्री हीरालाल

## टौंक जिले के प्राथमिक विद्यालयों में पोषाहार कार्यक्रमों में अनियमितताएं

133. **श्री हीरालाल (निवाई)** : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला टौंक के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पोषाहार के रूप में वितरित होने वाली घूघरी के गेहूं में गबन/ अनियमितताओं के प्रकरण महालेखाकार की अंकेक्षण समिति की रिपोर्ट में पाये गये हैं? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि के गेहूं का गबन/अनियमितता पाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गबन/अनियमितता में किस-किस व्यक्ति को दोषी पाया गया तथा उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री** (श्री कालूलाल गुर्जर) : जी हां। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत टौंक जिले के प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को पोषाहार के रूप में वितरित की जाने वाली घूघरी में महालेखाकार अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/97 से 3/2001 में रूपये 73563/- के गेहूं की अनियमितता पाई गई।

(2) उक्त अनियमितता में तत्कालीन व्यवस्थापक श्री भंवर सिंह, ग्राम सेवा सहकारी समिति, मोर को दोषी पाया गया, जिसके खिलाफ कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवाने एवं वसूली की कार्यवाही करने हेतु निर्देश जारी कर दिये गये हैं। साथ ही प्रबन्ध निदेशक, सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड, टौंक द्वारा श्री भंवर सिंह, व्यवस्थापक को उक्त अनियमितता के लिए आरोप पत्र जारी कर दिया गया है।

**श्री हीरालाल** (निवाई) : माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि ग्राम सेवा सहकारी समिति, मोर के व्यवस्थापक के खिलाफ एफ.आई.आर. कब दर्ज कराई गई? दूसरा है, प्रबन्ध निदेशक, सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा श्री भंवर सिंह, व्यवस्थापक के खिलाफ आरोप पत्र कब जारी किया गया?

इस मामले में एफ.आई.आर. दर्ज कराने व व्यस्थापक से अब तक राशि वसूल नहीं करने में कौन-कौनसे अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं,? उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाएगी? अब तक दोषी व्यक्ति से कितनी राशि वसूल की गई?

(श्री हीरालाल)

माननीय अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा, इसके अलावा घूघरी में झालावाड़ में 6916 क्विंटल, भरतपुर में 5390 क्विंटल, उदयपुर में 4685 क्विंटल की गड़बड़ी पायी गयी। इस तरह राज्य के इन पांच जिलों में घूघरी के लिए वितरित गेहूं में 28301 क्विंटल का घपला हुआ जिसकी अनुमानित लागत एक करोड़ सतासी लाख रुपये बताई गई। यह प्रकरण जुलाई, 2002 से जून, 2003 के बीच स्कूलों को घूघरी के लिए वितरण किये गये गेहूं में पकड़ा गया है।

श्री कालूलाल गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अंकेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आज दिनांक तक गेहूं के गबन की राशि वसूल नहीं किये जाने के कारण सात तत्कालीन विकास अधिकारियों को उत्तरदायी मान कर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, आपने अभी पूछा है थाने में एफ.आई.आर. कब दर्ज करवाई, यह सच है कि माननीय सदस्य ने जब यहां प्रश्न रखा और जब इसकी जानकारी विभाग स्तर पर हुई तब थाने में रिपोर्ट 22 फरवरी, 2005 को कल दर्ज करायी गयी। मुकदमा नंबर 21 सन 2005 धारा 420, 409 के तहत दर्ज कराया गया। चूंकि जिस अधिकारी को दोषी माना गया श्री भंवर सिंह को, वह सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक का अधिकारी है, इसलिए बैंक को लिखा गया, और बैंक वालों ने उनको आरोप पत्र 19 फरवरी, 2005 को जारी किया। अध्यक्ष महोदय, इसमें जो देरी की है, यह रिपोर्ट 2001, 23 जून को प्राप्त हो गयी थी और विभाग द्वारा बी.डी.ओज को बार-बार 19 सितम्बर, 2001 फिर 28 अगस्त, 2002 को फिर तीसरा स्मरण पत्र 29 अप्रैल, 2003 को बराबर सचिवालय से जारी हुआ, पर तत्कालीन जितने भी बी.डी.ओ. उस पीरियड में रहे उन्होंने कार्य करने में देरी की है, यह सच है। इसीलिए उन सबके खिलाफ चार्जशीट दायर करने की कार्यवाही शुरू करने की कार्यवाही कर दी है। उस अधिकारी से जहां तक वसूली के लिए आपने पूछा है, अध्यक्ष महोदय, अभी तक वसूली हुई नहीं। लेकिन अब एफ.आई.आर. दर्ज हुई है तो इसमें वसूली भी करेंगे और उनके खिलाफ बरामदगी भी करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल । मूल प्रश्नकर्ता।

श्री हीरालाल (निवाई) : 2002-2003 में घूघरी वितरण में शत-प्रतिशत संख्या रखी गई है.. (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल।

**श्री कालूलाल गुर्जर** : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें घूघरी का प्रकरण उस समय का नहीं है क्योंकि यह योजना जब शुरू हुई थी..

**श्री अध्यक्ष** : आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि जवाब दे रहे हैं?

**श्री कालूलाल गुर्जर** : 1995 में जब यह योजना शुरू हुई, अध्यक्ष महोदय, उस समय में बच्चों को घूघरी नहीं देते थे। शुरू-शुरू में तीन किलो गेहूं प्रति महीने जिस बच्चे की उपस्थिति 85 प्रतिशत स्कूल में होती थी, उन्हीं को देते थे। यह उस समय का मामला है। जुलाई, 2002 के बाद घूघरी का पका हुआ भोजन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार देना शुरू किया। यह जो अभी मामला है यह मामला गेहूं देते थे उस समय का था, गेहूं देने में भी जिसकी उपस्थिति होती थी उस बच्चे को पर्ची स्कूल से दी जाती थी और ग्राम सेवक सहकारी समिति का व्यवस्थापक गेहूं देता था और उसी ने यह गड़बड़-घोटाला किया था। इसकी जांच हो गयी और जांच के बाद अब इसका एक्शन भी लेना है तो सी.सी. बैंक के अधिकारी उसके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और वसूली भी वो ही करेंगे।

**श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल** (गंगापुर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं क्या यह सही है कि बच्चों को पोषाहार वितरण कार्यक्रम से एक हद तक पढ़ाई प्रभावित होती है? विद्यालयों में अध्यापकों व विद्यार्थियों का ज्यादा समय खाने-पीने व इसकी व्यवस्था में निकल जाता है? अब सरकार घूघरी के स्थान पर दाल-बाटी, दाल-दही, फुल्का कार्यक्रम और रखने जा रही है, इससे तो और ज्यादा समय इन गतिविधियों में खराब होगा। विद्यालय का समय पढ़ाई कराने में न लग कर इन कार्यों में लगेगा।

**श्री अध्यक्ष** : आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि पढ़ रहे हैं?

**श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल** : मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार विद्यालयों में पोषाहार व्यवस्था न करके बच्चों के घरों पर ही टिफिन आदि से पोषाहार पहुंचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है?

**श्री अध्यक्ष** : यहां पढ़ना मना है।

**श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल** : अध्यक्ष महोदय, टिफिन उन्हीं बच्चों के घरों पर पहुंचाये जा सकते हैं जो रेगुलर विद्यालय में आते हैं। इससे पढ़ाई के लिए बच्चों को विद्यालय में ज्यादा समय मिल सकेगा और पोषाहार योजना में हो रहे भ्रष्टाचार पर

(श्री दुर्गाप्रसाद मीणा)

एक हद तक अंकुश लग सकेगा। हजारों बेरोजगार लोगों को टिफिन का खाना बनाने...

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुर सिंह गोदारा। वो भाषण दे रहे हैं, आपको जरूरत नहीं है उत्तर देने की। वो भाषण दे रहे हैं।

श्री बहादुर सिंह गोदारा।

## प्रश्न संख्या 134

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल : ... उन्हें तैयार कर वितरण करने में रोजगार मिल सकेगा। कृपया मंत्री जी.. (व्यवधान)..

श्री बाबूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ सुझाव दिये हैं इस पर भी विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र सराधना।

## प्रश्न संख्या 135

**(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)**

श्री नवरतन राजोरिया ।

## उपायुक्त/ अतिरिक्त आयुक्त (अपील्स) के समक्ष कर निर्धारण के लम्बित प्रकरण

**136. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या वित्त एवं करारोपण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-**

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी/ वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों के विरुद्ध दायर प्रथम अपीलों की सुनवाई उपायुक्त अपील्स व अतिरिक्त उपायुक्त (अपील्स) द्वारा की जाती है ? यदि हां, तो राज्य में उक्त प्रकार के कार्यालय कहां-कहां स्थित हैं?

(2) उक्त अपील कार्यालयो में पिछले तीन वर्षों में कितने प्रकरण प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने प्रकरण निपटाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नवरतन राजोरिया)

(3) राज्य में 31 जनवरी, 2004 तक उक्त अपील कार्यालयों में कितनी अपील निर्णय हेतु शेष हैं? शेष अपीलों के शीघ्र निस्तारण हेतु सरकार क्या कदम उठाने का विचार रखती है?

**राज्य मंत्री, वित्त एवं करारोपण (श्री वीरेन्द्र मीणा) :** (1) जी हां। वतर्मान में अतिरिक्त आयुक्त (अपील्स) का एक कार्यालय जयपुर में तथा उपायुक्त (अपील्स) के 11 कार्यालय क्रमश: जयपुर (3), जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, भीलवाड़ा एवं भरतपुर में स्थापित हैं।

(2) अपील कार्यालयों द्वारा गत तीन वर्षों में जो प्रकरण प्राप्त हुए तथा जो निपटाये गये, उनकी सूचना संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) राज्य में जनवरी, 2004 में लगभग 15,000 अपील प्रकरण निर्णय हेतु शेष थे। इन बकाया मामलों के त्वरित गति से निष्पादन हेतु वर्ष 2004-05 में भीलवाड़ा व भरतपुर में अपीलीय अधिकारियों का पदस्थापन किया गया तथा जयपुर में दो नये पद उपायुक्त (अपील्स) तृतीय व चतुर्थ सृजित किये गये। वर्तमान में, दिनांक 1.1.2005 को, राज्य में कुल 12763 अपील प्रकरण निर्णय हेतु शेष रहे हैं। दो नये उपायुक्त (अपील्स) के पदों के सृजन से निर्णयों की संख्या बढ़ रही है व प्रकरण शीघ्र निस्तारित हो रहे है।

**(सूचना के लिए परिशिष्ट-1 देखें)**

**श्री नवरतन राजोरिया :** अध्यक्ष महोदय, आपने खण्ड-3 में उत्तर दिया है कि अभी भी 12763 अपील प्रकरण निर्णय हेतु शेष हैं। इतनी बड़ी संख्या में 1 जैसा कि आपने बताया, 2001-02 में 5088 प्रकरण प्राप्त हुए और 4816 प्रकरण निपटाये गये। उसी प्रकार 2002-03 में 3926 प्राप्त हुए। जितने प्राप्त हो रहे हैं, लगभग उतने ही प्रकरण निस्तारण कर रहे हैं। पुराने जो 12763 प्रकरण अपील में लंबित हैं, उनको शीघ्रतिशीघ्र निपटाने की क्या कार्यवाही सरकार कर रही है? दूसरा आपने बताया है कि अतिरिक्त आयुक्त (अपील्स) के कार्यालय खोले जारहे हैं, किस वर्ष में ये स्थापित किये गये? इन कार्यालयों के स्थापित किये जाने के पूर्व विभाग में कितनी अपीलें लंबित थीं और आज कितनी हैं? तीसरा पाइंट है, 1.1.05 को 12763 अपील प्रकरण लंबित हैं, इनमें विभाग की अनुमानित रूप से कितनी राशि बकाया है? क्या इस राशि की वसूली के लिए आप कोई नया अपील कार्यालय या कर वसूली अधिकरण गठित करने का विचार रखते हैं?

**श्री वीरेन्द्र मीणा** : माननीय अध्यक्ष महोदय जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा, वर्ष 2001-02 में कुल केस 5088 थे उसमें से 4816 केसों का किया गया उसके बाद में 2002-03 में 3916 केस थे उनमें से 4990 केसों का निस्तारण किया गया। पूरे केस जैसा मैंने पहले भी बताया, 14898 थे, उनमें से 2002 के अन्दर 4816, 2002-03 में 4990, 2003-04 में 5483 केसों का निस्तारण किया गया। बजटीय भाषण के अन्दर हमने कहा था, अनुमानित दो वर्षों के अन्दर हम जितने भी ये केसेज हैं, जो 14 हजार केसेज हैं, इन सबका निस्तारण कर देंगे। उस गति को ध्यान में रखते हुए हमने प्रतिमाह जब ये नयी डी.सी. अपील्स की पोस्टें क्रिएट की गई उससे पहले तीन सौ केसेज प्रतिमाह निस्तारण किया जाता था। अब इन पोस्टों के क्रियेशन के बाद एक महीने में अमूमन 600-700 केसों का निस्तारण किया जा रहा है और इस प्रकार से हम आगामी डेढ़ वर्ष में इन सारे केसों का निस्तारण कर देंगे।

**श्री नवरतन राजोरिया** : आपने यह नहीं बताया कि प्रकरण में कितनी राशि कर के रूप में या जो भी है वह बकाया है।

**श्री वीरेन्द्र मीणा** : अध्यक्ष महोदय, अभी जो माननीय सदस्य ने पूछा 1.1.2004 को 2388 केस थे जिसमें 95.65 करोड़ की राशि थी। हमने 2388 केसों में से 544 केसों का निस्तारण किया है। इसमें 140 करोड़ रुपये की राशि अभी शेष है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री अमराराम।

**श्री अमराराम (धोद)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, इनअपीलों में पांच साल से पुरानी कितनी अपीलें हैं और इनमें कितनी राशि बकाया है?

**श्री हरिमोहन शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, टीकमचंदजी का भी बजा है।

**श्री अध्यक्ष** : हां, उनका बजा है। वह भी जब्त होगा, चिंता मत करें आप। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि यदि इस विधान सभा से अधिक महत्वपूर्ण काम आपके और हैं तो यहां आने की आवश्यकता क्या है? टेलीफोन लेकर बाहर बैठे रहिए, फिर यहां क्यों आते हैं ? यहां सबका मोबाइल बंद होना चाहिये जिसके पास भी मोबाइल है।

**श्री अमराराम (धोद)** : अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवाइए, इन अपीलों में पांच साल से पुरानी अपीलें कितनी हैं और उनमें कितनी राशि इनवाल्व है?

**श्री वीरेन्द्र मीणा** : आप जो यह प्रश्न पूछ रहे हैं वह अलग से प्रश्न है, इसका उत्तर मैं आपसे सम्पर्क करके दे दूंगा।

**श्री अमराराम (धोद)** : नहीं, अलग से कहां है? अपीलें पांच साल से पुरानी कितनी हैं? अपील पूछी है इसमें अलग से प्रश्न कहां है कि पांच साल से पुरानी कितनी हैं?

**श्री वीरेन्द्र मीणा** : 1.1.2005 तक 12763 केसेज पैंडिंग हैं।

**श्री अमराराम (धोद)** : मैं तो यह कह रहा हूं, पांच साल पुरानी कितनी अपील हैं जिनका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है, वह बता दीजिए आप ? (व्यवधान) पांच साल की पूछ रहा हूं मैं तो। अध्यक्ष महोदय, यह है कि कुछ लोगों को अपील के माध्यम से बचाया जाता है, इसीलिए पांच साल से ज्यादा होने के बाद उनका निस्तारण नहीं किया जाता है।

**श्री अध्यक्ष** : डा. श्रीगोपाल बाहेती। प्रश्नकर्ता ने तो तीन साल का ही पूछा था, आप पांच साल का पूछ रहे हैं तो आपको बाद में बता देंगे। डा. श्रीगोपाल बाहेती।

## अजमेर नगर परिषद क्षेत्र में निर्मित शॉपिंग काम्प्लैक्स

137. **डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)** : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर परिषद क्षेत्र, अजमेर में गत तीन वर्षों में कितने शापिंग काम्प्लैक्स निर्मित हुए हैं।

(2) क्या सभी निर्माण नियमानुकूल हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन सभी व्यावसायिक निर्माणों में नियमानुसार पार्किंग व अन्य सुविधाएं हैं?

**राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री प्रतापसिंह सिंघवी)** : (1) नगर परिषद क्षेत्र, अजमेर में गत तीन वर्षों में दस शापिंग काम्प्लैक्स निर्मित हुए हैं।

(2) निर्माण नियमानुकूल नहीं हुए हैं। न तो भू-उपयोग परिवर्तन कराया गया है, न ही परिषद से व्यावसायिक निर्माण स्वीकृति प्राप्त की गयी है।

(श्री प्रतापसिंह सिंघवी)

(3) निर्मित इन शापिंग काम्प्लैक्स में नियमानुसार पार्किंग व अन्य सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती :** अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जब सारे के सारे शापिंग काम्प्लैक्स अवैध बने जिनमें भू परिवर्तन नहीं हुआ और पार्किंग की व्यवस्था नहीं हुई, तो क्या इसकी जांच करवाई गई? जांच हुई तो उसकी रिपोर्ट क्या आई और क्या कार्यवाही की गई?

**श्री प्रतापसिंह सिंघवी :** सभी काम्प्लैक्स के विरुद्ध नोटिस देकर त्वरित कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा काम्प्लैक्सों ने अवैध व्यावसायिक उपयोग के पेटे राशि जमा कराई है। एक काम्पलैक्स मालिक ने ड्राफ्ट के माध्यम से 4 लाख 32 हजार रुपये जमा कराये हैं, शेष काम्प्लैक्स मालिकों के विरुद्ध रूपान्तरण जुर्माना राशि नियमानुसार वसूल की जाएगी। मैं आपको यह भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि राशि जमा नहीं कराने पर अंतिम नोटिस देकर इनके विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण दर्ज कराया जाएगा तथा अवैध निर्माणों के विरुद्ध ध्वस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। जिन काम्प्लैक्स मालिकों ने राशि जमा करा दी है उनका परीक्षण कर व्यावसायिक पटटा दिये जाने की कार्यवाही की जाएगी। जिन व्यावसायिक काम्प्लैक्स मालिकों ने अवैध व्यावसायिक उपयोग किया है, उनकी रूपान्तरण राशि, पैनल्टी आदि की मांग कायम कर भू-राजस्व अधिनियम के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती :** अध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रकरण में कलक्टर स्तर पर जांच हो चुकी, रिपोर्ट आ चुकी। जो काम्प्लैक्स बने हैं वे कोई छोटे नहीं बने हैं और एक दिन में नहीं बने हैं। उसके बाद मंत्री महोदय कहते हैं कि नोटिस दिया जाएगा, जवाब लिया जाएगा, पैसे लिये जाएंगे। एक तरफ तो राजस्थान की मुख्य मंत्री भ्रष्टाचार विहीन सरकार देना चाहती हैं...

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी :** मुख्य मंत्रीजी कहां आ गईं बीच में? मेरे से निपट लो पहले, मुख्य मंत्रीजी बाद में आएंगी।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती :** मैं स्वयं यह कह रहा हूं। माननीय मंत्री जी, एक मिनट आप विराजें, आवेश में नहीं आएं। मैं तारीफ कर रहा हूं मुख्य

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

मंत्रीजी की कि मुख्य मंत्री महोदया भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देना चाहती हैं। उसी सरकार के तहत अजमेर नगर परिषद भ्रष्टाचार का इतना बड़ा उदाहरण बन गई है। आप स्वयं कह रहे हैं कि भू-उपयोग परिवर्तन लोगों में नहीं करवाया है। मैं कहना चाहता हूं कि गत 2 बार नगर परिषद, अजमेर ने मीटिंग काल करके सिर्फ इसलिए सस्पेंड कर दी कि मीटिंग में उनकी कोई व्यवस्था नहीं बैठी । मैं यह बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि स्पष्ट रूप से जांच कमेटी ने, डी.टी.पी. ने, एस.टी.पी. ने, सबने रिपोर्ट दी है कि ये सब जो बने हुए हैं इनकी वजह से पूरा शहर त्रस्त हो रहा है। मैं केवल भ्रष्टाचार की बात नहीं करता, भ्रष्टाचार के साथ-साथ ट्रैफिक अस्त-व्यस्त हुआ है। वहां पार्किंग नहीं है और 50-50, 100-100 दुकानें बनी हुई हैं।

**श्री अध्यक्ष** : प्रश्न पूछिए आप।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** : अध्यक्ष महोदय, इस सब भ्रष्टाचार को लेकर कमेटी की जो रिपोर्ट आपके पास आई है, उसमें सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

**श्री प्रतापसिंह सिंघवी** : अध्यक्ष महोदय, मैंने इन सब काम्प्लैक्सों के प्रकरण को देखा है। इन काम्प्लैक्स मालिकों के द्वारा अनियमितताएं की गई हैं परन्तु अधिकारियों ने उन्हें समय-समय पर नोटिस नहीं दिया। उन्हें नोटिस देकर त्वरित कार्यवाही नहीं की गई। निर्माण कार्यों को तोड़ने के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही करने का पूर्ण अभाव रहा। यह 2001 का इनके समय का है। (व्यवधान) आप सुन तो लो, इतनी जल्दी क्या है? एक-एक का जवाब दे इस दें। सारी अक्ल का ठेका आपका ही है क्या? न्यायालय में प्रकरण दायर नहीं कराये गये। इस प्रकार नगर परिषद के अधिकारियों, कार्मिकों एवं पदाधिकारियों ने कोताही बरती है जिनके विरुद्ध मैं जांच कराया जाना उचित समझता हूं। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन मामलों में जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु जांच करवाऊंगा व दोषी पदाधिकारियों को निलम्बित कर कठोर कार्यवाही कराऊंगा।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** : अध्यक्ष महोदय, सरकार जरूर कांग्रेस की थी, बोर्ड कौनसी पार्टी का था? बोर्ड बी.जे.पी. का था।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री मदन राठौड़।

**डा. श्रीगोपाल बाहेती** : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार भ्रष्टाचार के

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

मामले को इतना लाइट कर देना, यह बहुत गलत है और सरकार की मंशा के प्रतिकूल है। मैं कहना चाहता हूं, चाहे किसी भी राज में भ्रष्टाचार हुआ हो उसकी जांच होनी चाहिये।

**श्री अध्यक्ष :** अंकित नहीं हो।

**डा. श्री गोपाल बाहेती :** xxx

**श्री प्रतापसिंह सिंघवी :** (व्यवधान) बाहेती साहब, आपके पापों को दोहराऊं मैं?

**श्री संयम लोढ़ा :** xxx

**श्री अध्यक्ष :** श्री मदन राठौड़।

## जिला परिषद् सदस्यों की पंचायत समिति एवं पंचायतों की बैठकों में भागीदारी

**138. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों को ग्राम पंचायतों व पंचायत समितियों पर निगरानी एवं बैठकों में भाग लेने का अधिकार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

**पंचायती राज मंत्री (श्री कालूलाल गुर्जर) :** राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम-37 के अनुसार पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्यों को उस पंचायत की बैठकों में जहां वे साधारणतया निवास करते हैं, भाग लेने का अधिकार पूर्व से ही दिया हुआ है। साथ ही पंचायती राज अधिनियम की धारा 60 (क) के अनुसार प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र और प्रत्येक जिला परिषद क्षेत्र के लिये एक सतर्कता समिति के गठन का प्रावधान है। सतर्कता समिति सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं के संकर्मों, स्कीमों और अन्य क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण कर सकती है। पंचायत समितियों की बैठकों में जिला परिषद के सदस्यों द्वारा भाग लेने के बाबत अधिकार देने का बिन्दु विचारणीय नहीं है।

**श्री मदन राठौड़ :** अध्यक्ष महोदय क्या यह सही है कि सरपंच की तुलना में पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य बनने के प्रति लोगों में उत्साह कम है जबकि इनके क्षेत्र बड़े हैं? क्या पंचायत समिति सदस्य को ग्राम पंचायत द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी का अधिकार दिया जा सकता है? इसी प्रकार जिला परिषद् सदस्य को भी पंचायत समिति पर निगरानी का अधिकार दिया जा सकता है? यदि हां, इसका स्वरूप क्या है?

पंचायत समिति सदस्य को प्रधान, उप प्रधान को मत देने या समिति की बैठक में भाग लेने के अलावा और कोई अधिकार नहीं है, क्या इन सदस्यों को भी अधिकार देने के प्रतिविचार रखते हैं?

**श्री कालूलाल गुर्जर :** अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने इस जवाब में लिखा है कि सतर्कता समितियां बनती हैं और सतर्कता समितियों में सदस्यों को रखा जा सकता है इसलिए उनको पूरा देखने का, किसी काम को चैक करने का अधिकार है ।

जहां तक यह सवाल है कि सरपंच की तुलना में पंचायत समिति के सदस्य लोग कम बनना पसंद करते हैं, चुनाव कम लड़ते हैं, यह सही है क्योंकि सरपंच के पास ज्यादा काम होता है इसलिए लोगों का वहां रूझान ज्यादा रहता है। परन्तु ऐसा नहीं है, पंचायत समिति के लिए भी सारे सदस्यों की होड़ लगी रहती है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक जिला परिषद के सदस्य को आपने पूछा कि क्या इनको पंचायत समिति में भाग लेने का अधिकार दिया जा सकता है, इसके ऊपर अभी तो कोई बिन्दु विचारणीय नहीं है लेकिन माननीय सदस्यों का सुझाव है तो इस पर विचार करेंगे और उचित समझेंगे तो अलाउ किया जा सकेगा।

**श्री अमराराम धोद (धोद) :** अध्यक्ष महोदय, आपने कहा है कि पंचायत समिति और जिला परिषद का मैम्बर जहां निवास करता है उस पंचायत में तो वह मीटिंग में जा सकता है, लेकिन उसके क्षेत्र में पड़ने वाली तमाम पंचायतों की मीटिंग में अगर वह आवश्यक समझे तो जाने के लिए क्या अधिकार देने का आप...

**श्री अध्यक्ष :** कहा है न इन्होंने, कि विचार कर रहे हैं।

**श्री अमराराम (धोद) :** अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि केवल रेजीडेंशल पंचायतों की मीटिंग में ही जाने का उनको अधिकार है। मेरा कहना है कि जितने उसके जिला परिषद के, 8 या 10 ग्राम पंचायतों के ऊपर एक जिला परिषद का मैम्बर होता है, एक पंचायत समिति का मैम्बर का क्षेत्र दो या तीन ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आता है तो क्या उन सबमें वह मैम्बर जा सकता है?

दूसरा, अपने जिला सतर्कता समितियों का निर्माण बताया है, तो आप बता दें कि सर्तकता समितियों की मीटिंग कभी हुई है क्या?

**श्री कालूलाल गुर्जर :** अध्यक्ष महोदया, जिला परिषद का सदस्य उसके क्षेत्र में आने वाली 10-11 जो भी पंचायतें हैं उनमें सबमें जा सकता है। सभी मीटिंग में उसको भाग लेने का अधिकार है। इसके अलावा भी अगर वह जाकर उनके कार्यकलापों का मानिटरिंग करता है, देखता है तो उसको देखने का अधिकार है। उसके द्वारा कोई जानकारी मांगी जाएगी तो सरपंच उसको जानकारी देगा, यह भी निर्देश है। जहां तक आपने सर्तकता समितियों की बात कही है...(व्यवधान)

**डा. सी.पी. जोशी :** अध्यक्ष महोदया, कानून की दृष्टि से पंचायत समिति का सदस्य पंचायत में नहीं जा सकता, जिला परिषद का सदस्य पंचायत में नहीं जा सकता। यह कानून की व्यवस्था है, आप यदि व्यवस्था बदलकर कोई बात लाएं, कानून लाएं तो बात अलग है। अभी जो व्यवस्था है वह कानूनी दृष्टि से यह व्यवस्था है।

**श्री कालूलाल गुर्जर :** अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं सूचना दे देता हूं कि 1996 में जो रूल्स बने हैं उसके रूल 37 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि पंचायत समिति का सदस्य और जिला परिषद का सदस्य पंचायत की मीटिंग में जा सकेगा, भाग ले सकेगा। केवल अविश्वास और वोटिंग होगी उसमें वह वोट नहीं दे सकेगा, बाकी सबमें वोट देने का उसको अधिकार होगा। निर्वाचन और अविश्वास के अलावा सारे वोटिंग में उनको अधिकार है। यह रूल 37 में स्पष्ट प्रावधान है, माननीय सदस्य देख सकते हैं।

जहां तक सतर्कता कमेटी के बारे में आपने कहा, यह सही है कि सतर्कता की कमेटी पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर राज्य सरकार

(श्री कालूलाल गुर्जर)

द्वारा बनाई जाती है। पंचायत स्तर पर जो सतर्कता कमेटी बनती है पंचातयों में ग्राम सभा होती है वह बनाती है। पंचायतों में सतर्कता कमेटी बनी थी पर जिला परिषद और पंचायत समिति में पिछली सरकार ने कोई कमेटी नहीं बनाई थी पांच साल तक। इस साल मैं पूर्णतः आश्वासन देता हूं कि निश्चित रूप से इसकी कमेटियों का निर्माण करेंगे और इनको अधिकार सम्पन्न करेंगे।

**श्री जोगाराम पटेल (लूणी):** अध्यक्ष महोदया, आपके मार्फत मैं यह जानना चाहता हूं कि सतर्कता कमेटी का अधिकार क्या है?

**श्री कालूलाल गुर्जर :** अध्यक्ष महोदया, खण्ड दो में, उत्तर में ही दे दिया है कि सतर्कता समिति सम्बन्धित पंचायत समितियों की स्कीम और अन्य कार्यकलापों का पर्यवेक्षण कर सकती है।

**श्री जोगाराम पटेल :** रिपोर्ट की अहमियत कहां मिलेगी ?

**श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) :** माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करना चाहता हूं, क्या राज्य सरकार की मंशा है, विधान में संशोधन लाकर राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ समाज कल्याण के क्षेत्र में, महिला विकास के क्षेत्र में, बाल विकास के क्षेत्र में, ग्रामीण डवलपमेंट के क्षेत्र में जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति के सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने का विचार रखते हैं ?

**श्री कालूलाल गुर्जर :** अध्यक्ष महोदया, ऐसा कोई विचार अभी तक हमारे सामने नहीं है, माननीय सदस्य ने कहा, इस पर विचार करेंगे । (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** नैक्स्ट क्वेश्चन , मोहम्मद माहिर आजाद।

**डा. सी. पी. जोशी :** आपने रूल बना रखे हैं.. (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** नैक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद माहिर आजाद ।

**डा. सी. पी. जोशी :** आप कह रहे हैं कि नहीं है, पंचायत समिति की स्टैण्डिंग कमेटी है।

**श्री कालूलाल गुर्जर :** स्टैण्डिंग कमेटी का कोई प्रश्न पूछा ही नहीं गया था। (व्यवधान) स्टैण्डिंग कमेटी के बारे में कोई बात ही नहीं है।

**डा. सी. पी. जोशी :** पंचायत समिति के सदस्य का काम नहीं था, जिला परिषद के सदस्य का काम नहीं है। वहां अलग-अलग स्टैण्डिंग कमेटी बनी हुई है, इलेवन शिड्यूल के अंदर काम बांट रखे हैं, उनकी मीटिंग के जो सदस्य होते हैं, उनको काम करने का अधिकार कानूनन दे रखा है। आप कह रहे हैं विचार नहीं कर रहे, क्या बता रहे हैं? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** माहिर आजाद ।

**श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल :** अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहता हूं..

**श्री अध्यक्ष :** मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

**श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल :** यह तो अहम् है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया ।

**श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल :** मैं केवल यह पूछना चाहता हूं, अब तक एम.एल.एज. को अधिकार ... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** नो, नैक्स्ट क्वेश्चन । अंकित नहीं हो।

**श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल :** xxx

**श्री अध्यक्ष :** अंकित नहीं हो रहा है। अहम, क्या है ?

**श्री कालूलाल गुर्जर :** अभी कोई विचार नहीं है ऐसे अधिकार देने का।

**श्री अध्यक्ष :** जब अंकित ही नहीं हो रहा है तो आप जवाब क्यों दे रहे हैं ?

## आरक्षित वर्ग के सहकारी निगमों को राज्य अंशदान की गारंटी

**139. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार को केन्द्रीय अनुदान हेतु राज्य अशंदान की गारंटी देनी होती है? यदि हां, तो अनूसूचित जाति जनजाति सहकारी निगम तथा अन्य पिछड़ा वर्ग सहकारी निगम आदि की कितनी राशि की गारंटी सरकार द्वारा दी गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य अल्प संख्यक वित्त विकास

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(सहकारी) निगम की केन्द्रीय अनुदान हेतु गारंटी दी जाती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा कब और कितना राशि (राज्य अशंदान) की केन्द्रीय अनुदान हेतु गारंटी दी गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**समाज कल्याण मंत्री (श्री मदन दिलावर) :** (1) जी नहीं। राज्य सरकार को राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा संचालित योजनाओं के लिए केन्द्र से अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु राज्य गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होती है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार को राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा संचालित योजनाओं के लिए केन्द्र से अनुदान राशि प्राप्त करने हेतु राज्य गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होती है।

**मोहम्मद माहिर आजाद :** माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, यह ठीक नहीं है, क्योंकि समाज कल्याण विभाग की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट आपने सदन पटल पर रखी थी, हमको दी थी, उसमें 2003 में आपने स्वयं स्वीकार किया है कि किन्हीं कारणवश अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम की हम समय पर गारंटी नहीं दे पाए जिसके कारण केन्द्र सरकार से हमको अनुदान राशि मिलनी थी उससे हमको वंचित रहना पड़ा। वह मैं सदन पटल पर रख दूंगा, पेश कर दूंगा। अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि जो उत्तर इन्होंने दिया है उसको दुबारा दिखवा लीजिए, यह उत्तर बिलकुल गलत है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि विगत वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष, केवल दो वर्षों में, एस.सी., एस.टी. कारपोरेशन, ओ.बी.सी. और महिला आयोग पर कितनी राशि आपने व्यय की और कितनी धनराशि आपको केन्द्र सरकार से अनुदान के रूप में मिली?

दूसरा सवाल यह है कि राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम पर आपने विगत वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि व्यय की? केन्द्र सरकार से आपको अनुदान के रूप में कितनी धनराशि मिली?

**श्री मदन दिलावर :** माननीय सदस्य ने इस प्रश्न पर आपत्ति की है, प्रश्न का जवाब बिलकुल ठीक है क्योंकि जो हम भारत सरकार को गारंटी देते हैं अनुदान पर नहीं देते। हम गारंटी देते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति वित्त

(श्री मदन दिलावर)

विकास निगम के माध्यम से जो ऋण लेते हैं, उसके एवज में राजस्थान सरकार, गारंटी देती है, अनुदान पर गारंटी नहीं देती है।

**श्री अध्यक्ष :** यही पूछा है उन्होंने ।

**श्री मदन दिलावर :** इसलिए यह उत्तर सही है। अब इन्होंने कहा है कि महिला आयोग पर कितनी गारंटी दी है, और पर कितनी गारंटी दी है। महिला आयोग का सवाल कहां से उठता है इसमें ? महिला आयोग का सन्दर्भ नहीं है इसमें, महिला आयोग का कोई सम्बन्ध नहीं है इसमें, इसलिए गारंटी नहीं दी जा सकती है। (व्यवधान) आपने प्रगति प्रतिवेदन का उल्लेख किया है, आपके जमाने का है, उस समय गलत लिखा होगा। गलत जिस अधिकारी ने लिखा है उसकी जांच करवा लेंगे। इस प्रकार से गलत नहीं लिखना चाहिए, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। वार्षिक प्रतिवेदन में गलत अंकन कैसे किया जा सकता है?

**मोहम्मद माहिर आजाद :** मेरा सवाल तो आप यह बता दें कि विगत वित्तीय वर्ष और चालू वित्तीय वर्ष में एस.सी., एस.टी. कारपोरेशन और ओ.बी.सी. कारपोरेशन और अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकार निगम में दस्तकारों और बेरोजगार लोगों ने आपसे ऋण के लिये आवेदन किया, कितनी राशि के ऋण आपने दिये और उस पर केन्द्र सरकार से कितनी अनुदान राशि मिली?

**श्री मदन दिलावर :** मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि अनुदान राशि मिलती ही नहीं है। फिर यही पूछ रहे हैं उसमें अनुदान राशि कितनी है। अनुदान राशि मिलती ही नहीं है, वह हमको लोन मिलता है।

**मोहम्मद माहिर आजाद :** हां, लोन का ही पूछ रहा हूं, लोन बता दीजिए। ऋण भी तो कह रहा हूं। आप शब्दों के जाल में क्यों जाते हैं? कितना ऋण आपने अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकार निगम के जरिये गरीब दस्तकार अल्पसंख्यकों को दिया, वह बता दीजिए? उसमें कितना हिस्सा आपका है और कितना केन्द्र का है, यह बता दीजिए?

**श्री मदन दिलावर :** हां, बता रहा हूं। माह जनवरी, 2005 तक एक करोड़ 63 लाख रुपये की राशि आहरित की थी उसमें से एक करोड़ 11 लाख रूपये की राशि के ऋण वितरित किये हैं, वह 392 व्यक्तियों को किये हैं।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम में?

**श्री मदन दिलावर** : हां।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : और एस.सी., एस.टी. का भी बताइये, ओ.बी.सी. का भी बताइये, तीनों का पूछ रहा हूं। इसमें केन्द्र सरकार का कितना हिस्सा है और आपका कितना है, दोनों बताइये ? (व्यवधान) मेरे सवाल का पूरा जवाब दीजिए आप। (व्यवधान) इसमें हिस्सा होता है दोनों का। मैं ऋण की बात कह रहा हूं आपसे कि इस ऋण में आपका कितना हिस्सा है और केन्द्र का कितना हिस्सा है ? और एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के कितने लोगों को दिया है, यह भी बता दीजिए ? (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : माननीय अध्यक्ष महोदय, एस.टी. फाइनेंस डवलपमेंट कारपोरेशन में हमने जो दिया है, 562 लोगों को दिया है। (व्यवधान) एक-एक तो पूछ लें, आपने पहले यूनिट पूछा है। और जो शिड्यूल्ड कास्ट कारपोरेशन है उसमें हमने 1917 को दिया है। स्वच्छकार का जो पूछना चाह रहे हैं उसमें 427 को दिया है। हमने हैण्डीकैप्ड 810 को दिया है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : वह नहीं पूछा । राशि भी बता दें आप कृपया ।

**श्री मदन दिलावर** : आप सब का पूछें तो सब का बता दूं।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : नहीं, सबका नहीं, मैं तो एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी और माइनोरिटी, 4 का ही पूछ रहा हूं। आप राशि भी बताएं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 लाख लोग आवेदन करें और आप 17 सौ एस.सी. के लोगों को ऋण दे दें इसमें बड़ी वाह-वाही पीट रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं बड़ा अच्छा किया। आपने कितनी राशि दी, यह भी बताइये?

**श्री मदन दिलावर** : यह बता रहा हूं। जो एस.टी. डवलपमेंट फाइनेंस कारपोरेशन के माध्यम से दी है, यह दी है 3 करोड़ 41 लाख रुपये। आप जो एस.सी. का पूछना चाहते हैं तो उसका भी बता देता हूं, 16 करोड़ 80 लाख रुपये। और किसका पूछना चाहते हैं? अल्पसंख्यक का बता दिया। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : एक मिनट, सिर्फ लास्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल या तो आप सही नहीं सुन पा रहे हैं, मैंने पूछा, यह जो

(मोहम्मद माहिर आजाद)

ऋण आपने इनको दिया है इसमें स्टेट बजट से कितना है और केन्द्र सरकार का हिस्सा कितना है? यह और बता दीजिए।

**श्री समर्थ लाल मीणा :** अध्यक्ष महोदय, यह जो प्रश्न है, यह मूलतः ही गलत है। यह प्रश्न मूलतः ही गलत है तो आगे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। प्रश्न पूछा गया है अनुदान के बारे में, यह मूलतः ही गलत है। यह गलत कार्यवाही चल रही है आपकी अध्यक्षता में।

**डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता प्रतिपक्ष) :** एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं, मूल प्रश्नकर्ता ने जो प्रश्न किया है, हकीकत में इसमें एस.सी., एस.टी. कारपोरेशन को ऋण दिया जाता है और स्टेट गवर्नमेंट उसकी गारंटी देती है, लेकिन गारंटी देने में राज्य सरकार हमेशा कोताही बरतती रही है। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि इन कारपोरेशंस के इस पूरे राज्य में मात्र 1700 आदमियों को या 2 हजार आदमियों को ऋण देकर क्या हम राज्य में सामाजिक न्याय के सिद्धान्त को लागू कर सकते हैं ? मैं जानना चाहता हूं, आप एस.सी., एस.टी. कारपोरेशंस के माध्यम से आइन्दा के लिये, हमारा राज्य सबसे पीछे है स्टेट गारंटी देने में, क्या आप इनको स्टेट गारंटी दिलाकर राज्य में कम से कम 50 हजार आदमियों को ऋण देने का विचार रखते हैं ? और नहीं रखते हैं तो क्यों नहीं? (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद :** वह केन्द्र का हिस्सा तो बताएं।

**श्री सांवर लाल :** पहले 5 साल में कभी ऐसा विचार आया क्या आपके दिमाग में, बताइये आप? (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने केन्द्र का पूछा, वह आप जवाब दे नहीं रहे हैं। आपके पास है नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में आपके माध्यम से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, माननीय मंत्रीजी, अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम की जो बैंक गारंटी ऋण के लिये आपको देनी थी, वह आप अपनी +++ के कारण नहीं दे पाये जिससे प्रदेश के हजारों अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ है। अन्याय हुआ है। (व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** : यह एकदम गलत है +++ (व्यवधान) कैसे हो सकता है? (व्यवधान)

**श्री बंशीलाल खटीक** : +++ तो कांग्रेस की रही है। आप लोगों की रही है। +++ यह +++ भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नहीं रही है। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : मेरा स्पष्ट आरोप है । (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक)** : यह कांग्रेस के जमाने में हुआ। (व्यवधान)

**श्री बंशीलाल खटीक** : +++ यह हमेशा आप लोगों की रही है।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : आपने अगर गारंटी दी हो तो बताइये। सदन पटल पर रखें, कब दी और कितने की दी है ? (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : मैं बता रहा हूं ।

**श्री बंशीलाल खटीक** : यह +++ हमेशा आप लोगों की रही है, भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही है।

**श्री मदन दिलावर** : एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आरोप बिलकुल गलत है। मैं आपसे स्पष्ट कर देता हूं, आंकड़ों से स्पष्ट कर देता हूं। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : सही है, हण्ड्रेड परसेंट सही है। अगर ये आरोप गलत हो तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा देने को तैयार हूं। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : मैं आंकड़ों से स्पष्ट कर देता हूं। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : गलत हों तो आप कह दीजिए। (व्यवधान) आरोप गलत हो तो मैं.. (व्यवधान)

**श्री महावीरप्रसाद जैन** : जवाब सुनना पड़ेगा । (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं आपको। (व्यवधान) आपको जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** : मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं, इस तरह आक्रोश मे आने

(श्री बद्रीलाल जाट)

की आवश्यकता नहीं है। जवाब सुनने को तैयार नहीं हैं आप। (व्यवधान) आप जवाब सुनने को तैयार नहीं है। इस तरह से आप केवल सदन का समय व्यर्थ कर रहे हैं। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** जवाब तो सुन लो । मंत्री महोदय का जवाब तो सुन लो। (व्यवधान)

**श्री महावीरप्रसाद जैन :** माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या है ? (व्यवधान)

(व्यवस्था-सूचक घण्टी)

**श्री मदन दिलावर :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि माननीय सदस्य जो नगर से आते हैं उन्होंने जो आरोप लगाया, बिलकुल गलत है। मैं आपको आंकड़ों से स्पष्ट कर देता हूं। वित्त एवं विकास निगम हेतु... (व्यवधान)

**श्री महावीरप्रसाद जैन:** ये उन्माद फैलाना चाहते हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ये आदी हैं साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने के, बिना तथ्यों के आधार पर ... (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा :** (हिण्डौली) कोटा में धार्मिक उन्माद आप पैदा कर रहे हो, अभी कानून और व्यवस्था हाथ में लेकर। (व्यवधान) अपने आदमियों को तो पकड़ो...(व्यवधान) अपने आदमियों को तो पकड़ो आप। (व्यवधान)

**श्री महावीरप्रसाद जैन :** आप क्या चाहते हो, धर्म परिवर्तन होता रहे ? (व्यवधान) आप यह चाहते हो? (व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा "खण्डार" :** बिराज जाइये। आपका मानसिक सन्तुलन ठीक नहीं है। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा :** कानून और व्यवस्था का, कोटा में धार्मिक उन्माद आप पैदा कर रहे हो । (व्यवधान) पुलिस का सारा काम आप कर रहे हैं। (व्यवधान) मदनजी दिलावर काम कर रहे हैं पुलिस का। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** धर्मान्तरण नहीं होने देंगे। (व्यवधान)

**श्री अशोक बैरवा "खण्डार"** : अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है, माननीय सचेतक महोदय का +++ । ये जब चाहे तब +++ जाते हैं। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आपको कि अगर इन्होंने अल्पसंख्यक वित्त विकास सहकारी निगम की (व्यवधान) आपने जो गारंटी नहीं दी उससे राजस्थान को केन्द्र सरकार की सहायता से वंचित होना पड़ा है, केवल आपके कारण से। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : सुन तो लें। (व्यवधान) मैं बता रहा हूं, जनसंख्या के अनुपात में.. (व्यवधान) गारंटी अल्पसंख्यकों के लिये भी दी हुई है.. (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मंत्रीजी का जवाब सुनिये। सुनाइये, सुनाइये। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर** : मैं पूरा सुनाना चाहता हूं। जहां एस.सी. की पापुलेशन 17 प्रतिशत है राजस्थान में, वहां गारण्टी दी है हमने 15 करोड़ रुपये की। जहां पापुलेशन 12 प्रतिशत है वहां गारण्टी दी है 10 करोड़ की, एस.टी. के लिए 1सफाई कर्मचारियों के लिए दी है 6 करोड़ की, विकलांग वित्त एवं विकास निगम के लिए दी है 10 करोड़ थी, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये हमने दी है 16 करोड़ की और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, अल्पसंख्यकों के लिये 8 करोड़ की गारण्टी दी है। जनसंख्या के अनुपात में सबसे ज्यादा, माननीय अध्यक्ष महोदय.. (व्यवधान) इसलिए इनका आरोप गलत है। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : कब दी है? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह आपने कब दी है ? यह आपने कब दी है, यह और बता दें ? (व्यवधान) नहीं, यह कब दी है, यह और बता दें? (व्यवधान)

**श्री महावीरप्रसाद जैन** : यह पहली बार हुआ है । (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : आप सुनिये, ऐसे नहीं धमका सकते हैं। (व्यवधान)

**श्री महावीरप्रसाद जैन** : यह पहली बार हुआ है। यह कांग्रेस के टाइम में नहीं हुआ है। यह असत्य आरोप लगाते हैं। यह असत्य आरोप लगाते हैं, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, धार्मिक आधार पर

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

असत्य आरोप लगाते हैं, इसलिये इनको माफी मांगनी चाहिए। (व्यवधान) मैं मांग करता हूं कि ये माफी मांगें। (व्यवधान) इस प्रकार राजस्थान के इस सर्वोच्च हाउस का गलत...(व्यवधान) ये माफी मांगें। (व्यवधान)

**श्री बंशीलाल खटीक** : सबसे ज्यादा गारण्टी माइनोरिटी कमीशन के लिये दी गयी है। (व्यवधान) माननीय सदस्य धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करे रहे हैं। (व्यवधान) बार-बार अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, क्या आपको कोई और दूसरा नहीं दिखता है? इस तरह सदन में आप साम्प्रदायिकता भड़काते हो। आप लोग साम्प्रदायिकता भड़काने के लिये ही यहां आये हो क्या? अल्पसंख्यक ही दिखते हैं क्या आपको ? (व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** : सबसे ज्यादा धन की गारण्टी अल्पसंख्यकों के लिये ही दी गयी है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : शान्त, कृपया शान्त रहिये।

**श्री महावीरप्रसाद जैन** : उन्माद फैला रहे हैं, उन्माद। इनको माफी मांगनी पड़ेगी। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्षः** कृपया शान्त रहें, कृपया शान्त रहें। (व्यवधान)

**श्रीमहावीरप्रसाद जैन** : सदन का दुरुपयोग कर रहे हैं, माफी मांगें ये। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद** : कितनी तारीख को दी है, सदन पटल पर रखें आप? (व्यवधान) कितनी तारीख को यह गारण्टी दी है, सदन पटल पर रखिये आप? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मैं कार्यवाही देख लूंगी कि क्या शब्द कहा है। (व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** : गारण्टी दे दी।

**मोहम्मद माहिर आजाद** : तारीख बता दें कि कितनी तारीख को दी है? आप तारीख बता दीजिए कि कितनी तारीख को दी यह? (व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर** : गारंटी दे दी, तारीख से क्या लेना-देना है ? गारंटी दे दी। गारंटी के लिए पूछा है, गारंटी दे दी । (व्यवधान)

**श्री महावीरप्रसाद जैन :** यदि तारीख बता देंगे तो फिर तो माफी मार्गेगे ?

**मोहम्मदमाहिर आजाद :** सुनिये तो सही एक मिनट (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** तारीख बता देंगे तब तो माफी मागेंगे ?

**श्री बंशीलाल खटीक :** मंत्रीजी जो सदन में बोल रहे हैं, जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री महावीरप्रसाद जैन :** आपने यह कहा कि अल्पसंख्यकों के ऊपर आप जान-बूझकर वैमनस्यतापूर्ण, और आपने अल्पसंख्यक आयोग की गारंटी नहीं दी। अब यदि यह तारीख बता देंगे (व्यवधान) 8 करोड़ रुपये की गारंटी दी गयी, यह कहा है। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद :** यह कुछ भी नहीं कहा है हमने। (व्यवधान)

**श्री कालूलाल गुर्जर :** ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपको। (व्यवधान)

**श्री सी. डी. देवल :** अध्यक्ष महोदय, एक साल में अल्पसंख्यक आयोग को, वित्त आयोग को कोई गारंटी नहीं दी सरकार ने। (व्यवधान)

**श्री महावीरप्रसाद जैन :** यह धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, मिथ्यां आरोप लगाने के लिए कहा है इन्होंने। (व्यवधान)

**श्री सी.डी. देवल :** बीच में बोल रहे हैं आप।

**श्री बंशीलाल खटीक :** गारण्टी के लिए पूछा गया है, गारंटी दी गयी है। अब कितनी मिली, क्या मिली, इससे.. (व्यवधान)

**श्री महावीरप्रसाद जैन :** अध्यक्ष महोदय, यह 272 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

**श्री सी. डी. देवल :** यह खामख्वाह बीच में बोल रहे हैं। प्रश्न यह पूछ रहे हैं और जवाब देना चाहते हैं, ख्वाहमख्वाह बीच में बोल रहे हैं, आप इनको रोक नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री बंशीलाल खटीक :** यह गारंटी दी है।

**श्री महावीरप्रसाद जैन :** प्रक्रिया के नियम 272 में सदस्यों के पालनीय नियमों में यह है। (व्यवधान)

**श्री बंशीलाल खटीक :** गारंटी दी है, आपने क्या अल्पसंख्कों के लिए कभी सोचा है?

**श्री महावीरप्रसाद जैन :** 272 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

**श्री गोविन्दराम चौहान :** कांग्रेस के राज में कितनी गारंटी दी है, यह पूछो इनसे ?

**श्री अध्यक्ष :** कृपया आप अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

**श्री गोविन्दराम चौहान :** कांग्रेस के राज में कितने करोड़ की गारंटी दी गयी थी, यह बताइये ? आज यह बढ़-बढ़कर बातें बोल रहें हैं, इनसे पूछा जाए कि कांग्रेस के राज में कितने करोड़ की गारंटी दी गयी थी।

**एक माननीय सदस्य :** 10 करोड़ की।

**श्री गोविन्दराम चौहान :** आपको तो पांच साल में नहीं दी है। ऐसा बोलना ठीक नहीं है। असत्य तथ्य पेश मत करो। आपने तो पांच साल के लिए दस करोड़ की दी, एक साल में 10 करोड़ की दी गयी है यहां। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

**श्री गोविन्दराम चौहान :** आप भी 10 करोड़ की तारीख बताइये फिर। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा :** अध्यक्ष, महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जब सरकार ने 8 करोड़ रुपये की गारंटी दी है तो... (व्यवधान)

**श्री बंशीलाल खटीक :** पांच साल तक आपको अल्पसंख्यकों का नहीं सूझा, एक साल में आपको अल्पसंख्यकों का सूझ गया। पांच साल तक आप करते यह, ढिंढोरा पीटते । (व्यवधान) मात्र सामप्रदायिकता का माहौल पैदा करने के लिए सदन में यह बात कर रहे हैं । (व्यवधान)

**श्री महावीरप्रसाद जैन** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान 272 के नियम 7 और 8 पर आकर्षित करना चाहता हूं

(7) – अभिद्रोहात्मक, राजद्रोहोत्मक या मानहानिकारक शब्द नहीं कहेगा।

(8) – अपने भाषण के अधिकार का उपयोग सदन के कार्य में बाधा डालने के प्रयोजन के लिए नहीं करेगा। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** : अध्यक्ष महोदय, यह कौनसी व्यवस्था है? नयी परम्परा शुरू कर दी है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** : प्रश्नकाल में यह नहीं कर सकते।

**श्री जुबेर खान** : कौनसी नयी परम्परा शुरू कर दी?

**श्री महावीरप्रसाद जैन** : नयी परम्परा नहीं है। सदस्य के बोलने के अधिकार का यह (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** : यह कौनसी नयी परम्परा शुरू कर दी आपने? आपकी व्यवस्था दी हुई है।

**श्री महावीरप्रसाद जैन** : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्थाएं दी गयी हैं पहले। अध्यक्षीय व्यवस्था है और उपाध्यक्षीय व्यवस्थाएं हैं, आप खण्ड-एक व दो पढ़ लीजिए। 272 में जो 7 और 8 है वह पढिये। जो सदस्यों को नियमों का पालन करना होता है उसके लिए आप इसमें नम्बर 7 में पढिये । (व्यवधान)

**श्री सी.डी. देवल** : आप तो इनको ठीक कर लो। मंत्रीजी जवाब देते हैं तब खड़े हो जाते हो और नियम के लिए कहते हो। (व्यवधान)

**श्री महावीरप्रसाद जैन** : अपने अधिकार का उपयोग सदन में कार्य में बाधा डालने के प्रयोजन के लिए नहीं करेगा।

**श्री अशोक बैरवा (खण्डार)** : कल माननीय मुख्य मंत्रीजी ने क्या... (व्यवधान) सारे खड़े हो रहे हैं और एक मंत्रीजी से निपटने को तैयार... (व्यवधान)...

**श्री सी. डी. देवल** : खड़े हो जाते हो आप।

**श्री अशोक बैरवा (खण्डार) :** एक तरफ मंत्रीजी खड़े हो रहे हैं, पालना कैसे हो रही है यह?

**श्री महावीरप्रसाद जैन :** यह राजस्थान का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं और इस प्रकार से +++ माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस पर व्यवस्था दें।

**एक माननीय सदस्य :** सी.एम. साहब के कान के पर्दे फाड़ देंगे आप।

**श्री संयम लोढ़ा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि जब सरकार ने 8 करोड़ रुपये की गारंटी दी तो मात्र 15 फीसदी लोन स्वीकृत करने का क्या कारण है ? 8 करोड़ रुपये की गारंटी के विपरीत आपने अल्पसंख्यकों को सिर्फ 15 फीसदी लोन स्वीकृत क्यों किया ? क्या कारण है?

**श्री महावीरप्रसाद जैन :** अध्यक्ष महोदय, आप अपनी व्यवस्था दो।

**श्री अध्यक्ष :** व्यवस्था तो नहीं उठायी जा सकती लेकिन आपने मेरा जो ध्यान आकर्षित किया है। मैं कार्यवाही देखकर उसके बाद, दो घंटे बाद इस सम्बन्ध में व्यवस्था दूंगी।

**श्री संयम लोढ़ा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सिर्फ यह निवेदन आपके माध्यम से मंत्री महोदय से है कि जब 8 करोड़ रुपये की अल्पसंख्यकों के लिए गारंटी दी है तो मात्र 15 फीसदी आपने स्वीकृत करने का क्या कारण है? मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि सिर्फ 15 फीसदी आपने स्वीकृत क्यों किया?

**डा. बुलाकीदास कल्ला :** अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि एस.सी., एस.टी. कारपोरेशन, ओ.बी.सी. कारपोरेशन और अल्पसंख्यक कारपोरेशन इन सारों में कितनी-कितनी गारंटी लोन के लिए मांगी गयी थी और सरकार ने कितनी-कितनी दी? इससे यह स्पष्ट हो जाएगा। उन्होंने कितनों के लिए गारंटी मांगी थी और कारपोरेशन को कितनी स्टेट ने गारंटी दी, यह बता दीजिए। (व्यवधान)

**श्री हीरालाल (निवाई) :** 8 करोड़ रुपये की गारंटी दी है। यह सुन नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद :** आप तारीख बताइये। दे दी तो आपने बहुत अच्छा काम किया। (व्यवधान) तारीख बता दीजिए कि कितनी तारीख को दी है और पेपर सदन के पटल पर रख दीजिए। (व्यवधान)

**श्री हीरालाल (निवाई) :** तारीख से क्या होगा ? दे दी न गारंटी, लोन स्वीकृत कर दिया और क्या होगा अब ? (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद :** सदन पटल पर रख दें कागज।

**श्री हीरालाल (निवाई) :** आसन की व्यवस्था हो गयी है।

**श्री मदन दिलावर :** अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसकी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे हैं, यहां अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, स्वच्छकारों के कल्याण के लिए किसी प्रकार की धन की कमी नहीं है। जैसे-जैसे आवश्यकता पड़ेगी, उस आवश्यकता की पूर्ति करते रहेंगे। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** नैक्स्ट क्वेश्चन ।

**श्री जुबेर खान :** अध्यक्ष महोदय, जब गारंटी मांगी है या नहीं मांगी है और दी है या नहीं दी है, यह बताइये हमें कि.. (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** नैक्सट क्वेश्चन, श्री हरिमोहन शर्मा।

**श्री बंशीलाल खटीक:** अध्यक्ष महोदय, यह व्यवधान डाल रहे हैं। यह साम्प्रदायिकता का माहौल पैदा करके सदन की कार्यवाही में व्यवधान डाल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** स्थान ग्रहण करें।

**श्री संयम लोढ़ा :** मेरे क्वेश्चन का उत्तर नहीं आया।

## योजना आयोग द्वारा स्वीकृत वार्षिक योजनाएं

140. **श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :** क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 की वार्षिक योजना कितनी राशि की बनाकर योजना आयोग को प्रस्तुत की गई एवं योजना आयोग द्वारा कितनी राशि की योजना स्वीकार की गई ? राज्य सरकार के प्रस्ताव एवं योजना आयोग की स्वीकृति में कितनी राशि का अन्तर है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

(2) वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 एवं वर्ष 2004-05 के लिये कितनी-कितनी राशि की वार्षिक योजनाएं योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गईं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2004-05 की तुलना में केन्द्र प्रवर्तित योजना में किस-किस मद में कितनी-कितनी वृद्धि की गई और गत वर्ष की योजना एवं इस वर्ष की योजना में केन्द्र द्वारा कितनी अधिक सहायता (अनुदान) देने की घोषणा अथवा सहमति योजना आयोग द्वारा दी गई?

**राज्य मंत्री, अयोजना, (श्री वीरेन्द्र मीणा) :** (1) राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005-06 की वार्षिक योजना 7826.85 करोड़ रुपये की बनाकर योजना आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। योजना आयोग द्वारा राज्य की वार्षिक योजना 2005-06 का आकार 8350.00 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया है। प्रस्तावित आकार एवं स्वीकृति राशि में 523.15 करोड़ रुपये का अन्तर है।

(2) वर्ष 2001-02 से 2004-05 तक योजना आयोग द्वारा निम्नानुसार वार्षिक योजनाएं स्वीकृत की गईं :-

| | करोड़ रुपये में |
|---|---|
| 2001-2002 | 5031.00 |
| 2002-03 | 5160.00 |
| 2003-04 | 4258.00 |
| 2004-05 | 6797.50 |

* योजना आयोग द्वारा निम्न योजनाओं में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सूचित की गई-

| | |
|---|---|
| त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम | 125.00 |
| राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम | 19.45 |
| राष्ट्रीय कच्ची बस्ती विकास कार्यक्रम | 15.09 |
| मिड-डे-मील कार्यक्रम | 103.03 |
| नेशनल ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान | 3.69 |
| **कुल योग** | 266.26 |

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

इस प्रकार कुल योजना आकार 7063.76 करोड़ रूपये होता है।

(3) केन्द्र प्रवर्तित योजना (सी.एस.एस.) में वृद्धि की गणना केन्द्रीय बजट में किये जाने वाले अनुमानों के आधार पर की जा सकेगी। वर्ष 2004-05 की तुलना में 2005-06 की योजनान्तर्गत केन्द्रीय सहायता राशि में 177.29 करोड़ रूपये की वृद्धि की गई है। मदवार विवरण इस प्रकार है :-

(करोड़ रूपये में)

| क्र. सं. | मद | 2004-2005 | 2005-2006 | वृद्धि की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम | 37.71 | 37.71 | — |
| 2. | कच्ची बस्तियों का समग्र विकास | 30.05 | 30.05 | — |
| 3. | राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस एक्शन प्लान | 3.69 | 3.69 | — |
| 4. | प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना | 106.11 लाख | 106.11 लाख | — |

**डा. बुलाकीदास कल्ला** : अध्यक्ष महोदय, इसमें करोड़ रुपये हैं और मंत्रीजी लाख-लाख बोल रहे हैं।

**श्री वीरेन्द्र मीणा** : नहीं, नहीं, पाइंट 11 लाख बोल रहा हूं।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** : आप लाख बोल रहे हैं। अभी बोला है लाख।

**श्री वीरेन्द्र मीणा** : ठीक है, मैं इसको ठीक कर देता हूं।

(12.00 बजे)

(करोड़ रूपये में)

| क्र.सं. | मद | 2004-2005 | 2005-2006 | वृद्धि की राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. | सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम | 30.32 | 30.32 | — |
| 6. | त्वरित सिंचाई लाभ योजना | 400.00 | 400.00 | — |
| 7. | शहरी सुधार इन्सेंटिव फण्ड | 23.15 | 23.15 | — |
| 8. | राष्ट्रीय सम विकास योजना | 45.00 | 45.00 | — |

(श्री वीरेन्द्र मीणा)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 9. | बालिकाओं के लिये पोषाहार कार्यक्रम | 6.15 | 6.15 | — |
| 10. | अनुच्छेद 275 (1) के अन्तर्गत सहायता | 22.00 | 22.00 | — |
| 11. | जनजाति उपयोजना | 32.85 | 32.85 | — |
| 12. | सैन्ट्रल रोड फण्ड | 67.87 | 67.87 | — |
| 13. | त्वरित ऊर्जा विकास कार्यक्रम | 85.18 | 126.68 | 41.50 |
| 14. | मिड-डे-मील | 103.03 | — | - |
| 15. | एकबारीय अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता | 59.23 | 60.00 | 0.77 |
| 16. | साधारण केन्द्रीय सहायता | 901.70 | 1039.65 | 137.95 |
| 17. | बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता | 962.90 | 1063.00 | 100.00 |
| | योग | 2916.94 | 3094.23 | 177.29 |

उपरोक्त अधिक सहायता राशि 177.29 करोड़ रूपये में 115.80 करोड रुपये का ऋण तथा 61.49 करोड़ रुपये का अनुदान सम्मिलित है।

**एक माननीय सदस्य :** किसलिये ताली बजा रहे हो (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

**श्री हरिमोहन शर्मा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी से थोड़ा-सा पूछना था। साहब, प्लानिंग का मामला है, एक प्रश्न पूछ लूं। एक प्रश्न की इजाजत दे दें। (व्यवधान) एक प्रश्न की इजाजत दे दें आप। (व्यवधान) एक प्रश्न पूछ लेता हूं मैं । एक प्रश्न पूछूंगा, दूसरा नहीं पूछूंगा।

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** आसन पैरों पर है। आसन पैरों पर है (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष:** प्रश्नकाल समाप्त ।

**श्री हरिमोहन शर्मा :** एक प्रश्न ही। केवल मेरा प्रश्न यह है माननीय मंत्रीजी से... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आपका प्रश्न महत्वपूर्ण था इसलिये मैंने पुकार लिया था और उन्होंने जवाब दे दिया।

**श्री हरिमोहन शर्मा** : नहीं, एक प्रश्न की इजाजत दे दें आप। केवल एक प्रश्न । मैं नहीं पूछूंगा, बैठ जाऊंगा। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : सदन की परम्परा रही है कि 12 बजने के बाद में प्रश्नकाल आगे नहीं चलेगा।

**श्री हरिमोहन शर्मा** : एक प्रश्न पूछ लूं। केवल एक प्रश्न ही। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : तो रोज यही बात होगी।

**श्री हरिमोहन शर्मा** : मेरा एक प्रश्न है केवल। केवल एक ही प्रश्न है माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्रीजी आप सुन लें, जवाब नहीं दिलवाएं। मेरा प्रश्न सुन लें, आप जवाब नहीं दिलाएं। मेरी बात सुन लें, साहब। (व्यवधान) आप जवाब मत दिलवाना।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कर लें।

**श्री हरिमोहन शर्मा** : आप जवाब मत दिलवाना सरकार से। माननीय मुख्य मंत्री को परेशान नहीं करना, लेकिन मेरा प्रश्न सुन लें। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अब आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** : मेरा एक छोटा-सा प्रश्न है, साहब। मेरा प्रश्न है कि क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस पूरी पंचवर्षीय योजना में जो राशि है, उससे 48 प्रतिशत कम...। (व्यवधान) उस राशि 48 प्रतिशत के मामले में क्या कभी मानिटरिंग की है माननीय मुख्य मंत्रीजी ने? (व्यवधान)

**श्री महावीरप्रसाद जैन** : आसन पैरों पर है। आप बहुत पुराने सदस्य हो। आप मंत्री भी रहे हैं और पुराने मैम्बर हैं, आसन पैरों पर है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो।

**श्री हरिमोहन शर्मा** : xxx

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो रहा है।

**श्री हरिमोहन शर्मा :** xxx

**श्री अध्यक्ष :** यदि 12 बजे के बाद प्रश्न काल जारी रहेगा तो परम्परा.. (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा:** xxx

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, यह एक गलत परम्परा होगी कि 12 बजे के बाद भी इस प्रकार से लोग हठ करते रहें और कन्टीन्यू में रहें। प्रश्न काल का समय समाप्त हुआ।

**डा. बुलाकीदास कल्ला :** xxx

**श्री अशोक बैरवा :** xxx

**श्री रमेश खींची :** xxx

**श्री सी.डी. देवल :** xxx

**श्री अध्यक्ष :** आप आसन की व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं ? आसन को चुनौती दे रहे हैं?

**श्री अशोक बैरवा :** xxx

**श्री अध्यक्ष :** मैंने कहा, स्थान ग्रहण करें। मैं कह रही हूं, स्थान ग्रहण कर लें। दोनों माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। प्रश्न काल समाप्त।

# शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

## रेवतराम चौधरी श्री, पूर्व सदस्य के निधन पर

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रेवतराम चौधरी के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

पूर्व सदस्य, श्री रेवतराम चौधरी का जन्म वर्ष 1938 में चूरू जिले

(श्री अध्यक्ष)

की श्रीडूंगरगढ़ तहसील के दुलचासर ग्राम में हुआ। आपने उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त की।

श्री रेवतराम चौधरी सातवीं तथा आठवीं राजस्थान विधान सभा में डूंगरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (आई) के विधायक रहे।

शोकभिव्यक्ति के इस अवसर पर भी कौन बोल रहा है। बहुत खेद की बात है, शर्म की बात है।

विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप गृह समिति, सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति, राजकीय उपक्रम समिति तथा सिंचाई, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राजस्व एवं भूमि सुधार, ऊर्जा, बाढ़ एवं अकाल राहत विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

ग्राम पंचायत दुलचासर के सरपंच रहे श्री चौधरी पश्चिमी रेलवे की क्षेत्रीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति, जिलों के कारागृहों की सलाहकार समिति तथा सूखा सम्भाव्य क्षेत्र परियोजना क्रियान्वयन समिति के सदस्य भी रहे। आप सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, चूरू के अध्यक्ष रहे। समाज सेवा में रुचि रखने वाले श्री चौधरी कृषक उत्थान और युवाओं में चेतना जागृत करने हेतु प्रयत्नशील रहे। आप राजस्थान-महाराष्ट्र युवक सम्मेलन के उपाध्यक्ष भी रहे।

श्री रेवतराम चौधरी का दिनांक 21 फरवरी, 2005 को निधन हो गया।

मैं दिवंगत श्री चौधरी को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण, कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करें।

**(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की)**

(श्री अध्यक्ष)

## स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से राज्य के कुछ जिलों में सरसों की पैदावार का किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिलने से उनमें व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

2. डा. चन्द्रशेखर बैद एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से कोटा में असमाजिक तत्वों द्वारा धार्मिक उन्माद पैदा कर कानून व व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने के सम्बन्ध में।

3. श्री संयम लोढ़ा एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से जे.डी.ए. के अधिकारियों द्वारा हनुमान नगर-ई, जयपुर स्थित वीर हनुमान मंदिर को तोड़ने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्तावों का विषय ऐसा नहीं है कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर उन पर विचार किया जाए। अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री जुबेर खान, डा. चन्द्रशेखर बैद एवं श्री संयम लोढ़ा को अपने-अपने प्रस्ताव के विषय पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

4. श्री मांगीलाल गरासिया एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की साबरमती परियोजना व पिपरना कोह्नीधरा चित्रावास सिंचाई परियोजनाओं का कार्य तत्काल प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव का विषय भी इतना गम्भीर प्रकृति का नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को रोक कर इस पर विचार किया जाए। अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

5. श्री हरिमोहन शर्मा एवं एक अन्य सदस्य की ओर से घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान में पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समय इस विषय पर चर्चा हो चुकी है अतः इस पर भी अनुमति देने में असमर्थ हूं।

# नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

प्रक्रिया के नियम-295 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं-

(1) श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गंगरार की कतिपय सड़कों का डामरीकरण करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं के किसानों द्वारा मांग पत्र की राशि जमा करा देने के उपरान्त भी उनको विद्युत कनेक्शन नहीं देने के सम्बन्ध में।

**श्री रमेश खींची :** अध्यक्ष महोदय, आसन पैरों पर है और किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य अधिकारियों से बात कर रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष:** गुप्ताजी, आसन जब पांवों पर होता है तो सदन का कोई भी सदस्य खड़ा नहीं हुआ करता है। (व्यवधान) ठीक है, ठीक है, अब हो गयी न बात। कह दिया न।

(3) प्रो. बीरू सिंह राठौड़, सदस्य की ओर से अमानीशाह नाले का पुन: सर्वे करके खाली पड़ी सरकारी भूमि का डिमार्केशन किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री नवनीत नीनामा, सदस्य की ओर से माही डैम की दुकवाड़ा माइनर द्वारा 13673 बीघा जमीन को पानी देने के सम्बन्ध में।

(6) श्री सुरेन्द्र पारीक, सदस्य की ओर से सम्पदा विभाग द्वारा नजूल सम्पत्तियों के विक्रय में कथित भेदभाव के सम्बन्ध में।

(7) डा. जालमसिंह रावलोत, सदस्य की ओर से बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों के पशुपालन विभाग में चिकित्सकों एवं पशुधन सहायकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में।

(8) श्री गोविन्दराम मेघवाल, सदस्य की ओर से नोखा के छोटे व्यवसायियों को कियोस्क आबंटित करने के सम्बन्ध में।

(9) डा. ओ.पी. महेन्द्रा, सदस्य की ओर से गंगानगर शुगर मिल्स, श्रीगंगानगर की पुरानी यूनिट के स्थान पर नयी आधुनिक यूनिट लगाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(10) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में अकाल राहत कार्यों के तहत सड़कों का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(11) श्री रघुवीर सिंह मीणा, सदस्य की ओर से आरक्षित वर्ग के बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेज को नियुक्ति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री रामचन्द्र जारोड़ा, सदस्य की ओर से उप-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा (जयपुर संभाग) के अधीन कार्यरत कार्मिकों के सेवा प्रकरणों के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने का अधिकार होगा।

श्री जुबेर खान।

# स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

## कृषि के लिए बिजली की समस्या

**श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) :** अध्यक्ष महोदय, मैंने किसानों की समस्या पर आपको स्थगन प्रस्ताव दिया था, आपने यह कहा था इसका जवाब दिलाएंगे।

**श्री अमराराम (धोद) :** अध्यक्ष महोदय, हमने बिजली की समस्या पर स्थगन प्रसताव दिये थे और आपने व्यवस्था दी थी, उसका सत्र में सरकार की ओर से जवाब आएगा। तो आप व्यवस्था दें। आपने कहा था। शायद आज सत्र का आखिरी दिन है, इसके बाद सदन स्थगित हो जाएगा इसलिए आप कम से कम यह व्यवस्था दें। राजस्थान का किसान अभी बिजली से जिन परेशानियों से परेशान हो रहा है, वह सरकार के सामने लायी जा सके और सरकार उनकी व्यवस्था कर सके, इसलिए आपसे निवेदन है।

**श्री अध्यक्ष :** आप खड़े क्यों हैं ? वह बोल रहे हैं न, आपकी बात ही तो बोल रहे हैं।

**श्री अमराराम (धोद) .** इसलिए अगर आप व्यवस्था दें तो राजस्थान का किसान जिन परेशानियों से परेशान है उनके बारे में बात रखी जा सके, यह आपसे निवेदन है।

**मोहम्मद माहिर आजाद :** अध्यक्ष महोदय, मेरा भी निवेदन है कि, हमने भी दस्तखत किये थे कि बिजली पर सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ जाए या फिर हम को चर्चा करने की अनुमति मिले, क्योंकि अभी 15 दिन ही हैं फसल के।

**श्री अध्यक्ष :** पहले आप यह होने दीजिए स्थगन प्रस्ताव और 295, उसके बाद बात करेंगे।

**मोहम्मद माहिर आजाद :** नहीं; आप व्यवस्था दे दें, बिजली पर सरकार की तरफ से बयान आ जाए क्योंकि आज पांच-छह दिन हो गये और उसका कोई उत्तर आया नहीं, हमने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था। आज ही अंतिम चरण है जब गेहूं में पानी के लिए बिजली की आवश्यकता है, इसके बाद यह सदन स्थगित होने के बाद एक महीने बाद पता नहीं कब मिलेगा। इसलिए हमारा तो आपसे निवेदन है कि बिजली पर आज सरकार की तरफ से आप व्यवस्था करें।

**श्री महीपाल सिंह यादव :** माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत चुनावों के बाद गांवों में सात से दस जो बिजली का एलान किया था, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वह खत्म हो गया है। सुबह चार से छह विद्यार्थी पढ़ भी नहीं पाते हैं। मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था कि अगस्त के महीने में जो डी.एन. जमा हैं उनको 31 दिसम्बर तक कनेक्शन दे दिये जाएंगे। लेकिन आज तक, फरवरी का महीना चला जा रहा है, अभी तक कनेक्शन नहीं दिये गये हैं, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। 15 सालों में किसानों का नम्बर आया है, 8 महीने से किसान इन्तजार कर रहा है और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी मुस्तैदी से यह बात कही है।

**श्री अध्यक्ष :** जीरो आवर के बाद में इस सम्बन्ध में मंत्रीजी की ओर से वक्तव्य दिया जाएगा।

**श्री महीपाल सिंह यादव :** ठीक है।

## सरसों का समर्थन मूल्य न मिलने से किसानों में उत्पन्न रोष

**श्री जुबेर खान (रामगढ़) :** अध्यक्ष महोदय, आज रबी की फसल में किसान सरसों को काट कर मंडियों में ले जाना शुरू हो गये हैं। खास तौर से अलवर जिले में तो मैंने स्वयं यह देखा है कि काश्तकार मंडियों में सरसों को

(श्री जुबेर खान)

ले जाना शुरू कर दिये। अध्यक्ष महोदय, इस साल 2004-2005 में सरसों की राजस्थान में लगभग 26.14 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की बुवाई हुई है। कुछ जिलों में तो सरसों की क्रॉप को कैश क्रॉप कहते हैं हमारे अलवर, भरतपुर में इधर की तरफ तो कैश क्रॉप होती है, किसान को इस फसल से सबसे ज्यादा पैसा मिलता है।

अध्यक्ष महोदय, आज स्थिति क्या हो रही है? किसान मंडियों में ले जा रहा है अपनी सरसों को, न्यूनतम समर्थन मूल्य 1700 रुपये क्विंटल है जबकि लोगों को 1100 और 1200 रूपये क्विंटल में सरसों खरीदी जा रही है व्यापारियों द्वारा। जो व्यवस्था राजस्थान सरकार करती है, समर्थन मूल्य की सरसों की खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा नैफेड को नोडल एजेंसी बनाया हुआ है और राजस्थान के राजफैड द्वारा क्रय-विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से नैफेड के एजेंट के रूप में ये फसलें खरीदी जाती हैं। हमने 146 केन्द्र स्वीकृत कर रखे हैं क्रय-विक्रय के कि वहां किसान अपनी सरसों या अन्य जीन ले जाकर बेच सकता है लेकिन वास्तव में स्थिति यह है कि आज तक एक क्विंटल भी सरसों वहां खरीदी नहीं जा रही है। अब जब किसान को जरूरत है, किसान को ऋण चुकाने हैं बैंकों के, सहकारी संस्थाओं के, व्यापारियों के, तब तो ये सरकारी खरीद करा नहीं रहे। किसान मजबूर होकर मंडियों में ले जाकर व्यापारियों के और दलालों के बीच में फंस रहा है, 1100-1200 में बेच रहा है। महीने भर बाद जब किसान की पूरी फसल मंडियों में व्यापारियों के यहां चली जाएगी तब ये क्रय-विक्रय केन्द्र उसे खरीदेंगे। इससे किसान का कुछ भला होने वाला नहीं है, सारा भला बिचौलियों और व्यापारियों का होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि तुरन्त क्रय-विक्रय को निर्देशित किया जाए। सरकार कहती है कि हमने निर्देश दे दिये, लेकिन वास्तव में सरसों की खरीद क्रय-विक्रय सहकारी समितियों द्वारा नहीं की जा रही है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, जब किसान सरसों लेकर जाएगा तो कहेंगे कि यह गीली है, इसमें यह कमी है। हरियाणा में जब किसान लेकर जाता है तो कोई मीन मेख नहीं लगाये जाते, तुरन्त सरसों खरीदी जाती है और तुरन्त नकद पैसे दिए जाते हैं। यहां राजस्थान में क्या होता है ? पहले तो कहेंगे, यह गीली है, पतली है, मोटी है, लिया नहीं जाएगा। और ले लिया जाएगा तो पेमेंट

(श्री जुबेर खान)

के नाम पर जयपुर हम भेजेंगे. जयपुर से पैसा राजफैड भेजता है। किसानों को 15-20 दिन बाद पैसा मिलट. ु। मजबूर होकर किसान व्यापारियों को 1100-1200 रूपये क्विंटल में सरसों बेच रहा है जो 1700 रुपये क्विंटल में बिकनी चाहिए।

इसलिए मेरा आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से, मंत्री जी और सरकार से निवेदन है कि अगर आप किसान को कुछ राहत देना चाहते हो, किसान का कुछ हित करना चाहते हो, किसान को व्यापारियों और बिचौलियों के चंगुल से बचाना चाहते हो ताकि उनको उचित मूल्य मिले तो, तो आप तुरन्त ये निर्देश दीजिए कि किसान जो भी सरसों लेकर आए उसको क्रय-विक्रय सहकारी संघ खरीदे और तुरन्त पेमेंट की व्यवस्था करे। तब तो सही मायने में किसान का भला होगा, नहीं किसान की सरसों सड़ती जाएगी और व्यापारी बाद में मुनाफा कमाएंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अमराराम (धोद)** : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने घोषणा कर दी कि 1500 केन्द्र खोल दिये गये हैं जबकि कोटा, भरतपुर और अलवर में सरसों आना पन्द्रह दिन से शुरू हो गयी, प्रैक्टिस राजस्थान की यह रही है कि राजस्थान का किसान व्यापारी के यहां अपनी फसल बेच देता है 400 रूपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य है, 1300 रुपये में किसान लुटा जा रहा है।

**श्री अध्यक्ष** : कृषि मंत्रीजी हैं?

**श्री अमराराम (धोद)** : वहां सरकार सोई है केवल 1500 क्रय केन्द्रों की घोषणा करके। इस तरह से 400 रुपये प्रति क्विंटल और जो भी खरीद का समर्थन मूल्य है, वह सरकार उन व्यापारियों को जिनको मजबूरी में किसान को बेचना पड़ता है।

**श्री अध्यक्ष** : आप कौनसे नियमों में बोल रहे हैं ? बात तो हो गयी, उन्होंने उठा लिया प्रश्न। अब सरकार बता देगी।

**श्री अमरराम (धोद)** : सरकार बताए नहीं तो उठाने का मतलब क्या है? अध्यक्ष महोदय, किसान इस परेशानी में पिटता रहे... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** सरकार बताएगी । (व्यवधान)

**श्री अमराराम (धोद) :** घोषणा कर दें और खरीद केन्द्र कहीं भी शुरू नहीं हो, इससे बड़ी किसानों के प्रति संवेदनहीन सरकार नहीं हो सकती। (व्यवधान) केवल घोषणाओं से किसान का भला करने की बात करती है (व्यवधान) किसान राजस्थान का लुटा जा रहा है।

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा :** हमारे नागौर जिले में सबसे ज्यादा सरसों होती है।

**श्री अमराराम (धोद) :** इस भयंकर अकाल में इतनी मेहनत से अपनी फसल पैदा की है, 400 रुपये क्विंटल में व्यापारी खरीद लें और उस खरीद केन्द्र का फायदा व्यापारी उठाते रहें, यह कतई राजस्थान का किसान बर्दाशत नहीं करेगा। इसलिए सरकार से निवेदन है कि तुरन्त आज ही घोषणा करें और कल से क्रय केन्द्र शुरू करें जिससे किसान को बचाया जा सके।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मुख्य मंत्री महोदया।

**श्री मदन दिलावर :** नहीं, मैं बोल रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री महीपाल यादव :** माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे अलवर जिले में एक भी केन्द्र नहीं खोला गया है। (व्यवधान) सरकार सो रही है।

**श्री अध्यक्ष :** अब आप विराजें, वह जवाब दे रहे हैं।

**श्री मदन दिलावर (सहकारिता मंत्री) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो यह कहा है यह गलत है। लगभग 15 दिन पहले से खरीद प्रारम्भ हो गयी है और अभी तक बीस हजार बोरी से ज्यादा सरसों खरीदी जा चुकी है, हमने 150 से ज्यादा केन्द्र खोल दिये हैं। जहां-जहां आवक ज्यादा हो रही है सरसों की, वहां भी हम केन्द्र खोलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जहां तक इन्होंने कहा है कि खरीद में किन्तु-परंतु किया जा रहा है, यह बिलकुल गलत है। खरीदने के नार्म्स बने हुए हैं नैफेड की तरफ से कि आठ प्रतिशत से ज्यादा माइश्चर होगा जिस सरसों में, उसको नहीं खरीदा जाएगा। काश्तकार यदि दूसरे-तीसरे दिन सुखाकर लाता है उसमें आठ प्रतिशत तक माइश्चर हो जाता है उसमें तो उसकी भी 1700 रुपये क्विंटल में खरीदेंगे। लेकिन आठ प्रतिशत से ज्यादा जिसमें माइश्चर है उसको नहीं खरीदेंगे। यह प्रावधान है। इसलिए माननीय सदस्य केवल यहां अनावश्यक चर्चा कर रहे हैं।

(श्री मदन दिलावर)

वहां किसानों का एक-एक दाना सरसों खरीदने के, जो हमारे पास बेचने के लिए लेकर आएं सभी प्रकार के केन्द्रों को सबको....(व्यवधान) कर दिया गया है, गुमराह कर रहे हैं । (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान :** मैं तो इतना निवेदन करूंगा, आप अपने स्तर पर पता करिए, अलवर के किसानों की क्या स्थिति हो गयी है। यह माननीय मंत्री महोदय गलतबयानी कर रहे हैं। हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। आपने कागजों में आदेश दे दिए होंगे। (व्यवधान) वास्तव में किसान को कुछ नहीं मिल रहा। किसान परेशान हैं। आज भी आप अलवर में पता कर लीजिए. 1200-1100 और 1250 रुपये में किसान व्यापारियों को बेचने के लिए मजबूर हैं, आप बताइये। मंत्री महोदय, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, आप दौरा बनाइये, कभी अलवर कृषि उपज मण्डी में जाकर देखिए, क्या स्थिति हो रही है। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** एक भी केन्द्र नहीं खोला है हमारे मेड़ता और नागौर जिले में।

**श्री जुबेर खान :** आप कहां गलतबयानी कर रहे हैं। यह राजनीति का सवाल नहीं है। किसानों को उचित मूल्य मिले.. (व्यवधान) आप कहीं भी पता कर लीजिए, हालत क्या है। दूसरी तरफ आज किसानों को लूटा जा रहा है (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर :** जो भी केन्द्र पर बेचने आएगा, सबकी सरसों खरीदी जाएगी। (व्यवधान) जितने किसान बेचने आएंगे सबकी सरसों खरीदी जाएगी। (व्यवधान) एक भी काश्तकार को वापस नहीं भेजा जाएगा और 1700 रुपये क्विंटल से किसी कीमत पर कम नहीं...(व्यवधान)

**श्री जुबेर खान :** आप तो अलवर में बता दीजिए । अलवर जिले की पांच मंडियों में कितनी सरसों खरीदी गयी ? (व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद :** आप तो अलवर जिले का बता दें।

**श्री खुशवीर सिंह (खारची) :** मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि आपने सरसों व्यापारियों से खरीदी है या किसानों से खरीदी है? (व्यवधान) मंत्री महोदय, आपका जवाब बिलकुल गलत है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय,

(श्री खुशवीर सिंह)

आप मंत्री महोदय से यह पूछें कि यह जो सरसों खरीदी गयी है यह व्यापारियों से खरीदी गयी है न कि किसानों से। मंत्रीजी असत्य बोल रहे हैं। इनको कोई पता नहीं है। पूरी सरसों व्यापारियों से खरीदी है, किसानों से नहीं खरीदी।

**श्री मदन दिलावर :** एक भी काश्तकार को वापस नहीं भेजा जाएगा।

**श्री अध्यक्ष:** इतने महत्वपूर्ण प्रश्न को आप इस तरीके से शोर- शराबे में डुबो रहे हैं, क्या फायदा इससें? जवाब दे रहे हैं।

**श्री खुशवीर सिंह :** मंत्रीजी सरासर गलत तथ्य दे रहे हैं। (व्यवधान) सदन को गुमराह कर रहे हैं यह।

**मोहम्मद माहिर आजाद :** कहीं ख़रीदी हो तो बता दें यह। एक भी केन्द्र नहीं खोला गया (व्यवधान)

**श्री खुशवीर सिंह :** पाली जिले में मात्र 900-1000 रूपये क्विंटल पर खरीदी जा रही है सरसों।

**श्री जुबेर खान :** जितनी भी सरसों खरीदी है क्रय-विक्रय सहकारी संघों ने, व्यापारियों से खरीदी है। किसानों से नहीं खरीदी जाती है। (व्यवधान) हमारी आपसे रिक्वेस्ट है... (व्यवधान)

**श्री खुशवीर सिंह :** किसान से नहीं खरीदी है। मंत्रीजी असत्य बोल रहे हैं। इन्होंने व्यापारियों से खरीद कर अपना कोटा पूरा किया है।

**श्री जुबेर खान :** मंत्री महोदय गलतबयानी कर रहे हैं। व्यापारियों से सरसों खरीदी जा रही है, किसानों से नहीं। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** नागौर जिले में केन्द्र कहां-कहां खोल रखे हैं, यह बताएं? (व्यवधान) नागौर जिले में सबसे ज्यादा सरसों होती है।

**श्री महीपाल यादव :** आप अलवर में बता दें, कहां खोल रखा है आपने? एक भी क्विंटल अगर कहीं खरीदी है तो बता दें। एक भी केन्द्र नहीं खोला है इन्होंने।

**मोहम्मद माहिर आजाद :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी कृपय सदन को यह बताएं कि आपने अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, नागौर में कहां-कहां केन्द्र खोल रखे हैं और ये बोरियां कहां से खरीदी हैं?

**श्री महीपाल यादव :** यह गुमराह किया जा रहा है सदन को पूरी तरह।

**मोहम्मद माहिर आजाद :** कहीं भी केन्द्र नहीं खोल रखे हैं। किसान बोरियां लिए ट्रैक्टर और ऊंट लड्ढों में घूमता फिर रहा है, उसका हैरेसमैंट हो रहा है। जब किसान को खाद की जरूरत होती है, यूरिया की जरूरत होती है... (व्यवधान)

**श्री खुशवीर सिंह :** मंत्री महोदय, यह बताएं, पाली जिले में कितने केन्द्र खोले हैं ?

**मोहम्मद माहिर आजाद :** जब फसल आ जाती है तो उसको सस्ते दामों पर खरीद लिया जाता है। बिचौलियों को लाभ दिया जा रहा है। किसान बर्बाद हो रहा है। किसान को उसकी उपज का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है। इसके लिए सरकार पुख्ता इंतजाम करे। कहां-कहां केन्द्र खोल रखे हैं, आप सदन में जानकारी दें कृपया।

**श्री खुशवीर सिंह :** मंत्री महोदय, पाली जिले में कितने केन्द्र खोल रखे हैं? (व्यवधान) असत्य जवाब दे रहे हैं।

**श्री जुबेर खान :** किसानों से सरसों बिलकुल नहीं खरीदी जा रही है। (व्यवधान)

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा :** जिले में सबसे ज्यादा सरसों कहां है, बता देंगे मंत्री महोदय, एक क्विंटल भी खरीदी होगी तो।

**श्री मदन दिलावर :** पाली का बताना चाहता हूं। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** मंत्री महोदय, यह बताएं कि बीकानेर जिले में आपने कितने केन्द्र खोल रखे हैं? (व्यवधान)

**श्री खुशवीर सिंह :** पाली में किसानों से एक बोरी नहीं खरीदी गयी है, व्यापारी खरीद कर आपको दे रहे हैं (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो सरकार तत्काल जवाब दे रही है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप सुनिए तो सही, कहां केन्द्र खोल रखे हैं। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह : गलत तथ्य दे रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं, क्या सुनें? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप तो चाहते ही यह हैं कि आप खरीदें सरसों...(व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद जैन : न तो मैंने खरीदी न मैं चाहता हूं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप किसानों के विरोधी हैं, आप क्यों बोल रहे हो बीच में ? (व्यवधान)

श्री महावीरप्रसाद जैन : मैं किसानों के वोट लेकर आता हूं।

श्री जुबेर खान : इतना-सा जवाब दिलवा दीजिए। कल की तारीख से जितनी भी सरसों लाएगा, वह खरीदी जाएगी, आप इतना ही आश्वासन दिला दीजिए। (व्यवधान) कल की तारीख में जो भी सरसों लाएगा, वह खरीदी जाएगी (व्यवधान) आप पाबन्द करा दीजिए। कल की तारीख से खरीद करवा दें। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह : आप क्या जानें किसानों के बारे में ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : राठौड़ी की होगी। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह : आप हितैषी होते तो आप गलत तथ्य सदन में नहीं देने देते।

श्री महावीर प्रसाद जैन : (व्यवधान) मैंने तीन सौ लाख बीघा जमीन पर पैदावार करवाई है। (व्यवधान)

श्री खुशवीर सिंह : आप किसान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। (व्यवधान) किसान के एक तरफ तो आप हितैषी बनते हैं...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : पैरवी आप बिचौलियों की कर रहे हो, खेती करते हो आप फिर भी। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आठ प्रतिशत का माइश्चर हरियाणा के लिए लागू नहीं है क्या? हरियाणा में तो कोई इफ एण्ड बट लगता ही नहीं। (व्यवधान) आप यहां क्यों लगा रहे हैं? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आप जवाब क्यों नहीं सुनना चाहते?

**श्री महीपाल यादव :** माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर जिले में एक भी केन्द्र अगर खोला हो और एक भी बोरी अगर खरीदी हो तो बताइये।

**श्री अध्यक्ष :** आप जवाब सुनना ही नहीं चाहते।

**श्री जुबेर खान :** आप तो कल से पाबंद करवा दें । अब तक छोड़िए, आप तो इनसे यह कहलवा दीजिए कि कल की तारीख से किसानों को सरसों क्रय-विक्रय सहकारी संघ खरीदना शुरू कर देंगे। क्या दिक्कत है इसमें, माननीय अध्यक्ष महोदय? (व्यवधान) माननीय कृषि मंत्रीजी जवाब दें इसका। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटी :** तो सरसों हीट? जाती है और उसमें तेल की मात्रा नहीं रहती। उसको स्टोरेज नहीं किया जा सकता। इसलिये सरकार 8 परसेंट से ज्यादा माइश्चर वाली सरसों को कहीं भी खरीदती नहीं है पूरे स्टेट में..। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान :** देखिये, बार्डर जिले हरियाणा में लेकर जाता है और पैसे लेकर आता है। आपके गंगानगर, हनुमानगढ़ और अलवर के लोग गुड़गांव जिले में बेचकर आते हैं...। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर :** जिस जिस मार्केटिंग सोसायटी के क्षेत्र में सरसों की पैदावार होती है और वहां आवक ठीक है तो ऐसी सब मार्केटिंग सोसायटीज के क्षेत्र में सरसों की खरीद की तैयारी कल से प्रारम्भ कर देंगे। अभी 156 पर हमने खरीद प्रारम्भ कर दी है और शेष यदि वहां आवक ठीक-ठाक है और भण्डारण की हमारी व्यवस्था है तो वहां निश्चित रूप से खरीद प्रारम्भ कर देंगे। अथवा नजदीक की मार्केटिंग सोसायटी में जाकर वह बेच सकते हैं सरसों। किसानों को किसी प्रकार का घाटा नहीं होने देंगे...। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :** नहीं है तो नहीं खरीदेंगे इसका मतलब? भंडारण की व्यवस्था नहीं है तो नहीं खरीदेंगे, यह कह रहे हैं ? अगर भंडारण की व्यवस्था नहीं है इनके पास, तो यह नहीं खरीदेंगे, यह कह रहे हैं, माननीय मंत्रीजी।

**श्री मदन दिलावर :** क्या?

**श्री हरिमोहन शर्मा** : भण्डारण की व्यवस्था नहीं है तो नहीं खरीदेंगे। (व्यवधान) आपकी कुल कितनी मार्केटिंग सोसायटीज हैं और कितनी में चालू करते हो?

**श्री जुबेर खान** : देखिये, सरकार को.. (व्यवधान) देखिये, विरोधाभास आ रहा है। हकीकत में वहां कोई, माननीय मंत्रीजी, आप व्यवस्था कराइये..। (व्यवधान)

**श्री खुशवीर सिंह** : मंत्री महोदय, यह बताएं, पाली जिले में कितने केन्द्र खोले हैं आपने...? (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : इन्होंने ढप्पा तो बैठा दिया किसानों... (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** : यह तो खुद मना कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री खुशवीर सिंह** : पाली जिले में कितने केन्द्र खोले? वहां के किसानों से एक भी बोरी नहीं ली गयी, व्यापारी दे रहे हैं। मंत्री महोदय, यह... (व्यवधान)

**श्री सुरेश मीणा** : किसानों के बारे में आप नहीं जानते हो। किसानों की समस्या के बारे में.. (व्यवधान)

**श्री महीपाल यादव** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जितने भी वेयर हाउसिंग के गोदाम हैं वे पहले ही व्यापारियों ने भर रखे हैं। भंडारण की जगह तो इन्होंने पहले ही व्यापारियों को दे रखी है। यह सरकार व्यापारियों और मुनाफाखोरों की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। सारे गोदाम इन्होंने व्यापारियों को पहले ही भर कर दे दिये हैं, किसान कहां से भरेगा...?

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या बीकानेर जिले में खरीद शुरू की जाने वाली है? अगर की जाने वाली है तो क्या उस पर गिरदावरी की शर्त भी लागू की जाएगी? जो काश्तकार हिस्सेदार के रूप में अपनी फसल लेकर आएगा, वह गिरदवारी लाकर वहां पर अपनी प्रस्तुत नहीं कर सकता है? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : चन्द्रशेखर बैद।

**श्री रामप्रताप कासनिया**: विपक्ष के सदस्यों ने पहले नरमे के टाइम क्यों नहीं उठाया यह मामला? (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान :** सरसों की बात हो रही है, आप तो बीच में कुछ भी कह देते हैं।

**श्री रामप्रताप कासनिया :** मैं सरसों की चार दिन पहले इस हाउस में उठा चुका हूं यह बात। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान :** आज तक नयी है क्या? हम लोग तो लेकर जा रहे हैं और आप बात करने से...(व्यवधान)

**श्री रामप्रताप कासनिया :** मैं यह नहीं कह रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि भावों में हमेशा ही आपको चिन्ता करनी चाहिये चाहे नरमा हो, चाहे सरसों हो। अभी तक नरमा खरीदा जा रहा है...(व्यवधान)

**श्री जुबेर खान :** वर्ना तो किसान मारा जाएगा। किसान पिस रहा है। (व्यवधान)

**श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची :** यह देश किसानों पर चलता है.. (व्यवधान)

**श्री अमरा राम (धोद) :** अध्यक्ष महोदय, अभी सहकारिता मंत्रीजी ने उत्तर दिया है कि जहां भंडारण की व्यवस्था होगी वहां हम खरीदेंगे। अब भंडारण की व्यवस्था क्रय-विक्रय सहकारी समिति में हो, जरूरी नहीं है भंडारण की व्यवस्था नहीं होगी वहां पर किसानों को तो केवल लूटने के लिये लूटो... (व्यवधान) क्योंकि प्रैक्टिस यह रही है कि जब भी किसान लाता है, कई बहाने हैं कि हमारे पास स्टोरेज में जगह नहीं है, आपकी गिरदावरी नहीं की इसलिये कि अभी तो ज्यादा है, हटा करके...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा :** जरूरी नहीं है भंडारण की व्यवस्था सब जगह हो। आधी से ज्यादा मार्केटिंग सोसायटीज तो डिफाल्ट पड़ी हैं इनकी। आप रिकार्ड उठाकर देख लो। न पैसा है, न खरीद सकता है और दिवालिये में हैं। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टोटी:** अमरारामजी, 156 केन्द्र हैं.. (व्यवधान)

**श्री अमराराम (धोद) :** अभी सरसों आना आधे राजस्थान में शुरू हुआ है, आधे राजस्थान में अभी 15 दिन बाद में शुरू होगा। यह जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है कि स्टोरेज की व्यवस्था नहीं होगी, गिरदावरी होगी, यह

(श्री अमराराम धोद)

तो समय पर है। आते ही बिचौलिया खरीद लेता है, फिर दूसरे केन्द्र पर खरीदते हैं। इसलिये, मंत्रीजी यह स्पष्ट कर दें कि जहां भी किसान समर्थन मूल्य पर बेचने के लिये आएगा, कोई शर्त नहीं होगी, न स्टोरेज की शर्त होगी, न गिरदावरी की शर्त होगी। जितना भी माल लाएगा, नियमानुसार उनको पूरा खरीदा जाएगा। यह मंत्रीजी विश्वास दिला दें। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर :** मैंने यह पहले भी निवेदन कर दिया है कि सरसों जो बेचने आते हैं काश्तकार, जिसमें 8 परसेंट से माइश्चर ज्यादा है, ऐसी सारी सरसों को बेचने के लिये जो हमारे केन्द्रों पर आएगा, मार्केटिंग सोसायटीज और सब केन्द्रों पर खरीद होगी। (व्यवधान)

**श्री जीवाराम चौधरी :** कब से? कब से हो रही है? मंत्रीजी, कब से होगी?

**श्री जुबेर खान :** मंत्रीजी, राजस्थान और हरियाणा में अलग-अलग क्राइटेरिया है क्या माइश्चर का? माइश्चर का क्राइटेरिया नैफेड में अलग अलग तय कर रखा है क्या? आप यह बता दीजिये कि हरियाणा के लिये अलग है ?

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** नैफेड ने निर्धारित किये हैं। राजस्थान सरकार नहीं, नैफेड के द्वारा निर्धारित किया गया है। पूरे राजस्थान में एक जैसा है। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान :** लेंकिन यह हरियाणा में खरीदी जा रही है। हरियाणा में आप कभी भी ले जाओ, कोई 8 परसेंट की रोक नहीं है। (व्यवधान) हरियाणा में तुरन्त पैसा दिया जा रहा है। कोई इफ एण्ड बट नहीं है। एक महीना पैसा नहीं देते, आप तो 8 परसेंट के बाद किसान से खरीदते नहीं हैं। यह बिलकुल गलत बात है। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा :** 8 प्रतिशत डिसाइड कौन करेगा? 8 परसेंट माइश्चर का डिसाइड कौन करेगा? खरीद करने वाला अधिकारी करेगा, तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्र पाल सिंह टीटो :** किसान कोई जानता थोड़े ही है इसमें 8 परसेंट होगा कि 10 परसेंट होगा। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा :** डिसाइड कौन करेगा 8 प्रतिशत ? 8 परसेंट डिसाइड करने वाली आथोरिटी कौन है? वह अपनी मनमर्जी से करेगा। करप्शन को बढ़ावा देगा। क्या आपके पास नापने का यंत्र है? वह अधिकारी तय करेगा उसी की करवाएंगे। (व्यवधान)

**श्री मदन दिलावर :** मनमर्जी से नहीं, हमारे पास माइश्चर नापने का यंत्र है। नापने के बाद ही हम उस पर तय करते हैं कि कितना माइश्चर है, उसके बाद खरीद का निर्णय लेते हैं। (व्यवधान)

**श्री खुशवीर सिंह :** माइश्चर डिसाइड करने का क्या फैक्ट है, मंत्री महोदय यह बता दें। 8 परसेंट क्या होता है? आप किस आधार पर बता सकते हैं, माइश्चर कितना है। कौनसी नापने की मशीन है, वह बता दें? सदन को आप बताइये। (व्यवधान) आप खड़े होकर सदन को बताइये। सदन को आप गुमराह कर रहे हैं। माइश्चर 8 प्रतिशत हो गया, 20 प्रतिशत हो गया, कौनसी टैस्टिंग मशीन है जिससे आप नाप सकते हो? आप बताइये, आपके पास ऐसे कौनसे मापदंड हैं जिनसे माइश्चर नापा जा सकता है? आप सदन को गुमराह कर रहे हो, किसानों के साथ आप कुठाराघात कर रहे हो। (व्यवधान)

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा :** बता दीजिये, आप नाप सकते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप किसानों के हितैषी बन रहे हो और एक तरफ किसानों के साथ यह अन्याय हो रहा है। (व्यवधान) कौनसा ऐसा यंत्र है जिससे इसमें बता सकते हो कि इसमें 8 प्रतिशत है ? (व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल :** माननीय अध्यक्ष महोदय, इन शर्तों के साथ काश्तकार से खरीदी जाएगी, यह माननीय मंत्री महोदय कृपया स्पष्ट कर दें। (व्यवधान)

**श्री अमराराम (धोद) :** अध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं जानती हैं कि गीली सरसों होगी तो वह फली से निकल ही नहीं सकती। अब मंत्रीजी कह रहे हैं, बैरोमीटर लेकर आये हैं कि उससे नाप देंगे। जब भी गीली सरसों होगी, फली से निकल ही नहीं सकती है। सूखने के बाद ही उसको निकाला जाएगा। मार्केट में आर्द्रता के नाम से जो क्रय केन्द्र हैं, किसान परेशान होकर मजबूरी में व्यापारी को बेच दें और उनसे कमीशन लेकर खरीद लें। कारण यह है.. (व्यवधान)

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल :** व्यापारी को बेचना पड़ेगा । (व्यवधान)

**श्री अमराराम (धोद) :** बाकी जब सरसों गीली होगी तो निकल ही नहीं सकती। सूखेगी उसके बाद ही निकल कर बाजार में आएगी। केवल क्रय केन्द्रों द्वारा यह बहाना बनाकर राजस्थान के किसानों को प्रताडित किया जाता है और उसको मजबूर किया जाता है कि वह बिचौलिये को बेचे। बिचौलिये से क्रय केन्द्र कमीशन के आधार पर खरीद ले। खरीद भी हो जाएगी और किसान को भी लूटा जाएगा, इसलिये इसको आप दिखवाएं कि आर्द्रता के नाम से किसान को प्रताडित नहीं किया जाए।

**श्री खुशवीर सिंह :** अध्यक्ष महोदय, बम्पर पैदावार है इस बार .. (व्यवधान) आप स्वयं किसान से सम्बन्ध रखती हैं, आपको मालूम है कि बिना सूखे फसल बाहर आ ही नहीं सकती, ऐसे में फली से निकल भी नहीं सकती।

**श्री मंगलाराम :** सरसों गीली होगी तो स्वयं जल जाएगी। बल लाने के लायक ही नहीं रहेगी। सरसों सूखने के बाद ही निकलती है। सरसों सूखने के बाद ही मंडी में लेकर आता है। (व्यवधान)

**श्री सांवर लाल :** माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पहली बार है जब राजस्थान सरकार ने .. (व्यवधान) आप लोगों को तारीफ करनी चाहिये सरकार की । (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

**श्री मंगला राम :** xxx

**श्री रामप्रताप कासनिया :** xxx

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात सदन में उठायी उसका माकूल जवाब सरकार की तरफ से आ गया। 156 जगह पर खरीद प्रारम्भ हो गयी। यह जो 8 प्रतिशत की आर्द्रता की बात है, यह नैफेड का मामला है। आज पूरे देश के अन्दर नैफेड ने जो मापदंड निर्धारित किये हैं उसके अनुसार खरीद फरोख्त होती है। यह पहली बार हुआ है, पहली बार। (व्यवधान)

**श्री खुशवीर सिंह :** xxx

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा :** xxx

**श्री जुबेर खान :** xxx

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** हरियाणा में भी यही मापदण्ड हैं। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान :** xxx

**श्री खुशवीर सिंह :** xxx

**श्री महीपाल यादव :** xxx

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** पूरे देश में एक ही मापदण्ड हैं, 8 परसेंट से ज्यादा आर्द्रता होगी तो सरसों खतम हो जाएगी। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान :** xxx

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** हर केन्द्र पर मशीन है। (व्यवधान)

**श्री अमराराम (धोद) :** xxx

**श्री जुबेर खान :** xxx

**श्री अमराराम :** xxx

**श्री जुबेर खान :** xxx

**श्री रामप्रताप कासनिया :** xxx

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** माइश्चर मशीन हर केन्द्र पर रहती है... (व्यवधान)

**श्री मंगलाराम गोदारा :** xxx

**श्री रमेश खींची :** xxx

**श्री महीपाल यादव :** xxx

**श्री रमेश खींची :** xxx

**श्री अध्यक्ष :** तीन माननीय सदस्य खड़े हैं। मंत्रीजी भी खड़े हैं। आप जिस तरीके से हो-हल्ला कर रहे हैं... (व्यवधान) सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, आप पास में बैठकर बात कर लिया करो। यह तो गलत परम्परा होगी। लेकिन आप लोग तीन-तीन, चार-चार खड़े होकर इस प्रकार से बोलने लग जाते हैं, न तो मंत्रीजी को समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं...(व्यवधान) आप फिर बैठे-बैठे बोल रहे हैं, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य।

**श्री संयम लोढ़ा** : यह सरकार आसन को किस रूप में लेती है, आप देखिये, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आपको कोई बात स्पष्ट करनी है, माननीय मंत्रीजी, लेकिन आप लोग कोई बीच में नहीं बोलेगा। उन्हें बोलने दीजिये, वह बोलेंगे। वैसे कोई सिस्टम नहीं है कि आप स्थगन प्रस्ताव दें और स्थगन प्रस्तावों पर मंत्रीजी जवाब दें। स्थगन प्रस्तावों का मतलब होता है कि मैंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन आपकी ग्रिवेन्सेज को वेंटिलेट करने का मौका मैंने दिया ताकि सदन भी जान सके कि यह किसानों की समस्या थी। लेकिन यह तरीका बहुत गलत है कि आप इस तरीके से खड़े होकर शोर-शराबा करें। कम से कम आधा घंटा खराब कर दिया। माननीय मंत्री महोदय।

**श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार सपोर्ट सिस्टम और जो प्राइस टेबुलाइजेशन सिस्टम है, इसी के आधार पर खरीदती है। यह माइश्चर की बात पंजाब में आप कह रहे हैं वहां नहीं है, पंजाब में भी जो धान खरीदा जाता है, चावल खरीदा जाता है उसमें भी यह परेशानी आयी है। आप लोग भी मिलकर कोशिश करें, अगर माइश्चर कम हो जाए। चार दिन रखने के बाद में कम हो जाता है। सरसों आप में से किसके है, किसके नहीं है, मेरी जरूर जाती है। लेकिन अलग-अलग हिसाब से राजस्थान में 156 केन्द्र खुले हुए हैं। मेवाड़ में, हाड़ौती में एक महीने पहले फसल आ जाती है और दूरदराज गंगानगर, हनुमानगढ़ में अभी 15-20 दिन, एक महीने बाद में आएगी।

**श्री अध्यक्ष** : एक महीने बाद आएगी।

**श्री नरपत सिंह राजवी** : इसका एकुमुलेट करके सारा जितना ज्यादा से ज्यादा खरीदा जा सके, सपोर्ट सिस्टम से, वह माननीय सदस्य सुनें तो हमारे मंत्रीजी बता पाएंगे।

**श्री हरिमोहन शर्मा** : माइश्चर नापने का कहां है ?

**श्री नरपत सिंह राजवी** : यह भी सिर्फ पहली बार हुआ है। बाजरा भी पिछली बार खरीदा गया था, पहली बार हुआ था। सरसों का भी इतने लार्ज स्केल पर पहली बार खरीदा गया है। इसको नैफेड और वेयरहाउसिंग से और भी आवश्यकता पड़ेगी तो खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।

**श्री अध्यक्ष :** सदन की नेता खड़ी हैं प्लीज। (व्यवधान)

**श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) :** अध्यक्ष महोदय, हम लोग संवेदनशील हैं। किसान के कोई भी ऐसी प्राब्लम होती है उसके लिए सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि ये जो खरीद केन्द्र हैं, पहली दफा इतनी तादाद में रखी हुई है और इतनी जल्दी खोले हुए हैं। मेरा आप लोगों को इतना कहना है कि कोई मापदंड हैं उनके हिसाब से आपने भी अपनी सरकार के समय में किया है, हम लोग भी अपनी सरकार के समय में कर रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि किसानों को किसी भी तरीके से दुःख और परेशानी से हम निकालेंगे।

**डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता प्रतिपक्ष) :** 156 केन्द्र पर्याप्त हैं क्या मुख्य मंत्रीजी? पूरे राजस्थान में सब स्थानों पर पर्याप्त केन्द्र खोलकर जितनी सरसों है उसको खरीदने का विचार रखते हैं? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** अभी सब जगह सरसों निकली भी नहीं है। माफ करना, झुंझुनूं में भी नहीं निकली है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला :** बीकानेर में नहीं है, और कई स्थानों पर नहीं है।

**श्री अध्यक्ष :** सब जगह निकली भी नहीं है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला :** जहां निकले वहां पर व्यवस्था हो। 156 केन्द्रों से तो खरीदी भी नहीं जाएगी। माननीय मंत्रीजी कह रहे थे, 1500 केन्द्र हैं, तो वे केन्द्र कब खुलेंगे और कब-कब सरसों खरीदी जाएगी ?

**श्री अध्यक्ष :** प्रान्त के दक्षिणी हिस्से में पकी है।

**श्रीमती वसुन्धरा राजे :** अध्यक्ष महोदय, यह तो आधे राजस्थान में अभी आयी है, आधे राजस्थान में अभी भी आनी है।

**श्री अध्यक्ष :** डा. चन्द्रेशखर बैद।

## कोटा में असामाजिक तत्वों द्वारा फैलायी जा रही धार्मिक असहिष्णुता

**डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

से बताना चाहता हूं कि पिछले एक साल के शासन के दौरान एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होती गयीं जिनसे धार्मिक सहिष्णुतापूर्ण वातावरण जो वर्षों से बना हुआ था, वह धीरे-धीरे गर्त की तरफ अग्रसर होने लगा। उसकी चरम सीमा आ गयी 19 तारीख को जब कोटा के अन्दर जो इम्मानुअल बाइबल इंस्टीट्यूट द्वारा पीरियोडिकल आधार पर जो धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं, आज से नहीं पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है, लेकिन इसमें वर्षों से पूरे देश से काफी लोग हिस्सा लेने आते हैं, बड़ी शर्मनाक बात हुई कि इस वीरभूमि राजस्थान में अतिथि के तौर पर जो लोग आने वाले थे, उनको कोटा के स्टेशन पर जोर-जबरदस्ती रोककर बैठाया गया, उनके साथ बदसलूकी की गयी। ऐसे आदिवासी लोग जो गरीब लोग हैं, जो महिलाएं हैं, कई महिलाएं तो एक पर्टीकुलर समुदाय की ऐसी थीं जिनका इस सम्मेलन से कोई लेना-देना नहीं था। उनके साथ भी इस तरह की बदसलूकी की गयी। यह एक बार नहीं अनेक बार हुआ। प्रशासन सारा मौन बनकर देखता रहा। पुलिस ने उन लोगों के साथ सहयोग किया जो असामाजिक और फासिस्ट लोग इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं।

**श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) :** अध्यक्ष महोदय, मेरा आब्जेक्शन है, असामाजिक और फासिस्ट क्या है यह? क्या मतलब है फालतू? (व्यवधान)

**डा. चन्द्रशेखर बैद :** असामाजिक और फासिस्ट वे लोग हैं... (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :** फासिस्ट वे जो कानून हाथ में लेकर काम करें। जो कानून हाथ में ले लें और आपके मंत्रिमंडल के सदस्य वहां जाकर कहें कि हां, करो मारपीट, मेरी इजाजत है, धर्मान्तरण हो रहा है। वे हैं फासिस्ट ताकतें।

**श्री मोहनलाल गुप्ता :** यह धर्मान्तरण सहन नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

**श्री हीरालाल (निवाई) :** ईसाई बनाने दें क्या? ईसाई बनाने की खुली छूट दे दें? (व्यवधान)

**श्री मोहनलाल गुप्ता :** यह इस प्रकार से सहन नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

**श्री हीरालाल (निवाई)** · इसका मतलब यह हुआ कि खुली छूट दे दो ईसाई बनाने के लिए? (व्यवधान) धर्मान्तरण की खुली छूट दे दी...(व्यवधान) कौन असामाजिक तत्व हैं...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** : जो धर्मान्तरण करने वाले हैं, जबरदस्ती करवाने वाले हैं, कानूनी रूप से आप कार्यवाही करें, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन ठेका आपने नहीं ले रखा है। आप पुलिस का काम भी इनको दे दें...(व्यवधान)

**श्री वासुदेव देवनानी** : यह तो उन पत्रकारों को पूछो कि 295 हिन्दु थे और 50 लोग ईसाई थे, जबरदस्ती लाये गये थे उन्हें एक साइकिल और रिश्वत देने के लिए कहा गया था। यह प्रशासन और सारे पत्रकारों की रिपोर्ट है। (व्यवधान)

**श्री महावीरप्रसाद जैन** : हिन्दुओं का धर्मान्तरण हम नहीं होने देंगे। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** : अध्यक्ष महोदय, ये मंत्री महोदय पहले भी ऐसे +++ रहे हैं क्या? इस सदन में मंत्री पहले भी कभी ऐसे +++ हैं जिस तरह से मंत्रिमण्डल के सदस्य +++ (व्यवधान)

**श्री महावीरप्रसाद जैन** : हिन्दू धर्मान्तरण करें, आप यह चाहते हैं? (व्यवधान)

**श्री नरपत सिंह राजवी** : यह हाड़ौती की है...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** : आप क्या अपनी सरकार को अक्षम मानते हैं जो धर्मान्तरण करने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करेगी? कानून आप अपने हाथ में क्यों लेते हैं? (व्यवधान) आप वहां पर पिटाई क्यों करते हैं?

**श्री महावीरप्रसाद जैन** : कोई कानून हाथ में नहीं लेते...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा**: आप उनको क्यों रोकते हैं? आपकी सरकार खुद रोक लेगी। (व्यवधान)

**श्री ओम बिरला** : कोई कानून हाथ में नहीं लिया गया है। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : हिन्दू धर्म के लोग कोई कार्यवाही नहीं करें..। (व्यवधान) ईसाई तो कुछ भी करें..। (व्यवधान)

**श्री मोहनलाल गुप्ता** : धर्मान्तरण की व्यवस्था ठीक नहीं है। आप उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं..। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : आप यह चाहते हैं कि ईसाई तो कुछ भी करें। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** : फिर पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी के 56 लोगों को क्यों गिरफ्तार किया था? (व्यवधान) अगर काम वाजिब था तो भारतीय जनता पार्टी के 56 आदमियों को पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया? (व्यवधान)

**श्री ओम बिरला** : वे लोग आंध्र प्रदेश से लाये गये थे...। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** : उनको क्यों पकड़ा? अगर काम गलत था। आपको +++ (व्यवधान)

**श्री नन्दलाल बंशीलाल** : आपको शर्म नहीं आ रही है यह बात करते हुए... (व्यवधान) गलत तथ्य आप सदन की मेज पर रख रहे हैं।

**श्री मोहनलाल गुप्ता** : माननीय गृह मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वह इम्मानुअल की जांच कराएं। (व्यवधान) लोगों को उकसाकर धर्मान्तरण की कोशिश करते हैं।

**श्री ओम बिरला** : उन्होंने कहा कि हम हिन्दू हैं.. (व्यवधान) हमें बहला-फुसलाकर लाया गया है, 250 रुपये और एक साइकिल देने का..। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** : जांच रिपोर्ट आने से पहले मंत्रीजी ने कह दिया कि धर्मान्तरण हो रहा है। पहले ही कह दिया। जांच रिपोर्ट तक आयी नहीं अभी। (व्यवधान)

**श्री ओम बिरला** : प्रलोभन के आधार पर धर्मान्तरण होता है तो यह न्याय नहीं है। हिन्दुस्तान में सभी को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन प्रलोभन के आधार पर उन गरीब लोगों को, उनके पैरों में चप्पल नहीं थी, आन्ध्र प्रदेश से यहां लाकर धर्मान्तरण करवाया जा रहा था।

**श्री नन्दलाल बंशीलाल** : कांग्रेस जब सत्ता में थी तो इम्मानुअल वालों के पक्ष में बोला करते थे आप।

**श्री हरिमोहन शर्मा** : और कल क्या हुआ? कल भी गरीब ही थे, वे कहां के थे? (व्यवधान)

**श्री कनकमल कटारा** सरकारी नौकरी के बहाने ऐसे लोगों का धर्मान्तरण करवाते हैं और बाद इस तरह से प्रताडित करते हैं। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** : आपको पुलिस रखने की जरूरत नहीं है। आप उन्हीं को अधिकार दे दो, मदन दिलावर को अधिकार दे दो, पुलिस की आवश्यकता नहीं है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : आर्डर, आर्डर। मेरे यह समझ में नहीं आया कि सत्ता पक्ष के इतने सारे माननीय सदस्य खड़े होकर बोलने लगे, कुछ सुनाई तो दिया नहीं कि कौन क्या बोल रहा है। उन्हें बोलने दिया होता, दो मिनट का समय उनका है। उसके बाद यदि कोई बात है तो आप कहें। क्या दिक्कत है उसमें? आपको भी अधिकार है बोलने का, लेकिन उन्हें बोलने तो दें आप। (व्यवधान)

**श्री मोहनलाल गुप्ता** : माननीय अध्यक्ष महोदय, "फासिस्ट और असामाजिक तत्वों" शब्द को सदन की कार्यवाही से निकाला जाए।

**श्री अध्यक्ष** : सत्ता पक्ष वाले बोलना चाहे तो बोलें, उनको तो बोलने दें।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : अध्यक्ष महोदय, जैनियों और ब्राह्मणों ने यह तय किया है कि कोई गरीब है, अनुसूचित जाति और जनजाति का है, हम उनका धर्म परिवर्तन कराएं, वह अपने बराबर खड़े न हो जाएं। (व्यवधान)

**श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर)** : आपके सहयोगियों ने पूरी +++ कर रखी है राजस्थान में। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : किसी की लाचारी का फायदा न उठाया जाए। (व्यवधान) यह बैद जी उसके षड्यंत्र में शामिल हैं। जैनियों और अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग उनके बराबर नहीं आएं, उनका धर्मान्तरण हो, इसलिए उन्होंने कहा है साम्प्रदायिक शक्तियों... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : वह गलत बात कह रहे हैं तो मैं आपको मौका दूंगी, उनकी गलत बात को दूर करने का मौका दूंगी। (व्यवधान)

**श्री मोहन लाल गुप्ता** : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने गलत बोला है । "फासिस्ट और असामाजिक तत्व" शब्दों को कार्यवाही से निकाला जाए।

**एक माननीय सदस्य** : +++ शब्द को भी निकाला जाए। (व्यवधान)

**श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द) :** सदन में मर्यादित बात कहें तो अच्छा लगता है । (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, मैं आपको भी समय दूंगी। पर पहले डाक्टर चन्द्रशेखर बैद बोलेंगे, उसके बाद यदि किसी को कुछ कहना है तो निश्चित तौर पर पूरा मौका दूंगी।

**श्री हरिमोहन शर्मा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे भी दस्तखत हैं, मैं भी बोलूंगा। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आप क्यों खड़े हो? हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप तो वरिष्ठ हैं, काफी पुराने हैं, आप चाहे जब खड़े हो जाते हैं, यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा :** आपने आज्ञा दी है।

**श्री अध्यक्ष :** नहीं, मैंने आपको आज्ञा नहीं दी है, मैंने तो डाक्टर चन्द्रशेखर बैद का नाम पुकारा है। (व्यवधान)

**श्री मोहनलाल गुप्ता :** अध्यक्ष महोदय, "फासिस्ट और असामाजिक तत्व" शब्द पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ये गलत बोल गये। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान (रामगढ़) :** आपको पता है कि फासिस्ट शब्द किसके लिए कहा है? आपको मालूम है क्या? उन्होंने किसी का नाम थोड़े ही लिया है।, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया फासिस्ट के लिए। आपको पता है कि किसके लिए कहा है तो आप बता दें।

**एक माननीय सदस्य :** आसन पैरों पर हो तो ये कतई परवाह नहीं करते, तीन-तीन सदस्य खड़े हो जाते हैं।

**श्री जितेन्द्र सिंह :** जब धर्म पर कोई बात आती है तो इन्होंने कापीराइट ले रखा है, क्या ठेका ले रखा है हिन्दुओं का ? हम हिन्दू नहीं हैं?

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** यह आपका षड्यंत्र है.

**श्री जुबेर खान :** अलवर से आने वाले माननीय सदस्य पर ये आरोप लगा दिया। आपको क्या अधिकार है आरोप लगाने का? (व्यवधान)

**श्री बंशीलाल खटीक** : +++ इस तरह से मत करो। जरा अपने गिरहबान में झांक कर देखो, हिन्दू समाज को आप कटाने वाले हो मुस्लिम वोट बैंक के लिए। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** : पुलिस डील नहीं कर सकती क्या ? गृह मंत्रीजी क्या सक्षम नहीं हैं? (व्यवधान)

**श्री बंशीलाल खटीक** : हिन्दुओं पर आरोप लगेगा तो हम बोलेंगे। आप मुसलमानों और ईसाइयों के ठेकेदार बनते हो और हमारे ऊपर आक्रमण करते हो। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** : माननीय महावीरजी, क्या गृह मंत्री पर इतना भी विश्वास नहीं है, पुलिस पर भी विश्वास नहीं है?

**श्री अध्यक्ष** : प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय, आप क्यों खड़े हो गये?

**डा. चन्द्रशेखर बैद** : मुझे बोलने दो। मैं दो मिनट में अपनी बात कह रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार सरकार ने किस-किस को दे रखा है, यह बात आज खुलासा हो जाए। जब कुछ लोग किसी धार्मिक सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए, जिस स्थान पर धार्मिक गतिविधियां होती हैं, आपको पहले से कैसे मालूम हुआ कि यहां पर धर्म परिवर्तन के लिए लोग आ रहे हैं? आपने यह मानकर कि ये लोग धर्म परिवर्तन करेंगे, स्टेशन पर ही उनको उतार कर महिलाओं को, बच्चों को और बूढ़े लोगों को प्रताडित किया, यह अधिकार आपको किसने दिया? आपको क्या अधिकार है उनको प्रताडित करने का? (व्यवधान) आप मेरी बात सुनें।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल** : बैदजी, आपके राज में तो हवन करते हुए लोगों को गोली मारी थी गंगापुर के अन्दर, क्या बात करते हो। आपने मार दिया गोली से, धर्म परिवर्तन की बात करते हो। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : आपके राज में दो-तीन बार हो चुका है यह, इसलिए लोगों को आशंका थी।

**श्री अध्यक्ष** : इन सब बातों को गृह मंत्रीजी बैठे हैं, जवाब दे देंगे।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान) आप बैठे-बैठे बोल रहे हैं, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आपको बैठकर बोलने का अधिकार किसने दे दिया? (व्यवधान)

**डा. चन्द्रशेखर बैद :** माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि किसी धर्म विशेष के लोग अपने धार्मिक सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए पूरे देश से आ रहे हैं, यह सम्मेलन आज कोई नया नहीं हो रहा है, पिछले कई वर्षों से होता आया है और देश के विभिन्न भागों में होता आया है। उसके आने के पहले ही यह प्रिजुडिस हो गये कि यह परपज लेकर आ रहे हैं और इसलिए उनको प्रताडित किया जाए। यह सर्वथा गलत है। आप देखिए, उस समय स्टेशन पर, वीरभूमि राजस्थान की नाक कट गई कि एक समुदाय के लोग स्टेशन पर...

**श्री भवानीसिंह राजावत (संसदीय सचिव) :** एक समुदाय के लोग नहीं थे, 295 लोग थे जिनमें 4 ईसाई थे, बाकी के लोगों को गुमराह करके लाया गया। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा :** जिनको रोका उनमें कितने थे? जहां गिरफ्तारी हुई, आप उनकी भी तो बोलो, उनको क्यों रोका आपने? चार सौ ईसाइयों को आपने कैसे रोक लिया आपने या पुलिस ने रोका? (व्यवधान)

**डा. चन्द्रशेखर बैद :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं...(व्यवधान) बेवजह धार्मिक सम्मेलन में उपस्थित होने आ लोगों को स्टेशन पर प्रताड़ित किया गया। अखबारों में बड़ी-बड़ी फोटो छपी कि इन लोगों को स्टेशन पर मुर्गा बनाया गया, उनको गंतव्य स्थान पर ले जाकर मारपीट की गई। यह कहां तक शोभा देता है? पुलिस ओर प्रशासन मूक दर्शक बनकर उनको ताकता रहा, आपकी एग्रीव्ड पार्टी ने पुलिस को...

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत पूछता हूं कि आप वहां गये थे क्या? आप तो अखबारों के आधार पर ही बोल रहे हैं न?

(13.00 बजे)

**श्री हरिमोहन शर्मा :** नहीं, वहां तो मदनजी दिलावर गये थे, वहां तो वह गये थे, हम नहीं गये थे। वह गये थे वहां।

**डा. चन्द्रशेखर बैद :** जब एग्रीव्ड पार्टी के लोगों ने जो वहां आये थे, पुलिस से संरक्षण मांगा तो पुलिस ने उनको किसी भी प्रकार का संरक्षण देने

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

से इंकार कर दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस तरह की हरकत मंत्रिमडल के किसी वरिष्ठ सदस्य के प्रोत्साहन से हुई, क्योंकि पहले भी जब उनको एक बड़े सम्मान 'पदमश्री' से सम्मानित किया गया था तो उन्होंने खुले रूप से उसका विरोध किया था और इस बार भी जांच होने के के बाद उन्होंने पब्लिकली यह स्टेटमेंट दिया कि ये धर्म परिवर्तन के लिए आये थे और इसके लिए अलग से कमेटी बनाकर इनकी जांच करायी जाएगी। जब आपने यह निर्णय पहले से लिया कि ये धर्म परिवर्ततन के लिए आये थे तो कमेटी किसलिए बनायी गई? आपको किसने कहा, किस आधार पर आपने यह कहा था कि ये धर्म परिवर्तन के लिए आये थे? यह सम्मेलन आज कोई नया नहीं हो रहा है, पिछले 60 सालों से यह सम्मेलन हो रहा है, बार-बार होता है और इसमें इस बाइबिल इंस्टीट्यूट के अन्दर लोग आते हैं, लोग पढ़ते हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, अब कनक्लूड करें।

**डा. चन्द्रशेखर बैद :** मैं एक मिनट में अपनी बात कहना चाह रहा हूं। आज हालत यह हो गई कि माइनोरिटी के लोग राजस्थान के अन्दर इस सरकार के रहते अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन और वरिष्ठ मंत्रीगण उनका सहयोग कर रहे हैं, यह सर्वथा अनुचित है। ऐसा अगर हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब यहां पर धार्मिक सौहार्दपूर्ण वातावरण है वो पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि एक के बाद एक घटनाएं लगातार इस तरह की होती जा रही हैं जहां इनको लगातार प्रताडित किया जा रहा है।

**श्री अध्यक्ष :** नो-नो।

**श्री हरिमोहन शर्मा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दो बात कहूं। दो बात से ज्यादा नहीं बोलूंगा। माननीय गृह मंत्रीजी, एक मिनट।

**श्री जालमसिंह रावलोत :** अध्यक्ष महोदय, यह सरासर असत्य आरोप लगाया है। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा :** बाद में जरूरत ही नहीं रहेगी, आप फाइनल कर देना।

**श्री अध्यक्ष :** कुछ कह रहे हैं, कहने दो इनको।

**श्री हरिमोहन शर्मा :** आप जवाब देंगे।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** ये तो जितनी फीस लेते हैं उतना बोल देते हैं।

**श्री अध्यक्ष :** हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप नहीं बोलेंगे। नेता-प्रतिपक्ष, यदि आप बोलना चाहें तो बोल लें। (व्यवधान) आप नहीं बोल रहे, ठीक है, मंत्रीजी।

**डा. बुलाकीदास कल्ला :** मैं बोल रहा हूं न। मुझे आप पुकारेंगे तब बोलूंगा।

**श्री अध्यक्ष :** नहीं, आपको समय नहीं दूंगी। हां, आप बोलें।

**डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता प्रतिपक्ष) :** अध्यक्ष महोदय, अभी तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कांस्टीट्यूशन में धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और समानता के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है। कोटा में पिछले 60 वर्षों से बाइबिल इंस्टीट्यूट द्वारा एक सम्मेलन आयोजन किया जाता है जिसमें ईसाई धर्म के मानने वाले सब लोग वहां पर आते हैं। मैं जानना चाहता हूं, क्या सरकार के पास कोई ऐसी शिकायत थी लिखित में जिसके आधार पर सरकार को ऐसा कोई अंदेशा था कि वहां कोई धर्म परिवर्तन हो रहा है? 60 वर्ष से कांग्रेस की भी सरकार रही, बी.जे.पी. की सरकार इस राजस्थान में रही, कभी वहां पर इस तरह के धार्मिक सम्मेलन को किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास दिल्ली से जयपुर से, कोटा से, कई स्थानों से फोन अआये, और आकर लोगों ने यह बताया कि विभिन्न भाषा भाषायी प्रदेशों के लोग, अनेक प्रदेशों के लोग जो हमारी भाषा को नहीं समझते उनको वहां वी.एच.पी. और बजरंग दल के कार्यकर्ता पूछें कि आप कहां से आये हैं, आप कौनसे धर्म के हैं, मैं जानना चाहता हूं, क्या गृह मंत्रीजी ने वी.एच.पी. और बजरंग दल को यहां पुलिस की कमान सम्भला दी है? यह उचित नहीं है। मुख्य मंत्रीजी, आप विराजे हुए हैं, यदि पुलिस के पास कोई शिकायत होती और पुलिस जांच करती तो हमें कोई आब्जेक्शन नहीं था। लेकिन किसी पर्टीकुलर दल के लोग किसी भी व्यक्ति जो अनजान कहीं से आये हैं उनके साथ ऐसा करें यह हमारी सांस्कृतिक एकता और विरासत के

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

खिलाफ है। किसी भी दल को यह इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो कानून हाथ में ले और लेकर उनसे पूछे कि आप कहां से आये हैं, आप किस धर्म को मानने वाले हैं, यहां कोई धर्म परिवर्तन करने के लिए आये हैं। इस तरह की चीजें उचित नहीं हैं। हमारी सांस्कृतिक एकता को बनाये रखने के लिए, कांस्टीट्यूशन सैक्यूलरिज्म के सिद्धान्त को बनाये रखने के लिए इस तरह के जो भी सम्मेलन होते हैं उसमें सरकार का संरक्षण मिलना चाहिए। यदि कोई धर्मान्तरण की शिकायत सरकार के पास आती और सरकार कोई कार्यवाही करती, जबदस्ती से कोई धर्म परिवर्तन हो रहा होता और पुलिस कोई एक्शन लेती तो किसी को आब्जेक्शन नहीं था। लेकिन किसी पर्टीकुलर दल के लोग राजनीति करें, यह उचित नहीं है, इसको रोकना चाहिए। आइंदा इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सभी माननीय सदस्यों की जो चिन्ता है, इस बात पर कोई दो मत हो ही नहीं सकते कि हरेक को अपनी धार्मिक भावना के अनुसार अपने धर्म का पालन करना, उसके कार्यक्रम करना, उसकी इस देश में रोक नहीं है। लेकिन इस देश में यह इजाजत भी नहीं है कि गरीब, अनपढ़ जो कुछ नहीं समझते हैं उनको पैसे का लालच देकर या किसी बहाने से उनको वहां लाकर उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है। यह कहीं भी, किसी भी कानून के तहत इजाजत नहीं है। दुर्भाग्य तो यह है कि इतना बड़ा आयोजन करने वालों ने पुलिस प्रशासन से यह स्वीकृति भी नहीं ली कि हमारा इस तारीख से लेकर इस तारीख तक का कोई सम्मेलन या कोई आयोजन होने वाला है। यह तो 19 तारीख की रात्रि को मुझे भी एक टेलीफोन मिला कि आंध्र प्रदेश से कुछ लोग चले हैं, इस ट्रेन से चले हैं, इन लोगों को वहां सम्मेलन में लाया जा रहा है। सम्मेलन के नाम से इनको वहां रखेंगे और इनके धर्म परिवर्तन करने का कार्यक्रम होगा। इस सूचना के बाद मैंने पुलिस के आई.जी. को सूचना दी कि लगभग 3 बजे ट्रेन पहुंचने वाली है, कुछ लोगों को मुझे टेलीफोन आया, वो इसका विरोध करेंगे, इसलिए आप वहां अपनी फोर्स भेजें और उन लोगों को प्रोटेक्शन देकर इस बात की पूरी तहकीकात करें कि इन लोगों को किस उद्देश्य से यहां लाया जा रहा है। उसके कारण से मौके पर पुलिस थी, विरोध करने वाले लोग भी थे। लगभग 300 लोग उस ट्रेन से उतरे थे। इनमें से उनसे ही पूछताछ हुई, उन्हीं लोगों

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

के वर्शन हैं। पूरा वीडियो है उसमें उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया, उनके बयान हैं, मेरे नहीं, उनके बयान हैं कि हमें कहा गया कि आपको इस दो दिन के कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। उस कार्यक्रम में रहने पर आपको एक साइकिल मिलेगी, 250 रुपये रोज के हिसाब से वहां मिलेगा और जब आप इसको ग्रहण करेंगे तो आपको प्रति महीना 250 रुपये पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, इसमें किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, पर मैं इतना जरूर आपसे कहूंगा कि ऐसे लोगों को लोभ और लालच से लाये। अगर अपने तरीके से, अपने सिद्धान्तों के आधार पर कोई आदमी किसी भी धर्म को माने या बदले, इसमें किसी को कोई रोक नहीं है। लेकिन लालच देकर अनपढ़ लोगों को जिनका कोई लेना-देना नहीं, यदि उनके पास कोई कुव्वत है तो आप और हम जैसे पढ़े-लिखे लोगों का बदलें। ऐसे लोगों को, आदिवासी क्षेत्र, उदयपुर के 24 लोगों को लेकर आये। उनको भी जब बस स्टैण्ड पर उतारा और बस का पता लगा, उनसे पूछताछ की तो उन्होंने भी यही बात की। उनको कहा कि आप वापस जाना चाहते हो? उन्होंने कहा, वापस जाना चाहते हैं। उनको वापस रवाना किया, 295 लोगों को भी वापस रवाना किया। यह जानकारी आयोजक ने नहीं दी। आयोजक ने तो किसी चीज की जानकारी नहीं दी, तो लोगों को मन में यह लगा कि आखिर इतने गरीब लोगों को लेकर यहां करना क्या चाहते हैं? उद्देश्य तो एक ही था। 250 रुपया महीने देने की क्या जरूरत है? अगर आपके सिद्धान्त बहुत अच्छे हैं तो उसकी एवज में 250 रुपया देने की क्या जरूरत है? उसमें सारे विदेशी लोगों को, दुर्भागय देखिए इस देश का, पता नहीं किस तरह से चलता है, लगभग 100 विदेशियों को इसमें बुलाया हुआ है। वो आये किस परमिट से? वो टूरिस्ट परमिट से आये हैं, उनको कोई इजाजत नहीं किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने की। वो लोग आये हैं केवल इसलिए कि ये जो संस्था चलाते हैं, ये दिखाते हैं कि मैंने इतने लोगों का कन्वर्जन किया, इसलिए अमरीका से मुझे पैसा भेजो। नहीं तो इसकी सारी प्रोपर्टी की जांच कराओ, इसके पास इतना पैसा कहां से आता है। जिसके कारण से लोगों का धर्म बदलकर कहता है कि मैं 40 साल से काम कर रहा हूं? आप 100 साल से कर रहे होंगे, लेकिन इस राजस्थान में धर्म परिवर्तन का अधिकार किसी को नहीं है चाहे वह कोई भी हो। अब तो हमें लग रहा है, आपको और हम सबको विचार

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

करना पड़ेगा। यह मेरा अकेले का और मेरी पार्टी का सवाल नहीं है, मेरी सरकार का सवाल नहीं है, राजस्थान के हम सब लोगों का सवाल है। किसी को लालच के आधार पर आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। इसलिए हम इसका बिल ला रहे हैं ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार की हिमाकत नहीं कर सके। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, आश्चर्य होगा, आप बिना बात के कर रहे हैं, पुलिस जितना कर सकती थी, किया. कल कुछ लोगों ने विरोध करते-करते उनके कैम्पस तक जाने की कोशिश की। हमारी पुलिस ने उनको प्रोटेक्ट किया, विरोध किया, उनको रोका। रोका ही नहीं, 70 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का अपना धर्म है, यह पुलिस अपना धर्म निभाएगी, चाहे वे बजरंग दल के हों, चाहे किसी के भी हों।

कानून को बनाये रखने के लिए पुलिस का अपना धर्म है, उस धर्म को पुलिस ने निभाया। जिस थामस के बारे में आपने पद्मश्री प्राप्त कर लिया होगा, मेरे को भी पद्मश्री प्राप्त हो जाता, इसका मतलब मेरे को जुर्म करने का अधिकार नहीं है। अगर मैं जुर्म करूंगा तो मैं कानून के सामने उतना ही गुनाहगार बनूंगा जितना कि बाकी लोग बनते हैं।

आपको सुनकर ताज्जुब होगा, इस आदमी पर 9 केस हैं। 9 में पहला है, भीमगंजमंडी में जो दर्ज हुआ है, किसने दर्ज कराया है? उनके ही समाज के व्यक्ति ने श्रीमती अलीउम्मा पत्नी इब्राहीम निवासी डडवाड़ा, कोटा जंक्शन । इन्होंने किया क्या? अभियुक्त ने फर्जी दस्तावेज और झूठा साक्ष्य पेश कर प्रार्थी के प्लाट पर जबरन कब्जा किया है यह इसके ऊपर मुकदमा है जिसका चालान है। पता नहीं, अपने इस देश में तो क्या-क्या होगा। दूसरा एक और है, उद्योग नगर थाने में दर्ज है 2000 में। मनोज कृष्णचन्दपुरी गोस्वामी, इसमें लिखा है अभियुक्त थामस मिशनरी अनाथाश्रम में अनाथ बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार कर मारपीट और डरा धमकाकर ईसाई धर्म अपनाने का कुकृत्य करता है, इसका मुकदमा है। आपने इस मुकदमे में क्या किया ? दुर्भाग्य से 2001 में 15.12.2001 के दिन इसमें आपने एफ.आर. दे दी। आपकी एफ.आर. के बाद इसका काग्नीजेंस लिया गया सी.जे.एम. कोर्ट नम्बर 3, कोटा द्वारा। फिर से केस चालान हुआ और चालान होकर अभी लेटेस्ट पेशी 5.12.2004 को हुई है। यह इसका कुकृत्य है। इसी तरीके से आप देखेंगे, फिर उद्योग नगर में इसी प्रकार का मुकदमा दर्ज है इसके खिलाफ वन विभाग का,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह मुकदमा कौन दर्ज करा रहा है? वहां का फोरेस्ट का अधिकारी कि सरकारी भूमि पर एम.एम. थामस सलीम भारी कुंजबिहार द्वारा अनधिकृत प्रवेश कर कब्जा किया गया है। यही नहीं, आपको और सुनकर ताज्जुब होगा, जयसिंह राठौड़ क्षेत्रीय वन अधिकारी, लाडपुरा ने मुकदमा दर्ज कराया कि संस्था द्वारा रायपुर में राष्ट्रीय पक्षी मोर और चिंकारों को अवैध रूप से घायल अवस्था में पिंजरे में बंद कर रखा गया है। इसका मुकदमा इसके खिलाफ है। ये 9 मुकदमे हैं। यह तो कानून के तहत उसका जो अपराध होगा, जितना उसको दण्ड मिलना है वह मिलेगा। लेकिन उसने कल जो 20 तारीख के दिन कहा कि मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए, हम लोगों ने हमारी तरफ, से यह तो हमारा बड़प्पन समझिये कि हमने लोगों को आइडेंटिफाई किया, हरेक को, जिन्होंने कहा कि क्रिश्चियन हूं, उसको हमने जाने की इजाजत दी। ऐसा नहीं है, हमने नहीं रोका है। लेकिन हमने उनको इस बात के लिए जरुरी पाबन्द किया कि धर्मान्तरण यहां नहीं होगा। इसके कारण से उसने अभी लिखकर दिया कि मेरे यहां कैम्पस में धर्मान्तरण नहीं होगा। यही तो नाराजगी है लोगों की। किस बात की नाराजगी है? फंक्शन करने की...

श्री रामनारायण चौधरी : उनको वापस भेजने का खर्चा सरकार ने दिया क्या?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सारे लोग नहीं वापस गये। जो लोग हिन्दू थे, जिनकी जांच करने के बाद यह लगा कि ये हिन्दू हैं और जिनसे हमने पूछा कि क्या आप वापस जाना चाहते हो, उन्होंने स्वीकृति दी, उनको हमने वापस भेजा। जिन्होंने अपने आप को ईसाई बताकर कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए कहा, उनको हमने उनके ईसाई कैम्पस में जाने के लिए अलाउ किया।

श्री रामनारायण चौधरी : सरकारी खर्चे पर भेजा?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : सरकारी खर्चे पर नहीं भेज सकते।

श्री रामनारायण चौधरी : तो किसने किया?

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वहां के लोगों ने किया होगा। किसने किया, टिकट देकर गये होंगे।

**श्री रामनारायण चौधरी** : बजरंग दल ने दिया ?

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : नहीं, कोई बजरंग दल ने नहीं दिया, कोई हिन्दू महासभा ने...

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : बहुत बड़ा हिन्दू समाज है, उनकी रक्षा करने के लिए बहुत हैं।

**श्री रामनारायण चौधरी** : होम मिनिस्टर सक्षम नहीं हैं क्या? (व्यवधान) ये तो बहुत विद्वान हैं।

**श्री जितेन्द्र सिंह** : मैं गृह मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि अगर कोई हिन्दू उस कार्यक्रम में जाना चाहे, अपनी मर्जी से, तो वह जा सकता है कि नहीं? उस कार्यक्रम के अन्दर मैं जाना चाहूंगा, अब मुझे आप कैसे रोक लोगे?

**डा. चन्द्रशेखर बैद** : किसी धर्म के आदमी को सम्मेलन में जाने से रोकने का अधिकार नहीं है, जा सकता है, कोई भी व्यक्ति जा सकता है।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : मैं चाहता हूं, सारे सदन का व राजस्थान की जनता का यह मन है कि राजस्थान में जैसा हमारा सौहार्द्र बना हुआ है उसी प्रकार का बना रहे, हम लोगों ने भी इसके लिए उनसे बात की। केवल यहां गुस्सा है, लोगों को तो इस बात से गुस्सा है कि आप इन गरीब लोगों को लेकर धर्मान्तरण करते हैं। कार्यक्रम करने का विरोध नहीं, धर्मान्तरण नहीं होना चाहिए, इस बात का विरोध है। यह विरोध आप भी करोगे, मैं भी करूंगा । कभी आपके यहां होता तो आप लोगों को भी इस प्रकार की बात के लिए खड़ा होना पड़ेगा, चाहे आपके राजनीतिक विचार भिन्न हो सकते हैं लेकिन धर्मान्तरण को कभी नहीं। इसलिए उनसे हमने कहा कि आप इस बारे में लिखकर विश्वास दिलाएं कि यह कार्यक्रम नहीं होगा। तो यह पत्र उन्होंने आज सवेरे अपनी तरफ से लिखा है, "I am giving this promise that there is no conversion..." कोई कंवर्शन हमारे यहां नहीं होगा"...ceremony within this programme." यानी कोई कार्यक्रम नहीं होगा। इसके अलावा भी उन्होंने अपनी तरफ से, वह बात हमने भी मानी "...There will not be any public meeting today..." 23.2.2005 "... Only we will have prayer meeting, talk to our students..."

मतलब यही वहां की जनता की नाराजगी है जिसके ऊपर वह सहमत

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

होकर उसने अपनी तरफ से लिखा है। इसके अलावा भी उसके द्वारा यह कहा गया कि– "Government officials or other persons, 10 to 15 members, are welcome at any time to come and visit us to listen to what we are doing."

पहले इस तरह से गरीब लोगों को लाकर नहीं किया जाता, केवल क्रिकेट को लाते, उनके धर्म की बात को बताते, कुछ भी करते, उसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता। लेकिन गरीब लोगों को लाकर और विदेशी सारे लोगों को जिनसे ये पैसा लेते हैं अमेरिका से धर्म परिवर्तन के नाम पर, यह दिखाने की कि हम इतने लोगों को कंवर्ट कर रहे हैं, उस पैसे को लाने, उनको सही सबूत दिखाने के लिए लगभग 95 लोग अमेरिकी जो हैं वे उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आये। वीजा लेकर आये घूमने के लिए, उनको स्वीकृति नहीं दी। इसलिए हमने उनको भी कहा है कि आप जिस होटल में हो, वहीं रहो, इस कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सकते, क्योंकि वीजा का उपयोग केवल घूमने के लिए है, यहां धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने के लिए नहीं है। इस कारण से मैं सोचता हूं कि हमने कानून के तहत जो हमको अधिकार हैं, न तो हम बजरंग दल को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं, न हम कोई क्रिश्चियन को है, कानून के तहत जो अधिकार हैं उससे अधिक उपयोग चाहे कोई थामस हो, चाहे वह कोई भी किसी प्रकार का अवार्डी हो, उसको इस प्रकार की धार्मिक विद्वेषता फैलाकर अशांति फैलाने का अधिकार किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। हमने वही किया जो कानून के तहत हमको अधिकार था।

**श्री अध्यक्ष :** श्री संयम लोढ़ा । (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा :** नहीं, उनको जवाब देने दो। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** अब क्या बोलोगे ? पोल खुल गई अब आपकी। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा :** मैं महत्वपूर्ण बात पूछना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं । (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** श्री संयम लोढ़ा। आप क्या कहना चाहते हैं ?

**श्री हरिमोहन शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह सही है कि अगर कोई जबरदस्ती धर्मान्तरण करता है तो..

**श्री अध्यक्ष** : अंकित नहीं हो।

**श्री हरिमोहन शर्मा** : xxx

**श्री अध्यक्ष** : विपक्ष के नेता बोल लिये थे, विपक्ष के नेता को बोलने का मैंने मौका दिया था और विपक्ष के नेता बोल लिये।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** : xxx

**श्री अध्यक्ष** : सुनिए, मेरी बात। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप बिराजें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप भी बिराजें एक बार। यह स्थगन प्रस्ताव था, स्थगन प्रस्ताव पर जब अनुमति नहीं दी जाती है, स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता, केवल दो मिनट बोलने की अनुमति दी थी। उस बोलने पर मंत्रीजी ने जवाब दे दिया, सारी स्थिति स्पष्ट कर दी अब आपका क्या प्रश्न बाकी रह गया?

**श्री हरिमोहन शर्मा** : xxx

**श्री अध्यक्ष** : स्थगन प्रस्ताव के ऊपर जब कोई दिया जाता है जवाब...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** : xxx

**श्री रामनारायण चौधरी** : xxx

**श्री अध्यक्ष** : स्थगन प्रस्ताव था, महत्वपूर्ण प्रश्न था, उस पर मैंने चर्चा कराना वाजिब समझा और इसलिए मंत्री जी ने जवाब दे दिया जो कुछ बात थी। अब आपका क्या बाकी रह गया? (व्यवधान) आप बैठे बैठे नहीं बोलेंगे। कोई नहीं बोलेगा बैठे बैठे। अब आप क्या पूछना चाहते हैं? और क्या चाहते हैं?

**श्री हरिमोहन शर्मा** : xxx

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, बिलकुल नहीं दूंगी इजाजत।

**श्री हरिमोहन शर्मा** : xxx

**श्री अध्यक्ष** : श्री संयम लोढ़ा।

**श्री समर्थ लाल** : xxx

**डा. बुलाकीदास कल्ला** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है उसमें कुछ स्पष्टीकरण हम चाहते हैं...

**एक माननीय सदस्य :** xxx

**श्री अध्यक्ष :** माननीय नेता प्रतिपक्ष।

**डा. बुलाकीदास कल्ला :** आपने इजाजत दी है मेरे को। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** मैंने कहां इजाजत दी है? (व्यवधान) देखिये, नेता प्रतिपक्ष, सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता जब खड़े होते हैं तो आसन का कर्तव्य हो जाता है कि उनको मौका दे, लेकिन यह ऐसा प्रश्न था कि जब मैं कह चुकी थी कि यह एक परम्पराओं के विपरीत संवेदनशील मामला था और एक ऐसा गम्भीर मामला था जिस पर मैंने मंत्रीजी से कहा कि आप अच्छा हो, इस पर स्पष्टीकरण कर दें तो सदन के सदस्यों में शंकाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। इसलिए उन्होंने अपना जो कुछ उन्हें कहना था, वह वक्तव्य जैसा दे दिया। अब क्या बाकी रह गया? यह गलत बात है। यह गलत परम्परा डाल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा :** xxx

**श्री अध्यक्ष :** आप बिराज जाएं। आप बिराज जाएं। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, बिराज जाएं। माननीय नेता प्रतिपक्ष, यह गलत परम्परा होगी। अब आप संयम लोढ़ा को बोलने दीजिये।

**श्री संयम लोढ़ा :** अध्यक्ष महोदय, मर्यादा पुरुषोतम भगवान श्रीराम के छोटे भाई..

**श्री रामनारायण चौधरी :** xxx

**श्री अध्यक्ष :** अब आप क्या कहना चाहते हैं मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य? मैं दो दिन से देख रही हूं कि आप चाहे जब खड़े हो जाते हैं (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** xxx

**श्री रामनारायण चौधरी :** xxx

**श्री अध्यक्ष :** कोई प्रश्न पैदा नहीं होता। आप गलत परम्पराएं डाल रहे हो। आप गलत परम्परा नहीं डालें।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** xxx

**श्री अध्यक्ष** : श्री संयम लोढ़ा ।

**श्री रामनारायण चौधरी** : xxx

**डा. बुलाकीदास कल्ला** : हर वक्तव्य के बाद स्पष्टीकरण करने का मौका मिलता है। यह नई परम्परा कहां से डाल रहे हैं आप? (व्यवधान) आप बिराजें।

**श्री लक्ष्मीनारायण दवे** : xxx

**डा. बुलाकीदास कल्ला** : अध्यक्ष महोदय, इसमें 2-3 प्रश्न उठते हैं।

**श्री अध्यक्ष** : यह वक्तव्य नहीं था, नेता प्रतिपक्ष। (व्यवधान) यह शंकाओं का समाधान था।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : xxx

**डा. बुलाकीदास कल्ला** : हमारी शंकाओं का समाधान कर दें आपके माध्यम से। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई अन्य धर्म का सम्मेलन हो तो दूसरे धर्म वाले नहीं भाग ले सकते? दूसरी बात यह है कि क्या आपके पास में कोई लिखित शिकायत आई थी कि यहां कोई धर्म परिवर्तन हो रहा है? तो वह सदन की मेज पर रखें। दूसरी बात यह मैं जानना चाहता हूं कि...

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : xxx

**डा. बुलाकीदास कल्ला** : कि वो लोग वीजा लेकर यहां पर आये थे उनको आपने किस नियम के आधार पर उस सम्मेलन में भाग लेने से मना किया? जिन लोगों ने स्टेशन पर उतार कर जबरदस्ती से लोगों की तलाशी की, उनके खिलाफ आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : शान्त रहें।

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, 19 तारीख को ही एक एफ.आई.आर. दर्ज हुई इसके बारे में कि यहां इस प्रकार आयोजन हो रहा है...

**श्री अध्यक्ष** : नवलगढ़ से आने वाली माननीय सदस्या, इतनी जोर से बोल रही हैं कि मेरे तक आवाज आ रही है।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : 19 तारीख को एफ.आई.आर. दर्ज हुई इस बात की और उसमें अभियुक्त का नाम दिया है थामस। इसमें लिखा है- घटना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इस प्रकार है कि दिनांक 19.2 को फरियादी श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री मोहन लाल जाति सोनी उम्र 43 वर्ष निवासी सब्जी मण्डी कोतवाली, कोटा ने उपस्थित थाना होकर यह आशय की रिपोर्ट पेश की है कि आज रात्रि को 3.30 बजे लगभग 250-300 लोगों को बैंगलोर से आने वाली गाड़ी से लाया गया जिन्हें कोटा स्टेशन के बाहर रोककर पूछताछ करने पर पता चला कि कोटा इमानुल मिशन के संचालक एम.एम. थॉमस द्वारा उनका लड़का दिये गये पैसों एवं प्रलोभन के आधार पर कोटा लाया गया जहां इनको सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराया जाएगा, ईसाई बनाया जाएगा। इन्हें एक साइकिल, पांच दिन के शिविर में रहने का 250 रुपये प्रति व्यक्ति तथा आने-जाने का किराया एवं खाने-पीने को व्यवस्था का प्रलोभन तथा बाद में रोजगार लगाने का प्रलोभन देकर लाया गया। यह एफ.आई.आर. पहले से ही थी। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** बीच में नहीं बोलेंगे।

**श्री हरिमोहन शर्मा :** xxx

**श्री अध्यक्ष :** हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो।

**श्री हरिमोहन शर्मा :** xxx

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** xxx

**श्री अध्यक्ष :** हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप जानते हैं, मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं और आप बीच में खड़े होकर बोलने लग जाते हैं। स्थान ग्रहण करें। कहां का नियम है यह?

**श्री हरिमोहन शर्मा :** xxx

**श्री अध्यक्ष :** यह कौनसा नियम है?

**श्री हरिमोहन शर्मा :** xxx

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** वो भी हुआ है।

**श्री हरिमोहन शर्मा :** xxx

**श्री टीकमचन्द कान्त :** xxx

**श्री गोविन्द चौहान :** xxx

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य, जितने खड़े हैं, शान्त रहें। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है।

**श्री हरिमोहन शर्मा** : xxx

**श्री अध्यक्ष** : हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : xxx

**श्री हरिमोहन शर्मा** : xxx

**श्री बंशीलाल खटीक** : xxx

**श्री अध्यक्ष** : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, हर बात पर आप उत्तेजित क्यों हो जाते हो? आप क्यों उत्तेजित होते हैं? आप बिराज जाएं। (व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कर लें। आप स्थान ग्रहण करें। हाथ भी नीचे करें।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : अध्यक्ष महोदय, इसी के आधार पर मैंने स्वयं चलाकर आई.जी. से उसी 19 तारीख को रात्रि को ही बात कर ली कि इस प्रकार की सूचना मेरे पास भी है कि यहां साढ़े तीन बजे जो गाड़ी पहुंचती है उसमें कुछ ऐसे लोग उतरने वाले हैं। उसी के आधार पर पुलिस वहां साढ़े तीन बजे भी मौजूद थी। बाकी पुलिस के पास कौन आ रहा है, नहीं आ रहा है, हमारा कोई ध्यान नहीं। इसके अलावा भी जो घटना वहां घटी थी उसकी भी एफ.आई.आर. दर्ज है। ऐसा नहीं है कि पुलिस में उसकी एफ.आई.आर...

**श्री हरिमोहन शर्मा** : xxx

**श्री गुलाब चन्द कटारिया** : यह सूचना साढ़े दस बजे तो मेरे को हुई, उसके बाद मैंने स्वयं आई जी से कहा कि आप लोग वहां पुलिस का प्रबन्ध करें। मुझे टेलीफोनिक सूचना इस प्रकार की मिली। इसके बाद भी जो घटना वहां हुई उसकी भी दो एफ.आई.आर. दर्ज हैं। एफ.आई.आर. नम्बर 64 भी दर्ज है जिन लोगों के साथ कुछ धक्का-मुक्की हुई। उन्होंने जो एफ.आई.आर. लिखाई...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : उनको बोलने दें। (व्यवधान)

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** प्रिंसिपल के साथ धक्का-मुक्की हुई जब वो चार बजे निकल रही थी। उसने जो शिकायत की वो शिकायत भी हमने एफ.आई.आर. 64 नम्बर की दर्ज की है। इसी तरह से यह बहुत हमने जी आरपी थाने के अन्दर भी इसी में एफ.आई.आर. 25/2005 भी दर्ज की है। तो ऐसा नहीं हमने जितने भी जिस प्रकार की भी एफ.आई.आर. दर्ज की, वह हमारे रिकार्ड पर है और उसके अनुसार जो भी कार्यवाही कानून के तहत बनती है वो निश्चित रूप से होगी। इसमें कहां भेद हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पर हम यह इजाजत नहीं देंगे कि प्रलोभन देकर गरीब लोगों का धर्म परिवर्तन कराएं। यह नहीं होने देंगे। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा :** xxx

**श्री अध्यक्ष :** श्री संयम लोढ़ा। मर्यादा पुरुषोतम पर आ जाइये।

## जयपुर स्थित हनुमान नगर के हनुमान मंदिर में जे.डी.ए. द्वारा तोड़फोड़

**श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :** अध्यक्ष महोदय, मर्यादा पुरुषोतम भगवान श्रीराम के छोटे भाई लक्ष्मण जब मूर्छित हुए तो उनकी औषधि लाने के लिए वीर हनुमान को भेजा गया और वह संजीवनी बूटी लेकर आये।

**श्री अध्यक्ष :** अब आप भूमिका तो नहीं बांधें और अपनी बात पर आएं।

**श्री संयम लोढ़ा :** नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको तो सारी जानकारी है लेकिन उन भगवान, वीर हनुमान के बारे में राजस्थान की यह सरकार नहीं जानती है इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। जब सीता माता को अशोक वन में अपहरण करके कैद रखा था तब वीर हनुमानजी को भेजा गया। उनके साथ अनुचित व्यवहार हुआ तो उस पूरी लंका का दहन उन्होंने किया। वापस लौटते हुए जब समुद्र में उनके पसीने की बूंद गिरी तो घटोत्कच का जन्म हुआ। उन वीर हनुमानजी की इस जयपुर नगर के अन्दर... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो?

**एक माननीय सदस्य** : आप कथा मत सुनाओ। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : मैंने मकरध्वज कहा है, मकरध्वज है, मकरध्वज। (व्यवधान)

**श्री बंशीलाल खटीक** : यह असत्य बयान है, यह असत्य बयान है। असत्य बयान है यह। (व्यवधान) घटोत्कच ऐसे पैदा नहीं हुआ, घटोत्कच ऐसे पैदा नहीं हुआ। घटोत्कच ऐसे पैदा नहीं हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री संयम लोढ़ा** : मैं तो आपका एग्जाम ले रहा था, आपकी परीक्षा ले रहा था। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) स्थान ग्रहण करें। हां, हां, वह उनको नहीं ज्ञान है। उन्होंने कह दिया न अब आप आगे बोलिये। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : यह अच्छा है, आपको जानकारी है, मेरी परीक्षा में आप सही खरे उतरे हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, पूरा ज्ञान देने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप तो स्थान ग्रहण करें। आप भूमिका नहीं बांधें। अब आप अपनी बात पर आएं।

**श्री संयम लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, मैं विषय पर आ रहा हूं। आपकी आज्ञा के अनुसार, जयपुर शहर के अन्दर...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : ऐसे क्या दादागिरी है? यह क्या बोलते हो आप ? यह क्या दादागिरी हुई ? कह दिया उन्होंने। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर के अन्दर हनुमान नगर के नाम से एक कालोनी विकसित की गई, उस हनुमान नगर में वीर हनुमानजी के नाम से हनुमानजी का मंदिर बनाया गया। लगातार उस क्षेत्र में रहने वाली हमारी माताएं और बहनें और हमारे भाई उस हनुमानजी के मंदिर में पूजा-अर्चना और सारे धार्मिक कार्य करना चाहते थे, वे सब करते थे। साल में एक बार उस वीर हनुमानजी के मंदिर में भजन संध्या का आयोजन भी होता था। लेकिन 'माननीय अध्यक्ष महोदय' राजस्थान की यह हुकूमत बदलने के बाद हनुमानजी क ऊपर इस सरकार की कोपदृष्टि पड़ी और आधी

(श्री संयम लोढ़ा)

रात को भारतीय जनता पार्टी के उस क्षेत्र के विधायक के कहने पर जे.डी.ए. के अधिकारियों ने जाकर उस मंदिर को तोड़ दिया और हनुमानजी की प्रतिमा को वहां से उठाकर जे.डी.ए. में ले जाकर बंद कर दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसी सुविधा क्षेत्र के बगल में आर.एस.एस. के द्वारा संचालित....आप बैठिये, बाद में बोल लेना।

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) :** देखिये, श्रीमानजी, मैं कैसे बैठूं? आपने मेरा नाम कैसे लिया है? आपके पास क्या तथ्य हैं? मैं पिछले 27 साल से राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा हूं और आपको +++ बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र में 15,000 कालोनीज हैं...

**श्री संयम लोढ़ा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी तो शिकायत की है कालोनी के लोगों ने। उस कालोनी में आप घुस नहीं सकते हैं, आपकी तो हालत यह है।

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़ :** कोई शिकायत नहीं की है।

**श्री अध्यक्ष :** बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य। बनीपार्क से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको सम्बोधित कर रही हूं। मैं आपको सम्बोधित कर रही हूं वीरू सिंहजी राठौड़, आपको सम्बन्धित कर रही हूं कृपया स्थान ग्रहण करें। वह झूठ बोलते हैं कि सत्य बोलते हैं, यह कहने की जिम्मेदारी... नहीं, नहीं, आप विराजेंगे। आप स्थान ग्रहण कर लें। वे कुछ भी कहते हैं। वे उसका जवाब देंगे, मंत्रीजी जवाब देंगे। मंत्रीजी जवाब देंगे, आप इस तरह से क्यों खड़े हो गये?

**श्री संयम लोढ़ा :** मंत्रीजी, आप बहुत काबिल हैं। अभी बैठो, मंत्रीजी। आप से जवाब लेंगे। बोलने तो दो पहले मुझे। अभी आप मुझे मेरी बात कहने दीजिये।

**श्री प्रतापसिंह सिंघवी (स्वायत्त शासन राज्य मंत्री) :** आप तो महावीर स्वामी की और पार्श्वनाथ की बात करो, कहां हनुमानजी के मंदिर के चक्कर में पड़ गये? आप कहां हनुमानजी के मंदिर के चक्कर में पड़ते हो? (व्यवधान) आप महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ की बात करो, दादा।

**श्री संयम लोढ़ा :** माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार से मैं यह निवेदन कर रहा था कि आर.एस.एस. के द्वारा संचालित उसकी बगल में आदर्श विद्या

(श्री संयम लोढ़ा)

मंदिर चलता है और उसका एक डोर सुविधा क्षेत्र में खोल दिया गया है। इस मंदिर को ध्वस्त करके उस पूरे मैदान पर शाम को आर.एस.एस. की शाखा लगाने का काम चल रहा है। आर.एस.एस. उस स्कूल की, उस सुविधा क्षेत्र की जमीन पर कब्जा करना चाहती है इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, उस मंदिर को तोड़ दिया और हनुमानजी की प्रतिमा जो साढ़े तीन फीट है, जिसके ऊपर मंडप भी लगा हुआ था, उसको जे.डी.ए. में ले जाकर बंद कर दिया। आज हनुमान जी भूखे हैं, कैद में हैं हनुमानजी, और उस क्षेत्र में हमारी 19 बहनों ने अन्न-त्याग कर दिया है इस सरकार के इस दुष्कृत्य के विरोध के अन्दर। सारे क्षेत्र के नागरिकों ने जे.डी.ए. के अन्दर जाकर घेराव किया अधिकारियों का और वहां माफी मांगी जे.डी.ए. के अधिकारियों ने उन लोगों के साथ में। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे क्षेत्र के अन्दर रोष फैला हुआ है और लोगों की धार्मिक भावना को इस सरकार ने बहुत बुरी तरह से आहत किया है। पिछले 15 सालों से देश के अन्दर साम्प्रदायिक उन्माद की विचारधारा पैदा करने की कोशिश की। "राम लला हम आएंगे, मन्दिर वहीं बनाएंगे" का नारा देकर देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। हजारों की तादादा में, हमारी बहनों का सिंदूर पोंछने का काम उस विचारधारा ने किया। राजस्थान की मुख्य मंत्री दावा करती हैं कभी तो त्रिपुर सुन्दरी के दर्शन करने जा रही हैं तो कभी उज्जैन के दर्शन करने जा रही हैं। और हमारी माताएं और बहनें जो हनुमान नगर में रहती हैं, हनुमानजी के मन्दिर में हनुमानजी के दर्शन करना चाहती हैं, यह सरकार उन बहनों की धार्मिक आस्था के ऊपर, हमारी संस्कृति पर कुठाराघात कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार के मंत्री बहुत काबिल मंत्री हैं, मुझे पूरी उम्मीद है, ये समझेंगे कि धार्मिक भावना क्या होती है। जिन अधिकारियों ने यह मन्दिर तोड़ने की कार्यवाही की है, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके खिलाफ कार्यवाही करें और इस सदन में घोषणा करें कि यह हनुमानजी का मन्दिर बनाया हुआ था, हनुमाजी की मूर्ति की पुनर्स्थापना उस हनुमान नगर में, उस क्षेत्र में करेंगे। मेरा यही आपके माध्यम से निवेदन करना है। (व्यवधान)

**श्री प्रतापसिंह सिंघवी :** एक मिनट, मैं अपनी बात कह दूं।

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** : माननीय अध्यक्ष महोदय, बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र राजस्थान का सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है..;

**श्री अध्यक्ष** : कोई आवश्यक नहीं है बोलना। यह कोई आवश्यक नहीं है। मंत्री जी जवाब देंगे।

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** : नहीं, उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है। उन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उन पर आरोप लगाया है, यह स्पष्टीकरण दे रहे हैं। स्पष्टीकरण देने के लिए खड़े हैं।

**श्री अध्यक्ष** : उनका नाम लिया है क्या? उनका नाम लिया है क्या?

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** : हां, उन्होंने आरोप लगाया है मेरे ऊपर। उन्होंने आरोप लगाया है मेरे ऊपर।

**एक माननीय सदस्य** : अधिकारियों ने तोड़ा है, बीरूसिंहजी ने तोड़ा है क्या?

**श्री अध्यक्ष** : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, क्या आपने उनका नाम लिया है?

**श्री संयम लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपको हनुमान नगर में...

**श्री अध्यक्ष** : आपने उनका नाम लिया है क्या? (व्यवधान) इन्होंने कहा है, विधायक के कहने पर।

**श्री संयम लोढ़ा** : यह रजिस्टर्ड विकास समिति का ज्ञापन है, जिसमें वहां के विधायक के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि आर.एस.एस का कब्जा उस जमीन पर करवाने के लिए आधी रात को जे.डी.ए. के अधिकारियों को ले जाकर आपने, वहां के विधायक ने तुड़वाने का काम किया है। यह आरोप लगाया गया है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, क्या आपने प्रोफेसर बीरूसिंहजी का नाम लिया है कि इन्होंने तुड़वाया है?

**श्री संयम लोढ़ा** : नाम नहीं लिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह ज्ञापन टेबल करना चाहता हूं। इस ज्ञापन में इनके ऊपर आरोप लगाया गया है।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, आपने यह कहा है क्या कि यह मंदिर प्रोफेसर बीरूसिंहजी राठौड़ के कहने से तोड़ा गया है?

**श्री संयम लोढ़ा** : मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, मैंने इस ज्ञापन का रेफरेंस दिया है। मेरा तो आरोप सरकार के ऊपर है कि यह सरकार ज्ञापन...(व्यवधान) राम के नाम पर पाखंड करने वाली सरकार है। (व्यवधान) यह लोगों को गुमराह करने वाली सरकार है।

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** : ज्ञापन तो आप झूठा बनवा लेंगे। ज्ञापन तो आप खुद ही झूठा बनवा सकते हैं अपने हाथ से।

**श्री अध्यक्ष** : आप स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें,। स्थान ग्रहण कर लें।

**प्रो. बीरूसिंह राठौड** : ज्ञापन तो आप खुद ही झूठा तैयार करवा सकते हैं।

**श्री संयम लोढ़ा** : अभी आप इतने इम्पोर्टेन्ट आदमी नहीं हुए कि मुझे आपका ज्ञापन लिखवाना पड़े, अभी टाइम लगेगा आपको।

**श्री अध्यक्ष** : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** : हां, आप से तो बहुत बढ़िया हूं मैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट बोलूंगा ।

**श्री अध्यक्ष** : हां, आप बोलिये।

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़** : देखिये, बनीपार्क विधान सभा क्षेत्र राजस्थान का सबसे बड़ा विधान सभा क्षेत्र है 5,08,000 मतदाता, 70 में से 20 वार्ड, लगभग 15,000 कालोनीज, 30 कच्ची बस्ती , 12 गांव और 40 ढाणी । अब 15000 कालोनीज में किस-किस जगह क्या-क्या हो रहा है, उसकी विधायक को कोई जानकारी नहीं होती है। इसमें आपने पूरा षड्यंत्र किया है और मैं

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

सदन में मांग करता हूं कि इसमें जो मेरे ऊपर आरोप लगाये हैं, इनकी जांच करवाई जाए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है । हां, आप बोलिये, मंत्रीजी।

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हनुमान नगर "ई" ब्लाक की बात कर रहे हैं यह। आदर्श विद्या मंदिर के पास जे.डी.ए. ने जो कालोनी काटी है, उसमें फैसिलिटी एरिया के नाम से जमीन का काफी बड़ा हिस्सा छूटा हुआ है, उसके बीचों-बीच कुछ लोगों ने 6x6 का चबूतरा बनाकर उस पर हनुमानजी की मूर्ति पधाराने की कोशिश की और वह मूर्ति वहां पर रख दी। यह जानकारी..

श्री अध्यक्ष : यह कब रखी मूर्ति?

श्री प्रतापसिंह सिंघवी : हनुमान नगर के जो अध्यक्ष हैं, उस कालोनी की विकास समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जे.डी.ए. के अधिकारियों को दी। जे.डी.ए. के अधिकारियों ने वहां पर जाकर मालूम किया। अध्यक्ष से भी पूछा, आस-पास के लोगों से भी पूछा गया तो किसी ने भी नहीं बताया कि मूर्ति किसके द्वारा रखी गई है। यह जो भूमि है, यह जो फैसिलिटी एरिया है इसमें से पांच हजार गज भूमि आदर्श विद्या परिषद जयपुर को आबंटित की गई है, यह बात सही है इसके आस-पास की जो बची हुई भूमि है, इसकी कीमत अगर आज के भाव में आंके तो बहुत करोड़ों में है, बहुत कीमती जमीन है। कुछ जो भूमाफिया हैं वे इस जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, उन्होंने इस प्रकार की हरकत की। जे.डी.ए. के अधिकारियों को जब पूरी जानकारी मिली, उन्होंने वहां से मूर्ति हटाकर जे.डी.ए. में जो मंदिर बना हुआ है, उसमें आराम से पधारा दी है। उसकी ससम्मान पूजा हो रही है, सब प्रकार की कार्यवाही चल रही है। इस बाबत एक मुकदमा जे.डी.ए. के अधिकारियों ने थाना वैशाली नगर में 2004 में दर्ज किया है, इसका मुकदमा नम्बर 710 है। यंह कोई आज का ताजा मामला नहीं है। फिर भी माननीय सदस्य की भावनाओं के अनुरूप उसकी प्राण-प्रतिष्ठा की पूरी व्यवस्था की जा रही है, मूर्ति की पूजा की जा रही है।

श्री अध्यक्ष : मंदिर कब से बना था, आप तो यह बताएं? माननीय मंत्रीजी, आप कृपया यह बताएं ...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : इसको कहते हैं हनुमान भक्त। पूजा भी हो रही है और अर्चना भी हो रही है। इसको कहते हैं हनुमान भक्त।

**श्री जुबेर खान** : मंत्री महोदय, अध्यक्षजी कुछ कह रही हैं।

**श्री अध्यक्ष** : आप बिराजें । आप तो कृपया यह बताएं कि मन्दिर कब से बना हुआ था? (व्यवधान) आप तो कृपया यह बता दें कि मन्दिर कब बना था कि नहीं बना था? केवल मूर्ति ही पड़ी थी या उसके ऊपर मंदिर भी था, यह तो बताएं?

**श्री प्रतापसिंह सिंघवी** : मंदिर तो वहां पर बना ही नहीं है। कुछ असामाजिक लोगों ने, भू-माफियाओं ने चबूतरा बनाकर उस पर जान बूझकर मूर्ति रख दी (व्यवधान) न तो वहां पर फिक्स की, न किसी प्रकार की वहां पधराई, न किसी प्रकार की प्राण-प्रतिष्ठा की, न किसी प्रकार की आज दिन तक वहां भजन संध्या हुई, किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। यह भूमाफियाओं के द्वारा सुनियोजित चाल चलकर इस तरह का वह षड्यंत्र किया गया, जे.डी.ए. के अधिकारियों ने उसको दूर किया है। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान** : मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें, मूर्ति पधराने से भू-माफियाओं को क्या फायदा था?

**श्री संयम लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, फिर आप यह बताएं कि क्या वहां पर आर.एस.एस. की शाखा नहीं लगती? आर.एस.एस. की शाखा नहीं लगती है क्या वहां पर? यह मेरे पास फोटो है, मंदिर का फोटो है मेरे पास। (व्यवधान)

**श्री ओम बिरला** : कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा बिना सरकार की अनुमति के नहीं बन सकता। (व्यवधान) मंदिर के नाम से भू-माफियाओं का कब्जा नहीं होगा। (व्यवधान)

**श्री लालचन्द कटारिया** : माननीय अध्यक्ष महोदय, सात वर्ष पुराना मंदिर था यह...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : आज मंदिर की प्रतिमा उस पर स्थापित है...

**श्री लालचन्द कटारिया** : सात साल पुराना मंदिर था जिसको तोड़ा गया है...। (व्यवधान)

**श्री प्रतापसिंह सिंघवी** : खुले मैदान में शाखा लगाना कोई अपराध नहीं है।

**श्री ओम बिरला** : मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारे के लिए सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है, माननीय सदस्य । (व्यवधान)

**श्री प्रतापसिंह सिंघवी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, खुले मैदान में शाखा लगाना...

**श्री लालचन्द कटारिया** : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सात साल पुराना मन्दिर था जो तोड़ा गया है हनुमान नगर ई ब्लाक में। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : मंत्रीजी कुछ बोल रहे हैं, आप सुनना नहीं चाहते। मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : एक मिनट, कटारियाजी बोल रहे हैं, कटारियाजी। अशोक, कटारियाजी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री बद्रीलाल जाट** : ऐसे लोगों से आर.एस.एस. की शाखा कभी रुकने वाली नहीं है ।

**श्री अध्यक्ष** : कृपया आप स्थान ग्रहण करें।

**श्री बद्रीलाल जाट** : आर.एस.एस. तो जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा।

**श्री संयम लोढ़ा** : बहुत अच्छा। कटारियाजी।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी कुछ कहना चाह रहे थे, आपके पास मंदिर का यदि...(व्यवधान)

**श्री लालचन्द कटारिया** : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मैं कहना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, नहीं, मुझे बीच में नहीं यदि आपके पास मंदिर का..

**श्री अशोक (खण्डार)** : सैकड़ों, हजारों लोगों ने धरने दिये हैं, आक्रोश से आंदोलन कर रहे हैं, महिलाएं धरने पर बैठी हुई हैं, अध्यक्ष महोदय..

**श्री अध्यक्ष** : कोई फोटो हो तो दीजिये यहां पर। (व्यवधान)

**श्री ओम बिरला :** माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने मन्दिर बनाने की इजाजत दी थी क्या? (व्यवधान)

**श्री अशोक (खंडार) :** कौन भू-माफिया है? कोई भू-माफिया नहीं है।

**श्री ओम बिरला :** एक क्वेश्चन माननीय सदस्य से पूछ लें, क्या सरकार की इजाजत थी?

**श्री अध्यक्ष :** बैठिये, बैठिये।

**एक माननीय सदस्य :** आर.एस.एस. की शाखा चलती है तो उनको क्यों जलन होती है?

**श्री अध्यक्ष :** मन्दिर का कोई चित्र आपके पास हो, फोटो हो, दे दीजिये।

**श्री लालचन्द कटारिया :** है न।

**श्री अशोक (खण्डार) :** टेबल करेंगे, रखो।

**श्री लालचन्द कटारिया :** माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

**श्री अशोक (खण्डार) :** धरने दिये हैं।

**श्री लालचन्द कटारिया :** माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मन्दिर पिछले सात साल से बना हुआ है और हर साल पौष-बड़ों का आयोजन होता है। (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आर.एस.एस. को जमीन देने के लिए मंदिर तोड़ा है, हमारा आरोप है कि इन्होंने आदर्श विद्या मन्दिर को वह जमीन देने के लिए हनुमान नगर के मन्दिर को तोड़ा है (व्यवधान)

**श्री लालचन्द कटारिया :** मंत्रीजी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले सात साल से बना हुआ है यह मंदिर, हर साल वहां पौष-बड़ों का आयोजन होता है और वहां विकास समिति बनी हुई है। (व्यवधान) पास में वैशाली नगर थाना बसा हुआ है...(व्यवधान)

**श्री जुबेर खान :** आदर्श विद्या मंदिर को भूमि देने के लिए आप... (व्यवधान)

श्री लालचन्द कटारिया : यह मन्दिर सात साल पुराना है... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : ऐसे कुछ नहीं पा सकते हो। (व्यवधान)

श्री लालचन्द कटारिया : सात साल पुराना मंदिर है और इसके पास में एक सैयद का मंदिर है जिसकी...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक : आर.एस.एस. नहीं होता तो आप लोग भी नहीं होते।

एक माननीय सदस्य : इस भावना में मत रहना कतई, हां।

श्री अध्यक्ष : यह तो मन्दिर तो बना हुआ नहीं है मगर हनुमानजी की मूर्ति है वह रखी हुई है चबूतरे पर...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, चारदीवारी पूरी बनी हुई है और इस कालोनी में अभी मकान नहीं बने हैं। (व्यवधान)

श्री अशोक (खण्डार) : महोदय, चारदीवारी बनी है। मैं एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए गया था। यह दौरा करके आये हैं।

श्री संयम लोढ़ा : अभी इस कालोनी में पूरे मकान भी नहीं बने। सात साल से यह प्रतिमा यों की की यों लगी है, कटारियाजी यहां के विधायक हैं, आप पूछ लीजिये, खुद कितनी बार गये। (व्यवधान)

श्री लालचन्द कटारिया : ऐसा है, माननीय अध्यक्ष महोदय.. (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : इस तरह के अगर धर्मविरोधी कृत्य करेंगे तो हनुमानजी आपकी सरकार..

श्री लालचन्द कटारिया : जिस दिन यह मन्दिर तोड़ा गया उस दिन... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह ध्यान रख लेना आप लोग। आप यह बहुमत के घमण्ड में...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कौन-से नियम में बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन यह मंदिर तोड़ा गया उस दिन लोग इकट्ठे हुए। सबसे पहले मैं वहां गया

(श्री लालचन्द कटारिया)

था। मैंने वहां मंदिर की मूर्ति और जिस मंदिर में पूजा हो रही है.. एक मिनट सुन तो लें। हनुमानजी के मंदिर में घंटा, उसका डंडा और जो पुजारी का सामान था, वह खुद-बुर्द किया हुआ था। मैं एक और बता दूं कि यह जो जमीन है, इसमें एक साठ साल पुराना सैयद का मंदिर और है वहीं पड़ोस में, जहां मुसलमान भाई आज भी आस्था रखते हैं और मन्नत मांगने जाते हैं। इनके अधिकारयों ने साढ़े चार बजे इस मंदिर को तोड़ा है, पूरा लवाजमा इनके साथ था। वहां जो कुछ लोग रह रहे थे, जो रोड्स पर काम करते हैं, मजदूर थे, उन्होंने विरोध किया तो उनकी औरतों को और उनके बच्चों को पीटा तक गया। वैशाली नगर थाने की पूरी फोर्स भी उनके साथ में थी। यह मंदिर सात साल पुराना है, हर साल वहां पौष-बड़ों का आयोजन होता है, आप चाहें तो उनके फोटो भी मेरे पास हैं। हर साल वहां पौष-बड़ों का आयोजन होता है, वहां विकास समिति बनी हुई है। यह जरूर है, यह सही है कि आदर्श विद्या मंदिर स्कूल चलती है और उस स्कूल को जमीन देने के कारण माननीय मंत्रीजी के आदेश से मंदिर तोड़ा गया। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** 295 पढ़े । (व्यवधान)

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी :** माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो शिकायत हुई है, जो भी कार्यवाही हुई है वहां, हनुमान नगर के जो अध्यक्ष हैं विकास समिति के, उनकी शिकायत पर ही यह कार्यवाही हुई है। वहां की कालोनी में जो लोग हैं, उनकी शिकायत के बाद यह कार्यवाही की गई है। मैं माननीय सदस्यों से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि अवैध अतिक्रमण के लिए एक मार्च से लेकर पन्द्रह मार्च तक सरकार अभियान चला रही है, मैं आप सब लोगों का...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा :** आप क्या कहना चाह रहे हैं, हनुमानजी अवैध हैं? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मंत्रीजी, क्या कहना चाह रहे हैं आप?

**श्री अशोक (खण्डार) :** हम मंदिर वहीं बनाएंगे।

**श्री प्रताप सिंह सिंघवी :** अवैध अतिक्रमण हटाने के मामले में सरकार का सहयोग करें।

**श्री अशोक (खण्डार) :** अगर आप राम मंदिर चाहते हैं तो हम हनुमान मंदिर...

**श्री संयम लोढ़ा :** शर्म आनी चाहिए इस सरकार को +++ (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** मंत्रीजी को बोलने दीजिये।

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़ :** +++ ....(व्यवधान)

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित :** हमारी भावनाओं को ठेस नहीं पहुचाएं...

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़ :** +++ आप क्या जानो हनुमानजी के बारे में, क्या होते हैं हनुमानजी (व्यवधान)

**श्री अशोक (खण्डार) :** मन्दिर वहीं बनाएंगे, आप रोक लो। (व्यवधान)

**डा. भंवरलाल राजपुरोहित :** यह धार्मिक उन्माद फैलाना...

**श्री संयम लोढ़ा :** आप यह घोषणा करो कि प्रतिमा की स्थापना वापस करवाएंगे।

**प्रो. बीरूसिंह राठौड़ :** +++ वह हनुमानजी के बारे में क्या जानें।

**श्री ओम बिरला :** इनको कब से मंदिर की चिंता होने लगी? अभी तो प्रतिपक्ष के नेता कह रहे थे कि दिल्ली से पत्र आया...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा :** आप यह कहिये कि वह मंदिर में उसी जगह पर प्रतिमा स्थापित करवाएंगे। (व्यवधान)

**श्री अशोक (खंडार) :** यह हमारी मांग है, चांहे अनशन करना पड़े, धरना देना पड़े। (व्यवधान)

**श्री सांगसिंह भाटी :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि भू-माफिया हैं, उन भू-माफियाओं की जांच कराई जाए। हो सकता है जो ज्यादा यह बोल रहे हैं माननीय सदस्य, भू-माफियाओं से मिले हुए हों। इसकी जांच होना अति आवश्यक है। करोड़ों रूपये की जमीन राज्य सरकार की है। यह जो वकालत करते हैं मंदिर के नाम से, यह हो सकता है जांच में, इन्वाल्व हों भू-माफियाओं के साथ में। इसलिए उठाते हैं यह मुद्दे, इनकी जांच होना अति आवश्यक है। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा :** आपकी मुख्य मंत्री लगी हुई हैं पन्द्रह महीने से हमारी जांच करने में और कुछ नहीं ...

**एक माननीय सदस्य** : यह मंदिर के नाम से वोट लेने वाली सरकार इस कदर मंदिर को तोड़कर... (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : तो चढ़ा देना फांसी पर आपका राज हो तो (व्यवधान)

**श्री अशोक (खंडार)** : पूरे देश को तबाह करने में लगे हैं आप और हनुमानजी के लिए एक छोटी-सी जगह नहीं देना चाहते। कौन भू-माफिया वहां पर दुकान खोलेगा? कौन वहां पर कोई भूखण्ड बनाएगा?, कोई नहीं बनाएगा।

**(13.50 बजे)**

**(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)**

हम मंदिर चाहते हैं, हनुमानजी की पूजा अर्चना करना चाहते हैं और अगर हमारा मंदिर नहीं बना, हम धरने पर बैठेंगे। आओ, चलो। (व्यवधान)

**श्री लालचन्द कटारिया** : झूठे भगवा वस्त्र पहन रखे हैं, यह डाल रखे हैं, थोड़ी तो शर्म करो। +++(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

**श्री रामप्रताप कासनिया** : हनुमानजी तो पांच फीट में ही रह सकते हैं, बीस हजार गज जगह का क्या करोगे। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण करें।

**श्री देवीशंकर भूतड़ा** : ...(व्यवधान)...प्रतिपक्ष के नेता को इंगित कर रहे थे।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य।

**श्री बंशीलाल खटीक** : थोड़ी देर पहले तो धर्मान्तरण को सपोर्ट कर रहे थे, ये +++ अब ऐसे बोलने लग गये। अभी तो धर्मान्तरण को सपोर्ट कर रहे थे ये लोग और अभी +++ लोग ऐसे बोलने लग गये (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता प्रतिपक्ष)** : उपाध्यक्ष महोदय, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने हनुमान नगर विस्तार में सुविधा की जगह पर मंदिर तोड़ने की बात की जो सात वर्ष पुराना था। मैं स्वायत्त शासन मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि ये मंदिर कितना पुराना था? क्या सात वर्ष से वहां पूजा-अर्चना हो रही थी? यदि हो रही थी तो आपने

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

क्या उसे आदर्श विद्या मंदिर को अलाट करने की कोई योजना बना रखी है या उसको देने के लिए इसको तोड़ा है? इसको स्पष्ट करें।

**श्री प्रतापसिंह सिंघवी** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के विपक्ष के नेता को बताना चाहूंगा कि ये मंदिर कोई पुराना नहीं बना था । हनुमान नगर विकास समिति के अध्यक्ष और वहां के निवासियों ने यह शिकायत की उसके आधार पर चबूतरा तोड़ा गया।

**श्री संयम लोढ़ा** : आप गलत जानकारी दे रहे हैं। कल पचास लोग मेरे घर पर रात को आये हैं जिसमें विकास समिति के अध्यक्ष शामिल हैं, उस इलाके के पार्षद शामिल हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं। आप सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान)

**श्री लालचन्द कटारिया** : मंत्री महोदय, आप हनुमान नगर विकास समिति के अध्यक्ष का नाम बता दें। मंत्री महोदय, आप विकास समिति के अध्यक्ष का नाम बता दें।

**एक माननीय सदस्य** : ज्यादा मंदिर की पैरवी करोगे तो दिल्ली में सी.आर. खराब हो जाएगी...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय मंत्री महोदय ।

**श्री लालचन्द कटारिया** : आप विकास समिति के अध्यक्ष का नाम बता दें, माननीय मंत्री महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप पहले शांतिपूर्वक सुनिये। आप नहीं सुनना चाहते तो मंत्री महोदय जवाब नहीं देंगे।

**श्री संयम लोढ़ा** : जवाब देना पड़ेगा इनको।

**श्री लालचन्द कटारिया** : विकास समिति के अध्यक्ष का नाम बता दो, मंत्री महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष** : बीच में नहीं टोक सकते हो आप।

**श्री संयम लोढ़ा** : कोई धर्म पर इनका अकेले का ठेका लिया हुआ नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष** : आप बीच में नहीं बोल सकते। आप बाद में कहना। प्रतिपक्ष के नेता ने पूछा है।

**श्री देवीशंकर भूतड़ा** : उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने तो पहले तय किया हुआ है उनसे कि यहां पर आकर धरने पर बैठेंगे। (व्यवधान)

**श्री लालचन्द कटारिया** : राम का नाम लेते हो, शर्म करो थोड़ी बहुत (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : हम तो गोली खाएंगे गोली, आप धरने की बात कर रहे हैं।...(व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य** : बजरंग विरोधी सरकार।

**श्री संयम लोढ़ा** : हम तो छाती पर गोली खाएंगे आप धरने की बात कर रहे हो।

**श्री देवीशंकर भूतड़ा** : यह ...(व्यवधान)...आप में नहीं है आपने दलाली करने का ठेका लिया हुआ है और वो ठेका लेकर बैठेंगे।

**श्री लालचन्द कटारिया** : ऐसा है, जब हनुमानजी का घोटा घूमेगा तब पता चलेगा आपको

**श्री ओम बिरला** :...(व्यवधान)...पहले चर्च में जा रहे थे अब मंदिर पर चर्चा कर रहे हो।

**श्री देवीशंकर भूतड़ा** : प्रतिपक्ष के नेता को भी ये गाइड कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वो गाइड नहीं हो रहे हैं, ये गाइड कर रहे हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, अब अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

**श्री देवीशंकर भूतड़ा** : ठेका लिया हुआ है इन्होंने।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

**श्री ओ.पी. महेन्द्रा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो ये क्रिश्चियंस का सपोर्ट कर रहे थे, अब मंदिर की बातं कर रहे हैं। सोनियाजी पार्टी से निकाल देंगी आपको (व्यवधान; चारों धर्म नहीं, सातों धर्म मानेंगे ।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य ... (व्यवधान)..

**(अनेक प्रतिपक्षी माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)**

(श्री उपाध्यक्ष)

माननीय सदस्य, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्राप्त सूचनाएं (व्यवधान)...श्री अर्जुन लाल जीनगर।

**श्री रामप्रताप कासनिया :** मंदिर से क्या लेना-देना, मामला कोई और है, गम्भीर है यह मामला, जांच होनी चाहिए इसकी।

**श्री संयम लोढ़ा :** ठीक है, विधान सभा की एक कमेटी बना कर कराएं जांच।

**श्री रामप्रताप कासनिया :** मंदिर की चिंता नहीं है, हनुमानजी की चिंता नहीं है, मामला कोई और है। बहुत जोर से पैरवी कर रहे हैं, इसका मतलब...(व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य ।

**श्री जुबेर खान :** उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं । जवाब दीजिये...(व्यवधान)...इस जमीन को आदर्श-विद्या मंदिर को देने का विचार तो नहीं है आपका?

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, इसमें बहस नहीं होगी। इसमें बहस अलाउ नहीं करूंगा मैं। माननीय मंत्री महोदय, ज्यादा इसमें आवश्यकता नहीं है।

**श्री प्रतापसिंह सिंघवी :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरी बात तो सुनें।

**श्री उपाध्यक्ष :** इसमें आवश्यकता नहीं है। श्री रामलाल शर्मा।...(व्यवधान)...आप बैठ जाइये। नहीं, नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगा।

**डा. बुलाकीदास कल्ला :** उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जवाब देना चाह रहे हैं और आप बोलने नहीं दे रहे हैं। मंत्रीजी जवाब देना चाहते हैं और आप नहीं दिलवाना चाहते हैं, यह क्या बात हुई ?

**श्री उपाध्यक्ष :** यह कोई चर्चा का विषय नहीं है। आपको दो मिनट बोलने का मौका दिया है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला :** उपाध्यक्ष महोदय जो, प्रश्न पूछे गये हैं उनका जवाब देना पड़ेगा...(व्यवधान)...आप जवाब दिलवाइये।

**श्री खुशवीरसिंह जोजाबर** : प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो प्रश्न किये हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनका मंत्रीजी को जवाब देना पड़ेगा।

**श्री जुबेर खान** : आप जवाब दिलवाइये...।(व्यवधान)...

**श्री खुशवीरसिंह जोजावर** : मंत्रीजी को जवाब देना पड़ेगा +++

**डा. बुलाकीदास कल्ला** : आप देना चाहते हो जवाब?

**श्री उपाध्यक्ष** : नेता प्रतिपक्ष, आपका जवाब दे रहे थे तो बीच में क्यों...(व्यवधान)...

**डा. बुलाकीदास कल्ला** : मंत्री महोदय जवाब देना चाह रहे हैं।

**श्री जुबेर खान** : मंत्री महोदय जवाब देना चाह रहे हैं।

**श्री खुशवीरसिंह जोजावर** : जवाब देना पड़ेगा।

**श्री उपाध्यक्ष** : चर्चा समाप्त।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** : आप किसी संस्था को लाभ पहुंचाचने के लिए मंदिर तोड़ रहे हैं, आपकी क्या फिलासफी है? एक तरफ मंदिर के नाम पर वोट ले रहे हैं, दूसरी तरफ मंदिर को तोड़ रहे हैं, यह क्या फिलासफी है आपकी?

**श्री उपाध्यक्ष** : आपको दो मिनट का समय दिया गया था, माननीय सदस्य, उस पर चर्चा संभव नहीं होती है।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** : हां तो वो जवाब देना चाहते हैं, जवाब देने दीजिये।

**श्री जुबेर खान** : पिन पाइंटेड सवाल है...(व्यवधान)...

**श्री लालचन्द कटारिया** : मंदिर के नाम पर वोट लेने वालों, थोड़ी शर्म करो। (व्यवधान).. थोड़ी शर्म करो, मंदिर के नाम पर वोट लेने वालों... (व्यवधान)

**(अनेक प्रतिपक्षी माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारबाजी)**

**श्री जुबेर खान** : आप जवाब दिलवाएं मंत्रीजी से...(व्यवधान)

**श्री रामप्रताप कासनिया** : यों तो, उपाध्यक्ष महोदय, कोई चौड़ा

(श्री रामप्रताप कासनियां)

रास्ता के बीच में मंदिर बना कर खड़ा हो जाएगा। यह क्या तरीका है? आप तो विधान सभा के अन्दर भी कह दोगे कि यहां मंदिर बना लिया है, यह तरीका है? .. (व्यवधान) ...

**श्री सी.डी. देवल :** उपाध्यक्ष महोदय, वो जवाब दे रहे हैं इसमें आसन को क्या एतराज है, यह समझ में नहीं आ रहा है। अगर माननीय मंत्रीजी जवाब नहीं दें तो सोचने की बात है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें आपको क्या एतराज है?

**श्री ओम बिरला :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय,...(व्यवधान)...माननीय सदस्यों को भी मंदिर की चिंता होने लगी है। यह तो बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप।

**श्री सी. डी. देवल :** जब माननीय मंत्रीजी जवाब देना चाहते हैं... (व्यवधान)...आसन को तो इसका एतराज नहीं होना चाहिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप अपना..

**श्री सी. डी. देवल :** आपको तो इसका एतराज नहीं होना चाहिए। वो जवाब दे रहे हैं, आप उनको क्यों रोक रहे हो?...(व्यवधान)

**श्री ओम बिरला :**...(व्यवधान) ....माननीय उपाध्यक्ष महोदय... (व्यवधान) सलाह देनी चाहिए कि रामलला का मंदिर अयोध्या में बने।... (व्यवधान)...

**(अनेक प्रतिपक्षी माननीय सदस्यों द्वारा सदन में नारेबाजी)**

**(अध्यक्षपीठ ने संकेत द्वारा अंकित नहीं करने का आदेश दिया)**

**श्री ओम बिरला :** xxx

**श्री संयम लोढ़ा :** xxx

**श्री लालचन्द कटारिया :** xxx

**श्री उपाध्यक्ष :** आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

**श्री सी. डी. देवल :** xxx

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप बात सुनिये पहले। आप बात सुनिये पहले, माननीय सदस्य । वो जवाब दे देंगे।

माननीय सदस्य, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को दो मिनट बोलने का मौका दिया गया था और माननीय सदस्य बोल लिये। उसके बाद में जवाब भी आ चुका है। सारे प्रश्न भी पूछ चुके हैं इस पर मैं ज्यादा चर्चा के लिए अनुमति नहीं दूंगा और न ही दी जा सकती।.. (व्यवधान) .. आपकी मर्जी है। सदन की कार्यवाही आगे शुरू हो गयी है। इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। नहीं होगी चर्चा इस पर। नहीं।

**श्री अमराराम (धोद) :** xxx

**श्री ओम बिरला :** xxx

**श्री उपाध्यक्ष :** यह कोई तरीका नहीं है।

**श्री रघुवीरसिंह मीणा :** xxx

**श्री उपाध्यक्ष :** नहीं, नहीं, यह कोई तरीका नहीं है।

**श्री रघुवीरसिंह मीणा :** xxx

**श्री उपाध्यक्ष :** आप बीच में काहे के लिए ? आप सुनना ही नहीं चाहते। आप जवाब सुनना ही नहीं चाहते, मत सुनिये।

**श्री रघुवीरसिंह मीणा :** xxx

**श्री रामप्रताप कासनिया :** xxx

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री रामलाल शर्मा।

माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। नहीं माननीय सदस्य, आप बैठ जाइये। ऐसे नहीं चलेगा हाउस। (व्यवधान)...माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।..(व्यवधान) आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये... (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये।

**श्री अशोक बैरवा "खण्डार" :** xxx

**श्री संयम लोढ़ा :** xxx

**श्री रामप्रताप कासनिया :** xxx

(14.00 बजे)

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य, मैंने 295 की प्रक्रिया की कार्यवाही शुरू कर दी है, अब बीच में आप दखल नहीं करेंगे। आप बैठिए।

**डा. बुलाकीदास कल्ला :** उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से हमने प्रश्न किया उसका जवाब दे रहे थे, जवाब दे दें।

**श्री उपाध्यक्ष :** फिर बीच में क्यों बोल रहे थे?

**डा. बुलाकीदास कल्ला :** नहीं बोलेंगे, आप जवाब दिलवा दें।

**श्री उपाध्यक्ष :** जवाब आ गया, आप नहीं सुनना चाहते।

**डा. बुलाकीदास कल्ला :** मंत्रीजी जवाब देना चाहते हैं, आप रोक नहीं सकते।

**श्री उपाध्यक्ष :** आपके सदस्य सुनना नहीं चाहते।

**डा. बुलाकीदास कल्ला :** आप मंत्रीजी से पूछ लें वे जवाब देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। तो क्या समझें कि आर.एस.एस. को जमीन देने के लिये मंदिर को तोड़ा है? आदर्श विद्या मंदिर को जमीन देने के लिये मंदिर को तोड़ा है, यह साफ हो जाएगा।

**श्री उपाध्यक्ष :** वह जवाब दे रहे हैं, बीच में क्यों बोल रहे हैं ?

**डा. बुलाकीदास कल्ला :** जवाब देने दो।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

**श्री अमराराम (धोद) :** xxx

**डा. जालमसिंह रावलोत :** xxx

**श्री बंशीलाल खटीक :** xxx

**श्री ओम बिरला :** xxx

**श्री बंशीलाल खटीक :** xxx

**श्री सी.डी. देवल** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय कल्लाजी, आपने जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब दे रहे हैं, नहीं सुनना चाहते हैं? बीच में क्यों खड़े हो गये आप?

**डा. बुलाकीदास कल्ला** : नहीं, सुन लेंगे।

**श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक मंत्री)** : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन नियम और प्रक्रियाओं से चलता है। आपने दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकार लिया, बिजनेस आगे ले लिया, प्रतिपक्ष के नेता की सम्पत्ति नहीं है यह सदन के बीच में खड़े हो जाएं। आपने निर्देश प्रदान कर दिया। यह कोई बात थोड़े ही है, कोई नियम होंगे। (व्यवधान) आज जिस तरह से लोकतंत्र का मखौल कर रहे हैं...(व्यवधान) लोकतंत्र का मखौल कर रहे हो आप, राजस्थान की जनता आपको देख रही है।

**श्री अमराराम (धोद)** : xxx

**श्री रामचन्द्र सराधना** : xxx

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, पूरा राजस्थान इस सदन को देख रहा है और प्रतिपक्ष के आचरण को भी देख रहा है। राजस्थान के गरीब लोगों की चर्चाएं होतीं तो समझ में आता। इतनी देर हो गई, सदन को सम्पत्ति बना रखा है। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : xxx

**श्री भवानीसिंह राजावत** : xxx

**श्री ओम बिरला** : xxx

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन इस तरह चलेगा? इस तरह से सदन चलेगा?

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य (व्यवधान) आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री रामलाल शर्मा। (व्यवधान) मैंने नाम पुकार लिया है।

**श्री संयम लोढ़ा :** xxx

**श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम...(व्यवधान)

**श्री बंशीलाल खटीक :** xxx

**श्री भवानीसिंह राजावत :** xxx

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री रामलाल शर्मा।

**श्री संयम लोढ़ा :** xxx

# नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

## कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु लाइन खींचने में पेश कठिनाइयों का निवारण

**श्री रामलाल शर्मा (चौमूं) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया नियम 295 के तहत चौमूं विधानं सभां क्षेत्र में सैकड़ों किसानों के लाखों रुपये के मांग पत्र जमा कराने के महीनों बाद भी विद्युत कृषि कनेक्शन नहीं होने के सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, समाज के अंतिम छोर की स्थिति वाला किसान लगभग 15 वर्ष पूर्व एक सपना देखता है कि मेरे खेत में भी कुआं बने तथा उस कुएं में एक विद्युत कनेक्शन हो जिससे मैं भी अपने परिवार की सुख-सुविधा बढ़ा सकूं तथा समाज की मुख्य धारा में आकर खड़ा हो सकूं।

उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन 15 वर्षों बाद उसे सूचना मिलती है कि आपका विद्युत कनेक्शन का विभाग द्वारा मांग पत्र जारी किया गया है, जब वह उस कुएं की स्थिति को देखता है तब तक कुएं का पानी सूख जाता है। लाखों रुपये का कर्जा लेकर नये बोरिंग का निर्माण कराता है तथा हजारों रुपये एकत्रित करके विद्युत विभाग का मांग पत्र जमा कराता है।

महोदय, एक गरीब किसान लाखों रुपयों के कर्ज में डूबकर अपने परिवार को आगे बढ़ाने का सपना देखता है लेकिन उसका सपना तब टूटता हुआ नजर आता है जब उसके परिवार के सदस्य या पड़ोसी के द्वारा अपने खेत में लाइन जाने से मना कर दिया जाता है। विभाग द्वारा यह कह दिया जाता

(श्री रामलाल शर्मा)

है कि आप अपने पड़ोसी से सहमति शपथ पत्र लाकर दें तब आपकी लाइन खींची जाएगी। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी लगभग 270 विद्युत कृषि कनेक्शन ऐसे हैं जिनमें लाखों रुपये के मांग पत्र जमा होने के बावजूद भी कनेक्शन नहीं हो सके।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि सदन द्वारा ऐसे नियम बनाये जाएं जिसमें सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता की मौका स्थिति की रिपोर्ट यह बताती है कि लाइन खींचने से परिवार के सदस्य या पड़ोसी को कोई नुकसान नहीं होता तो ऐसी रुकी हुई लाइनों को सम्पूर्ण प्रदेश में अभियान चलाकर खींची जाए जिससे किसानों की समस्या का समाधान हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अर्जुनलाल जीनगर।

## गंगरार विधान सभा क्षेत्र की गिट्टी सड़कों का डामरीकरण

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के नियम एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान निम्न बिन्दुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

(1) राजस्थान की समस्त गिट्टी सड़कों को डामरीकरण में निर्माण करने की योजना प्रथम चरण व दूसरे चरण की बनाई गई है।

(2) गंगरार विधान सभा की निम्न गिट्टी सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्ताव में नहीं लिया गया है। अत: मेरा अनुरोध है कि निम्न गिट्टी सड़कों को इसी वर्ष डामरीकरण में निर्माण के लिये राशि स्वीकृत कराने का श्रम करें :-

1. सड़क लालपुरा
2. भालोटा की खेड़ी से बूढ सड़क
3. सम्पर्क सड़क पुठवाडिया
4. बाइपास रोड राशमी
5. सम्पर्क सड़क मेदखेड़ी
6. सम्पर्क सड़क करिथड़ा

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

7. सम्पर्क सड़क कानपुरा दोवनी

8. चौगावड़ी से सारण सड़क

9. सम्पर्क सड़क उण्डवा

श्री उपाध्यक्ष : श्री बीरूसिंह राठौड़।

## जयपुर के अमानीशाह नाले का सर्वे तथा इसकी चौड़ाई

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि गुर्जर की थड़ी से किरण पथ, मानसरोवर को जोड़ने वाली सड़क से शहर से बहकर आने वाले गंदे नाले देवरी तक , शांति नगर, प्रेमनगर (द्वितीय), अशोक विहार एवं गोविन्द विहार विस्तार आदि कालोनियां विकसित हो चुकी हैं जो कि टैक्नोलोजी पार्क के पीछे स्थित हैं। इनमे हजारों मकान पूर्ण रूप से बन चुके हैं तथा इन सब के पास सोसायटी के पट्टे हैं। इन कलोनियों में से खसरा नं. 355 व 362 की जमीन की 90(बी) की कार्यवाही भी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 31.12.2001 को की जा चुकी है तथा कई कालोनियों का नियमन भी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा चुका है। यह कि गुर्जर की थड़ी से किरण पथ, मानसरोवर को जोड़ने वाली सड़क पर निर्मित पुलिया को सेंटर मानकर अमानीशाह नाले का डिमार्केशन किया जाना चाहिये था जबकि वर्तमान में डिमार्केशन में प्रभावशाली व्यक्तियों को बचाने के लिये जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित पुलिया को छोड़कर नाले का रुख आबादी क्षेत्र की तरफ करके नाले का आकार यू-शेप में बना दिया गया है। जबकि बाढ़ का पानी का बहाव कभी भी यू-शेप में नहीं होता। बी.पी.सी. व पी.डब्ल्यू.सी. की मीटिंग में अमानीशाह नाले की चौड़ाई 150 फीट रखी गई थी जिसकी पुष्टि राज्य सरकार की स्वीकृति के द्वारा की गई है। वर्तमान में यह चौड़ाई 600 फीट की जा रही है जो कि नियमानुसार गलत है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित पुलिया का निर्माण बहाव क्षेत्र के आधार पर किया गया था। बहाव क्षेत्र मोड़ देने के कारण आस-पास के हजारों मकानों के टूटने की आशंका हो गई है। सिंचाई विभाग द्वारा सन् 2001 के सर्वे के आधार पर अधिसूचना जारी होने की सम्भावना है, जबकि आज की स्थितियां भिन्न हैं। अत: जन-

(प्रो. बीरूसिंह राठौड़)

हित को देखते हुए पुन: नये सिरे से अमानीशाह नाले का सर्वे करवाकर ही अधिसूचना जारी करवाने का श्रम करें। वर्तमान में शहर से बहकर आने वाले गंदे नाले की चौड़ाई पांच बत्ती से लेकर करतारपुरा तक लगभग 60-70 फुट है जिसमें शहर का गन्दा पानी व बरसात का पानी आता है। वर्तमान में गलत रूप से किये गये डिमार्केशन को निरस्त कर सी-स्कीम के नाले की चौड़ाई के अनुसार ही अमानीशाह नाले की चौड़ाई का निर्धारण जे.डी.ए. एवं आवासन मण्डल की वर्तमान में खाली पड़ी खसरा नं. 416, 586, 417, 418, 419 और 420 की जमीन में से किया जाए।

यदि इसी नाले को आतिश मार्केट से गुर्जर की थड़ी के पास गंदे नाले की पुलिया में जोड़ दिया जाए तो इसकी लम्बाई मात्र आधा किलोमीटर के लगभग रहेगी जिससे सरकार को करोड़ों रुपये की बचत हो सकती है। वर्तमान में ठेकेदार द्वारा भी मनमर्जी से नाले के डिमार्केशन पिलर लगभग 20-20 मीटर तक इधर-उधर कर दिये गये हैं जो कि गलत है।

अत: विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये माननीय अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि जनहित एवं राजहित में अमानीशाह नाले का पुन: सर्वे करवा सरकारी जमीन में से डिमार्केशन लिया जाए व नाले की चौड़ाई कम की जाए।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

## वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) :** नियम प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु व्यवस्था करने के लिए।

उपाध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज का महत्वपूर्ण अंग हैं। राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा इन्हें कई विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जिससे ऐसे लोगों को कोई परेशानी नहीं हो और वे भी समाज के उत्थान में अपने अनुभव से पूरा योगदान कर सकें।

इसी क्रम में मेरा यह सुझाव है कि राज्य सरकार द्वारा इनके स्वास्थ्य परीक्षण हेतु विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा परेशानी ही शारीरिक बीमारियां होती हैं। अस्पतालों में लम्बी लाइनों के

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कारण इनको अपने स्वास्थ्य के परीक्षण में बहुत कठिनाई होती है। इसके अतिरिक्त वृद्ध लोगों को कई प्रकार की शारीरिक बीमारियां होती हैं जिनके इलाज के लिए अलग-अलग विशेषज्ञ होते हैं। ऐसे लोगों के लिए अलग-अलग जगह पर विशेषज्ञों को दिखाना भी सम्भव नहीं होता। मेरा यह सुझाव है कि ऐसे लोगों के लिए एक ही छत के नीचे विशेषज्ञ जांच सुविधा मुहैया करवाने की विशेष व्यवस्था की जाए। इस हेतु प्रथम चरण में सभी मेडिकल कालेज अस्पतालों में एक दिन नियत कर दिया जाए और उस दिन सभी विशेषज्ञों को एक ही अस्पताल में निश्चित समय पर उपलब्ध रहने हेतु पाबंद कर दिया जाए। उसी दिन वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था वहां पर हो। दूसरे चरण में ऐसी ही व्यवस्था जिला अस्पतालों में की जा सकती है और अन्त में प्रमुख गांवों के अस्पतालों में यह व्यवस्था हो।

मुझे पूरा विश्वास है, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी मेरे इस सुझाव पर ध्यान देकर इस बारे में उचित व्यवस्था करेंगे जिससे कि समाज के इस अनुभवी वर्ग को लाभ मिल सके और समाज को भी ऐसे अनुभवी लोगों की सेवाऐ लम्बे समय तक मिल सकें।

**डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) :** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रखा है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं सीनियर सिटीजंस का फ्री इन्वेस्टिगेशन वैसे तो हम करते ही हैं परन्तु जिस तरह की लंबी कतारें लगती हैं वह पीड़ा बहुत सही है कि इतने बुजुर्ग आदमी को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक सोमवार सुबह 11 बजे से 1 बजे तक जहां भी स्पेशलिस्ट की सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन अस्पतालों में सोमवार का दिन तय कर देंगे, वहां पर उनका फ्री चैक अप, फ्री इन्वेस्टिगेशन, सारी व्यवस्थाए कर देंगे।

**मोहम्मद माहिर आजाद :** आजकल तो एम.पी. और एम.एल.ए. का नहीं हो रहा है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, विधायकों और सांसदों के भी पैसे लगते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** बड़ा अच्छा कदम...(व्यवधान)

**मोहम्मद माहिर आजाद :** पहले फ्री होता था अब आपने उनके वह लगा दिया, उसके भी पैसे लगते हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : अच्छी शुरूआत हो रही है, उसके आगे देखेंगे ।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा के भी और चिकित्सा मंत्री महोदय भी बैठे हुए हैं मैंने मेडिकल कालेज का भी सवाल रखा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपका सुझाव...(व्यवधान)

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** : इसमें कहीं कोई राजनीति नहीं है। इसमें कोई बात नहीं है, यह तो बुजुर्गों का है। मैं आपसे भी चाहूंगी कि घनश्यामजी तिवाड़ी भी इसके ऊपर कुछ अपना कहें।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री नवनीत नीनामा।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब दिलवाइये, मेडिकल कालेज का भी मैंने सवाल रखा है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : मंत्रीजी ने आपकी बात को सुना।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** : मैंने मेडिकल कालेज का भी रखा है। सभी को जाना पड़ता है। कल आप भी बुजुर्ग होंगे, सबको बुजुर्ग होना है। इसमें क्या बात हो गई? मेडिकल कालेज का भी सवाल रखा है।

**श्री हरिमोहन शर्मा** : नहीं, नहीं। बुजुर्ग तो हो गये, अब तो इलाज की जरूरत है।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** : उपाध्यक्ष महोदय, मेडिकल कालेज का भी रखा है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : हर सब्जैक्ट के ऊपर नहीं।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** : साहब, मैंने मेडिकल कालेज का रखा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आपके सुझाव को मानकर बहुत अच्छा कदम उठाया है।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** : इसमें कोई बुरी बात थोड़े ही है। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा** : माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, जवाब दीजिए।

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास :** वह जवाब देंगे, आप दिलवाएंगे तो जरूर देंगे। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री नवनीत नीनामा। माननीय सदस्या, स्थान ग्रहण कीजिए। श्री नवनीत नीनामा।

## माही बांध, बांसवाड़ा की दुकवाड़ा माइनर द्वारा 13673 बीघा जमीन को पानी

**श्री नवनीत नीनामा (घाटोल) :** उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत दुकवाड़ा माइनर द्वारा 13673 बीघा जमीन को पानी देने के सम्बन्ध में निवेदन है कि दक्षिणी राजस्थान जिला बांसवाड़ा में माही डैम की दाई मुख्य कैनाल से निकाली गई गांव दुकवाड़ा नाम की माइनर का कार्य वर्तमान समय में माही विभाग द्वारा चालू है तहसील घाटोल में मगर विभाग के अधिकारियों व ओवरसियरों द्वारा नहर के सम्बन्धित -

| क्र. सं. | गांव का नाम | काश्त की जमीन बीघों में वंचित रख दी है |
|---|---|---|
| | 1 | 2 |
| 1. | दुकवाड़ा | 2937 बीघा |
| 2. | बोरदा | 4734 बीघा |
| 3. | मोर | 2140 बीघा |
| 4. | चेकला | 0700 बीघा |
| 5. | मदनपुरा | 0300 बीघा |
| 6. | नागवला | 1500 बीघा |
| 7. | नजरपुरा | 0237 बीघा |
| 8. | परतापुरा | 0300 बीघा |
| 9. | सतरपुरा | 0300 बीघा |
| 10. | धाणीलाम्बापीपल | 0525 बीघा |
| | योग | 13673 बीघा |

चालू नहर निर्माण सर्वे से पानी पीपल से वंचित रह जाएगा। अत: मेरा माननीय सिंचाई मंत्री से व माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि मौके पर दुकवाड़ा नहर निर्माण का कार्य रुकवाया जाकर उक्त 10 गांवों की काश्त भूमि को पानी पीपत की सर्वे में लिया जावे, बाद में नहर निर्माण का कार्य कराया जाने की सूचना देता हूं।

मान्यवर, मौके पर ऐसी स्थिति है जो विभागीय अधिकारियों के द्वारा और ठेकेदारों के बीच में रकम मंजूर कर ली जाती है।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आपकी बात सुन ली।

**श्री नवनीत नीनामा :** आगे गांवों को ध्यान में नहीं रखा जाता और नहर का निर्माण कर दिया जाता है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आपने बता दिया। (व्यवधान)

**श्री नवनीत नीनामा :** वे गांव पानी से वंचित रह जाते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य।

**श्री नवनीत नीनामा :** इसलिए मेरा आग्रह है कि तत्काल जिला कलक्टर बांसवाड़ा को आदेश दिया जाए और उस नहर का दुबारा सर्वे कराया जाए।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आपने बता दिया । (व्यवधान)

**श्री नवनीत नीनामा :** जो पानी पीने के काबिल हैं उन गांवों को नहर के समीप लिया जाए, ऐसा मेरा आग्रह है।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आपका उल्लेख (व्यवधान) श्री सुरेन्द्र पारीक।

## सम्पदा विभाग द्वारा नजूल सम्पत्तियों के विक्रय में भेदभाव

**श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत सम्पदा विभाग द्वारा नजूल सम्पत्तियों के विक्रय में किये गये भेदभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है।

राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी नीति के तहत सम्पत्तियों के लिए नियम बनाये गये जिसमें किरायेदार अधिकृत/अनधिकृत एवं ट्रेस पासर अथवा

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

कब्जाधारियों को नजूल के मकानों के विक्रय का निर्णय लिया गया। इस पर सम्पदा विभाग एवं अपैक्स कमेटी विक्रय का निर्णय लेती है लेकिन अपैक्स कमेटी द्वारा समान प्रकरण होने पर भी नियमों की अलग-अलग व्याख्या करते हुए भेदभाव किया गया।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के कुछ प्रकरण प्रस्तुत कर रहा हूं :-

सम्पत्ति संख्या पी-91 चौकड़ी पुरानी बस्ती विधवा श्रीमती कुशल कंवर राठौर ने वर्ष 1982 से विभाग एवं मंत्री स्तर तक क्रय हेतु प्रार्थना पत्र दिये जिसे वर्तमान दरों पर करीब 20 साल तक परेशान करके गलत रूप से नियम विरुद्ध 5 वर्ष का बढ़ा हुआ किराया सूचित किया जबकि 3.2.1977 के नियमों में स्पष्ट उल्लेख है कि जो सम्पत्तियां बेचनी नहीं हैं उन्हीं से 5 साल का बढ़ा हुआ किराया लेना है।

इसी प्रकार का प्रकरण श्रीमती रामकन्या देवी जो पी-83 पुरानी बस्ती का है, जिसने क्रय हेतु प्रार्थना पत्र दिया, विभाग ने अपैक्स कमेटी के समक्ष रखे बिना ही प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत 25 प्रतिशत राशि का ड्राफ्ट वापस लेकर आज तक विक्रय पत्र नहीं दिया।

इसी प्रकार, मान्यवर, पी-76 के विक्रय हेतु अपैक्स कमेटी की बैठक संख्या 22 दिनांक 21.5.1990 के पैरा 12 पर दुर्गा कंवर को विक्रय हेतु निर्णय हुआ जिसमें 8,87,600/- रुपये जमा कराने हेतु 15 दिन का समय देते हुए पत्र दिया परन्तु दुर्भाग्यवश दुर्गा कंवर का देहान्त हो गया। राज्य सरकार के नियम 3.2.1977 के अनुक्रम में सभी किरायेदार/कब्जाधारियों का सीधा सम्बन्ध कब्जाधारी होने के कारण निर्विवाद वारिसान के रूप में इस मकान को क्रय का अधिकार हो गया। इसी अधिकार के तहत नियम दिनांक 3.2.1977 के आधार पर नियमानुसार राज्य सरकार की आरक्षित विक्रय राशि 8,87,600/- का 25 प्रतिशत जमा कराकर सभी कब्जाधारियों को पार्ट पोर्शन के अनुसार कीमत विभाग को सूचित करने का प्रार्थना पत्र समय सीमा में प्रस्तुत किया लेकिन यह प्रकरण आज तक सम्पदा विभाग में लंबित है। यह उल्लेखनीय है कि नियमानुसार इस सम्पत्ति की विक्रय राशि का 25 प्रतिशत जमा करवाकर शेष राशि किश्तों में जमा कराने की सुविधा ऐसे प्रार्थियों के लिये मान्य थी। विभाग द्वारा इस सम्पत्ति हेतु दस वर्ष तक 2,27000/- रुपये

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

का ड्राफ्ट जमा रखकर पुनः दस वर्ष बाद लौटाकर प्रार्थियों को ही दोषी माना गया जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। अपैक्स कमेटी की बैठक दिनांक 6.1.1982 के पैरा 10:11 पर जनानी डयोढ़ी के जिन मकानों को सरकार के लिये अनुपयोगी मानते हुए वर्तमान कब्जाधारियों को वर्तमान बाजार दर पर विक्रय करने का निर्णय लिया जा चुका था, इसी सूची में यह मकान भी शामिल था परन्तु सम्पत्ति पी-76 पर विभाग द्वारा 10 वर्षों तक ड्राफ्ट रोके रखने के बावजूद भी उपरोक्त कमेटी के निर्णय के अनुसार कोई न्याय नहीं किया गया, न ही प्रचलित बाजार दरों पर विक्रय करने का निर्णय किया गया। इसलिए समान प्रकार के प्रकरणों का निस्तारण करना चाहिए था या मंत्रिमण्डलीय उप समिति में रखा जाना चाहिए था। इस सम्बन्ध में लोकायुक्त महोदय ने भी विभाग के अधिकारियों को दोषी मानते हुए सरकार के चार सूत्री फार्मूले में पी-76 सम्पत्ति क्रय हेतु प्रार्थियों को पात्र माना है।

महोदय, मेरा सामान्य प्रशासन मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस प्रस्ताव में उल्लिखित प्रकरणों की जांच करवाकर कब्जेधारियों के साथ न्याय करने का श्रम करें। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष :** डा. जालमसिंह रावलोत।

## बाड़मेर व जैसलमेर जिले में पशु-चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति

**डा. जालमसिंह रावलोत (शिव) :** उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले पूरी तरह पशुपालन पर आधारित जिले हैं। इन जिलों में जनता के जीवन-यापन का आधार सदियों से ही पशुधन है। इस बार दुर्भाग्यवश ये दोनों ही जिले भयंकर सूखे की चपेट में हैं। पशुपालक अपने पशुधन को बचाने के लिये हर सम्भव प्रयत्न कर रहा है, साथ ही राज्य सरकार भी पशुधन के लिये चारा-पानी का प्रबन्ध कुशलतापूर्वक करने हेतु पूरे प्रयत्न कर रही है। पशुधन भी समय-समय पर विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो रहा है, इसका कारण सरकारी पशु चिकित्सालयों में विभिन्न प्रकार के पद वर्षों से ही रिक्त पड़े होना है। अब हमारी सरकार विभिन्न विभागों के रिक्त पद जब भर रही है तो बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले के विभिन्न पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरे जाएं ताकि अकालग्रस्त पशुपालकों को पशुधन

(डा. जालमसिंह रावलोत)

को बचाने में राहत मिल सके। बाड़मेर जिले में पशु चिकित्सा विभाग में सहायक निदेशक का एक, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के 5, पशु चिकित्सा अधिकारी के 12, पशुधन सहायक के 15, सईस के 47, सफाईकर्ता के 19 तथा इसी तरह जैसलमेर जिले में पशु चिकित्सा विभाग में उप निदेशक का एक, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के 3, पशु चिकित्सा अधिकारी के 7, पशु चिकित्सा सहायक के 5 तथा पशुधन सहायक के 3 पद, सईस के 7 तथा सफाईकर्ता के 10 पद रिक्त हैं। इनको शीघ्र भरा जाये।

इसी क्रम में बाड़मेर एवं जैसलमेर की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बाड़मेर जिले में गिरब, आरंग, खण्डाला, मुगेरिया, फोगेरि तथा जैसलमेर जिले में चेलक, मोढा, रप्यथा, नरसिंगों की ढाणी, बेरसियाला, सिहडादा फूलिया, छतागढ़, रासला, तेजपाला, दामोदरा, मौकला, पारेबर, खुईपाला, रायमेला, मोकला, पारेबर, अमरसागर, आसकन्दा तथा भैसड़ा में शीघ्र से शीघ्र पशु चिकित्सालय खोले जाएं ताकि पशुपालक जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष : श्री गोविन्दराम मेघवाल।**

## नोखा नगरपालिका क्षेत्र में रेहड़ी वालों को कियोस्क का आबंटन

**श्री गोविन्दराम चौहान (नोखा) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निम्नांकित विशेष उल्लेख प्रस्ताव पेश कर रहा हूं।

दिनांक 14.2.2005 से पान विक्रेता, रेहड़ी, खोखे वाले नगरपालिका, नोखा के सामने धरने पर बैठे हैं। पिछले डेढ़ वर्षों से जब से उन्हें हटा दिया गया है तब से वे आन्दोलित हैं। इन्होंने 3 बार धरने दिये हैं, इससे पहले 11.2.2004 को 3 दिन, 25.6.2004 को 8 दिन, एवं 28.12.2004 को 5 दिन। तीनों ही बार अनशन किये, धरने भी दिये। इनको आश्वासन दिया गया था नगर पालिका नोखा की तरफ से कि आपको कियोस्क बनाकर दिये जाएंगे। फलस्वरूप कियोस्क भी बने हैं लेकिन उसके बावजूद भी आबंटन नहीं किया जा रहा है। वे लोग अभी भी धरने पर बैठे हैं और भूखों मरने की स्थिति है। सरकार के पास इतने रोजगार के साधन भी नहीं हैं लेकिन चेयरमैन की

(श्री गोविन्दराम चौहान)

बदनीयती की वजह से उनको कियोस्क आबंटन नहीं किये जा रहे हैं। हम लोगों के दबाव से 25 तारीख तो रखी है लेकिन उसमें जो कियोस्क बने हैं, वे कम बने हैं, हमारा आपसे आग्रह है...

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, आप अपना लिखा हुआ पढ़ें।

**श्री गोविन्दराम चौहान :** चेयरमैन की नीयत ठीक नहीं है उसकी जांच की जाकर निलम्बित किया जा। दूसरी उनकी मांग यह भी है कि चेयरमैन भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनकी जांच लम्बित है, अतिशीघ्र जांच कर निलम्बित किया जाए। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष :** डा. ओ. पी. महेन्द्रा।

## गंगानगर शुगर मिल्स की नये स्थान पर स्थापना

**श्री ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर) :** उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विनम्र अनुरोध है कि गंगानगर शहर में गंगानगर शुगर मिल्स की अति पुरानी यूनिट लगी हुई है। यह यूनिट 1944-45 में लगायी गयी थीं, फिर यह यूनिट 1951-52 में बन्द हो गयी। राज्य सरकार ने 1955-56 में इसका अधिग्रहण कर इसे सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिट घोषित कर दिया, तब से यह यूनिट राज्य सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत संचालित की जा रही है। पूर्व में इस यूनिट की प्रतिदिन गन्ना पिराई क्षमता 600 टन थी जो बाद में बढ़ाकर 1000 टन गन्ना पिराई क्षमता प्रतिदिन कर दी गई थी। इस यूनिट में शराब निर्माण (देशी व विदेशी) यूनिट भी लगी हुई है। इस यूनिट के पास कुल 128 बीघा भूमि है।

जब यह यूनिट लगायी गयी थी उस समय शहर गंगानगर की आबादी 15 से 20 हजार मात्र थी जो अब बढ़कर लगभग 3 लाख हो गयी है। इस यूनिट के कारण शहर में भयंकर प्रदूषण फैल रहा है, लाखों लोगों का प्रदूषण के कारण जीवन दूभर हो गया है। लोग सांस की बीमारी से पीडित हो गये हैं। अत: इस यूनिट का शहर से बाहर शिफ्ट होना आवश्यक है।

गन्ना उत्पादन जिले के किसानों की आय का एक प्रमुख स्रोत है, हजारों किसान परिवार शुगर मिल से लाभान्वित होते हैं। यह यूनिट पुरानी हो चुकी है, इसकी गन्ना पिराई क्षमता निरन्तर कम होती जा रही है। गन्ने की

(श्री ओ.पी. महेन्द्रा)

रिकवरी जो पूर्व में 11 प्रतिशत से अधिक थी, वह वर्तमान में गिर कर 6 से 7 प्रतिशत तक रह गयी है, जिससे सालाना करोड़ों रुपये की क्षति हो रही है।

इस यूनिट की समस्त भूमि व समस्त मशीनरी आदि की वर्तमान कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक है। इस यूनिट की समस्त परिसम्पत्तियों को बेचकर गंगानगर के ग्रामीण क्षेत्र, गंगानगर से 20-25 किलोमीटर दूर, कहीं भी आधुनिक यूनिट लगाई जा सकती है जिसकी लागत पुरानी यूनिट की परिसम्पत्तियों को बेचकर पूरी की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय, गंगानगर शुगर मिल्स श्रीगंगानगर की पुरानी यूनिट के स्थान पर नयी आधुनिक यूनिट लगाने से निम्नलिखित लाभ होंगे :-

(1) शहर के लाखों लोगों को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी।

(2) सरकार को किसी प्रकार से कोई अतिरिक्त व्यय करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। पुरानी यूनिट के स्थान पर नई आधुनिक यूनिट स्थापित होगी।

(3) गन्ना उत्पादक किसानों की आय में वृद्धि होगी क्योंकि गन्ना उत्पादन क्षेत्र बढ़ेगा।

(4) किसानों को अपने खेतों से गन्ना लाने में सुविधा होगी क्योंकि शहर में यूनिट होने के कारण उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

(5) पुरानी यूनिट निरन्तर घाटे में चल रही है, सरकार को सालाना करोड़ों रुपये की हानि हो रही है। नई आधुनिक यूनिट लगाने से यह लाभ की इकाई हो जाएगी।

(6) पुरानी यूनिट के पास 128 बीघा भूमि पर नया नगर बसाया जा सकता है जिससे बढ़ती जनसंख्या को समायोजित कर लाभान्वित किया जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य सरकार इस प्रस्ताव पर ध्यान देगी व जिले की ज्वलंत समस्या का समाधान हो सकेगा।

# सूचना

## कुचामन क्षेत्र के किसानों का विधान सभा पर प्रदर्शन

**श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ इन्फारमेशन।

उपाध्यक्ष महोदय, कुचामन क्षेत्र के हजारों की तादाद में किसान अभी विधान सभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। उस क्षेत्र के पुलिस उप अधीक्षक सीताराम प्रजापत के अत्याचार, उसके जुल्म और उसके जन-विरोधी क्रिया-कलापों से परेशान होकर इसी महीने में हजारों की तादाद में लोगों ने कुचामन में 12 तारीख को प्रदर्शन किया था और आज हजारों की तादाद में किसान यहां विधान सभा के बाहर राजस्थान की सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए खड़े हुए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस पुलिस उप अधीक्षक ने सत्ता के संरक्षण के अन्दर निर्दोष लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे बनाये, लाठियां चलाईं और महिलाओं के साथ मार-पीट की। (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय पाइन्ट आफ इन्फारमेशन के माध्यम से इन्होंने सदन का ध्यान आकर्षित कर दिया। भाषण कहां से देना चालू कर दिया इन्होंने? यह काहे पर आपने अनुमति दे दी? पाइंट आफ इन्फारमेशन के जरिए यह क्या बात हुई? सदन का दुरुपयोग हो रहा है इस तरह से यह । (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा :** और यहां तक कि एक भारतीय जनता पार्टी के राजनैतिक कार्यकर्ता के रूप में वहां पर आचरण किया।

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कितनी स्वतंत्रता देंगे आप? कितनी स्वतंत्रता देंगे आप इस तरह से इनको? यह कोई बात हुई क्या?

**श्री संयम लोढ़ा :** लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुऐ लोगों को .. (व्यवधान) लोकतंत्र को आहत करने का काम किया है।

**श्री रामलाल जाट (बनेड़ा) :** माननीय राठौड़ साहब, चार-पांच हजार आदमी बैठे हैं।

**श्री संयम लोढ़ा** : लोकतंत्र का सरेआम गला घोटा जा रहा है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य ।

**श्री संयम लोढ़ा** : लोकतंत्र का अपमान करने का काम किया। कांग्रेस के निर्वाचित सदस्यों का वहां पर अपमान किया है। उन्होंने वहां पर हमारी मां-बहनों को अपमानित किया, जलील किया और आज हजारों की तादाद में जो किसान आये हैं.. (व्यवधान)

**श्री रमेश खींची (कठूमर)** : उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से मेरे विधान सभा क्षेत्र कठूमर में वहां के एस.डी.एम. ने एक उम्मीदवार (व्यवधान) गया तो वहां पर ही पकड़कर बैठा लिया। भाजपा के पक्ष में वोट डालने के लिए बात कही। (व्यवधान) वहां के एस.डी.एम. ने एक आदमी नामिनेशन करने गया उसको वहां पर ही बैठा लिया ओर भाजपा के पक्ष में वोट डालने... (व्यवधान)..

**श्री हरीश चन्द (नावां)** : यह अब तो यहां पर बहुत बोल रहे हैं पर एक महिला पर अत्याचार किया गया, महिला को पीटा गया, उसके बाद यह.. (व्यवधान)

**श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)** : उपाध्यक्ष महोदय, हजारों आदमी आये हैं। हजारों की तादाद में आये हैं, उनकी बात सुन लीजिए और उसके बाद उनको जो कुछ कहना है तो कहें। दिक्कत क्या है? हजारों आदमी बाहर खड़े हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, पाइंट आफ इन्फोरमेशन के जरिए आपने इन्फार्म कर दिया है, इसमें लम्बी चौड़ी चर्चा नहीं ।

**डा. बुलाकीदास कल्ला (नेता प्रतिपक्ष)** : ध्यान हुआ ही नहीं। क्या प्राब्लम है, समझ में नहीं आ रही है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आ गया है न, ये तो लोग आये हुए हैं, आन्दोलित हैं। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** : जीरो आवर में ऐसा करते रहे हैं यह।

**श्री उपाध्यक्ष** : इसके लिए पूरी बहस थोड़े ही होगी।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** : पूरी समस्या सुन लीजिए। यह गम्भीर समस्या है बहुत। हजारों की संख्या में किसान आये हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आये हुए हैं हजारों की संख्या में।

**श्री नारायण सिंह** : हजारों की संख्या में आये हैं, इस समय विधान सभा में अपनी बात रखकर सरकार को बात कहना चाहते हैं, उसमें दिक्कत कहां है?

**श्री उपाध्यक्ष** : पाइंट आफ इन्फारमेशन के जरिए दे दी।

**श्री संयम लोढ़ा** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उस डीवाई, एस.पी. ने लोगों के घरों पर छापे लगाये और निर्वाचित सदस्यों का अपमान करके उस .. (व्यवधान) उसका अपहरण करके लोकतंत्र का...( व्यवधान)...

**श्री हरीश चन्द (नावां)** : झूठ बोल रहे हैं यह। गलत बोल रहे हैं। इन्होंने महिला को पीटा है। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : गृह मंत्रीजी आ गये। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पाइंट आफ इन्फारमेशन में कोई इमीजिएट घटना होती है तो... (व्यवधान) इसी इमीजिएट घटना...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : मंत्रीजी को जानकारी है पूरे मामले की। आज हजारों की तादाद में लोग यहां पर आये हुए हैं। गृह मंत्रीजी अभी नीचे तक जाकर आये हैं और सुबह भी गृह मंत्रीजी को इस बारे में पूरी जानकारी लोगों ने दी है। आज उस पुलिस उप अधीक्षक के अत्याचार से परेशान हजारों की तादाद में लोग यहां पर इस सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : लम्बी-चौड़ी बहस की आवश्यकता नहीं है, हो गया पाइंट आफ इन्फारमेशन आपका।

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन इनकी निजी सम्पत्ति नहीं है कि जब मर्जी आये खड़े हो जाएं और किसी भी बात पर भाषण दे दें।

**डा. बुलाकीदास कल्ला** : आप भी खड़े होते थे । (व्यवधान)

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** इतनी उन्मुक्तता देंगे इनको? इतनी स्वछंदता देंगे इनको? नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह से थोड़े ही होगा।

**डा. बुलाकी दास कल्ला :** रोज उठते थे आप।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को अभी... (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय मंत्रीजी, मैं बीच में थोड़ा इसलिए निवेदन करूंगा कि 295 की कार्यवाही चल रही है। दो-तीन माननीय सदस्य और हैं, उसके बाद मंत्रीजी वक्तव्य देंगे इस बारे में और जो कुछ कहना है वह कहें (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** क्यों देंगे वक्तव्य?

**श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास एक स्लिप आयी कि नागौर से एक प्रतिनिधिमण्डल आपसे मिलना चाहता है। 2.30 बजे का मुझे समय दिया, मैं उसी हिसाब से वहां पर गया था। मैं उनकी बात सुनने गया था। मुझे पता नहीं कि आप इस तरह से विषय को, क्या है समझ में नहीं आया। उनसे बात करने के बाद, मेरी जो कुछ भी उनकी बात हुई, वैसे तो आप चाहें तो मैं इस समय भी तैयार हूं, मेरे पास केवल क्या विषय है, कुछ भी विषय नहीं है। यानि बिना विषय के कोई तर्क नहीं है, केवल एक आदमी को हटाने का एक अभियान है जो मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगा। चाहे कोई लाख कोशिश कर लें, यह सम्भव नहीं होगा । जिस आदमी ने एक्सीलेंट काम किया हो.. (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।**

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** उस आदमी को केवल जातिवाद के आधार पर हटाएं, यह तो राजनीति यहां पर नहीं चल पाएगी। (व्यवधान)

**श्री नारायण सिंह :** गृह मंत्रीजी, यह आपका कहना बिलकुल नितान्त गलत है।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** मुझे अफसोस है यह कहना पड़ेगा कि 99 परसेंट चालान अगर किसी जिले में पेश हुआ है, किसी एरिया में 99 परसेंट चालान अगर किसी सी.ओ. ने अपने एरिये में पेश किया है तो वह

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

डीवाई.एस.पी. है। दुर्भाग्य है कि वह किसी जाति विशेष का है तो इसलिए उसको फांसी लटका दो, यह तो सम्भव नहीं है, यह नहीं हो सकता है।

**श्री संयम लोढ़ा** : झूठे चालान किये, लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया है। भारतीय जनता पार्टी के .. (व्यवधान)..

**श्री उपाध्यक्ष** : अंकित नहीं हो।

**श्री संयम लोढ़ा** : xxx

**श्री रामप्रताप कासनिया** : xxx

**श्री हरीश चन्द** : xxx

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय। सारा दिन भी लगा दें, मैं किसी भी कीमत पर सस्पैण्ड नहीं करूंगा। आपकी मर्जी आए सो कर लो। आप मैरिट के आधार पर बात करें तो समझ में आता। हाउस का दुरुपयोग करके उसे सस्पैण्ड कराएं तो यह उचित नहीं है। (व्यवधान) इसके लिए यहां पर अनुमति नहीं दी जा सकती। एक महिला के खिलाफ... (व्यवधान) एफ.आई.आर. दर्ज हुई तो वह पकड़ना पाप हो गया क्या?

**श्री नवरतन राजोरिया** : xxx

**श्री कन्हैयालाल मीणा** : xxx

**श्री संयम लोढ़ा** : xxx

**श्री सी.डी. देवल** : xxx

**श्री नारायण सिंह** : xxx

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : चाहे जिस बात पर ख़ड़े हो जाएं? क्या विषय है? विषय कुछ भी नहीं है। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय सदस्य आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। नहीं, बीच में नहीं। (व्यवधान) बैठिये आप। सभी माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने पाइंट आफ इन्फारमेशन के जरिए बात उठायी। पाइंट आफ इन्फारमेशन के जरिए कोई ऐसी घटना हो जो

(श्री उपाध्यक्ष)

उठायी जा सकती है, यह सदन की परम्परा चली आ रही है। पर इसका दुरुपायोग भी नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे मुद्दों को उठाकर एक लम्बी-चौड़ी चर्चा शुरू कर दें और एकदम से ही कह दें कि साहब, जवाब देवें। इस तरह से सम्भव नहीं है। सदन के समय का सदुपयोग होना चाहिये ताकि हम आसानी से कोई काम कर सकें। आपने पाइंट आफ इन्फांरमेशन में ध्यान दिला दिया। मंत्री महोदय के पास स्लिप आई हुई थी, वह मिलने जा रहे थे उससे पहले ही आपने यह बबंडर खड़ा कर दिया यहां कि ऐसा हो रहा है, वह हो रहा है। नहीं, इस तरह से अलाउ नहीं करेंगे हम। तरीके से हाउस चलना चाहिये। ऐसी कोई घटना हो जिस पर हाउस के अन्दर आवश्यक कदम लेना है, इमीजिएट जरूरी है तो उसके ऊपर ध्यान दिलाया जा सकता है। हर किसी बात में इस तरह से करके हम सदन की कार्यवाही को नहीं रोक सकते।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री हरीश कुमावत : xxx

श्री रामकिशोर मीणा : xxx

श्री रामप्रताप कासनिया : xxx

श्री कन्हैयालाल मीणा : xxx

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने अभी सदन में जो बात कही, उस सम्बन्ध में मैं स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं। क्या आपने डीवाई.एस.पी. को एक बार ए.पी.ओ. किया? किया तो किस आधार पर किया? दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि पंचायत समिति के चुनाव के रोज लोग वोट देने जा रहे थे, उनका अपहरण हुआ और उनके साथ जोर-जबरदस्ती हुई। (व्यवधान)...आपके डीवाई.एस.पी. (व्यवधान) उस पर कोई कार्यवाही... (व्यवधान)

श्री गुलाबचन्द कटारिया : इस तरह से सदन का दुरुपयोग हो। इस सदन का दुरुपयोग हो रहा है व्यक्तिगत हितों के लिये। (व्यवधान)...क्या बात हो गयी? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप पुलिस प्रशासन के बल पर जनता...

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

(व्यवधान) इसकी हम निन्दा करते हैं। गृह मंत्रीजी, आप बिराजें। (भारी व्यवधान) वह बात तो सुन लें।...(व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** उपाध्यक्ष महोदय, आपने अनुमति दी क्या? (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला :** पंचायत समिति कुचामन के माननीय सदस्य जब वोट देने जा रहे थे तो उनका अपहरण हुआ, उनको अपहृत करके बी.जे.पी. के पक्ष में वोट देने के लिये.. (व्यवधान) हम यह नहीं करने देंगे। आप गृह मंत्री बने हो अपराधों को रोकने के लिये । .. (व्यवधान) आप चुनाव में पुलिस बल का प्रयोग नहीं कर सकते ।... (व्यवधान)

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** आप प्रतिपक्ष के नेता हो, माननीय सदस्य। आपका सम्मान बनाये रखना आपका और हमारा, दोनों का फर्ज है। पर आप इस प्रकार की हर छोटी-छोटी, और इस विषय को लेकर क्या पाप हो गया ? क्या गुनाह कर दिया उस डीवाई.एस.पी. ने? हुआ क्या है ? (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला :** गृह मंत्रीजी, आप बिराजें। आप बिराजें तो सही।

**श्री गुलाबचन्द कटारिया :** नहीं, क्या है? कोई विषय नहीं है? बिना बात की चर्चा शुरू। केवल एक आदमी को हटाओ, यह भी कोई मांग है कि हटाओ? हो क्या गया? और...(व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला :** नहीं, हमने मांग नहीं की है। हमने कोई हटाने की मांग नहीं की है। आप अपने आप जोड़ रहे हो। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** कुछ अक्ल हो तो कोई प्रस्ताव तो लाओ। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला :** हम यह मांग कर रहे हैं कि जो असत्य मुकदमे दर्ज किये गये हैं, जो असत्य मुकदमे हैं, उन्हें वापस लिया जाए। जो लोग वोट देने जा रहे थे, उनको वहां पर पुलिस प्रशासन ने रोका और (व्यवधान) उनकी विस्तृत जांच करवाई जाएं, यह मांग कर रहे हैं। (व्यवधान) हम किसी को हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं । (व्यवधान)

**श्री सी.डी. देवल :** उपाध्यक्ष महादेय, यह हाउस जनता की समस्याओं के लिये है, पांच हजार किसान सड़क पर बैठे हुए हैं, आप गृह मंत्रीजी को कहिये कि

(श्री सी.डी. देवल)

बात सुनें। (व्यवधान) हाउस की गरिमा के लिये है (व्यवधान) आज कुचामन से, नागौर से पांच हजार आदमी आये हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पांच हजार आदमी वहां बाहर खड़े हैं, धरने पर बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : वह तकलीफ में हैं, गृह मंत्रीजी उनकी तकलीफ को सुनें, उसके बाद कोई फैसला करें। इन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं यह नहीं सुनूंगा। (व्यवधान)

श्री हरीश कुमावत : कोई पांच हजार लोग नहीं आये। (व्यवधान) कोई पांच हजार लोग नहीं आये (व्यवधान)

श्री सी.डी. देवल : आप जाकर देखो तो सही। वो आपके अत्याचार की खुली कहानी कह रहे हैं। (व्यवधान) आपके अत्याचार की खुली कहानी कह रहे हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : पवित्र सदन का इन्होंने दुरुपयोग कर रखा है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप क्यों खड़े हो गये बिना परमिशन के? (व्यवधान) आप किस बात के लिये बिना परमिशन खड़े हुए? आप सुनिये गम्भीर है (व्यवधान) हर कोई बात इस तरह से नहीं उठाई जा सकती श्री मांगीलाल गरासिया। (व्यवधान) माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं करूंगा। ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी ने खुद 10 हजार रुपये की रिश्वत लेने के मामले में उस डीवाई.एस.पी. को ए.पी.ओ. किया था। आज किस बात का आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं इसको? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : किसी को अलाउ नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री हरीश कुमावत : उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं इनकी यह साजिश थी...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : इनको अपमानित करना चाहते हो।... (व्यवधान)

**श्री बंशीलाल खटीक** : (व्यवधान) ऐसे कारनामे किये, इसलिये विपक्ष में बैठे हो। (व्यवधान)

**श्री रामप्रताप कासनिया** : उपाध्यक्ष महोदय, कभी बीच वालों की तरफ भी ध्यान दे लिया करो। (व्यवधान)

**श्री बंशीलाल खटीक** : इस तरह के कारनामे किये, जनता ने आपको सबक सिखा दिया और विपक्ष में बिठा दिया आपको। अपने गिरहबान में झांककर देखो, बन्धुओं । (व्यवधान) दूसरों का बाद में बताओ। (व्यवधान) आपकी हालत यह हुई थी इसीलिये विपक्ष में बैठे हो। (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, मैंने नाम पुकार लिया है, अभी बीच में किसी प्रकार की दखलबाजी नहीं होगी। श्री मांगीलाल गरासिया। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : मंत्रीजी, 295 के बाद वक्तव्य देंगे? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : इसके बाद, आप बैठिये। (व्यवधान) किस बात की परमिशन? (व्यवधान)

**श्री राजेन्द्र राठौड़** : कोई वक्तव्य नहीं है । (व्यवधान)

**श्री गुलाबचन्द कटारिया** : किस बात का वक्तव्य? (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : 295, श्री मांगीलाल गरासिया।

# नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

## गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में अकाल से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का निवारण

**श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा) : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में अकाल राहत मंत्रीजी का ध्यान आकर्षण। अनुरोध है कि विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत अधिकांश जनजाति बहुल क्षेत्र है। 80 प्रतिशत लोग गांवों में निवास कर कृषि पर निर्भर हैं। अकाल की स्थिति से कृषि उपज खतम हो जाने से बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। किसानों ने जो ऋण ले रखा था, उसे वर्तमान सरकार ने 10 हजार तक माफ करने की बात कही, परन्तु ऋण माफ नहीं किया गया है। ऋण माफ कराएं। किसी भी रूप से माफ नहीं किये जाने पर ऋण स्थगन कराएं।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

फसल नष्ट हो जाने से फसल बीमा के तहत पूर्ण सहायता दिलाये जाने की कार्यवाही कराएं। विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के सभी गांव एवं ढाणियों में पानी की समस्या हो रही है। जहां हैण्डपम्प की गाडियां नहीं जाती हैं वहां पर सर्वे कराकर सार्वजनिक कुएं कराये जाएं। झालरा (गोगन्दा) सतीका खेत, चांपा की नाल (प.स. कोटड़ा) रणेशजी (उखलियात), भाडेर (उखलियात) कुर्रा (बोखाड़ा), रिछबड़ा (चित्रादास), नाल (धाटियाखेड़ी), भामराबरा (चित्रावास), साकरिया, (चित्रावास) कोटड़ाकाड़ा, सेईकला (कोटड़ा) आदि स्थानों पर सार्वजनिक कूप कराया जाना आवश्यक है। अकाल राहत में जनजाति बहुल क्षेत्र गोगुन्दा में बहुत नगण्य अकाल राहत के कार्य शुरू किये गये हैं, अतः ज्यादा से ज्यादा कार्य शुरू कराये जाएं, जिससे लोगों को मजदूरी मिल सके।

अकाल राहत में सड़क कार्य शुरू कराने हेतु :-

1. हथनियावला से बागड़ा अवानी रा.कला (गोगुन्दा)
2. मन्दारडा केशवपुरा से मोदी सड़क (गोगुन्दा)
3. मजाबद से डवेश्र रोड (गोगुन्दा)
4. मजादद से पालछ (गोगुन्दा)
5. मैन रोड़ से कुरडऊ (गोगुन्दा)
6. मैन रोड से ऊमरिया धरा सड़क (गोगुन्दा)
7. मैन रोड से बड़ेचावास सड़क (गोगुन्दा)
8. जेमली से रोयड़ा सड़क पं. सेमड (गोगुन्दा)
9. खेर का खेत से पला रावछ (गोगुन्दा)
10. सरिया खिलरी थल से राजीव गांधी पाठशाला सरिया चित्रावास (गोगुन्दा)
11. सालरिया नदी सिमा से उपलावास मालबा का चोरा (कोटड़ा)
12. वायदा घाटी से भामरावरा पिपलसरी (गोगुन्दा)
13. कुक्ड़ाघाटा स्कूल से मालविया (कोटड़ा)
14. बेरण से भीमणंक (कोटड़ा)

(श्री मांगीलाल गरासिया)

15. पाटिया से सती का खेत झालरा (कोटड़ा)

16. बोखाड़ा कुर्रा से सिल्ली गोरिया (गोगुन्दा)

17. सामोली से बोरीसिमा (कोटड़ा)

18. कडेच से चांपा की नाल (गोगुन्दा)

19. कडेच से कोयलबाव (गोगुन्दा)

20. जुनिनाल पांवा से गोरिया (गोगुन्दा)

21. बोखाड़ा कुर्रा से गोरिया (गोगुन्दा)

22. रोयडा से गायफल (गोगुन्दा)

23. काम्बा से मैन रोड राणकपुर (गोगुन्दा)

उपर्युक्त स्थानों पर अकाल राहत में तत्काल प्रभाव से सड़क कार्य प्रारम्भ कराये जाने की कार्यवाही कराएं।

पानी की भयंकर समस्या :-

1. नान्देशमा 2. बोखाड़ा, 3. पानेर 4. पदराड़ा 5. कमोल 6. ओबरा कला, खुर्द 7. मोडी 8. गुन्दाली 9. सिंघाड़ा 10. मजाबद ।

उपर्युक्त में भी पूर्ण सर्वे कराकर पानी की पुख्ता व्यवस्था कराये जाने की कार्यवाही कराएं। धन्यवाद।

## उदयपुर के राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय से प्रशिक्षित नर्स/ कम्पाउण्डरों की नियुक्ति

**श्री रघुवीरसिंह मीणा** (सराड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया नियम 295 के अन्तर्गत 1999 में जारी विज्ञप्ति के आवेदनों से प्रतिशत बेरोजगारों, आयुर्वेद नर्स, कम्पाउण्डरों, उपयोजना विशेष बैचों एवं आरक्षित वर्ग के बैकलाग कोटे की नियुक्तियों के बाबत विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मदनमोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर केन्द्र से उपयोजना जनजाति विशेष बैच के रूप में प्रतिवर्ष 40 आशार्थियों को आयुर्वेद नर्स, कम्पाउण्डर के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता रहा। 1993 से अब तक सात बैचों के 250

(श्री रघुवीरसिंह मीणा)

आशार्थी एवं 100 अन्य केन्द्रों के आशार्थी 12 वर्षों से बैच वर्ष वरीयता अनुसार नियुक्ति की आस में बेरोजगार हैं एवं लम्बे समय से विभाग विशेष में तीन वर्षीय (डिप्लोमा) प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद भी नियुक्ति नहीं होने से भविष्य को लेकर चिंतित एवं काफी परेशान हैं।

1. आयुर्वेद नर्स, कम्पाउण्डरों की शुरू से बैच वर्षवार नियुक्तियां होती रही हैं। 16. नवम्बर, 1989 को भी सरकार ने आदेश जारी कर विभाग में बैच वर्षवार नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखी। 1992 तक के बैचों की विभाग में 1998 में नियुक्ति की गयी परन्तु बैच 93, 94, 95, 96, 97, एवं 98 के नम्बर आते ही 19.3.2002 को सामान्य वरीयता से नियुक्ति देने के कारण क्रमशः 1993 से 1998 तक के बैचों के आशार्थी 12 वर्ष के लम्बे इन्तजार के बाद भी नियुक्ति से रह गये। 1993 से 1998 तक के अधिकांश आशार्थी आरक्षित आयु सीमा पार हो गये और कई अभी तक आयु सीमा पार के लगभग हैं। 27.9.2003 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार 1998 तक के आशार्थी आवेदन के पात्र नहीं रहने से भी भविष्य अंधकारमय है। विज्ञप्ति में एस.टी. का एक भी पद नहीं बताया जिससे एस.टी. के साथ खिलवाड़ किया गया है। 1993 से 1998 तक के आशार्थी पूर्व में 7 बार आवेदन कर चुके हैं। पूर्व में भी यदि सामान्य वरीयता से नियुक्ति होती रहती तो हमारी नियुक्ति के 12 वर्ष हो गये होते तथा अब अधिकतम आयु सीमा पार से बेरोजगारी का शिकार नहीं होना पड़ता।

2. आयुर्वेद नर्स, कम्पाउण्डरों के प्रशिक्षण के पांच अन्य केन्द्र हैं । उन केन्द्रों की 50 सीटों में से प्रत्येक केन्द्र के एस.टी. के सात आशार्थी प्रशिक्षण पूर्ण करते हैं। इस तरह 35 आशार्थी होते हैं, यदि 100 पदों की नियुक्तियां होती हैं तो 23 आशार्थी अन्य केन्द्रों के नियुकि से वंचित रह जाते हैं। इस स्थिति में उपयोजना जनजाति जनजाति विशे. बैच राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर केन्द्र के सभी आशार्थी नियुक्ति से वंचित रह जाते हैं । ऐसी स्थिति में उपयोजना जनजाति विशेष बैचों के सभी आशार्थी की विशेष तौर से 1999 के आवेदनों से नियुक्तियां दी जाएं।

3. मैरिट में चयन होने वाले आशार्थियों को आरक्षित कोटे में गिनती नहीं की जाए।

(श्री रघुवीरसिंह मीणा)

4. आरक्षित वर्ग की बैकलाग कोटे की 2003 में जारी विज्ञप्ति के आवेदनों से नियुक्ति में एस.टी. बैकलाग 45 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत आरक्षण एवं सामान्य मैरिट से चयनित को आरक्षित कोटे में शामिल नहीं किया गया जबकि एस.टी. के बैकलाग निम्नानुसार बनता है :-

4000x20/100 = 800

4000 x12/100 = 480

5. उदयपुर संभाग के उपयोजना जनजाति आशार्थियों को 45 प्रतिशत आरक्षण देकर विशेष तौर से 1999 के आवेदनों से नियुक्तियां दी जाएं।

6. अधिकांश आशार्थी अधिकतम आयु सीमा पार होने के कारण 1999 में जारी विज्ञप्ति के सभी आवेदकों को प्राथमिकता से नियुक्तियां दी जाएं।

अतः माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि उपरोक्त मांगों के अनुसार 1999 में जारी विज्ञप्ति के आवेदकों से 1993-1998 तक के बैचों को अनिवार्य रूप से शीघ्रतिशीघ्र नियुक्तियां देकर राहत दी जाए। धन्यवाद ।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री रामचन्द्र जारोड़ा ।

**श्री रामप्रताप कासनिया :** उपाध्यक्ष महोदय।

**श्री उपाध्यक्ष :** इनके बाद। इनका लास्ट है, इसके बाद ।

## शिक्षा विभाग में कनिष्ठ लिपिकों के वेतन में विसंगति

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिए निवेदन करना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर के विरूद्ध विशेष उल्लेख प्रस्ताव स्वीकार करने का कष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर द्वारा 1.9.76 के पश्चात 31.03.79 तक नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों की नियुक्ति सहायक शासन सचिव अन्तर्तयन समिति राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक : प.13(1) साप्र/3/76/1480 दिनांक 16.7.1976 के अनुमोदन के पश्चात दी गयी थी। आदेश क्रमांक शिबिना/संस्था-I/नियुक्ति/ क.लि./4004/76/893 दिनांक

(श्री रामचन्द्र जारोड़ा)

3.9.1976 द्वारा नियुक्त कनिष्ठ लिपिक के साथ दोहरी नीति अपनायी जाकर अत्याचार किया गया। राजकीय आदेशों, डीपीसी नियमों, नियुक्ति की सेवा शर्तों का उल्लंघन किया गया। उक्त कनिष्ठ लिपिकों की समान नियुक्ति तिथि होने पर भी उनका मूल वेतनमान एवं चयनित वेतनमान के तहत वेतन फिक्सिंग आदेशों में मूल वेतन अलग-अलग दिनांक 01.09.2004 को मूल वेतन का आधार माना गया। रिकार्ड देखें तो उक्त नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों को चयनित वेतनमान के आदेश के पश्चात अलग-अलग मूल वेतन आहरण किया जाकर भिन्नता है, जबकि जब समान नियुक्ति तिथि तो मूल वेतन में भिन्नता क्यों व किस कारण से है, जबकि सरकार के नियम, प्रावधान, चयनित वेतनमान देने की प्रक्रिया एक समान ही है? शिक्षा विभाग के हालात ये हैं कि 3.9.1976 के पश्चात कनिष्ठ लिपिक पर नियुक्ति किये गये थे, उनका मूल वेतन 1.9.2004 को 3.9.1976 से नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक से ज्यादा उठाया जा रहा है।

उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयंपुर का एक वरिष्ठ लिपिक जिसकी नियुक्ति कनिष्ठ लिपिक पद पर जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर में ही हुई थी, उसका वेतन मूल अधिक उठाया जा रहा है जबकि उससे पहले 3.9.1976 द्वारा नियुक्त कनिष्ठ लिपिक, जिसकी नियुक्ति भी जिला शिक्षा अधिकारी, नागौर में थी वर्तमान उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर में वरिष्ठ लिपिक का दिनांक 1.9.2004 के आधार पर मूल वेतन उससे कम आहरण किया जा रहा है। ऐसा विरोधाभास जानकर आश्चर्य हुआ है। सरकार को सोचना चाहिए, ऐसे कार्मिकों को मानसिक रूप से कितनी वेदना सहन करनी पड़ती है कि मेरे बराबर के साथी का मूल वेतन मेरे से ज्यादा है तथा मेरा कम है। जबकि उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर को उनके आदेश क्रमांक शिउनि/मा/जय/संस्था-5/का-2(193)/02 दिनांक 26.2.2003 के सन्दर्भ में सरकार के विशेष प्रशासनिक कार्य निपटाओ अभियान में कई अभ्यावेदन, पत्र उक्त आदेश को संशोधन करने, डीपीसी द्वारा टिप्पणी नोटशीट पर अंकित करने पर भी आज 730 दिन व्यतीत होने पर भी उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर द्वारा प्रकरण का निस्तारण करके सम्बन्धित को सूचित नहीं करना टालमटोल नीति एवं प्रशासनिक अकर्मण्यता का द्योतक है। कार्यालय क्रियाविधि पुस्तिका में प्रावधान व कार्य प्रक्रिया का उल्लंघन किया

(श्री रामचन्द्र जारोड़ा)

जाना प्रशासन के प्रति जवाबदेही नहीं होना सुनिश्चित करता है। इतनी भयंकर लापरवाही उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं उस कार्यालय के डीलिंग लिपिक द्वारा शासन सचिव द्वारा निर्देशानुसार प्रशासनिक कार्य निपटाओ का उल्लंघन करने पर आज दिनांक तक निस्तारण नहीं करने पर निलंबित करके सी.सी.ए.-16, 17 के तहत कार्यवाही करके क्या सरकार दंडित करेगी ? यदि नहीं तो और कई साल गुजर जायेंगे, सरकारी विभाग, तंत्र सोता रहेगा। अपने कार्य के प्रति कोई भी जवाबदेही लेने को तैयार नहीं होगा। सरकार द्वारा प्रशासनिक चुस्ती लाने के लिए ऐसे निकम्मे अधिकारी, कर्मचारी को दंडित करना होगा। हम आज सूचना के अधिकार की बात करते हैं, श्री विनोद जुत्शी, आई.ए.एस. शासन सचिव, शिक्षा द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा प्रशासनिक कार्य निपटाओ अभियान में प्राप्त प्रकरण को 730 दिन में निस्तारण नहीं किया गया तो आम प्रकरणों की क्या हालत है? भगवान ही मालिक है। धन्यवाद।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री रामप्रताप कासनिया।

## सूचना

### पीलीबंगा मण्डी बंद रखे जाने का नोटिस

**श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मण्डी पीलीबंगा के अन्दर व्यापारियों ने नया काटन यार्ड मन्जूर करवाने के सम्बन्ध में पांच दिन का नोटिस दिया है मण्डी बंद रखने का। आज से 28 तारीख तक मण्डी बंद है, 28 तारीख तक लगातार मण्डी बंद रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रकरण कोई अभी पैदा हो गया, ऐसी बात नहीं है। पिछले 8-10 वर्षों से यह समस्या चली आ रही है। कुछ प्रभावशाली लोग इस मण्डी यार्ड को कभी इधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं। वह अपनी जमीन के नजदीक कटवाना चाहते हैं और व्यापारी और जितने भी संस्थाएं हैं परचून की हैं, चाहे किसान हैं वे सब मण्डी के अन्दर लगती हुई मण्डी समिति की जमीन है 87 बीघा, उस पर मण्डी यार्ड कटवाना चाहते हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य, यह पाइंट आफ इन्फोरमेशन के नाते आप इन्फार्म ही कर रहे हैं या और कोई प्रक्रिया के तहत में आ रहे हैं? यह

(श्री उपाध्यक्ष)

आप सूचना ही दे रहे हैं कि हालत ऐसी बनी हुई है कि हड़ताल पर गए हुए हैं, और तो कोई विषय इसके माध्यम से...

**(15.00 बजे)**

**श्री रामप्रताप कासनिया :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इसलिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आजकल लोग छोटी-सी बात में राजनीति पैदा कर देते हैं। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं सरकार..

**श्री उपाध्यक्ष :** आप तो उस श्रेणी में नहीं हैं। आप छोटी-सी बात को बढ़ावा देने वाली श्रेणी में नहीं हैं।

**श्री रामप्रताप कासनिया :** बात छोटी-सी नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी बात है। पांच दिन मण्डी बंद करना, कारोबार बंद करना, कोई न कोई तो परेशानी है जब ही तो उन लोगों ने मण्डी बंद करने का निर्णय लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस योजना के अन्दर 87 बीघा जो जमीन है उसके अन्दर आई.डी. एम.एस.टी. की एक योजना बनी हुई है, उस योजना को निरस्त करने के लिए नगरपालिका ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके डाइरेक्टर डी.एल.बी. के यहां भिजवा दिया। वह योजना निरस्त करके इस 87 बीघा भूमि में मण्डी मंजूर की जा सकती है। काश्तकारों को राहत मिलेगी, व्यापारियों को राहत मिलेगी। सभी मजदूर, सभी वर्ग के लोग मण्डी से चिपती हुई भूमि पर ही मण्डी कटवाने के लिए पिछले दस वर्षों से लगातार मांग कर रहे हैं। इसमें अड़चन यह आ रही है, मैं पुनः निवेदन कर दूं कि कुछ प्रभावशाली लोग अपनी भूमि के नजदीक मण्डी कटवाना चाहते हैं। इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी भरोसा दिलाया था, पर यहां मैं सूचना दे रहा हूं इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, कि मेरी दाहिनी तरफ जो लोग बैठे हैं यह कहीं बीच में नहीं फंस जाएं।

**श्री उपाध्यक्ष :** पर्ची के माध्यम से..

**श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करूं, विपक्ष के नेता से भी सहायता चाहता हूं कि आज मुझे थोड़ा सा कोई काम है जरूरी, तो आप कार्य-सूची में थोड़ा-सा परिवर्तन करके वह जो प्रवर समिति वाला है, एक वाक्य की बात है अगर वह कर देते हैं तो मैं आपकी आज्ञा से..

# विधायी कार्य

## प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

### राजस्थान स्व-वित्त पोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री घनश्याम तिवाड़ी, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान स्ववित्त पोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए।

**श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्ववित्त पोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए जो अपना प्रतिवेदन इसी सत्र में प्रस्तुत करेगी। प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की सूची बाद में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

**श्री उपाध्यक्ष :** किसी को कुछ बोलना हो तो।

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्ववित्त पोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए?

**श्री घनश्याम तिवाड़ी :** प्रवर समिति को...

**मोहम्मद माहिर आजाद :** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव किया है।

**श्री उपाध्यक्ष :** प्रश्न यह है कि राजस्थान स्ववित्त पोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए?

**(स्वीकृत)**

राजस्थान स्ववित्त पोषित प्रावइेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया ।

# पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

## जोधपुर स्थित अशोक उद्यान पर आवासन मण्डल द्वारा किया गया व्यय

**श्री उपाध्यक्ष :** पर्ची के माध्यम से उठाए जाने वाले विषय। श्री मदन राठौड़ ।

**श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले कांग्रेस शासन में राजस्थान आवासन मंडल ने जो घोटाले किये, जो वित्तीय अनियमितताएं कीं, वे बेमिसाल हैं, ऐसा आज तक उदाहरण देखने को नहीं मिला जैसा राजस्थान आवासन मंडल ने पिछले कांग्रेस शासन में किया। इन्होंने अपनी कालोनियों को विकसित करने पर कतई ध्यान नहीं दिया वरन अपने आकाओं को खुश करने के लिए, तत्कालीन मुख्य मंत्री को खुश करने के लिए और उसके अध्यक्ष को खुश करने के लिए जो वित्तीय अनियमितताएं की हैं और जो धन का दुरुपयोग किया है, वह मैं आपके माध्यम से सदन के पटल पर रखना चाहता हूं।

आपने एक नाम सुना होगा सद्दाम हुसैन, जिन्होंने इराक में अपनी खुद की मूर्तियां लगवाईं। उनको शायद यह कल्पना थी, भय था कि उनके मरने के बाद या उनके पद से हटने के बाद कोई उनको याद रखने वाला नहीं है। यही ध्यान में रखकर खुद की मूर्तियां लगवाईं बडी-बड़ी। जनता ने वे ध्वस्त कीं। ठीक उसी प्रकार तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर [illegible] उद्यान और अपने खुद के नाम से, स्वयं के नाम को प्रचारित करने के लिए स्वनाम से...(व्यवधान)

**[illegible] हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :** कोटा में दीनदयालजी उपाध्याय की [illegible] तो यह सोचकर लगाई है क्या? (व्यवधान) कि उनका नाम लेने [illegible] कोई नहीं है? यह क्या तरीका है आपका?

**[illegible] महावीर प्रसाद जैन :** यह स्वर्गीय हैं।

**[illegible] मदन राठौड़ :** आप व्यवधान उत्पन्न मत कीजिए, मैं आपके कच्चे चिट्ठे खोलूंगा। और जब मैं आपके कच्चे चिट्ठे खोलूंगा तो +++

**श्री हरिमोहन शर्मा :** आप तो डटकर खोलो. कोई कसर मत रखो।

**श्री मदन राठौड़ :** हां, नहीं रखूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बिलकुल नहीं रखने वाला हूं।

आपको जानकारी होगी, उपाध्यक्ष महोदय, कि छह करोड़ बाइस लाख चौंतीस हजार रूपये अशोक उद्यान जोधपुर में निर्माण करने के लिए आवासन मंडल ने खर्च किये केवल छह करोड़ बाइस लाख ही नहीं, उस भूमि की कीमत अरबों रूपए आंकी जाएगी वर्तमान समय में, इतनी भूमि पर अशोक उद्यान स्थापित किया अशोक गहलोत ने स्वनाम धन्य करने के लिए। यही नहीं, आवासन मंडल ने वह रूपया खर्च किया, जबकि आवासन मंडल वहां पर वह रूपया खर्च करने का अधिकारी नहीं था। (व्यवधान)

**श्री रमेश खींची :** 35 लाख रूपये दूध के विज्ञापन के खर्च किये (व्यवधान) और वहां उद्यान बनाने के लिए ,. (व्यवधान) वह उद्यान नहीं बना सकते?

**श्री अशोक (खण्डार) :** आपको अशोक गहलोत से क्या एलर्जी है ? (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़ :** मुझे कोई एलर्जी नहीं है।

**श्री अशोक (खण्डार) :** फिर क्या है ? उद्यान बनवाया है उन्होंने, कोई फोटो थोड़े ही खिंचवाया है ? (व्यवधान)

**श्री रमेश खींची :** 35 लाख रूपये आपके मुख्य मंत्री खर्च करें ... (व्यवधान)

**श्री सी.डी. देवल :** यह फोटो ... (व्यवधान) लैटर पैड क्यों छपवाते हो ?

**श्री मदन राठौड़ :** हां, मैं जवाब दे रहा हूं आपके प्रश्नों का।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आवासन मंडल का कोई लेना-देना नहीं था। आवासन मंडल ने वह उद्यान स्थापित किया जो आवासन मंडल के क्षेत्राधिकार में नहीं था, मैं यह बात आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। वहां पर पेड़ों को हटाने के लिए करोड़ों रुपये +++ मुआवजे के तौर पर दिये गये । आवासन मंडल के धन का दुरूपयोग किया गया, वह भी इनके लिए शर्म की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना

चाहूंगा कि तत्कालीन महामहिम राज्यपाल महोदय को भी बिना स्वीकृति के, राज्यपाल की स्वीकृति नहीं थी इसके बावजूद भी वहां शिलान्यास करने के लिए ले जाया गया। यह भी निश्चित रूप से अनियमितता है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं, पर अशोकजी गहलोत सदस्य हैं हाउस के, आप राइटिंग में दें, लिखकर दें, फिर सब बातें करें तो ठीक रहेगा (व्यवधान) कोई तकलीफ नहीं, आप अपनी बात कहने में सक्षम हैं। (व्यवधान) यह हाउस के अन्दर नहीं हैं तो उनकी एब्सैंस के अन्दर बात कहना ठीक नहीं है, (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। आवासन मंडल ने जो धन का दुरूपयोग किया है वह बात मैं आपके सामने रख रहा हूं। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह आएं ही नहीं सदन में तो क्या करें? वह तो जवाब देने में खुद सक्षम हैं । (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : फोटो में कोई तकलीफ नहीं है...(व्यवधान) फोटो का हिसाब-किताब देखा नहीं (व्यवधान) अभी तो कानून की बात कर रहे थे, यह कानून बना रहे हैं? (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपको आरोप लगाने की छूट है, पर आप तरीके से.. (व्यवधान) आरोप की कोई मना नहीं है, आरोप लगा सकते हैं, आपका अधिकार है.. (व्यवधान) यह किताब मालूम है आपको, क्या लिखा है इसमें ? (व्यवधान) आरोप लगाएं आप, छूट, है पर लिखकर दें। क्या तकलीफ है ? (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : जो माननीय सदस्य इस सदन का सदस्य है वह जवाब देने में सक्षम है और इसलिए उसके ऊपर कुछ कहा जा सकता है। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : किसके ऊपर? किसके ऊपर? यह महावीर प्रसाद चोर है, क्या यह कह सकते हैं ? (व्यवधान) क्या अजीब बात कर रहे हैं आप ? (व्यवधान) फालूत बात कर रहे हैं आप। (व्यवधान) आप, उपाध्यक्ष महोदय, आरोप लगवाइये, आरोप की जांच होनी चाहिए। यह क्या तरीका है ? (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** अशोक तो महान, है, देश का नम्बर एक मुख्य मंत्री रहा है । (व्यवधान)

**श्री अशोक (खण्डार) :** यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा । (व्यवधान)

**श्री रमेश खींची :** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने तत्कालीन मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत क रिश्तेदारों के ऊपर जो आरोप लगाये, उसको एक्सपंज कराया जाए । (व्यवधान)

**श्री अशोक (खंडार) :** इस सदन के सदस्य हैं (व्यवधान)

**श्री सी.डी. देवल :** (व्यवधान) मर्जी आए जो आरोप लगा देंगे ? (व्यवधान) ऐसे लोगों को किसी भी हालत में माफ नहीं किया जा सकता है।

**श्री अशोक (खण्डार) :** बोलने नहीं देंगे इस तरह मर्जी आए जो आरोप लगा देंगे? (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़ :** सुनने का माद्दा रखो, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** बोल रहे हैं, माननीय सदस्य .. (व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय सदस्य ... (व्यवधान) माननीय, बैठिये (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़ :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो विषय अभी रखा है

**(15.10 बजे)**

**(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)**

इससे भी भयंकर बात यह है कि तत्कालीन मुख्य मंत्री ने न केवल अपने खुद के नाम से उद्यान स्थापित कराया आवासन मंडल से, वरन अपने पिताजी के नाम से बाबू लक्ष्मण सिंह पार्क महामंदिर थाने के सामने स्थापित करवाया। यह मेरे प्रश्न के जवाब में आया है, जिस पर 68,81,240 रूपये खर्च करवाये। यह और भी शर्मनाक बात है। आवासन मंडल ने खर्च किया जबकि वह आवासन मंडल का क्षेत्राधिकार नहीं था। आवासन मंडल का वहां पर कोई लेना-देना नहीं था..

**डा. सी.पी. जोशी :** अध्यक्ष महोदय, आप आरोप लगा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। जब आप नियम और कानून की बात करते हैं, जब चाहे जब नियम की बात करते हो... (व्यवधान) आप मापदंड एक रखिये । आरोप लगा सकते हैं, आरोप की छूट है, कोई तकलीफ नहीं है। छूट है उनको आरोप लगाने की । ... (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़ :** यह अत्यन्त शर्मनाक स्थिति है कि आवासन मंडल अपनी कालोनियों को विकसित करने में पूर्णतया असफल रहा है। कालोनियों में सड़क निर्माण नहीं कराया, नाली निर्माण नहीं कराया। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, एक बार । अब आप फर्माए, क्या वह बोले हैं।

**डा. सी.पी. जोशी :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को आरोप लगाने की छूट है, लगाएं आरोप । सरकार को उनकी जांच करने की छूट है, कार्यवाही करे, सजा दे। लेकिन जो प्रक्रिया है उसको तो फालो करना चाहिये । माननीय अशोकजी गहलोत इस सदन के सदस्य हैं, आज हाउस में नहीं हैं। आरोप लगा रहे हैं आप, तो कम से कम लिखकर दें ताकि वह भी हाउस में आकर अपनी बात कहें। अन्यथा हाउस में हम यह परम्परा शुरू कर देंगे, अंत क्या होगा? हम भी शुरू कर देंगे फिर अब। आपका नियम कानून सबके लिये लागू होना चाहिये ।

**श्री मदन राठौड़ :** अध्यक्ष महोदय, मैंने आवासन मंडल द्वारा .. (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** अशोक गहलोत पर क्या आरोप लगा दिया उन्होंने?

**डा. सी.पी. जोशी :** आप प्रोसीडिंग उठाकर देख लें ?

**श्री अध्यक्ष :** आप ही बता दीजिये। मैं तो उठाउंगी जब उठाउंगी।

**डा. सी.पी. जोशी :** why should I repeat it ? जब सदन में मैं बैठा हूं आप.. (व्यवधान) जो चाहे रख लीजिये, मैं वापस उसको रिपीट करूंगा, अध्यक्ष महोदय ?

**श्री मदन राठौड़ :** मैं बताता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो मैंने कहा है मैं

(श्री मदन राठौड़)

वापस बोलता हूं आपके सामने । मैंने कहा कि राजस्थान आवासन मंडल ने अपने आकाओं को खुश करने के लिये वित्तीय अनियमितताएं की हैं। मैंने यह कहा कि तत्कालीन मुख्य मंत्री को खुश करने के लिये अशोक उद्यान स्थापित किया है जिसमें 6,22,34,000 रूपया खर्च किया राजस्थान आवासन मंडल ने। मैंने राजस्थान आवासन मंडल की बात कही है। इसमें धन का दुरूपयोग किया है, यह बात मैंने कही है। मैंने यह कहा है कि न केवल अशोक उद्यान... (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** अशोक गहलोत पर कोई नहीं लगा है आरोप। नहीं लगा है आरोप। अशोक गहलोत पर कहां आरोप लगा है? (व्यवधान)

**डा. सी. पी. जोशी :** अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यह बात कही है तो बहुत अच्छी है बाकी रिकार्ड चैक कर लें आप। इन्होंने यह बात कही तो बहुत अच्छी बात है। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आवासन मंडल के लिये कहा है..

**डा. सी.पी. जोशी :** अध्यक्ष महोदय, यह बात कही तो धन्यवाद। बाकी रिकार्ड देख लें, आप चैक कर लें। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़ :** रिकार्ड में भी यही मिलेगा आपको, आप देख लीजिये। मैंने यह भी कहा है ...(व्यवधान)

**डा. सी.पी. जोशी :** एक मिनट। आप यह बता दें कि अशोक गहलोत मुख्य मंत्री के लिये उद्यान बना...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** कार्यवाही देख लूंगी मैं। कार्यवाही देख लूंगी मैं। (व्यवधान)

**श्री सी.पी. जोशी :** यह कौनसा प्रस्ताव है...(व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** उनके पिताजी भी, उनके पिताजी का भी... (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़ :** न केवल अशोक उद्यान अपितु तत्कालीन मुख्य मंत्री ने अपने पिताजी के नाम से बाबू लक्ष्मण सिंह पार्क महामंदिर, जोधपुर में स्थापित किया है, जिस पर भी...(व्यवधान)

**डा. सी.पी. जोशी :** माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने ससुर की मूर्ति लगाने जा रही थीं, मालूम है आपको?

**श्री मदन राठौड़ :** पिताजी कहा है मैंने ।

**डा. सी.पी. जोशी :** यह तो मालूम है कि नहीं मालूम है अपने को? आप जो बात कहते हैं, जो बात कहना चाहते हैं, आप फैसला करना चाहते हैं, फैसला कर लीजिये, क्या तकलीफ है? कोई भी बात को अपन कहें, जिम्मेदारी से कहना चाहिये। आप परम्परा बनाना चाहते हैं, क्या परम्परा बनाना चाहते हैं? (व्यवधान) अभी आपके धौलपुर में मुख्य मंत्रीजी का प्रोग्राम था.. (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़ :** बाबू लक्ष्मण सिंह पार्क जिसमें रेलिंग लगाने के लिये 2,97,000...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा :** बाबू लक्ष्मण सिंहजी नगर परिष्द के अध्यक्ष रहे हैं जोधपुर में और बहुत प्रसिद्ध जादूगर थे वह। (व्यवधान) और उनके नाम से उद्यान का नामकरण हो गया...(व्यवधान)

**श्री सी.डी. देवल :** नगर परिषद के अध्यक्ष की मूर्ति लगा दी तो क्या गलत काम कर दिया? (व्यवधान)

**श्री जालमसिंह रावलोत :** जादूगर थे फंसाने में। जोधपुर का कबाड़ा करके रख दिया।

**श्री अशोक (खण्डार) :** आपके पास कोई नेता नहीं है जिसकी मूर्ति आप लगवाओ .....

**श्री मदन राठौड़ :** राजस्थान में कितने बड़े-बड़े जादूगर हुए, कितने वहां पर अध्यक्ष हुए, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, यू.आई.टी. में कांग्रेस के राज में दाऊदयालजी जोशी थे, उनके लिये केवल कांग्रेस के राज में...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा :** दीनदयाल उपाध्याय का नाम तो होना ही चाहिये। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा :** जिसमें लालकृष्ण आडवाणी आये, शांति धारीवाल स्वयत्तशासी...(व्यवधान)

**श्री जालमसिंह रावलोत :** अध्यक्ष महोदय, अगर कांग्रेस के सदस्य

(श्री जालमसिंह रावलोत)

सदन का समय नष्ट कर रहे हैं ...(व्यवधान) वह लगती ही है तो मानववाद को जन्म दिया। ऐसे दीनदयाल उपाध्याय थे...(व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा :** सर्वोच्च सदन का समय नष्ट कर रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा :** वह सारा पैसा राजस्थान सरकार ने खर्च किया... (व्यवधान) सारा पैसा राजस्थान सरकार ने दाऊदयालजी जोशी की मूर्ति लगाने में खर्च किया, आपको याद नहीं होगा। (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड :** अब इनको शर्म ज्यादा आ रही है तो इनको निश्चित रूप से शर्म आनी भी चाहिये। इनके कारनामे इसी प्रकार के रहे कि निश्चित रूप से आनी ही चाहिये और...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा :** और दाऊदयालजी जोशी की मूर्ति लगाने की शर्म आपको आ रही है क्या? आपको शर्म आयी क्या कि दाऊदयाल जोशी की मूर्ति हमने लगवायी, हमारे शासन में लगवायी? आडवाणीजी को बुलवाया और उसका उदघाटन करवाया? आपमें है क्या नैतिकता? आपमें नैतिकता है क्या? (व्यवधान) हमने किया, आपने कुछ नहीं किया । हमने किया..

**श्री जालमसिंह रावलोत :** हमारे मुख्य मंत्रीजी सर्वांगीण काम कर रहे हैं, आपके मुख्य मंत्री ने इतना बड़ा कबाड़ा किया...(व्यवधान)

**श्री टीकमचन्द कान्त :** दीनदयाल उपाध्याय के आपके विचार रहे हैं और हिन्दुस्तान के अन्दर के इन विचारों के नाम पर ही इनके विचार रहे हैं.. (व्यवधान) स्वर्ण जयंती मनायी...(व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** स्वर्गीय दाऊदयालजी जोशी की आपने मूर्ति लगवायी, उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।...(व्यवधान) जब स्वर्गीय हो जाएंगे तब हम भी मूर्तियां लगवाएंगे, चिन्ता मत करो आप। लेकिन आप +++ विश्वास रखो। विश्वास नहीं है कांग्रेसियों के ऊपर। उनके नाम से उद्यान खोले गये...(व्यवधान)

**श्री हरिमोहन शर्मा :** तो फिर आपने तो नहीं लगवायी। दाऊदयाल जी जोशी को भी हमने याद रखा, आपने तो नहीं रखा दाऊदयालजी को भी.. (व्यवधान)

**श्री भवानी जोशी :** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बता

(श्री भवानी जोशी)

रहे हैं, दाऊदयालजी की मूर्ति इन्होंने लगवायी, लेकिन बांसवाड़ा में स्वर्गीय हरिदेवजी जोशी की मूर्ति किसी कांग्रेसी ने नहीं लगायी, सबसे पहले मैंने एम.एल.ए. के नाते लगायी।

**श्री हरिमोहन शर्मा** : तो आपको धन्यवाद। आप हमको भी दो... (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : पर मरने के बाद लगायी। हरिदेव जोशी और दाऊदयालजी की मरने के बाद लगी और इन्होंने जिंदा रहने पर कराया है। जिंदा हैं अभी। जिंदा ही लगा रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री रामप्रताप कासनिया** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हाउस स्थगित होगा इसलियें आपस में न उलझें। सौहार्दपूर्ण वातावरण में हाउस स्थगित कराएं।

**श्री अध्यक्ष** : मरने के बाद कोई लगाए, नहीं लगाऐ, जिंदा लगाने में क्या आपत्ति है? (व्यवधान) लगाए न लगाए .. (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : हां, मरने के बाद। अब इतना ही विश्वास नहीं हो कि मरने के बाद कोई याद नहीं करेगा, यदि यह मन में है तो हमें कुछ नहीं कहना है । (व्यवधान)

**श्री सी.डी. देवल** : इतिहास में अशोक महान् हुए हैं, उसके नाम पर अशोक पार्क बना है। अशोक गहलोत पार्क लिखा हुआ है क्या वहां? (व्यवधान) अशोक गहलोत लिखा हुआ है वहां पर? वहां लिखा है अशोक उद्यान। अशोक महान् नहीं लिखा। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : और अशोक गहलोतजी के बाप भी इतिहास की बुक में हैं...। (व्यवधान)

**डा. बुलाकीदास कल्ला** : नगर परिषद कोई काम करे उसके बारे में यहां जो इश्यू उठाये जा रहे हैं वह रेलेवेंट नहीं हैं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन** : उनको बाकायदा लिखित में सूचना है । (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह रख रहा हूं । आवासन मंडल ने जोधपुर में हाई मास्ट लाइटें खरीदीं, लाइटें भी कितनी

कीमती। साढ़े तीन-तीन लाख की एक लाइट, जो आज बंद पड़ी हैं। साढ़े तीन लाख की एक लाइट, बड़ा आश्चर्यजनक है। कितना भ्रष्टाचार इसमें हुआ है। भयंकर शर्मनाक स्थिति है। साढ़े तीन लाख की हाई मास्ट लाइटें खरीदी, अनेकों लाइटें खरीदीं। यही नहीं, जो लगभग चालीस लाख का एक इलेक्ट्रोनिक ट्री था, ऐसे इलेक्ट्रोनिक ट्री खरीदे आवासन मंडल ने। जो शहर में लगाये, जो बंद पड़े हैं, खराब पड़े हैं। इतनी वित्तीय अनियमितता है। मैं इसके बारे में आपके सामने निवेदन करना चाहूंगा, आवासन मंडल, जोधपुर ने तत्कालीन अपने नेताओं, अपने आकाओं को खुश करने के लिये आर्किटेक्ट और नियुक्ति ... (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान (रामगढ़) :** अध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ आर्डर ।

**श्री मदन राठौड़ :** अनियमित तरीके से की।

**श्री जुबेर खान :** अध्यक्ष महोदय, आपने यह पर्चियों का सिस्टम इसलिए चलाया था कि कोई महत्वपूर्ण हाल का ही मुद्दा हो उसको यहां सदन में माननीय सदस्य रख सकते हैं। यह चार साल पुरानी बात सदन में उठकर क्या कहना चाहते हैं? पर्चियों का माध्यम इसलिए था कि कोई मौजूदा हाल ही में ऐसी घटना हुई हो जिसके ऊपर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना हो। आप इसको विषयांतर मत करवाइये। गलत परम्परा है यह। चार साल पुरानी किसी बात को पर्ची के माध्यम से सदन में उठाएंगे तो फिर नई परम्परा शुरू हो जाएगी । (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़ :** आप क्या बोलते हैं, यह कल्पना है आपको? आप कहां की बातें ले आते हैं बेसि पैर की । जरा गिरहबान में झांककर देखें। जरा अपने बारे में भी सोचो। अध्यक्ष महोदय, इनको अपने बारे में भी विचार करना चाहिए कि वह कितना दुरूपयोग कर रहे हैं सदन का। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। यही नहीं, बरकततुल्ला स्टेडिमय पर साढ़े छह करोड़ रूपए खर्च किये गये। बरकततुल्ला स्टेडियम, जोधपुर पर आवासन मंडल ने साढ़े छह करोड़ खर्च किये। यह वित्तीय अनियमितता नहीं है तो क्या? जिम्बाबे की क्रिकेट टीम को बुला दिया है जोधपुर में, यदि आपकी तैयारी पूरी नहीं थी, तत्कालीन सरकार की जब तैयारी ही नहीं थी, जब स्टेडियम तैयार नहीं था तो जिम्बाब्वे की टीम को क्यों आमंत्रित कर दिया? (व्यवधान) जब

(श्री मदन राठौड़)

तैयारी नहीं है तो आप बाहर वालों को आमंत्रित क्यों कर रहे हो? आप जरा विचार कीजिए, शर्म खाइये थोड़ी बहुत।

**श्री जुबेर खान :** (व्यवधान) +++ आपने तो इस सरकार में +++ शर्म करो कुछ। वह भी तीर्थराज पुष्कर में +++ (व्यवधान) किस मुंह से बात कर रहे हो?

**श्री मदन राठौड़ :** आपको जब इस प्रकार की बात रखनी हो, जब आपके कच्चे चिट्ठे खोलने की स्थिति पैदा होती है तो आपको मिर्ची लगती है। (व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** अध्यक्ष महोदय, यह +++ क्या? (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान :** अगर इधर से रोक लोगे...(व्यवधान)

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** यह कांग्रेस के राज में हुआ है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** कांग्रेस के राज में क्या-क्या हुआ है... (व्यवधान) कांग्रेस राज में हुआ है।

**श्री जुबेर खान :** ऐसी परम्पराएं मत डालें...। (व्यवधान)

**श्री मोहनलाल गुप्ता :** महिलाओं के खिलाफ असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है...(व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़ :** इनको यह भी मालूम नहीं है। यह इस प्रकार की बेसिर पैर की बातें कर सकते हैं...। (व्यवधान) धर्मान्तरण की बात ले आते हैं...। (व्यवधान) मैंने तो आवासन मंडल के दुरुपयोग की बात कही है।

**श्री अध्यक्ष :** यदि आप लोग इसी तरह से बिना नियमों के बीच में खड़े होकर चाहे जो कुछ बोलते रहे तो फिर मुझे स्थगित करनी पड़ेगी कार्यवाही। क्या करें?

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** अध्यक्ष महोदय, एकाधिकार हो गया विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों का, यह जो चाहें बोलें दूसरा तो कोई बोल ही नहीं सकता। यह सदन में इन्हीं को अधिकार है। यह सदन स्थगित करो..। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** ऐसा है, यह पर्ची पर बोल रहे हैं .. (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान :** आप लगाऐ न। आप बजट भाषण पर क्यों नहीं बोले? राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलें, स्वायत्त शासन की मांग पर बोलें । (व्यवधान)

**डा. सी.पी. जोशी:** और कोई चीज बाकी रह गयी हो तो आप भी शुरू करें (व्यवधान) शुरू करिये आप भी ।

**श्री जुबेर खान :** यह कोई बात हुई ? (व्यवधान)

**डा. सी.पी. जोशी :** आप भी शुरू करिये, बाकी रह गयी हो तो कोई। और कोई बात बाकी हो तो आप भी शुरू करिये।

**श्री अध्यक्ष :** आप बैठे-बैठे ही बोल रहे हैं।

**डा. सी. पी. जोशी :** अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था है, उसके बाद संसदीय मंत्री महोदय की ड्यूटी है कि वह अध्यक्षीय व्यवस्था को एनकरेज करें। उलटा काम कर रहे हैं। आप तो कह रही हैं कि स्थगित करना पड़ेगा। यह कह रहे हैं कि यह करें तो.., यह संसदीय मंत्री का काम है क्या ? इनको तो आपकी बात को जस्टिफाई करना चाहिये कि सदन ठीक ढंग से चले। यह काम उनका है। उलटी बात कहने लग गये।

**श्री संयम लोढ़ा :** इनकी भी ठीक नहीं है, वसुन्धराजी की ना लिफ्ट में...(व्यवधान)

**डा. सी.पी. जोशी :** आप संसदीय मंत्री हो, राजेन्द्र राठौड़ नहीं हो। यह कोई राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं है...(व्यवधान) संसदीय मंत्री हो।

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** मुझे पता है कि मैं क्या हूं। मुझे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है।

**डा. सी. पी. जोशी :** संसदीय मंत्री की जिम्मेदारी होती है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** मुझे आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है।

**डा. सी. पी. जोशी :** जरूरत है, जरूरत है।

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** सदन के बाहर क्या कहते हो, सदन के अन्दर क्या कहते हो।

**डा. सी.पी. जोशी :** राजस्थान के ससदीय मंत्री हो, इसलिए जरूरत है। राजेन्द्र राठौड़ को जरूरत नहीं है। राजस्थान सरकार के संसदीय मंत्री हो इसलिए जरूरत है।

**श्री रामप्रताप कासनिया :** अध्यक्ष महोदय, आपस में कुश्ती हो रही है, जैसे दंगल में हो रही हो। इस तरह से कटो-मरो तो मत आपस में...। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा :** वसुन्धराजी अगर भवानी सिंहजी को ज्यादा लिफ्ट दे रही हैं तो आप हमारे ऊपर क्यों गुस्सा निकाल रहे हैं?

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, मदन राठौड़, आप अपनी बात को कनक्लूड करें।

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** आप यह देखें।

**श्री संयम लोढ़ा :** हमारे ऊपर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो?

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** अध्यक्ष महोदय, ईर्रलेवेंट बात कहने का अधिकार तो इनको है, कौन किसकी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, यह कोई बात हुई? (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आप ही कह रहे हैं ...(व्यवधान) यह आप कह रहे हैं.. (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़ :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा ।

**श्री हरिमोहन शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इन्फारमेशन।

**श्री अध्यक्ष :** शून्यकाल के अंदर न कोई पाइंट आफ इन्फार्मेशन होता है, न कोई पाइंट आफ आर्डर होता है।

**श्री मदन राठौड़ :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अशोक उद्यान का काम अभी ठप्प है...

**श्री अध्यक्ष :** लेकिन आप अपनी बात कनक्लूड करें । देखें, पर्ची पर इतना लंबा भाषण थोड़े ही होता है। पर्ची बहुत शार्ट होती है (व्यवधान)

**श्री मदन राठौड़ :** अध्यक्ष महोदय, पुनर्निर्माण समिति बनी है, यह

(श्री मदन राठौड़)

समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे। सरकार कार्यवाही करे। इसकी जांच हो कि इस पर जो 6 करोड़ 22 लाख रूपयं खर्च करना बताया है, इसमें निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हुआ है।

श्री अध्यक्ष : वह मंत्रीजी हैं ही नहीं यहां पर। वह मंत्री जी हैं ही नहीं, कौन करेगा नोट और कौन देगा आपको जवाब?

श्री मदन राठौड़ : सरकार है, आप हैं, माननीय मंत्री महोदय विराजमान हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मैंने प्रश्न उठाया है सदन में, यह सदन का दायित्व है कि सदन को इसकी जांच करवाने के लिए व्यवस्था हो।

श्री रामनारायण चौधरी : जांच हो जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको क्या जरूरत हो गयी बीच में? (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो बाबू लक्ष्मण सिंह पार्क पर चारदीवारी के लिए 2 लाख 97 हजार रूपया खर्च करना बताया, उसकी भी जांच की जानी चाहिए। फव्वारे 2 लाख 16 हजार, पुस्तकालय 3 लाख 53 हजार, यह आवासन मंडल का धन है जिसका दुरूपयोग हुआ। गर्भ स्टोन और रंग-रोगन 1 लाख 86 हजार..

श्री अध्यक्ष : आवासन मंडल का नहीं, यह जनता का धन है।

श्री मदन राठौड़ : यह जनता का धन है, बिलकुल ठीक फर्माया है आपने, अध्यक्ष महोदय, पायलट ब्लाक 1 लाख 80 हजार, आश्चर्य होता है, लोहे का फर्नीचर 3 लाख 74 हजार 181 रूपये...

श्री संयम लोढ़ा : मुख्य मंत्री के निवास पर ढाई लाख की कमोड लगी है, उसका ब्यौरा क्यों नहीं देते आप?

श्री अध्यक्ष : व्यवधान नहीं डालें, माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ : फर्नीचर, बाबू लक्ष्मण सिंह पार्क की बात।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें, प्लीज, सिट डाउन।

श्री संयम लोढ़ा : मुख्य मंत्री निवास का ब्यौरा दो न फिर।

श्री मदन राठौड़ : आपको बहुत मिर्चे लग रही हैं और अपने आकाओं को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा आप बोल रहे हैं।

**श्री संयम लोढ़ा :** पहले आप यह बताएं कि मिर्च हरी लग रही है कि लाल लग रही है?

**श्री मदन राठौड़ :** आपको लाल लग रही है, लाल।

**श्री संयम लोढ़ा :** यह कह रहे हैं, मिर्च लग रही हैं। (व्यवधान)

**श्री सी.डी. देवल :** यह कह रहे हैं मिर्च लग रही हैं...(व्यवधान) आपने विलोपित कर दिया...(व्यवधान) इसको भी विलोपित किया जाए। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** अब आप समाप्त करें ।

**श्री मदन राठौड़ :** अध्यक्ष महोदय, हां ठीक है। समाप्त कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, कुछ सदस्यों के नाम गलत रख दिये गये। जो पूर्णतया असंयमित हैं उनका नाम संयम रख दिया । इस पर एक बार पुनर्विचार करने की जरूरत है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में कोई भी माननीय सदस्य चाहे किसी के लड़का होवे तो उसका नाम संयम तो नहीं रखे। आप किसी भी प्रकार से संयम रख ही नहीं सकते हैं जो सुनने का माद्दा नहीं रख सकता और केवल अपने आकाओं को खुश करने के लिए अनर्गल बोलता रहे।

अध्यक्ष महोदय, आज इन्होंने जो मंदिर का मुद्दा उठाया, इनकी पार्टी इसको भी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। वह उनको पार्टी से निष्कासित करने की कार्यवाही करने वाली है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आवासन मंडल ने जो अनियमितताएं की हैं उसकी जांच की जानी चाहिए और सरकार उसका जवाब दे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

**श्री अध्यक्ष :** धन्यवाद।

**श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बहुत गंभीर प्रश्न उठाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जिन बिन्दुओं के बारे में सदन में चर्चा की है, उन सारे बिन्दुओं की जांच निष्पक्ष रूप से सरकार कराएगी, सक्षम अधिकारी से कराएगी।

**श्री अध्यक्ष :** सरकार आ गयी, वह सरकार आ गयी। सरकार को कहने दो।

**श्री अशोक बैरवा :** जवाब दे रहे हैं .. (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण कर लें । (व्यवधान)

**श्री प्रतापसिंह सिंघवी (राज्य मंत्री, स्वायत्त शासन) :** अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मुद्दे उठाये हैं, उन्होंने जो बातें बतायी हैं मैं भी उनको गंभीर मान रहा हूं और मैं इस पूरे प्रकरण की जांच करवाउंगा।

**श्री अध्यक्ष :** वैरी गुड । श्री हरिमोहन शर्मा।

**श्री हरिमोहन शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं आपकी जानकारी में जो तथ्य हुआ वह ला दूं।

**श्री अध्यक्ष :** तथ्य नहीं आप तो पर्ची पर बोलें।

**श्री हरिमोहन शर्मा :** यह पर्ची पर तो बोल ही रहा हूं। कोटा में सारे वक्तव्य के बाद अभी-अभी कुछ लोगों पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया है। वे लोग थे, जो सरकार के आदेशों के विपरीत समाज कल्याण मंत्रीजी ने निर्देश देकर वहां आतंक पैदा करने के लिए भेजा था...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आपकी पर्ची तो जयपुर स्थित सवाई मानसिंह चिकित्सालय के लिए थी। माननीय सदस्य यह गलत बात है। पर्ची पर बोलिये।

## जयपुर स्थित एस.एम.एस. अस्पताल में कैंसर के इलाज हेतु लीनियर एक्सीलेटर मशीन की स्थापना

**श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :** ठीक है, पर्ची पर बोलूंगा। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं उस गंभीर कमी की ओर सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं जिसकी परिकल्पना स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक सपना देखा है कि वह राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक अच्छा विस्तार कर सकें और आल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की तर्ज पर राजस्थान के सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज में वह सुधार कर सकें ।

**श्री कालीचरण सर्राफ :** 100 करोड़ रूपये की कार्य योजना है, आपके समय में एक करोड़ रूपया खर्च नहीं किया आपने।

**श्री हरिमोहन शर्मा :** हमने तो कुछ नहीं किया।

श्री कालीचरण सर्राफ : नहीं किया इसलिए तो बैठे हो। अब 100 करोड़ रूपये की कार्य योजना बनी है एस.एम.एस. हास्पिटल को आधुनिक स्वरूप प्रदान करने के लिए।

श्री अध्यक्ष : बीच में न बोलें। माननीय सदस्य, बीच में न बोलें।

श्री हरिमोहन शर्मा : उन्होंने तो यहां तक भी कहा था अपने बजट भाषण में, "आंधियों से कह दो कि वह औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं।"

श्री अध्यक्ष : हौसलों से उड़ा करते हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं, यही बोला है मैंने। उनका विजन था, इतनी कसरत के साथ और बिना परों के उड़कर राजस्थान के इस मेडिकल इंस्टीट्यूट को ठीक करने का, उस कल्पना की ओर मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में प्रति वर्ष 10 हजार नये लोग कैंसर से पीडित होते हैं और इनके इलाज के लिये जिस प्रकार की व्यवस्था सवाई मानसिंह मेडिकल हास्पिटल में होनी चाहिए, मैं उन कमियों की ओर आपका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, अभी इस समय एक बहुत पुरानी मशीन कोबाल्ट थैरेपी की राजस्थान के एस.एम.एस. मेडिकल कालेज में लगी हुई है और उसकी तकनीक आज की तारीख में बहुत पुरानी है । तकनीक में जो आज एडवान्सर्मेट हुआ है उसके अनुसार यह मशीन आज की तारीख में शत प्रतिशत अनुपयोगी है। अगर उसके स्थान पर लीनियर एक्सीलेटर मशीन जिसका नया इन्वेंशन हुआ है, मुम्बई के पूरे अस्पतालों में कोबाल्ट थैरेपी से सेक का जो काम है, उसको इस मशीन ने जगह लेकर बदल दिया है। पुरानी मशीनों के स्थान पर लीनियर एक्सीलेटर, नई टैक्नोलोजी की मशीन लगा दी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस नई मशीन की टैक्नोलोजी के बारे में माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी अच्छी तरह परिचित हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : वह सारा साहित्य जो कम्पनी ने आपको उपलब्ध करवाया है, उसके साथ पूरी जानकारी रखिए।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह बात ठीक है आपकी, मगर किसी भी

कम्पनी ने मुझे उसकी दलाली करने के लिए बकौल आपके, यदि आपका यह ..

डा. सी.पी. जोशी : यह प्रैक्टिस है इनकी, आप इस पर क्यों बोल रहे हैं?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप अच्छा बोल रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : नहीं, मैं अच्छा नहीं बोल रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं कि या तो आप त्यागपत्र दे दे यदि किसी कम्पनी ने मुझे कराया हो या ये सदन कि सदस्यता के त्याग पत्र दे दें या क्षमायाचना कर लें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैंने तो उलटे यह कहा है कि उसकी जो भी उपलब्धि, जो भी विशेषता है, वह पूरी की पूरी आपको किसी ने तो बताई ही होगी?

श्री हरिमोहन शर्मा : आपको याद नहीं है? आपको कालीचरणजी से सबक नहीं मिला? जिस ओ.के. की बात कर रहे थे, वहां आपको जाना पड़ा मुख्य मंत्रीजी के साथ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसके पास जाना पड़ा?

श्री हरिमोहन शर्मा : एम.आर.आई. कराने के लिए जाना पड़ा, नहीं जाना पड़ा क्या उसी ओ.के. में एम.आर.आई. कराने के लिये? आपको जाना पड़ा न ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा है, जहां पर मशीन है वहां पर जाना पड़ता है। वह रोने-धोने की क्या बात है? जहां पर जो सुविधा उपलब्ध है, मान लो, उन्होंने यहां इलाज नहीं करवाया और वहां पर जाकर इलाज करवाया, बड़े आदमी का इलाज कहां पर होता है, उसके बाद भी वह कोमा में है, आप क्या कर लो?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : आपके ध्यान में अच्छी कम्पनी है तो आप वह बता दो ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप किसी बात को लेकर उसके गुणावगुण के आधार पर चर्चा नहीं करके केवल सनसनी पैदा करना चाहते हो तो मैं समझता हूं कि वह तो ठीक नहीं हैं, वह तो मरीज का इलाज कहां होना चाहिए, उसके परिजन तय करते हैं । मैं अपना इलाज

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

एस.एम.एस. अस्पताल में नहीं करवाकर प्राइवेट अस्पताल में करवाता हूं क्योंकि मेरे पास पैसे हैं इसलिए करवाता हूं और वह सारी व्यवस्था है।

एम.आर.आई. की मशीन आज तक कांग्रेस गवर्नमेंट ने नहीं लगाई, नहीं लगाई तो नहीं लगाई, इसलिए बाहर जाना पड़ता है एम.आर.आई. के लिए, आप क्या करेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : क्यों नहीं लगाई, आप लगाओ न?

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्षजी खुद परेशान हैं आप से ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम लगवा रहे हैं, यह सरकार लगवा रही है। लग रही है, उसकी कोई बात नहीं है। ये सारी पुरानी टैक्नोलोजी की मशीनें यहां रखी हुई हैं, उसको बदलने का काम कर रहे हैं, आप +++ हम तो इलाज करवाने गए थे।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य, आप सजैस्ट कर दें कि उससे बैटर और सुपीरियर यह है कम्पनी ।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह लीनियर एक्सीलेटर किसी कम्पनी का नाम नहीं है, आप कम्पनी का नाम समझ रहे हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसी कम्पनी की मशीन है यह ।

श्री हरिमोहन शर्मा : कोई न कोई मशीन कोई न कोई कम्पनी बनाती है।

श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर) : +++ यहां हाउस में ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो छोड़ दो गवर्नमेंट पर, वह लगवा देंगे। उनसे क्यों बहस कर रहे हो ? उन्होंने कह दिया न कि व्यवस्था करवा रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं और इसलिए चाहता हूं कि माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी यहां पर बैठे हुए हैं, वैसे तो यह हायर एजूकेशन का मामला है, लीनियर एक्सीलेटर के बारे में माननीय महावीरजी फर्मा रहे हैं, आप इनको अलग से बैठा कर समझा दें कि यह लीनियर एक्सीलेटर है क्या ।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुझे तो समझ में आ रहा है, आपके नहीं आ रहा।

**श्री हरिमोहन शर्मा :** नहीं, मुझे तो आ रहा है लेकिन आप सच्चाई से बैठकर इनको समझाओ आपकी बड़ी कृपा होगी।

मेरा सीधा सादा-सा सुझाव है कि कोबाल्ट थैरेपी की जो मशीन है वह आउट आफ डेट हो चुकी है। मुम्बई के सभी कैंसर अस्पतालों में इसको बदल दिया गया है। यहां पर भी महावीर कैंसर इन्स्टीट्यूट में लीनियर एक्सीलेटर मशीन को लगाया जा रहा है। राजस्थान में जिस तरह के एस.एम.एस. अस्पताल की आप परिकल्पना कर रहे हैं और मेडिकल हैल्थ यूनिवर्सिटी बनाकर केवल इस एक इन्स्टीट्शन को उसके साथ एफीलिएट करके राजस्थान को इण्डिया लेवल का एक इन्स्टीट्यूट देना चाहते हैं, क्या आप यह नहीं मानते कि वहां पर लीनियर एक्सीलेटर की आवश्यकता है ? क्या आप जानते हैं कि लीनियर एक्सीलेटर क्या चीज है?

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** वह आग लगाने वाली चीज है।

**श्री हरिमोहन शर्मा :** नहीं, वह आग लगाने वाली नहीं है, वह आप इनको समझा दें।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** वह कैंसर के कीटाणुओं को जलाने के लिए है। यही है न, इसके अलावा क्या है वह? आप पूरी वकालत भी करते हो और पूरी जानकारी लेकर भी नहीं आते हो ।

**श्री महीपाल सिंह यादव :** आपने किसी कम्पनी से सौदा कर लिया क्या ?

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** ऐसा है, मैंने तो आज तक किसी से सौदा नहीं किया है और इस सदन को इस प्रकार का बनाया नहीं है। प्रोफेशन के रूप में यह जो एक अपराध है, वह अपराध मैंने कभी नहीं किया। लेकिन जिन लोगों ने यह प्रोफेशन किया है, उस प्रोफेशन के मामले में वह बोल नहीं सकते। जहां पर नौकरी की, उसके मामले में नहीं बोल सकते। जिनसे सम्बन्ध रहे हैं, जिनके रिश्तेदार हैं, उनके मामले में नहीं बोल सकते इस सदन में। इस सदन का दुरुपयोग कुछ लोग करते हैं। आप अच्छे सुझाव लाइए, किसी अच्छे की पैरवी कीजिए। गलत की पैरवी करने के लिए यह सदन नहीं हो सकता।

**श्री हरिमोहन शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, यह मेरे लिए क्या रिलेवेन्सी है इसकी?

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** नहीं, आपकी नहीं, मैं तो आप कह रहे हो न ...

**श्री हरिमोहन शर्मा :** बोल तो मैं रहा हूं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** आपने कहा इसलिए, रोना-धोना।

**श्री हरिमोहन शर्मा :** उस दिन तो आपने जवाब नहीं दिया और आज बोलने से क्या फायदा ? उस दिन मुंह लेकर बैठे थे।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** किस दिन ? उस दिन भी कहा था मैंने । मैंने कहा था कि गरीब की पैरवी करते नहीं हो। आप पैरवी करते हो उनकी जिनके आपसे सम्बन्ध हैं।

**श्री हरिमोहन शर्मा :** माननीय अध्यक्षजी, आप उनको या तो रोको या इतनी देर मैं बैठ जाता हूं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** आप मुझे क्यों छेड़ते हो ?

**श्री महीपाल सिंह यादव :** +++

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** जमीनों पर कब्जा किया होगा, किसी को डरा धमका कर...

**श्री हरिमोहन शर्मा :** किससे कह रहे हो आप यह ?

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** जो मेरे से कह रहे हैं उनसे मैं कह रहा हूं। एफ.आई.आर. दर्ज है इनके खिलाफ, महीपालजी के खिलाफ ।

**श्री हीरालाल (निवाई) :** कम्पनियों ने कितना कमीशन दिया है आपको जो आप उनकी पैरवी करते हैं ?

**श्री हरिमोहन शर्मा :** बोल तो मैं रहा हूं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** बीच में वह बोले हैं।

**श्री हरिमोहन शर्मा :** मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि दुर्भाग्य है..

**श्री महीपाल सिंह यादव :** +++ आप खामखाह ही क्यों रोक रहे हैं इनको ? आप कमीशन लेकर +++ आप इनको रोक रहे हो ?

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** आप फिर आरोप लगा रहे हो ?

**श्री महीपाल सिंह यादव :** हां, लगाओ।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** आज तक मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया

जो +++ का हो या किसी की पैरवी का हो। न मैंने किसी की जमीन के मामले में डराया-धमकाया। मेरे खिलाफ न तो एफ.आई.आर दर्ज है इस प्रकार की जिसमें कोई जमीन पर किसी को डराने-धमकाने का मामला हो।

**श्री अमरा राम (धोद) :** जमीन के लिए कौन धमका रहा है ?

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** यह धमका रहे हैं महीपालजी।

**श्री अध्यक्ष :** यह तो केवल पैरवी करते हैं नियमों की।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) :** कुल मिलाकर आप +++ हैं।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** आप तो कुछ नहीं हैं।

**श्री अध्यक्ष :** लेकिन आप बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे । यह गलत बात है।

**श्री हरिमोहन शर्मा :** राजस्थान के हित में जिस काम की बात को सदन के सामने रख रहा हूं, मुझे अफसोस है इस बात का कि जिम्मेदार माननीय सदस्य इस गम्भीर बात को हंसी में उड़ा रहे हैं और विषय से हटकर अनर्गल +++ करके इस महत्वपूर्ण बात को हवा में उड़ाकर राजस्थान के मुख्य मंत्री के सपने चकनाचूर करने में लगे हुए हैं, मुझे यह कहना है।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** आप अपने मुद्दे को डाइवर्ट करके इस प्रकार के शब्दों की कल्पना कर रहे हो, दूसरे भी कर सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष :** आपका शब्द गलत था।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** सीधी-सी बात है, यदि आप इतने गंभीर हैं तो गम्भीर बात करें, इधर-उधर साइडट्रेक न करें और उस गंभीर विषय पर गंभीरता बनाये रखें। मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसा गंभीर विषय जो बीमारी के मामलों में हैं, कैंसर के पेशेंट के बारे में जिस प्रकार की चिन्ता आपकी है कि उनका इलाज यहां पर एस.एम.एस. में हो और उसमें अत्याधुनिक मशीनें लगें, इसके लिए आप चाहते हो, आप कृपया इसको राजनैतिक मुद्दा न बनाएं ।

**श्री बृजकिशोर शर्मा :** अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था आप दे रहे हो या ये दे रहे हैं ?

**श्री महीपाल सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदय, महावीरजी को भी थैरेपी की जरूरत है, ये बार-बार खड़े हो जाते हैं।

**श्री हरिमोहन शर्मा** : अध्यक्ष महोदय इसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है। मेरे हिसाब से यह लगाओ तो ठीक, एस.एम.एस. के ताला लगाओ तो ठीक, वहां की मशीनें हटाओ तो ठीक। वहां इलाज अगर नहीं करना चाहें आपके कार्यकाल में, तो यह आपकी मर्जी का सवाल है । मेरा तो केवल मात्र सुझाव देने का काम है, मैं सुझाव दे रहा हूं। मैं फिर माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, जो ज्यादा बुद्धिजीवी इस सदन में आये हैं, उनकी बुद्धि से मुझे थोड़ा बचाकर आप मेरा प्रोटेक्शन कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी ताकि मैं अपनी बात को इस सदन में रख सकूं।

**श्री अध्यक्ष** : आप तो स्वयं उनमें से एक हैं, आपको मैं कैसे बचाऊं ?

**श्री हरिमोहन शर्मा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो इस एक्सीलेटर को लगाने का सवाल है, यह करीब 5-6 करोड़ की लागत का है। इसके लगने से, जैसे महावीर कैंसर सेंटर यहां लगा रहा है, तो जो भी यहां मरीज आएगा उसको महावीर कैंसर सेंटर पर ही इस थैरेपी से इलाज कराने के लिए जाना पड़ेगा। महावीर कैंसर सेंटर जो इसका चार्ज करेगा वो चार्ज एस.एम.एस. में जो व्यवस्था होगी उस चार्ज से बहुत हाई होगा। इस एक्सीलेटर की व्यवस्था अगर एस.एम.एस मेडिकल कालेज में हो जाती है, जिस प्रकार कैथ लैब की व्यवस्था की है उसी तरह फंडिंग गैप के आधार पर अगर अपन बैंक को गारंटी देकर यह एक्सीलेटर एस.एम.एस में लगा देते हैं तो राजस्थान में जो 10 हजार कैंसर के नये मरीज बन रहे हैं, बीमार हो रहे हैं और जो यहां आते हैं और जो राष्ट्रीय स्तर पर एस.एम.एस. की तारीफ है, उसके हिसाब से उनको कोबाल्ट थैरेपी से काम कराना पड़ता है। कोबाल्ट थैरेपी आज की तारीख में वो ही पुरानी टैक्नीक की मशीन है जो करीब-करीब सब इंस्टीट्यूशंस ने, चाहे वो दिल्ली में हों, चाहे वे बोम्बे में हो, चाहे वो अन्य स्थानों पर हों, सबने कोबाल्ट थैरेपी के सिस्टम को बदल दिया है, क्योंकि कोबाल्ट थैरेपी के सिस्टम में कैंसर के एक बहुत बड़े एरिया में इफैक्ट होता है और जो एक्सीलेटर वाला सिस्टम है इससे पर्टीकुलर, पाइंटेड जिस जगह पर भी कैंसर के कीटाणु हैं उसी जगह पर इसका असर होता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुख्य मंत्रीजी ने जो बिना परों के उड़ने की बात की थी, मुझे चिन्ता इस बात की है कि हायर एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन पर पूरे बजट

(श्री हरिमोहन शर्मा)

का केवल 17 प्रतिशत भाग हम अभी तक खर्च कर पाये हैं। मुझे इस बात की चिन्ता है कि अभी तक हमें जो बजट उपलब्ध है उसको हम खर्च नहीं कर पाये, मेहरबानी करके राजस्थान सरकार इस एक्सीलेटर को लगाए। राजस्थान में इस एस.एम.एस. मेडिकल कालेज को आदर्श रूप में बनाना चाहते हैं और जिस प्रकार की व्यवस्था आज की तारीख में आवश्यक है, मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान सरकार इस महत्वपूर्ण बात को स्वीकार कर शीघ्र ही एक्सीलेटर लगाने की व्यवस्था करेगी।

**श्री अध्यक्ष :** धन्यवाद, श्री रघुवीर सिंह मीणा।

**डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा मंत्री) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें खुशी इस बात की है कि माननीय सदस्य काफी कुछ जानकारी करके, आज कोबाल्ट थैरेपी में क्या होता है, (व्यवधान) सवाई मानसिंह अस्पताल मेरे खयाल से उत्तरी भारत का बहुत ही प्रेस्टीजियस हास्पिटल है। आपकी पीड़ा मैं सही मानता हूं, राज्य सरकार भी यह चाहती है और इसकी प्रक्रिया शुरू भी की थी, पर कुछ खामियों की वजह से वह अभी पूरा नहीं कर पाये। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं दिनांक 27 जनवरी, 2005 को रिलीफ सोसायटी की बैठक में यह बात आयी थी और उसके तहत एक चार्टर्ड अकाउंटेट को 0.75 परसेंट उनकी प्रोफेशनल फीस पूरे प्रोजेक्ट की तय करके यह बात तय कर ली गई थी। पर उसके बाद जानकारी में आया कि इससे कम परसेंटेज पर भी, यह प्रोफेशनल फीस 0.75 परसेंट से भी कम है, यह राज्य सरकार की जानकारी में आया, इसलिए इन आदेशों को स्थगित कर दिया गया। इसमें निश्चित रूप से जो भी फार्मल्टीज पूरी होनी हैं, पूरी करके राज्य सरकार तो यह लीनियर एक्सीलेटर लगाना चाहती है और मरीजों की सुविधा के लिए सवाई मानसिंह जैसे रैपुटेड हास्पिटल में बहुत आवश्यक भी है। तो मैं सदन को यह आश्वासन भी दे सकता हूं, आगे आने वाले समय में जल्दी ही लीनियर एक्सीलेटर सवाई मानसिंह हास्पिटल में लगेगा।

**श्री हरिमोहन शर्मा :** यह कौनसी कंपनी से खरीदेंगे, यह आप महावीरजी से पूछ लेना।

**श्री महावीर प्रसाद जैन :** जो आपकी कंपनी है उस पर भी विचार कर लेंगे।

## कोटड़ा क्षेत्र के अनाथ बच्चों को मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था

श्री रघुवीरसिंह मीणा (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं आज बहुत महत्वपूर्ण विषय की तरफ सरकार का ध्यान पर्ची के माध्यम से आकर्षित करना चाह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कई क्षेत्र ऐसे हैं, पिछड़े हैं जहां सरकार की मदद की भी आवश्यकता है, सहानुभूति की भी आवश्यकता है और हर तरह से सहानुभूतिपूर्वक विचार करके मदद करने की आवश्यकता है। एक ऐसा ही क्षेत्र उदयपुर तहसील में कोटड़ा क्षेत्र है जहां हमारी माननीय मुख्य मंत्री सरकार का एक साल पूरा होने पर गयी थीं। उस क्षेत्र की बात मैं निवेदन करना चाह रहा हूं।

सबसे पिछड़ा क्षेत्र कोटड़ा जहां के आदिवासी शिक्षा, चिकित्सा एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जी रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, वहां एक संस्था ने सर्वे किया। 9 पंचायतों में करीब 211 बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हैं, जिनके मां-बाप मर चुके हैं। जिनका पालन-पोषण या तो उनके रिश्तेदार कर रहे हैं या गांव वाले कर रहे हैं। वह क्षेत्र ऐसा क्षेत्र जहां पर चिकित्सा की सुविधा समय पर नहीं मिलने की वजह से या पर्याप्त सुविधा नहीं मिलने की वजह से उन अनाथ बच्चों के मां-बाप का साया उनके सिर से उठ जाता है और वे मां-बाप जवानी में मर जाते हैं। ऐसी स्थिति में वे बच्चे भटकने की स्थिति में हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र के कर्मचारी ए.एन.एम. नर्स, कंपाउंडर, पटवारी, ग्रामसेवक, सारे लोग जानते हैं उसके उपरांत भी उन बच्चों को न तो उनकी तरफ से, न सरकार की तरफ से, न संस्थाओं की तरफ से, किसी की भी तरफ से कोई मदद मिल रही है।

अध्यक्ष महोदय, 17 अक्टूबर को समाचार-पत्रों के मुख पृष्ठ पर एक खबर छपी है। उसमें "अनाथों का नाथ कौन" यह विषय है और बच्चों के ऐसे फोटो दिये हैं जिनको देखकर आपके मन में करुणा पैदा हो जाए। उसमें लिखा है कि कोटड़ा की 4 पंचायतों में 90 से ज्यादा अनाथ बच्चे। यह भास्कर अखबार का सर्वे है। मात्र 4 पंचायतों में 90 अनाथ बच्चे हैं। एक संस्था है "एक ही आंदोलन," इस संस्था ने 9 पंचायतों में सर्वे किया उसमें 211 अनाथ बच्चे हैं। अब अध्यक्ष महोदय, मुख्य बात यह है, प्रशासन की संवेदनशीलता देखो। महामहिम राज्यपाल खुराना साहब जब उदयपुर पधारे तो

(श्री रघुवीरसिंह मीणा)

उन बच्चों को एकत्रित करके महामहिम से मिलाने के लिए जब उदयपुर लाया जा रहा था तो उदयपुर शहर के चारों तरफ नाकेबंदी करके प्रशासन ने उन बच्चों को महामहिम राज्यपाल महोदय तक नहीं पहुंचने दिया। दूसरा, 17 अक्टूबर के बाद, एक माह और 17 दिन बाद हमारी सम्माननीय मुख्य मंत्री सरकार का एक वर्ष पूरा हुआ, 4 दिसम्बर को कोटड़ा पधारीं तो इन्होंने वहां 11 हजार साइकिलें बांटने की बात कह दी। 75 प्रतिशत से ज्यादा वहां की बच्चियां अगर नम्बर लाएंगी तो स्कूटी देने की बात कह दी। नमक बांटने की बात कह दी। कोई बात नहीं, अच्छी बात है नमक बटवाइये, साइकिलें बंटवाओ। 75 परसेंट से ज्यादा नम्बर लाएं तो उनको स्कूटी दो। इसमें हमें किसी तरह की कोई आपत्ति भी नहीं, तारीफ करते हैं हम तो। परन्तु अफसोस की बात यह है, 17 अक्टूबर को अखबारों में खबर छपी, मुख पृष्ठ पर खबर छपी है, प्रशासन भी जान रहा है और मुख्य मंत्री वहां स्वयं पधारी हैं, तो वहां के उन अनाथ बच्चों की खबर उनको लेनी चाहिए थी। परन्तु किसी अनाथ बच्चे से न मिलीं, न पूछा, इससे ज्यादा हमारे लिए खेद की बात क्या हो सकती है ? राजस्थान की मुख्य मंत्री जिन पर वह आस लगाए बैठते हैं कि ये हमारी सुनेंगी और हमारा कुछ उद्धार करेंगी, उन्होंने ही खबर नहीं ली तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा राज कैसा चल रहा है, हम सहानुभूति कैसी रख रहे हैं। यहां किसी भी तरह से मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि इनके राज से ही अनाथ हो गये, बहुत लम्बे समय से चल रहा होगा पर किसी भी सरकार की तरफ से कमी रही है, उस कमी को दूर करते हुए अब इस सरकार को निश्चित तौर से इस ओर विशेष ध्यान देकर जो अनाथ बच्चे आज हैं, पूरे क्षेत्र में उनका सर्वे करवाना चाहिए और सर्वे करवाकर उन बच्चों को शिक्षा जितनी जो भी आधारभूत सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं हैं वे सुविधाएं उनको दिलानी चाहिए ताकि वहां के लोगों को विश्वास हो सके कि सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है।

अध्यक्ष महोदय, यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में कम से कम भी दो सौ और तीन सौ के बीच में स्वयंसेवी संस्थाएं काम करती हैं, वे संस्थाएं क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, उनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इतनी संस्थाएं काम करती हैं, सरकार यह काम करती है, उसके बावजूद भी इतने अनाथ बच्चे घूम रहे हैं जिनकी कोई खैर-खबर नहीं है। सरकार भी उनको कुछ मदद नहीं कर रही है, स्वयंसेवी

(श्री रघुवीरसिंह मीणा)

संस्थाएं भी उनको कोई मदद नहीं कर रही है। ऐसी स्थिति में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से सरकार इसको गंभीरता से ले, सहानुभूतिपूर्वक ले। बच्चे जितने भी बेरोजगार, बेरोजगार क्या कहें, ये बच्चे सिर्फ एक से बारह साल के आसपास के बच्चे हैं, इनके शिक्षण की व्यवस्था की जाए, इनके खाने-पीने की व्यवस्था की जाए, इनके आवास की व्यवस्था की जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। आपको धन्यवाद।

**श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार अनाथ बालकों के प्रति गंभीर नहीं है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 18 तारीख के दैनिक भास्कर अखबार में सरकार ने पढ़ा और तुरन्त 10 बजे निर्देश दिये। उपखण्ड अधिकारी और हमारे समाज कल्याण अधिकारी मौके पर गये और सब के घर जाकर एक-एक से बातचीत करके आये। उसमें से हमने 9 जो अनाथ बालक थे, उनको वनवासी कल्याण परिषद के निराश्रित गृह में प्रवेश दिला दिया, 19 बालकों को उसके पहले ही प्रवेश दिया गया था। शेष बालक और बालिकाएं हैं जो 44 हैं । ये 201 जो कह रहे हैं, गलत फीगर है। हमने घर घर जाकर सर्वे करवाया है।

**श्री रघुवीरसिंह मीणा :** ये 11 नहीं हैं, ये लिस्ट देख लो।

**श्री मदन दिलावर :** मेरे को लिस्ट दे देना।

**श्री अध्यक्ष :** बीच में क्यों बोलते हो? जवाब दे रहे हैं वह, आप बोल रहे थे तो वह नहीं बोले।

**श्री मदन दिलावर :** 44 जो अनाथ बालक बताये हैं उनमें से 19 को हम पहले प्रवेश दे चुके हैं, 9 को हमने उसके बाद में दे दिया और शेष के बारे में एक एक घर से, उसके अभिभावकों से और बच्चों से बात करके आये हैं। उनमें से कुछ बालक और बालिकाएं आना नहीं चाहते क्योंकि कोई उनको दादा पाल रहा है, कोई नाना-नानी उनको पाल रहे हैं । वे इस प्रकार से सरकारी संरक्षण में नहीं आना चाहते, इस कारण से नहीं आ पाये हैं। 18 तारीख के अखबार में सुबह हम पढ़ते हैं और उसी 18 तारीख को 10 बजे ही हमारी टीम रवाना हो जाती है और 22 तारीख को सरकार को रिपोर्ट कर देती है कि हमने इन अनाथ बालकों को इस प्रकार से संरक्षण में ले लिया है, इस प्रकार

(श्री मदन दिलावर)

से पालने की व्यवस्था कर दे है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, हम उसके पहले से ही चिंतित हैं । यह सरकार बहुत चिंतित है इसीलिए सरकार ने पिछला जो बजट भाषण था माननीय मुख्य मंत्रीजी का उसमें कहा था कि अनाथ बालकों के लिए पालनहार योजना ला रहे हैं। हमने यह पालनहार योजना बना दी है। जितने भी राजस्थान में अनाथ बालक और बालिकाएं हैं उन बालक और बालिकाओं को पालने का काम समाज कल्याण विभाग का है इसलिए हमने पालनहार योजना बनाकर इस प्रकार से किया। अभी तक जो हमारे पास व्यवस्था थी, वह अनाथालय या निराश्रित गृहों में बालकों को रखने की थी, उसके कारण से पारिवारिक माहौल नहीं मिलता था, वह बालक अपने स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता था। इसलिए हमने व्यवस्था की है, जो भी बालक हैं, उनके परिवार वाले, रिश्तेदार, कोई स्वयंसेवी लोग पालना चाहते हैं तो एक परिवार को दो बालक दे सकते हैं। ढूंढकर देने के बाद पालनहार के ऊपर आर्थिक बोझ नहीं पड़े, ठीक तरह से उसको पाल सके, इसलिए सरकार की तरफ से एक शून्य दिवस से लेकर 18 साल की उम्र तक का जितना भी खर्चा भोजन पर, कपड़ों पर पढ़ाई पर सारा होगा, वह समाज कल्याण विभाग वहन करेगा। इस प्रकार की हमने योजना बना दी है । निरन्तर रूप से आवेदन हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं, उनका निस्तारण निरन्तर रूप से कर रहे हैं।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा :** मंत्रीजी, यह तो सिर्फ 9 पंचायतों की बात थी, भास्कर में जो खबर छपी है, कि पंचायतों में 90 से ज्यादा अनाथ बच्चे हैं यह इस संस्था ने सर्वे किया है 9 पंचायतों का। वहां खाली 9 पंचायतों ही नहीं होंगी कोटड़ा में, मैं आपसे यह चाहूंगा कि आप क्या पूरे कोटड़ा क्षेत्र में सर्वे करवाकर यह पता लगाएंगे कि कितने बच्चे अनाथ हैं और कितनों को मदद की आवश्यकता है?

**श्री मदन दिलावर** : 9 पंचायतों का मामला नहीं है, राजस्थान में 9 हजार से ऊपर पंचायतें हैं। किसी भी पंचायत में, किसी भी गांव में, किसी भी घर में यदि अनाथ इस प्रकार से होगा और उसको सरकार की सेवा की आवश्यकता है तो जिस प्रकार से मैंने पालनहार योजना का नाम लिया है, उल्लेख किया है, उस योजना के तहत सबको संरक्षण देंगे, सब को पालने का काम राजस्थान सरकार करेगी।

**श्री रामनारायण चौधरी :** कितना दोगे उसको ?

**श्री मदन दिलावर :** 675 रूपये तो उसके देंगे प्रति माह, प्लस 2000 प्रति वर्ष एक्स्ट्रा देंगे, यदि उसके अतिरिक्त उसको एजुकेशन के अतिरिक्त खर्चा होता है हायर एजुकेशन जाने तक, 18 साल की उम्र तक वह खर्चा भी उसको एक्स्ट्रा हम सरकार की तरफ से देंगे।

**श्री रामनारायण चौधरी :** पर मंथ ?

**श्री अध्यक्ष :** पर्ची सिस्टम में माननीय सदस्यगण, इस तरीके से प्रश्न उत्तर नहीं होते हैं, मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहूंगी, सरकार प्रोत्साहित कर रही है लोगों को पर्ची अधिक से अधिक देने के लिए, क्योंकि आप जवाब देने के लिए खड़े हो जाते हैं और जब आप जवाब देने के लिए खड़े हो जाते हैं, फिर ये लोग और पूछते रहते हैं। पर्ची का सिस्टम इसलिए प्रारम्भ किया गया था कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें, इंसीडेंट होते थे जिनके बारे में सदन को सूचना देना या सदन में चर्चा करना सदस्य अपना कर्तव्य समझता था लेकिन यह सिस्टम जो चल रहा है, यह उचित नहीं है और पर्ची सिस्टम ठीक प्रकार से ही चलना चाहिए।

**श्री राजेन्द्र राठौड़ :** यह जवाबदेही, उत्तरदायी और संवेदनशील सरकार है इसलिए जो भी माननीय सदस्य प्रश्न करते हैं उनका उत्तर देना हम हमारा कर्तव्य समझते हैं।

**श्री अध्यक्ष :** अच्छी बात है । मुझे कोई एतराज नहीं है, ठीक है।

## व्यवस्था

## असंसदीय शब्दों का अपलोकन

मुझे सदन को सूचित करना है कि प्रश्नकाल में आज प्रश्न संख्या 139 पर चर्चा के दौरान माननीय सदस्य माहिर आजाद साहब द्वारा प्रयुक्त शब्दों के बारे में मैंने व्यवस्था दी थी कि कार्यवाही देखकर उस सम्बन्ध में मैं अपनी व्यवस्था दूंगी। उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था- संकीर्ण मानसिकता। संकीर्ण मानसिकता उन्होंने एक बार कहा लेकिन राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य ने इसी संकीर्ण मानसिकता को कम से कम भी 10 बार दोहराया है, [illegible] कौन-सी संकीर्ण मानसिकता। वैसे संकीर्ण मानसिकता कोई असंसदीय शब्द नहीं है, केवल आरोप है जो कि एक माननीय सदस्य को दूसरे के लिए नहीं

(श्री अध्यक्ष)

लगाना चाहिए। अब आप मैं समझती हूं, इस संकीर्ण मानसिकता को जिस जिसने प्रयोग किया है उस सब को ही अपलोपित कर देती हूं।

श्री कन्हैया लाल।

# पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

## बस्सी विधान सभा क्षेत्र के 55 गांवों की भूमि का मंदिर माफी प्रकरण

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे विधानसभा क्षेत्र के 55 गांवों की ओर दिलाना चाहता हूं। गांव में जो किसान रहते हैं 2 नहीं, 5, 10 नहीं बल्कि सम्पूर्ण गांव, पूरे के पूरे गांव की भूमि मंदिर माफी के नाम लग गई है। वह भूमि जो पीढ़ी दर पीढी उन किसानों के नाम लगी आ रही है, जो नामान्तरण उनका था उसको कैंसिल करने के लिए जिलाधीश जयपुर ने आदेश दिये हैं तहसीलदार को कि उनका कैंसिल किया जाए। काश्तकारों के नामान्तरण कैंसिल हो रहे हैं। वे काश्तकार भयंकर

**(16.00 बजे)**

रूप से पीडित हैं। आज वे अपने वहां पर न बिजली लगा सकते हैं। काश्तकार अपनी जमीन से कोई ऋण लेना चाहे, कोई ट्रैक्टर लेना चाहे, किसान क्रेडिट कार्ड बनाना चाहे तो वह नहीं कर सकता है। ऐसे उन गांवों के साथ में व्यवहार हो रहा है। कहीं एक-दो किसान हो तो माना जा सकता है, लेकिन वहां मंदिर का ही पता नहीं है कि वह मंदिर किस जगह है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उन काश्तकारों की वह जमीन है, काश्तकार यह अधिकार छोड़ भी नहीं सकते, चाहे सरकार जो मर्जी उनके साथ में कर ले। जब तक वो अपने प्राण नहीं दे दें, तब तक वो उस जमीन को छोड़ नहीं पाएंगे। सरकार किसी हालात में नहीं छुडा पाएगी। हजारों की संख्या में किसान हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह मेरे एक विधान सभा क्षेत्र में नहीं, अड़ोस-पड़ोस के अनेक ऐसे गांव हैं जो मंदिर माफी में आ गये हैं और उनको परेशान किया जा रहा है। उनमें से कुछ गांवों की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे यहां रामसिंहपुरा है, श्रीरामपुरा है, हिंगोनिया है, बूड़थल है, चारणबास है, बधेरी है, गुढा है, गुढा मीणा है, गढकिशनपुरा है, मनोहरपुरा है, टेटड़ा है, जटवाड़ा है, लालगढ़ है। जटवाड़ा तो पूरी पंचायत है,

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

टेटड़ा पूरी पंचायत है, लालगढ़ पूरी पंचायत है। बावड़ी का बास है, तिलपट्टी है, लालपुरा है, ये इतने गांव हैं। सारे 55 के 55 गांवों के किसान काफी उद्वेलित हैं, परेशान हो रहे हैं। हाई कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट तक वो जा रहे हैं जिसका उनको काफी खर्चा वहन करना पड़ता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम उनको अधिकार दिलाया जाए। अपनी जमीन जिस पर पीढ़ी दर पीढ़ी वो रहता रहा है, उसके नाम जो नामान्तरण था, वो खारिज नहीं किया जाए, एक तो इस बात के लिए कलक्टर साहब को पाबन्द किया जाए। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको इतना अधिकार कम से कम दिया जाए कि वो अगर विद्युत कनेक्शन लेना चाहते हैं तो विद्युत कनेक्शन में उनको छूट दी जाए। आज उसका प्रायोरिटी का नम्बर आ गया है, प्रायोरिटी का नम्बर आने के बाद भी उसको कनेक्शन नहीं मिल रहा है। किसान ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य है लेकिन वो खाद और बीज के लिए ऋण नहीं ले सकता है। वो अपनी जमीन के ऊपर कोई ट्रैक्टर लेना चाहे लोन पर भूमि विकास बैंक से और किसी कार्य के लिए, डेयरी के लिए भी लोन लेना चाहे तो वो ले नहीं सकता है। ऐसे में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करके निवेदन करना चाहूंगा कि उन किसानों के लालन-पालन की चिंता को मद्देनजर रखते हुए उनको बिजली की छूट दी जाए, बिजली के कनेक्शन उनको दिये जाएं। ग्राम सेवा सहकारी समिति से कम से कम उनके यह तो छूट दी जाए कि वो खाद और बीज की व्यवस्था कर सकें, ट्रैक्टर के लिए ऋण ले सकें। उनका नामान्तरण जो खारिज हो गया, उसको वापस उनको नाम किया जाए और जो नामान्तरण अभी तक नहीं खारिज किये हैं, मंदिर माफी के नाम नहीं लगाये गये हैं, उनको रोकने की व्यवस्था करें।

साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, तीस साल तक कोई काश्तकार एक सिवाय चक भूमि पर या चरागाह भूमि पर कब्जा कर लेता है तो वह उसके नाम लग जाती है, जबकि पीढ़ी दर पीढ़ी 75-80 साल से लगातार यह भूमि उनके नाम लगी हुई है। नाम लगी हुई भूमि के आज जाकर इस सरकार ने आदेश दिये हैं और उनके नामान्तरकरण खारिज करके मंदिर के नाम लगाये जा रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस मंदिर का भी पता नहीं कि वह मंदिर कहां पर है, किस जगह पर वह मंदिर है जिसके नाम लगाई जा रही है। यह जोर जबरदस्ती जो काश्तकार के साथ हो रही है, उसकी ओर मैं आपका ध्यानाकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर प्राथमिकता से ध्यान देकर किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाए। मैं यही कहते हुए ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : सदन पटल पर रखे जाने वाले पत्रादि। श्री राजेन्द्र राठौड़ ।

# सदन पटल पर रखे गये पत्र

## अधिसूचना

## (सार्वजनिक निर्माण विभाग)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से (1) अधिसूचना संख्या एफ.एस.(50)पीडब्ल्यू/2001/पार्ट-1 दिनांक 23.2.2004 जिसके द्वारा राजस्थान रोड डवलपमेंट रूल्स, 2002 में संशोधन किया गया है, एवं

(2) अधिसूचना संख्या एफ.8(50)पीडब्ल्यू/2001/पार्ट-1 दिनांक 26.12.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.8(50)पीडब्लयू/2001/पार्ट-1 दिनांक 20.2.2002 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री भागीरथ चौधरी । याचिका का उपस्थापन करेंगे।

# याचिकाओं का उपस्थापन

## किशनगढ़, अजमेर में राजकीय महिला महाविद्यालय

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किशनगढ़ (अजमेर) में राजकीय महिला महाविद्यालय खुलवाने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एवं

रूपनगढ़ ग्राम पंचायत व अराई पंचायत समिति मुख्यालय, किशनगढ़ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्यन

(2) किशनगढ़ (अजमेर) विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रूपयनगढ़ एवं पंचायत समिति अराई मुख्यालय पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिकाएं उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री वीरेन्द्र बेनीवाल ।

## लूणकरणसर के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सुई तहसील का क्रमोन्नयन

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) :** अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर को क्रमोन्नत करने बाबत चार व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

**श्री अध्यक्ष :** ऊर्जा मंत्रीजी, आप बिजली के बारे में कहना चाहेंगे?

# शासकीय वक्तव्य

## राज्य में ऊर्जा की स्थिति

**श्री गजेन्द्र सिंह (ऊर्जा राज्य मंत्री) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत के बारे में बार-बार प्रश्न उठाया जा रहा है, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि रबी की जो फसल अभी वर्तमान में चल रही है, हमारी इसमें पूरी कामयाबी रही है। जो बिजली की सप्लाई हम दे रहे हैं उसमें कोई समस्या नहीं रही है। मैं कुछ आंकड़े पढ़कर आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 1998 से 2003 तक प्रति माह का जो एवरेज था वह 20258 लाख यूनिट प्रति माह का था। हमारी सरकार जब आई तो पहले वर्ष में 24287 लाख यूनिट यानि कि 20 प्रतिशत हमने ज्यादा सप्लाई उपभोक्ता को दी।

दूसरे वर्ष में 28034 लाख यूनिट जो कि कांग्रेस सरकार के समय से 38 प्रतिशत ज्यादा सप्लाई है। अप्रैल, 2003 से जनवरी, 2004 तक 2174 करोड़ यूनिट सप्लाई दी गई। अप्रैल, 2004 से 2005 की जनवरी तक 2434 करोड़ यूनिट दी गई, 265 करोड़ यूनिट हमने ज्यादा बिजली दी। अतिरिक्त जो खर्चा था इसके लिए, 600 करोड़ का हमारी सरकार ने वहन किया ताकि जो हमारे किसान भाई हैं उनको पूरी बिजली मिले। कीमतें भी हमने नहीं बढ़ाईं, कीमतें उतनी की उतनी रहीं। कांग्रेस के हमारे माननीय सदस्य हर वक्त यह कहते रहे हैं कि बिजली की दरें बढ़ रही हैं, अखबार में प्रचार करते रहे, लेकिन हमने बिजली की दरें बिलकुल नहीं बढ़ाईं।

ग्रामीण क्षेत्रों में 13 घंटे बिजली की आपूर्ति की गई। 7 घंटे प्लस 4 घंटे प्लस 2 घंटे का फार्मूला था। 7 घंटे हम नार्मली देते हैं और शाम 6 से 10 बजे तक चार घंटे और सुबह 5 से 7 तक दो घंटे। विद्यार्थियों की जो परीक्षा आ रही है इस

(श्री गजेन्द्र सिंह)

बजट से हम रात के टाइम बिजली में और बढ़ोतरी करेंगे ताकि जब तक परीक्षा खतम नहीं हो, हमारे बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए लाइट पूरी मिले।

विद्युत दरों का जो मामला है, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि किसान को जो बिजली मिल रही थी 1.12.98 को, उस समय 50 पैसे प्रति यूनिट थी। उसके पश्चात नवम्बर, 1999 में यह दरें 70 पैसे बढ़ाई गई और मई, 2001 में यही दरें 90 पैसे बढ़ गई। आप देखिये कि करीबन 80 प्रतिशत इसके अन्दर बढ़ोतरी की गई। मुझे यह पूरा एहसास है कि किसानों के लिए यह बहुत ही हानिकारक है। दूसरी बात, जो घरेलू कनेक्शन हैं 1.12.98 को 1.20 रूपये प्रति यूनिट पर थे, नवम्बर, 99 में इनको बढ़ाकर 1.40 रूपया कर दिया गया और मई, 2001 में 1.65 रूपया प्रति यूनिट किया गया, 40 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई। हमारी सरकार ने कोई दरें नहीं बढ़ाई। कोयल। डीजल की कीमतें बहुत बढ़ीं, केन्द्रीय सरकार ने बढ़ाई। सबने कहा कि हमारी सरकार भी बढाएगी। पर यह जो बोझ है बिजली की अतिरिक्त दरों का, वह हमने बढ़ने नहीं दिया। हमने हमारे किसान भाइयों पर कोई बोझ नहीं पड़ने दिया।

इसके अलावा कनेक्शन काटने के बारे में कई लोगों ने चर्चा की। बम्पर, बहुत अच्छी फसल है, हम किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सब लोगों की पीड़ा को समझते हुए निर्देश दिये हैं कि जो भी कटे हुए कनेक्शन हैं, जो भी उनके इयूज हैं 30 प्रतिशत राशि जमा कराकर वे कनेक्शन तुरन्त वापस कर दिये जाएंगे। दूसरा, 30 प्रतिशत जमा कराने के पश्चात, 15 अप्रैल के बाद जब सब फसल आ जाएगी और वह फसल मंडी में बिक जाएगी उसके बाद, चार इक्वल इन्स्टालमेंटस में किसान अपने इयूज को जमा करा सकेंगे ये भी निर्देश दिये गये हैं कि जब तक पूरी फसल कटकर मंडी में नहीं आ जाती है, लगभग 15 अप्रैल तक यह कार्यक्रम पूरा हो जाता है, तब तक कोई भी कनेक्शन किसानों के नहीं काटे जाएंगे।

**श्री टीकमचन्द कांत :** साहब, यह किसानों के हित की सरकार है, संवेदनशील सरकार है, यह तो मानना पड़ेगा आपको।

**श्री सुरेश मीणा :** लेकिन 13 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। यह बिलकुल झूठ है (व्यवधान)

माननीय सदस्य : यह विरोध करने के लिए विरोध करें, बाकी सही तो यही है।

श्री गजेन्द्र सिंह : जहां तक कनेक्शन का मामला है, हमने 40,000 कनेक्शन का एक साल का टार्गेट रखा था, पिछली सरकार के आखिरी साल के अन्दर इन्होंने 15,000 कनेक्शन कृषि में दिये , हमारा 40,000 का टार्गेट है 31 मार्च तक। वह आज टार्गेट है और उसकी पूर्ति कर दी जाएगी, 40,000 किसानों को कनेक्शन देने की 1 सितम्बर, 2000 तक डिमांड नोटिस जमा हुए हैं उनको कनेक्शन दे दिये गये हैं। इसके पश्चात् अक्टूबर के अब जो डिमांड नोटिस हैं, उनके कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

कुटीर ज्योति-बी.पी.एल.. परिवारों के लिए हमने जो टार्गेट बनाया है, 45,000 का टार्गेट बनाया है। पिछली सरकार थी 2003 के अन्दर, इन्होंने केवल 2643 कनेक्शन दिये। कुटीर ज्योति में 45000 कनेक्शन देंगे। आज की तारीख में 32,000 कनेक्शन दे दिये गये हैं। 31 मार्च तक 45,000 का जो लक्ष्य है, वह हम पूरा कर देंगे। ढाणियों के जो कनेक्शन हैं उनके लिए छह करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। दो करोड़ रूपये प्रति डिस्काम और 80 ढाणी प्रति डिस्काम में। नियम यह है कि एल.टी. लाइन या 1100 की लाइन से एक किलोमीटर कोई भी साइड में, कोई भी ढाणी हो, 15 उपभोक्ता हों, 1500 रूपये प्रति कनेक्शन है, उनको बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा। गत वर्ष 2003-04 73,000 घरेलू कनेक्शन दिये गये थे, 2004-2005 में 178751 कनेक्शन दे दिये जाएंगे।

जहां तक ट्रांसफार्मर्स का मामला है, हमने 72 घंटे में चेंज करने का लक्ष्य रखा था और हमने 99 प्रतिशत सक्सैस रेट प्राप्त की है। अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2005 तक 10 महीनों के अन्दर हमारे पास 33701 ट्रांसफार्मर्स जले हुए की रिपोर्ट आई थी, हमने 72 घंटे के अन्दर 33453 ट्रांसफार्मर्स चेंज कर दिये जो कि 99 प्रतिशत सक्सैस रेट है। हमारे विभाग ने ट्रांसफार्मर्स की डबल चैकिंग के लिए सेन्ट्रल टैस्टिंग लेबोरेटरी जुलाई, 2004 में जयपुर में खोली है। ऐसी लेबोरेटरी जोधपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर के अन्दर 31 मार्च तक चालू हो जाएंगी जिससे जितने भी ट्रांसफार्मर्स आ रहे हैं उनकी क्वालिटी चैक हो जाएगी। कई समस्याएं हैं जिनके कारण से ट्रांसफार्मर्स जल रहे हैं। एक कारण यह है कि बिजली का वितरण ज्यादा हो रहा है। लोहे की कीमत में

(श्री गजेन्द्र सिंह)

वृद्धि होने की वजह से, पिछली सर्दी के अन्दर लोहे के भाव जब बढ गये तो हमने जो भी डिमांड की थी, हमने राजस्थान में जो सर्वश्रेष्ठ कम्पनी है, जो भी आर्डर दिया था, लोहे के भाव बढ़ने से जो हमारे टेण्डर और जो रेट हुई थी, वे हमारे ट्रांसफार्मर्स पूरे नहीं दे पाये। इससे थोड़ी तकलीफ किसानों को हुई थी, जिसके लिए हम खेद प्रकट करते हैं। 72 घंटे का जो लक्ष्य है, आपको बताएं कि 99 प्रतिशत सफलता मिल गई।

शिफ्टिंग आफ कनेक्शन है, उसकी प्रक्रिया हमने बहुत आसान कर दी है। सख्त क्वालिटी कंट्रोल हमने मैटीरियल्स पर लगाया, चाहे मीटर्स हों चाहे ट्रांसफार्मर्स हों, ट्रांसफार्मर्स की एक वजह से और कमी आई है कि बरसात कई जगह लेट हुई। जैसे चित्तौडगढ जिला है, भीलवाड़ा है, झालावाड़ है, वहां पर कई कुएं चार्ज हो गये। इस वजह से किसानों की कनेक्शन की डिमांड बढ़ गई तो उस वजह से थोड़ी बहुत ट्रांसफार्मर्स की समस्या आई है। ज्यादा बिजली के कनेक्शन हमने एक रिकार्ड बनाया है। 950 लाख यूनिट एक दिन में हमने पब्लिक को बिजली का वितरण किया, जो कि एक रिकार्ड है। कैपेसीटर लगाने और बिजली चोरी से भी ट्रांसफार्मर्स कई जले हैं। कई जगह रिपोटर्स आई हैं कि कम लोड बताकर ज्यादा एच.पी. की मोटर लगाना हुआ, इससे भी ट्रांसफार्मर्स काफी जले। मैंने जैसा आपको पहले बताया, हमने इतने ज्यादा कनेक्शन दिये, 40,000 का हमारा लक्ष्य था, उस वजह से ट्रांसफार्मर्स जलने की संख्या बढ़ी।

विद्युत का उत्पादन है, कई बार यह बात सामने आई है, विपक्ष के नेता लोग यह बोलते हैं कि आप जब से आये हैं, आपने एक मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं किया। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार, दिसम्बर 2003 से जब से आयी है, हमने 294 मेगावाट इन्स्टाल्ड कैपेसिटी प्राप्त कर ली है। दिसम्बर, 2003 के पश्चात 143 मेगावाट का जो उत्पादन हमने बताया है वह हाइडल प्लांटस से है। चमेरा हाइडल प्लांट में 46 मेगावाट, जाखड़ी 93 मेगावाट और पौंग डैम से 4 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की हमारी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी बढ़ी है। पावर ऊर्जा के तहत 152 मेगावाट हमारी सरकार आई उसके पश्चात हमने उत्पादन करने का बताया है। तो यह जो आप कहते हैं, यह बिलकुल गलत है। आप लोग अगर बोलते हैं कि हमारी सरकार ने बिजली के उत्पादन में कुछ नहीं किया,

(श्री गजेन्द्र सिंह)

बिलकुल जीरो है जितनी भी बड़ी स्कीम्स हैं चाहे 1000 मेगावाट की हो, गिराल के अन्दर 330 मेगावाट है, वह भी अगले अक्टूबर तक तैयार हो जाएगा, धौलपुर परियोजना है वह भी 2006 अंत तक रेडी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त कई योजनाएं हैं हम फाइनेंशल सैक्शन दो-तीन महीनों के अन्दर प्राप्त कर लेंगे। मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने जो बिजली का उत्पादन किया, उससे हम एटलीस्ट दुगुना उत्पादन हमारे कार्यकाल में करके बताएंगे। कोटा थर्मल की 210 मेगावाट की जो इकाइयां हैं, 1957 से लेकर 1980 तक इसका प्रस्ताव लाया गया, अक्टूबर, 1980 में योजना आयोग से स्वीकृति मिली, तो यह मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें भी हमारी सरकार का योगदान रहा है। सूरतगढ़ थर्मल की 280 मेगावाट की दो यूनिट हैं इसकी भी अक्टूबर, 1998 में स्वीकृति प्रदान की गई। रामगढ़ की जो परियोजना है फर्स्ट फेज, 35 मेगावाट, 1993 में जब हमारी सरकार थी, उस समय उसको स्वीकृति मिली और 1996 में जिस समय हमारी सरकार थी, उस समय यह कमीशन हुई।

चाहे रबी की फसल हो, चाहे रेट्स हों, चाहे ट्रांसफार्मर्स का मामला हो, चाहे विद्युत सप्लाई इन्क्रीज करने का मामला हो, मैं तो यही आपके माध्यम से बोलना चाहूंगा कि हमारी सरकार की जो कृषि नीति है, हमारे उपभोक्ता के प्रति हमारी जितनी भी पालिसीज हैं, अभी भी बहुत सफल रही हैं। हम किसानों की, उद्योगों की बिजली बढ़ाएंगे और हम यह चाहेंगे कि दरें ज्यादा नहीं बढ़ें। यही कहकर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** अब क्या है ? सब बातें तो कह दीं उन्होंने। सारी बातें कह दीं । (व्यवधान)

**श्री जुबेर खान :** कोई पिन पाइण्टेड सवाल तो पूछ ही सकते हैं, क्लेरिफिकेशन तो ले सकते हैं।

**श्री संयम लोढ़ा :** अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर सवाल करना चाहता हूं मैं।

**श्री अध्यक्ष :** इतने सारे माननीय सदस्य...

**श्री महीपाल सिंह यादव :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव है। (व्यवधान)

**श्री संयम लोढ़ा** : एक एक करके आप दे दीजिये।

**श्री अध्यक्ष** : वन एट ए टाइम । एक समय में एक ही माननीय सदस्य । (व्यवधान)

**श्री बंशीलाल खटीक** : विरोध करने के लिए खाली विरोध करना है इनको, बाकी सब कुछ आ गया ? अब क्या रह गया ? सब नीट एण्ड क्लीन बता दिया गया, अब खाली विरोध करना है आपको। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष** : कृपया स्थान ग्रहण करें। अमरारामजी (धोद)

**श्री अमराराम (धोद)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का मैं इस बात के लिए तो धन्यवाद पेश करूंगा कि फसल पकने तक किसी भी बकाया के नाम पर कनेक्शन नहीं काटा जाएगा।

**श्री अध्यक्ष** : कह दिया न, हां, नहीं काटेंगे।

**श्री अमराराम (धोद)** : इस बात के लिए तो मैं धन्यवाद करता हूं लेकिन राजस्थान के बिजली नियामक आयोग ने 521 करोड़ एक जनवरी से बढाये हैं, 31 मार्च तक तीनों डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनियों को आपने अनुदान दिया है, मंत्री महोदय यह बता दें कि एक अप्रैल के बाद भी जब तक आपकी सरकार है, बढ़ी हुई रेट का अनुदान आप वितरण कम्पनियों को देंगे, या एक अप्रैल से, एक तारीख से बढ़ी हुई रेट लेंगे ? (व्यवधान) एक साथ दे देना।

**श्री संयम लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, मेरे भी प्रश्न का जवाब साथ-साथ दे देना।

**श्री अमराराम (धोद)** : अध्यक्ष महोदय, दूसरा मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से...

**श्री अध्यक्ष** : भविष्य के बारे में क्या कहा जा सकता है ? कौन कह सकता है भविष्य के बारे में?

**श्री अमराराम (धोद)** : भविष्य नहीं । अध्यक्ष महोदय, एक जनवरी से नियामक आयोग ने 521 करोड़ रूपये राजस्थान के किसान और आम जनता पर बढ़ा दिये और वहीं राजस्थान के बड़े उद्योगपतियों पर एक नया पैसा नहीं बढ़ाया है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव देखते हुए इन्होंने 117 करोड़ रूपये अनुदान के रूप में राजस्थान के खजाने से दिये हैं, क्या सरकार आगे भी देती रहेगी ? दूसरा अध्यक्ष महोदय, सात घंटे बिजली ...

**श्री सुरेन्द्रसिंह राठौड़ (गंगानगर) :** अध्यक्ष महोदय, अगर यह कह रहे हैं कि एक अप्रैल से नहीं बढ़नी चाहिए तो, अमरारामजी, आप केन्द्र में सरकार चलाने में पूरे सहयोगी हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं, आप भी बताएं कि एक अप्रैल के बाद कभी पैट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे ? यह आप गारंटी लो।

**श्री अमराराम (धोद) :** पूछ लेना आप। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय इस बात की इन्क्वायरी करवा लें कि जब से पंचायती राज संस्थाओं के वोट पड़े...

**श्री अध्यक्ष :** सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

**श्री अमराराम (धोद) :** सात घंटे जो किसानों को बिजली दी जा रही थी, वह आज पांच और साढ़े पांच घंटे मिल रही है। सीकर में आप दरियाफ्त करवा लें, नागौर में आप दरियाफ्त करवा लें, राजस्थान के अन्य इलाकों में करवा लें, जो पढ़ाई के लिए आप कह रहे हैं कि हम परीक्षा तक बढ़ाएंगे, इसके बजाय ज्यों ही वोट पड़े, उसके बाद सुबह पांच से सात की बिजली गायब है। शाम को छह से दस की बिजली मैं नहीं कहता कि पूरे राजस्थान में गायब है, लेकिन बहुत बड़े इलाके में जहां ट्रबल है वहां पूर्ण रूप से गायब है।

**श्री अध्यक्ष :** हां, अब ठीक है। (व्यवधान)

**श्री अमराराम (धोद) :** अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में छह से दस की और सुबह पांच से सात की गायब है। जिस फसल को आपने सात घंटे के हिसाब से बुवाई की है, आज फसल पकने पर है, उस समय आप पांच घंटे बिजली देकर उस किसान को नुकसान पहुंचाने का काम है। निश्चित रूप से उसको आप देखिये। सात घंटे दें क्योंकि आपकी घोषणाएं आठ घंटे की थीं। फसल बुवाई के वक्त आपने सात घंटे की घोषणा की, सात घंटे को कम्प्लीट करें।

**श्री अध्यक्ष :** अब आपने पूछ लिया, अब बिराजें। बिराजें। (व्यवधान) एक क्वेश्चन आपने पूछ लिया । आप बिराजें।

**श्री अमराराम (धोद) :** दो क्वेश्चन हैं छोटे-छोटे, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्रसिंह राठौर :** धोद से आये हुए माननीय सदस्य महोदय से अध्यक्ष महोदय के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आप जितनी बार जीतकर आये हैं, अपनी ही पार्टी के नाम पर जीतकर आये हो और किसी भी सत्ता में तो होते नहीं ... (व्यवधान)

**श्री अमराराम (धोद) :** आपको क्या तकलीफ हो रही है ?

**श्री सुरेन्द्रसिंह राठौर :** आप हमेशा ही विपक्ष में हैं तो फिर क्या...

**श्री अमराराम (धोद) :** तो आपको क्या तकलीफ हो रही है ? आप तो जिसमें जीतकर आये हो वह पार्टी ही आपको नहीं रख रही है, किस पार्टी की बात कर रहे हो आप ? आप बिराजें।

**श्री सुरेन्द्रसिंह राठौर :** हर सुविधा से वंचित। मेरी बात छोड़ो आप, आप अपनी बात करो। तो आपको क्या मतलब? कोई भी सरकार आपको कोई भी सुविधा नहीं दे रही।

**श्री अमराराम (धोद) :** आप तो बिराजो । (व्यवधान)

**श्री सुरेन्द्रसिंह राठौर :** नहीं, कोई नहीं दे रही । (व्यवधान)

**श्री अमराराम (धोद) :** अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा ..

**श्री सुरेन्द्रसिंह राठौर :** आप कह रहे हैं कि इलेक्शन हुए और बिजली कट गई, तो इलेक्शन होते हैं, आप जीतते हो, आपके यहां नहीं कटी।

**श्री मदन राठौड़ :** माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदैव अंसतुष्ट रहेंगे। यह माननीय सदस्य सदैव असंतुष्ट हैं।

**श्री अध्यक्ष :** गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें आप ।

**श्री अमराराम (धोद) :** 2004 में इनकी समझौता समिति ए.ईएन. से लेकर एस.ई. और चीफ इंजीनियर तक थी बी.सी.आर. भरने के बाद में समझौता समिति में किसान उपभोक्त जा सकता था। नवम्बर, 2004 के बाद में इन्होंने आदेश दे दिया कि किसी भी किसान उपभोक्ता की बी.सी.आर भरी जाएगी, उसको कहीं नहीं सुनाओ जाएगा। मेरे पास कागज हैं, पचास-पचास हजार की बी.सी.आर. आप अंदाजा कीजिये, बिजली नहीं होते हुए भी

(श्री अमराराम)

बी.सी.आर. 16 तारीख को कनेक्शन किया जाता है और 17 नवम्बर को पचास हजार की बी.सी.आर. भर दी जाती है। क्या, मंत्री महोदय, सात घंटे में पचास हजार की चोरी एक किसान कर सकता है? पर किसी भी समझौता समिति में नहीं सुना जाएगा। पचास हजार, साठ हजार रूपये जमा कराए अन्यथा उसका कोर्ट में चालान होगा। यह मैं समझता हूं कि प्राकृतिक न्याय के खिलाफ भी है। कमीशन जो तय किया है कम्पनियों ने, 15 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, उसके लालच में अवैधानिक रूप से, नाजायज रूप से बिजली के अधिकारी बी.सी.आर. भर कर अपना फायदा पहुंचाने के लिए किसान को.....

**श्री अध्यक्ष :** आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाषण दे रहे हैं?

**श्री अमराराम (धोद) :** तो इसमें क्या समझौता समिति को वापस लागू करने की मंशा है ? दूसरा, मैं कहना चाहूंगा, फार्म हाउस..

**श्री अध्यक्ष :** आप तो भाषण दे रहे हैं। आप काई क्वेश्चन पूछ लें, किसान आप और हम सब हैं। (व्यवधान) यह अकेले किसान नहीं हैं, बाकी और यहां बहुत किसान हैं।

**श्री अमराराम (धोद) :** अध्यक्ष महोदय, फार्म हाउस योजना आपने समाप्त कर दी। नई कृषि नीति में। केवल दो ही तरह की ग्रामीण उपभोक्ताओं को, कृषि उपभोक्ताओं को भी स्पेशल...

**श्री अध्यक्ष :** अब आप बीच में नहीं खड़े हों, गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य । अब आपने पूछ लिया, अब आप स्थान ग्रहण कर लें।

**श्री अमराराम (धोद) :** स्पेशल और एक सामान्य श्रेणी, उस नीति से पहले जिन्होंने कृषि कनेक्श्न फार्म हाउस के ले लिये...

**श्री अध्यक्ष :** आप पूछ चुके प्रश्न, अब स्थान ग्रहण करें। आपने पूछ लिया, दे देंगे जवाब। औरों को भी पूछने दें।

**श्री अमराराम (धोद) :** अध्यक्ष महोदय, जिन उपभोक्ताओं ने कृषि नीति से पहले कृषि फार्म हाउस योजना में कनेक्शन ले लिये, जब सब को आपने जिसने एप्लाई फार्म हाउस में किया था, उनको स्पेशल में कर दिया तो उनको आप स्पेशल में क्यों नहीं कर देंगे?

**श्री अध्यक्ष :** अब आप तो भाषण दे रहे हैं, पाइण्ट पर पाइण्ट उठाये चले जा रहे हैं, माननीय सदस्य । (व्यवधान)

**श्री अमराराम (धोद)** : वह तो आपने कहा है कि हमने 72 घंटे में बदला है। आप तो सीकर सर्किल का बता दें। आपकी ही रिपोर्ट में है कि अजमेर कम्पनी में 72 घंटे में हम नहीं बदल पाये हैं। यह आप बता दें कि जो कनेक्शन एप्लाई किये गये थे उनके डी.एन. आप कब तक जारी कर देंगे ? सब को कनेक्शन कब तक दे देंगे ? (व्यवधान)

**श्री महीपाल सिंह यादव** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव था।

**श्री अध्यक्ष** : श्री हेमाराम चौधरी।

**श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी)** : अध्यक्ष महोदय मैं मंत्री महोदयजी से यह जानना चाहता हूं कि जिन काश्तकारों ने डिमांड राशि जमा करा दी है उनके सामान्य श्रेणी और विशेष श्रेणी कनेक्शन के लिए ट्रांसफार्मर आपने सारे काश्तकारों को उपलब्ध करवा दिये हैं, कितने ऐसे कनेक्शन आज भी देने बाकी हैं ट्रांसफार्मर्स के अभाव में, और आप कब तक उनको दे देंगे ? आपकी सरकार आने के बाद में आपने काश्तकारों के एक मिनिमम चार्ज के रूप में डिमांड नोटिस दिये थे, रिवाइज्ड बिल दिये थे, फिर बाद में आपने उनको रोक दिया, तो अब आपका मिनिमम चार्ज वापस लेने का विचार है या नहीं ? काश्तकारों को भय है कि पंचायत चुनाव की वजह से इनको ड्राप रखा था, अब मिनिमम चार्ज वापस लागू कर देंगे। इसको भी आप थोड़ा स्पष्ट कर दें तो यह भ्रांति दूर हो जाए। तीसरा, मंत्री महोदय, आपने सिर्फ एक डिस्काम में अस्सी ढाणियों की बात कही है..

**श्री अध्यक्ष** : श्री महीपाल यादव । नो। श्री महीपाल यादव । आपने दो क्वेश्चन पूछ लिये, स्थान ग्रहण करें।

**श्री हेमाराम चौधरी** : आज लाखों ढाणियां हैं, सभी कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो बाकी ढाणियों वालों के लिए आप कनेक्शन के लिए क्या करने जा रहे हैं ? उनके लिए भी आपके कुछ दिमाग में है या नहीं है ?

**श्री अध्यक्ष** : अब नहीं । श्री महीपाल यादव।

**श्री महीपाल सिंह यादव** : अध्यक्ष महोदय, मेरे स्थगन प्रस्ताव में...

**श्री अध्यक्ष** : स्थगन प्रस्ताव नहीं, आप तो अपने प्रश्न पूछ लीजिये।

**श्री महीपाल सिंह यादव :** मैं यह माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूं, इन्होंने यह कहा कि जितने भी डी.एन. जमा हुए हैं, 31 अगस्त तक जिनके जमा थे उनको आज तक कनेक्शन नहीं मिले हैं, आप सितम्बर-अक्टूबर की बात कर रहे हैं..

**एक माननीय सदस्य :** 31 अक्टूबर तक मिल गये सब को।

**श्री महीपाल सिंह यादव :** 31 अगस्त, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा था 17 दिसम्बर को कि हम तीन दिन में दिसम्बर 31 तक कनेक्शन दे देंगे, 31 दिसम्बर तक।

**श्री माननीय सदस्य :** एल फार्म जमा नहीं कराये होंगे । (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** नहीं, डिमांड नोटिस जमा कराने के बाद पूछ रहे हैं।

**श्री महीपाल सिंह यादव :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे अलवर जिले में...(व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** आप बैठे-बैठे क्यों बोल रहे हैं ?

**श्री महीपाल सिंह यादव :** अध्यक्ष महोदय, अलवर, नागौर, झुंझुनूं में पन्द्रह साल में किसानों का नम्बर आया है और वे सात महीने पहले डी.एन. जमा करा चुके हैं, आज तक नहीं हुए हैं। मंत्रीजी, आपको गलत रिपोर्ट है यह। गांवों में सात बजे से दस बजे तक जो आप सिंगल फेस की बात कर रहे हो, विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे हैं, 15 दिन से कतई नहीं दी जा रही है। मैं कल सूरजगढ़ में था, वहां भी मैंने रात को पूछा लोगों से, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कोई लाइट नहीं थी। सुबह की जो 4 से 6 की आपने घोषणा की, माननीय मुख्य मत्रीजी ने बड़े जोर-जोर से उस समय यह कहा था कि हम दोनों समय बिजली देंगे, सुबह पानी नहीं निकलता पीने का। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आप यह व्यवस्था लागू रखेंगे ? या जो चुनाव के बाद आपने अब यह काट दी, इसको काटे रखोगे ? जो डी.एन. जमा हो गये उनको 31 अगस्त तक कनेक्शन की बात, 28 फरवरी तक देने की बात है आप 28 फरवरी तक भी नहीं दे पाएंगे।

**श्री अध्यक्ष :** श्री वीरेन्द्र बेनीवाल।

**श्री महीपाल सिंह यादव :** आपने यह कहा है कि हम बिजली महंगी

(श्री महीपाल सिंह यादव)

नहीं कर रहे हैं, आप तो किसान और जो गरीब लोग हैं उन पर सबसे ज्यादा बढ़ाने जा रहे हैं।

**श्री अध्यक्ष :** श्री वीरेन्द्र बेनीवाल। आपने पूछ लिया। 28 फरवरी तक का पूछ लिया।

**श्री महीपाल सिंह यादव :** यह मूल्य वृद्धि जो अप्रैल से करने जा रहे हैं, इस मूल्य वृद्धि को आगे बढ़ाने का इरादा है क्या? आप स्पष्ट करें।

**श्री अध्यक्ष :** मूल्य वृद्धि काहे की बढ़ाना चाहते हैं वो? मूल्य वृद्धि काहे की ? टैरिफ से मतलब है क्या ? टैरिफ से मतलब है क्या आपका ?

**श्री महीपाल सिंह यादव :** बिजली की दरें, माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल** (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय का यह फर्माना है कि वर्तमान समय में बिजली 8 घंटे मिल रही है। जिला बीकानेर में यह आपका जो वक्तव्य है, वहां पर लागू नहीं होता है। वहां पर कृषि कुओं के क्षेत्र में अभी बिजली 5 से 6 घंटे के बीच भी नहीं मिल रही है और वो भी लगातार उपलब्ध नहीं है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, घरेलू बिजली जो 13 घंटे उपलब्ध होने की बात है शाम को 6 से 10 और सुबह 5 से 7 जो आपने फर्माया है, वो बिजली क्या आप निकट भविष्य में उपलब्ध करवाने का विचार रखते हैं? इसके साथ-साथ दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि जो बिजली के बिल स्थान विशेष पर तो प्रति माह आते हैं और स्थान विशेष पर दो माह में एक बार आते हैं, यह दोनों जगह फर्क क्यों है ? ठेका प्रथा होने के कारण ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए बिल माह में एक बार दिया जा रहा है क्या?

**श्री अध्यक्ष :** श्री मोहम्मद माहिर आजाद।

**मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं, क्या यह सही है कि पवन ऊर्जा जो राजस्थान के हिस्से में आती, वो आपने यह कह कर कि इसकी कीमत तीन रूपये, साढ़े तीन रूपये यूनिट है, मध्य प्रदेश को सरेण्डर कर दी? क्या यह भी सही है कि उसकी बजाय आप पांच रूपये प्रति यूनिट बिजली केरल जो बहुत दूर का राज्य है, उससे लाने का एम.ओ.यू. साइन करने जा रहे हैं? दूसरी बात मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, आपके टी.

(मोहम्मद माहिर आजाद)

एंड. डी. लोसेज आपने जब चार्ज लिया, आपकी सरकार जब आयी तब कितने थे और आज की तारीख में कितने हैं? कृपया तुलनात्मक सूची आप बता दें।

**श्री अध्यक्ष :** मंगलाराम गोदारा।

**श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, जो यह 72 घंटे में ट्रांसफार्मर चेंज करने वाली बात है, एकदम सरासर झूठ है। मेरे यहां डूंगरगढ़ में आप कभी भी चैक करवा सकते हैं, महीने 15 दिन से पहले कोई ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है। दूसरा जो डिमाण्ड नोट लोगों न भर रखे हैं, चार पांच महीने हो गये आज तक उनको कनेक्शन नहीं मिला। गांव में घरेलू बिजली देने की बात है, जो मंत्री महोदय कह रहे हैं वो एकदम सरासर झूठे है। एक ही गांव में जहां जी.एस.एस. 33 के.वी. का बना है वहां तो बिजली मिलती है, जी.एस.एस. जिस जगह नहीं बना हुआ है वहां कोई बिजली नहीं मिलती है। लोग अंधेरे में हैं और फालतू का बिल भरते हैं। जैसे कृषि कुओं के लिए 12 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे मिलती है, उसी टाइम पर उनको बिजली मिलती है चाहे दिन में उसका टाइम हो चाहे रात को टाइम हो। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि आप डूंगरगढ़ विधान सभा क्षेत्र में इन्क्वायरी करके इसकी व्यवस्था करवाएं। दूसरा, 33 के.वी. बने हुए दो साल हो गये बीजासर का, उसमें आज तक ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया।

**श्री अध्यक्ष :** भाषण नहीं देवें आप । प्रश्न पूछ लें।

**श्री मंगलाराम गोदारा :** बीजासर का जी.एस.एस. 33 के.वी. का बना हुआ दो साल हो गये, आज तक उस पर ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया।

**श्री अध्यक्ष :** मंत्री महोदय। काफी प्रश्न पूछ लिये। काफी प्रश्न पूछ लिये गये हैं।

**श्री संयम लोढा :** मैं उत्पादन के सम्बन्ध में प्रश्न पूछना चाह रहा हूं। जनरेशन के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं।

**श्री जीतमल खांट :** माननीय अध्यक्ष महोदय, बांसवाड़ा, डूंगरपुर ट्राइबल सब प्लान का हम ... (व्यवधान) .. जनता दल के नाम से आप कभी मौका नहीं देते हो।

**श्री अध्यक्ष :** अच्छा आप, श्री जीतमल खांट।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल :** इतने सारे प्रश्न पूछ लिये इन्होंने और झूठ-झूठ और बोल रहे हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

**श्री जुबेर खान :** एक सवाल हम भी पूछेंगे ।

**श्री अध्यक्ष :** आपके यहां बिजली से थोड़े, आपके तो बांध से सिंचाई होती है।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल :** माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो अभी बेनीवालजी बोल रहे थे इन्होंने झूठ बोला। झूठ तो संसदीय शब्द नहीं है उसको एक्सपंज कराया जाए।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल :** अध्यक्ष महोदय, आप रिपोर्ट उठा कर देख सकते हो। झूठ शब्द अगर मैंने इस्तेमाल किया हो तो आप रिपोर्ट उठा कर देख लीजिये।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल :** बोला है आपने।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल :** फिर आप ऐसे कैसे आरोप लगा रहे हैं ? आप नींद में हैं क्या ?

**श्री नन्दलाल बंशीवाल :** मैं करैक्ट कर रहा हूं।

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल :** आप नींद में हैं? कमाल कर रहे हैं।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल :** मैं करैक्ट कर रहा हूं न, डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बोला था झूठ ।

**श्री अध्यक्ष :** श्री जीतमल खांट।

**श्री जीतमल खांट :** नन्दलालजी, मेरे को पूछने दो आप ।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल :** इतने कितने पूछ रहे हो आप ? कन्फ्यूज कर रहे हैं क्या मंत्रीजी को?

**श्री जीतमल खांट :** पता नहीं आप यहां बैठते थे तो कितने पूछते थे?

**श्री मंगलाराम गोदारा :** ... (व्यवधान) .. माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं एकदम असत्य है जो यह 24 घंटे की 12 घंटे की बात कह रहे हैं।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल :** आपने झूठ बोला, मैं झूठ शब्द को एक्सपंज कराने के लिए बोल रहा हूं।

**श्री मंगलाराम गोदारा :** आप कौन हो, अध्यक्षजी बैठे हैं न तो। अध्यक्षजी का काम आप कर रहे हैं क्या ?

**श्री नन्दलाल बंशीवाल :** अध्यक्षजी से रिक्वैस्ट कर रहा हूं मैं।

**श्री जीतमल खांट :** बैठिये, माननीय सदस्य, आपको सहयोग करना चाहिए। यहां बैठते थे तब कितना बोलते थे।

**श्री नन्दलाल बंशीवाल :** झूठ एक्सपंज करवा रहा हूं मैं तो।

**श्री अध्यक्ष :** सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य ।

**श्री जीतमल खांट (बागीडोरा) :** माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की कटौती ज्यादा की जाती है, ज्यादातर बांसवाड़ा डूंगरपुर में। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, उदयपुर संभाग आ गया पूरा, कि परीक्षा के समाप्त होने तक आपने कितने घंटे बढ़ाना तय किया है? वर्ना स्थिति यह है कि हम आज इलाके में घूम नहीं सकते हैं। चारों तरफ चाहे यूनिवर्सिटी के हों, चाहे महाविद्यालय के हों, चाहे कालेज-स्कूल के हों, छात्र आंदोलन की स्थिति में खड़े हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम परीक्षा होने तक यह आप व्यवस्था सुनिश्चित करें कि इतने घंटे बिजली मिलेगी। धन्यवाद।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा :** अध्यक्ष महोदय, एक-एक सवाल हम भी पूछेंगे।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मंत्रीजी ।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा :** एक-एक सवाल तो पूछ लेने दो।

**श्री अध्यक्ष :**...There will be no end to it.

**श्री संयम लोढ़ा :** अध्यक्ष महोदय, मेरा बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। आपको भी आनन्द आएगा, पूछने दें आप सवाल को। मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, एक सवाल पूछने दीजिये।

**श्री जुबेर खान :** अध्यक्ष महोदय, दो-तीन आदमी हैं, और एक-एक सवाल पूछ लेने दीजिये।

**श्री संयम लोढ़ा :** मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी यह जानना चाहता हूं कि कोयला जो आता है..

**श्री अध्यक्ष :** मैंने कब अनुमति दी आपको ? बहुत प्रश्न हो गये, वो कन्फ्यूज हो जाएगे।

**श्री संयम लोढ़ा :** आप दीजिये न. बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, अध्यक्ष महोदय। कृपया आप इतने कठोर नहीं हो, अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान में विद्युत उत्पादन के लिए जो कोयला लदान होता है, भारतीय रेलवे ने अब ये निर्देश जारी किये हैं कि जिस स्टेशन से कोयला लदान होता है, गाड़ी तभी रवाना होगी जब आप अग्रिम भुगतान कर दें। आपकी सरकार ने वहां कमीशन एजेंट की व्यवस्था के लिए पहले किस कारण से तो टेण्डर किये और किस कारण से टेण्डर निरस्त किये, एक तो मेरा यह सवाल है? और दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय ने जो अपने लिये विद्युत भवन में कक्ष का निर्माण करवाया है वो लाखों रूपये खर्चे का भुगतान जी.ए.डी. ने किया है या राजस्थान के विद्युत उपभोक्ताओं पर यह लाखों रूपये का भुगतान आपने डाला है?

**श्री जुबेर खान (रामगढ़) :** अध्यक्ष महोदय, एक ढाणियों की बात जो मंत्रीजी ने कही कि 15 आवेदक अगर किसी ढाणी के हैं वहां मिल जाएगा, मंत्री महोदयजी, बिलकुल नहीं मिल रहे हैं। अलवर जिले में फाइलें लोगों ने लगा दी हैं, ढाणियों में कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं। आप इसकी व्यवस्था कराएं।

**श्री अध्यक्ष :** माननीय मंत्री ...... No I wan't allow.

**श्री रघुवीर सिंह मीणा :** हमारे साथ भेदभाव क्यों?

**श्री रामप्रताप कासनिया :** अध्यक्ष महोदय, यह ढाणी वाली एक किलोमीटर वाली लक्ष्मण रेखा तोड़ो ।

**श्री अध्यक्ष :** सब प्रश्न तो आ गये, अब क्या रह गया बाकी? सारे प्रश्न आ गये।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा :** अभी बाकी है। मैडम, ग्रामीण इलाके का मामला है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : कुछ नहीं। हां-हां सब ग्रामीण से आते हैं। हम सब ग्रामीण से आते हैं।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** : गांवों का मामला है, गांवों में पढ़ने वाले बच्चों की स्थिति बता रहा हूं।

**श्री अध्यक्ष** : हम सब ग्रामीण से आते हैं। आप तो बोलिये, बोलिये।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** : मंत्रीजी यह बतावें कि आपकी जो कटौती होती है, क्या यह है कि एक दिन तो ठीक लाइट आएगी रात को और एक दिन बिलकुल डिम आएगी ? डिम का मतलब पढ़ाई भी नहीं कर सकते बच्चे।

**श्री अध्यक्ष** : इस प्रकार से जबरदस्ती खड़े हों, इस तरह से सदन नहीं चलेगा ।

**श्री रघुवीर सिंह मीणा** : यह बात क्या सही है कि सोमवार को सही लाइट आती है और मंगलवार को ऐसी आती है कि बिलकुल पढ़ ही नहीं सकते? यह बात सही है, क्या इसकी आपने व्यवस्था की है ?

**श्री अध्यक्ष** : नहीं, मैं अलाउ नहीं करूंगी। यह सदन ऐसे नहीं चलेगा कि जिसकी मर्जी आए वो खड़ा हो जाए और खड़ा होकर बोलने लग जाए। यह सदन ऐसे नहीं चलेगा। अब माननीय मंत्रीजी जवाब देंगे। प्रश्न बहुत आ गये हैं, वो कन्फ्यूज न हो जाएं इसलिए वो ही देंगे जवाब अब।

**श्री रमेश खींची** : .... (व्यवधान) ... 5 हजार की जनसंख्या के गांवों में पिछले बजट में एलान किया था.....

**श्री अध्यक्ष** : बस बैठिये । अंकित नहीं हो।

**श्री गजेन्द्र सिंह** : अध्यक्ष महोदय, टी एण्ड डी लासेज का मामला है, मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहूंगा, जो मेरे पास आंकड़े हैं आप लोगों को सुनना चाहिये 1990-91 में टी एण्ड डी लासेज थे 25.55 प्रतिशत। 1993-94 में ये टी एण्ड डी लासेज के आंकड़े 25.18 प्रतिशत पर चले गये। इसके पश्चात 1998-99 में ये टी एण्ड डी लासेज थे 29.43 प्रतिशत। आपकी सरकार जब छोड़ कर गई तो ये ही टी एण्ड डी लासेज 42 प्रतिशत हमारे लिये छोड़ कर गयी।

**डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा) :** मंत्रीजी, आप बताइए, आज कितने हैं? आज एक साल में ये इन्क्रीज हुए हैं। एक साल में टी एण्ड डी लासेज 44 के ऊपर गये हैं। आप आधी बात कह रहे हैं। आप बताइए एक साल में कितने हुए टी एण्ड डी लासेज? एक साल में इस सरकार में टी एण्ड डी लोसेज बढ़े हैं और वह आप बताना नहीं चाहते। आप बताइए, 2003 और 2004-05 में टी एण्ड डी लासेज कितने हुए हैं, 44 परसेंट से ज्यादा हुए हैं।

**श्री मदन राठौड़ :** आपने किया है तो सुनने की हिम्मत रखो, सुनो।

**डा. सी.पी. जोशी :** 2004-05 में कितना हुआ बताइए?

**श्री मदन राठौड़ :** आपने जो गलत काम किया वह भी जरा सुन लो, सुनने की हिम्मत भी रखो।

**डा. सी.पी. जोशी. :** 2004-05 में इस सरकार के आने के बाद टी एण्ड डी लासेज बढ़े हैं, जवाब दीजिए, मंत्रीजी इस पर।

**श्री धर्मपाल चौधरी :** आपकी सरकार ने 28 से 45 पहुंचा दिया।

**डा. सी.पी. जोशी :** खाली अपनी बात कहे जा रहे हैं। 2004-05 में इस सरकार के आने के बाद टी.एण्ड डी लासेज बढ़े हैं। आप मना कीजिये खाली बात कर रहे हैं टी एण्ड डी लासेज नहीं बढ़ है। उस समय राजस्थान में एक्सपेंशन नहीं हुआ था। एक्सपेंशन होने के बाद टी एण्ड डी लासेज बढ़ते हैं। आपका राज आने के बाद भी टी एण्ड डी लासेज बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। (व्यवधान)

**श्री अध्यक्ष :** माननीय सदस्य, सदन की बैठक गुरूवार दिनांक 24 मार्च, 2005 के प्रातः.. (व्यवधान) आप सुनना नहीं चाहते, 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

**(तदनन्तर सदन की बैठक 16.42 बजे गुरूवार दिनांक 24 मार्च, 2005 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)**

# अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

## अवैध रूप से संचालित यात्री वाहनों को टैक्सी परमिट

134. श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार सड़कों पर निरन्तर चलने वाली प्राइवेट जीपों, कारों, बसों को टैक्सी परमिट देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस आधार पर कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

निजी जीपों व कारों के वाहन स्वामियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र में मय शुल्क आवेदन करने पर टैक्सी परमिट दिए जाने का नियमों में प्रावधान है। अनुज्ञापत्र स्वीकृति हेतु वाहन का निर्धारित माडल का होना आवश्यक है।

बसों को टैक्सी परमिट दिए जाने का नियमों में कोई प्रावधान नहीं है और न ही ऐसी कौई योजना सरकार के विचारधीन है। वस्तुत : सभी टैक्सियां संविदा अनुज्ञापत्र के आधार पर यात्रियों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती हैं। निजी बस मालिक भी इसी प्रकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 74, 88 (8), 88 (9) के तहत क्रमशः अनुज्ञापत्र, विशेष अनुज्ञापत्र एवं पर्यटक अनुज्ञापत्र प्राप्त कर अपने वाहन संचालित कर सकता है।

## किसान क्रेडिट कार्ड से कृषकों को लाभ

135. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004-05 में अब तक राज्य के कितने किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिये गये हैं? जिलेवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या राज्य के सभी पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दे दिये गये हैं? यदि नहीं, तो अब शेष रहे किसानों को कब तक क्रेडिट कार्ड दे दिये जाएंगे?

(3) क्या राज्य में ऐसे भी किसान क्रेडिट कार्डधारी हैं जिनको कोई लाभ नहीं मिला? यदि हां, तो किसानों को लाभ नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे?

उत्तर

(1) वर्ष 2004-05 में माह दिसम्बर, 2004 तक राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 554788, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 173912 एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा 68605 किसान क्रेडिट कार्ड्स जारी किये गये हैं। सहकारी बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्ड्स का जिलेवार विवरण (परिशिष्ट-1) पर उपलब्ध है। अन्य बैंकों की जिलेवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(2) जी नहीं। आवेदन करने पर पात्र किसानों को कार्ड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया निरन्तर जारी है।

(3) जी हां। सहकारी बैंकों द्वारा इच्छुक किसान क्रेडिट कार्डधारीकों को ही पात्रता अनुसार ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

**परिशिष्ट-1**

## जिलेवार केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से दिसम्बर, 2004 तक वितरित सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड

| क्र. सं. | नाम केन्द्रीय सहकारी बैंक | अप्रैल, 2004 से दिसम्बर, 2004 तक वितरित सहकारी किसान क्रेडिट कार्ड | 1999-2000 से दिसम्बर, 2004 तक वितरित सहकारी किसान क्रेडिंट कार्ड |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अजमेर | 7931 | 57044 |
| 2. | अलवर | 13180 | 101817 |
| 3. | बांसवाडा | 11592 | 64443 |
| 4. | बाडमेर | 51138 | 139237 |
| 5. | भरतपुर | 8226 | 66015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6. | धौलपुर | 4196 | 31340 |
| 7. | भीलवाड़ा | 8581 | 76207 |
| 8. | बीकानेर | 21733 | 69276 |
| 9. | बून्दी | 5254 | 37882 |
| 10. | चित्तौड़गढ़ | 11101 | 111365 |
| 11. | चूरू | 12206 | 96637 |
| 12. | डूंगरपुर | 15555 | 39665 |
| 13. | जयपुर | 7235 | 120301 |
| 14. | जैसलमेर | 19509 | 36333 |
| 15. | जालौर | 52653 | 111380 |
| 16. | झालावाड़ | 4204 | 67994 |
| 17. | झुंझुनूं | 21861 | 92726 |
| 18. | जोधपुर | 67102 | 153473 |
| 19. | कोटा | 5220 | 68409 |
| 20. | बारां | 5402 | 52805 |
| 21. | नागौर | 48839 | 130514 |
| 22. | पाली | 32574 | 151677 |
| 23. | सवाईमाधोपुर | 7892 | 71712 |
| 24. | करौली | 9288 | 51864 |
| 25. | सीकर | 9348 | 90026 |
| 26. | सिरोही | 5263 | 26764 |
| 27. | श्रीगंगानगर | 21248 | 144362 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 28. | हनुमानगढ़ | 24687 | 102373 |
| 29. | टोंक | 12610 | 91896 |
| 30. | उदयपुर | 12481 | 84900 |
| 31. | राजसमन्द | 11866 | 42509 |
| 32. | दौसा | 4813 | 10626 |
| **योग** | | **554788** | **2583574** |

# समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारंकित प्रश्न व उनके उत्तर

## विकलांगों हेतु आवश्यक उपकरण

141. **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में विकलांगों की संख्या लगभग पन्द्रह लाख के आसपास है ? यदि हां, तो सरकार ने इन विकलांगों को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने के लिये अब तक क्या प्रयास किये ? विकलांगों की जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

जी हां। विकलांग व्यक्तियों को संयुक्त सहायता, कृत्रिम अंग/उपकरण योजना एवं अडिप योजना (असिस्टेन्स टू डिसएबल्ड परसन्स फार पर्चेज/फिटिंग आफ एड्स एण्ड अप्लाइन्सेज) में विभाग द्वारा एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कृत्रिम अंग/उपकरण उपलब्ध करवाकर मदद करने का प्रयास किया गया है।

विकलांगों की जिलेवार संख्या परिशिष्ट-1 पर सलंग्न कर सदन की मेज पर रख दी गयी है।

**परिशिष्ट-1**

**राज्य में निःशक्तजनों की जनसंख्या**

| क्र.सं. | नाम जिला | वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार निःशक्तजनों की जनसंख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | जयपुर | 136829 |
| 2 | जोधपुर | 77925 |
| 3 | पाली | 77719 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4 | अलवर | 72223 |
| 5 | उदयपुर | 63377 |
| 6 | सीकर | 62433 |
| 7 | नागौर | 57746 |
| 8 | जालौर | 56769 |
| 9 | भरतपुर | 55789 |
| 10 | बाड़मेर | 53488 |
| 11 | बांसवाड़ा | 46773 |
| 12 | अजमेर | 45889 |
| 13 | भीलवाड़ा | 44884 |
| 14 | चित्तौडगढ़ | 44200 |
| 15 | डूंगरपुर | 41078 |
| 16 | गंगानगर | 39414 |
| 17 | चूरू | 37116 |
| 18 | झुंझुनूं | 33293 |
| 19 | कोटा | 32862 |
| 20 | दौसा | 32637 |
| 21 | टोंक | 29059 |
| 22 | धौलपुर | 28338 |
| 23 | हनुमानगढ़ | 28276 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 24 | सवाईमाधोपुर | 27832 |
| 25 | राजसमन्द | 27420 |
| 26 | बीकानेर | 27308 |
| 27 | झालावाड़ | 26128 |
| 28 | करौली | 25481 |
| 29 | बून्दी | 23974 |
| 30 | बारां | 21795 |
| 31 | सिरोही | 21780 |
| 32 | जैसलमेर | 12144 |
| | योग : | 1411979 |

## पड़ोसी राज्यों से आने वाले खाद्य तेल टैंकरो से प्राप्त राजस्व

**142. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) यह यह सही है कि सीमावर्ती मध्य प्रदेश राज्य के नीमच कस्बे से प्रतिदिन सोयाबीन व खाद्य तेल के टैंकर राज्य में विक्रय के लिए आते हैं ?

(2) उक्त तेल टैंकरों से राज्य को कितनी वार्षिक आमदनी विक्रय कर के रूप में होती है ?

(3) क्या यह भी सही है कि खाद्य तेल के टैंकर मध्य प्रदेश से राजस्थान में चोरी छुपे भी आते हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी रोकथाम के लिए क्या कारगर उपाय किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) निम्बाहेड़ा वाणिज्यिक कर चैक पोस्ट पर वर्ष 2003-04 से दिसम्बर, 2004 तक खाद्य तेल टैंकरों के माध्यम से विक्रय कर अपवंचन के कितने प्रकरण दर्ज किये गये तथा कितनी राशि की वसूली की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उक्त टैंकरों से राज्य को गत वर्षों में निम्न राशि विक्रय कर के रूप में प्राप्त हुई है :-

| | |
|---|---|
| 2003-04 | रूपये 4.90 लाख |
| 2004-05 | रूपये 3.50 लाख<br>(दिसम्बर, 2004 तक) |

(3) मुख्य मार्ग पर विभाग द्वारा चैकपोस्टें स्थापित की हुई हैं, तथा कच्चे मार्गों से आने वाले वाहनों की चैकिंग समय-समय पर बार्डर से सम्बन्धित वाणिज्यिक कर अधिकारी, उढ़नदस्ता एवं प्रतिकरापवंचन के अधिकारियों द्वारा की जाती है।

(4) वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 (दिसम्बर, 2004 तक) अपवंचन का कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।

## तारानगर के गरीबी रेखा में चयनित परिवारों को घरेलू विद्युत कनेक्शन

**143. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र तारानगर में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू कनेक्शन देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए एवं उक्त में से कितने परिवारों को विद्युत कनेक्शन दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सहीं है कि सरकार ने एक किलोमीटर की परिधि में स्थित ढाणियों में मात्र 1500 रूपये में विद्युत कनेक्शन दिये जाने की कार्ययोजना बनाई है ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत विधान सभा

(डा. चन्द्रशेखर बैद)

क्षेत्र तारानगर के ग्रामों की कितनी ढाणियों को विद्युतीकृत किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

उत्तर

(1) जी हां। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवारों को कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत घरेलू विद्युत कनेक्शन नि:शुल्क दिये जा रहे हैं, जिसमें तारानगर विधानसभा क्षेत्र भी सम्मिलित हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में इस वर्ष 2004-05 गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 759 परिवारों की सूची विकास अधिकारी से प्राप्त हुई है, इनमें से 361 साध्य पाये गये, जिसमें से दि. 10.02.2005 तक 314 चयनित परिवारों को घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं तथा शेष रहे 47 कनेक्शन माह मार्च, 2005 तक जारी कर दिये जायेंगे । विवरण परिशिष्ट 'अ' में संलग्न है।

(3) जी हां, प्रथम चरण में विद्यमान 11 के.वी./एल.टी. विद्युत लाइन से एक कि.मी. तक दूरी में स्थित ढाणियों जिनमें कनेक्शन हेतु कम से कम 15 आवेदन हों, का विद्युतीकरण कर आवेदक से मात्र 1500/- रू. एकमुश्त लेकर घरेलू कनेक्शन देने का प्रावधान किया गया है। ढाणियों में विद्युतीकरण हेतु राज्य सरकार के पत्रांक एफ 12(30)/ऊर्जा/2004 दिनांक 18.12.2004 द्वारा जारी निर्देश/प्रावधान के तहत चुरू वृत्त की 10 ढाणियों का विद्युतीकरण करना प्रस्तावित है। चूरू वृत्त के अन्तर्गत तारानगर विधानसभा क्षेत्र की ढाणियों का विद्युतीकरण करने हेतु तकमीना बनाने एवं सर्वे कार्य प्रगति पर है।

## परिशिष्ट-अ

**जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अन्तर्गत (वर्ष 2004-05) में विधान सभा क्षेत्र तारानगर में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को दिये गये घरेलू विद्युत कनेक्शन का विवरण :-**

| क्र.सं. | गांव का नाम | किये गये कनेक्शनों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | चैनपुरा बड़ा | 7 |
| 2. | ददरेखा | 4 |
| 3. | धणाऊ | 2 |
| 4. | मलवास | 6 |
| 5. | पहाडसर | 6 |
| 6. | हसियावास | 6 |
| 7. | ढिगारला | 5 |
| 8. | सेऊवा | 4 |
| 9. | किशनपुरा | 3 |
| 10. | गुलपूरा | 1 |
| 11. | नरवासी | 1 |
| 12. | डोकवा | 2 |
| 13. | लाखताण | 16 |
| 14. | ढाणी कुम्हारान | 6 |
| 15. | खुडडी | 3 |
| 16. | साव्यू | 25 |
| 17. | धीरवास बड़ा | 10 |
| 18. | दुलेडी | 5 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 19. | मनीण | 25 |
| 20. | भांडग | 30 |
| 21. | भालेरी | 28 |
| 22. | गोडास | 8 |
| 23. | साहवा | 10 |
| 24. | भलाऊ टीबा | 18 |
| 25. | भलाऊ वास | 30 |
| 26. | तोगावास | 5 |
| 27. | पन्ड्रेऊताल | 5 |
| 28. | राथेडी | 5 |
| 29. | पुनरास | 2 |
| 30. | मिखाला | 4 |
| 31. | पुनसीसर | 2 |
| 32. | गोगटीया | 2 |
| 33. | बांय | 3 |
| 34. | रामपुरा | 1 |
| 35. | बुचावास | 4 |
| 36. | लुडनीया | 20 |
| कुल योग | | 314 |

तारानगर विधान सभा क्षेत्र में कुटीर ज्योति योजना अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे चयनित शेष परिवारों का देय विद्युत सम्बन्धों का गांववार विवरण

| क्र. सं. | गांव का नाम | वर्ष 2004-05 तकनीकी साध्यता एवं लक्ष्यानुसार शेष रहे विद्युत कनेक्शनों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | चुलकिया ताल | 5 |
| 2. | चनाणा | 1 |
| 3. | ढाणी कुम्हारण | 3 |
| 4. | सऊआ | 1 |
| 5. | बास कालग | 20 |
| 6. | बास सेऊआ | 1 |
| 7. | किशनपुरा | 16 |
| कुल योग :- | | 47 |

# अतारांकित प्रश्नोत्तर

## मंत्रालयिक कर्मचारियों का वेतन विसंगति प्रकरण

196. श्री हंगामी लाल मेवाड़ा (आसीन्द) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य के मंत्रालयिक कर्मचारियों के वेतन विसंगतियों का मामला सरकार के विचाराधीन है ?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1998 में मंत्रालयिक कर्मचारियों के साथ सरकार द्वारा कोई समझौता किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार अब उस समझौते को लागू करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

### उत्तर

(1) जी हां।

(2) अक्टूबर, 1998 में राज्य सरकार एवं राजस्थान राज्य कर्मचारी संघ के बीच कनिष्ठ लिपिकों के वेतनमान के सम्बन्ध में समझौता हुआ था। तत्पश्चात इस मामले को श्री वाई. सिंह वेतन विसंगति निराकरण समिति को रैफर कर दिया गया। समिति के प्रतिवेदन पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

## जयपुर स्थापना दिवस समारोह पर आमंत्रित अतिथिगण

197. श्री सुरेश मीणा (करौली) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा जयपुर शहर के स्थापना दिवस समारोह पर वर्ष 2004 में कितनी राशि व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इस स्थापना दिवस समारोह में राज्य के सांसद एवं विधायकों को भी आमंत्रित किया गया था? यदि हां, तो किस-किस को? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि राजस्थान के पूर्व राजपरिवारों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया था? यदि हां, तो किन-किन को तथा किस

(श्री सुरेश मीणा)

हैसियत से? इनमें से कौन-कौन से राजपरिवार के प्रतिनिधि इस समारोह में शामिल हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह- 2004 पर नगर निगम, जयपुर द्वारा 75,000/- रू की राशि व्यय की गई ।

(2) जी नहीं। उक्त समारोह-2004 प्रारम्भ होने से पूर्व नगर निगम के चुनावों के कारण लगी आचार संहिता के कारण आयोजन संक्षिप्त रूप में किया गया था एवं किसी भी सांसद/विधायक को विशेष रूप से आमंत्रित नहीं किया गया।

(3) जी नहीं। जयपुर नगर निगम द्वारा आयोजित जयपुर समारोह-2004 में राजपरिवार के किसी भी सदस्य को आमंत्रित नहीं किया गया, न ही उक्त समारोह में राजपरिवार का कोई सदस्य शामिल हुआ था।

## "अशोक उद्यान", जोधपुर का पुनर्नामकरण

198. **श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)** : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) "अशोक उद्यान", जोधपुर का निर्माण किस की भूमि पर किया गया एवं इस पर किस के द्वारा कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) क्या सरकार उक्त उद्यान का नाम अशोक उद्यान के स्थान पर "सम्राट अशोक उद्यान" करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अशोक उद्यान का निर्माण राजस्थान आवासन मण्डल की भूमि पर किया गया है। मण्डल द्वारा इसके निर्माण में अब तक रूपये 622.34 लाख की राशि व्यय की गई है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में राज्य सरकार के स्तर पर इस प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

## रतनगढ़ (चूरू) में विभिन्न स्थानों पर भरे गन्दे पानी की निकासी

199. श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़) : क्या स्वायत्त शासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि जिला चूरू के रतनगढ़ शहर में रेलवे पुलिया नं.1 अम्बेडकर नगर, सरकारी चिकित्सालय के सामने, उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने, सेठ बंशीधर जालान स्कूल के सामने, प्रकाश पाठशाला आदि स्थानों पर वर्षों से गंदा पानी भरा रहता है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इसकी निकासी हेतु क्या स्थायी योजना प्रस्तावित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। इस गंदे पानी के भराव की समस्या के निराकरण हेतु निम्नांकित उपाय किये गये :-

(अ) सरकारी चिकित्सालय, प्रकाश पाठशाला, उप अधीक्षक कार्यालय के सामने पानी भराव की समस्या का नाला निर्माण कराया जा कर समाधान कर दिया गया है ।

(ब) देराजसर रोड़ पर सराफों के कुएं के पास (अम्बेडकर नगर) एकत्रित पानी की निकासी योजना की क्रियान्विती हेतु जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग रतनगढ़ को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त की जाकर 5 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करवा दी गई है। जहां पर पानी एकत्रित होता है, वह जमीन निजी सम्पत्ति है, एवं जमीन मालिक जमीन देने के लिए सहमत नहीं हो रहे हैं। प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त समस्या के स्थाई समाधान हेतु ड्रेनेज योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से तैयार करायी जा रही है। योजना तैयार होने के उपरान्त अपेक्षित कार्यवाही की जावेगी।

## ब्यावर को विकास कार्यों हेतु आबंटित राशि

200. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री देवाशंकर भूतडा)

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा एशियन विकास बैंक की योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र ब्यावर को राशि आबंटित की गई है ? यदि हां, तो कितनी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

जी नहीं।

## अतरांकित प्रश्न संख्या 201

(स्थगित)

## सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या प.6/37/नविआ/3/97 दिनांक 11 दिसम्बर, 2001

202. **श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) :** क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.6/37/नविआ/3/97 टी.डी.आर. द्वितीय डी.ए. पार्ट, जयपुर दिनांक 11 दिसम्बर, 2001 जारी की गई है ? क्या यह भी सही है कि अधिसूचना जारी करने से पूर्व जिला कलक्टर, जयपुर से जानकारी लिया जाना आवश्यक था? यदि हां, तो क्या जानकारी ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इस अनियमितता की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार इस अधिसूचना को निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

## भैंरूखेड़ा-जगन्नाथपुरा (सीकर रोड, जयपुर) की आवासीय कालोनियां

203. **श्री नवरतन राजोरिया** (फुलेरा) : क्या नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि भैंरूखेड़ा-जगन्नाथपुरा सीकर रोड पर बिना अनुमति से अवैध रूप से रिद्धि-सिद्धि कालोनी तथा बालाजी विहार नाम से कालोनियां काटी गयी हैं ? यदि हां, तो कितने क्षेत्र में व किसके द्वारा ?

(2) उक्त कालोनियां बसाने के लिए कौन जिम्मेदार हैं ? क्या उनके विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्या अब मुकदमा दर्ज कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरण में जयपुर विकास प्राधिकरण के सम्बन्धित जोन के अधिकारियों की मिलीभगत व कर्तव्य के प्रति लापरवाही उजागर हुई है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं तथा सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

### उत्तर

(1) ग्राम भैंरूखेड़ा-जगन्नाथपुरा सीकर रोड़ पर कुछ व्यक्तियों द्वारा बगैर अनुमति अवैध रूप से बाउन्ड्रीवाल आदि बना ली गई थी जिनको जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा ध्वस्त किया जाकर स्थानीय लोगों की जानकारी हेतु चेतावनी के बोर्ड लगाये गये ताकि अवैध रूप से काटी गयी कॉलोनी में कोई खरीद फरोख्त नहीं करे। जयपुर विकास प्राधिकरण में रिद्धि सिद्धि योजना तथा बालाजी विहार नाम की किसी योजना का रिकार्ड जयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में पेश नहीं किया गया है। मौके की रिपोर्ट के अनुसार यह कालोनी लगभग 40 बीघा भूमि पर काटी गई है।

(2) इन अवैध कॉलोनियों को बसाने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के पश्चात जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जावेगी। अब तक जयपुर विकास प्राधिकरण ने इन कालोनियों में निम्नानुसार कार्यवाही की है :-

(नगरीय विकास मंत्री)

1. दिनांक 1.11.2004 को नींव खुदाई व कच्चा निर्माण ध्वस्त किया गया।
2. दिनांक 9.11.2004 को जे.सी.बी. द्वारा सड़क व डण्डा आदि निर्माण तोड़ा गया तथा चेतावनी के बोर्ड लगाये गये।
3. दिनांक 29.12.2004 को नींव भरी दुकानों के निर्माण को जे.सी.बी. द्वारा तोड़ा गया।
4. दिनांक 21.2.2005 को अवैध सड़क व डण्डे के निर्माण को तोड़ा गया।

(3) जी नहीं ।

## गंगाराम नगर कालोनी, जयपुर की सड़कें

204. श्री मदन मोहन सिंघल (कामां) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बनीपार्क जयपुर में गोपालपुरा बाईपास पर गंगाराम नगर कालोनी का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमितीकरण कर दिया गया है? यदि हां, तो कब ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कालोनी के भूखण्डों का पट्टा सेक्टर रोड 40 फीट चौड़ी छोड़कर दिया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त कालोनी की सैक्टर रोड 40 फीट कर दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा अनेकों बार सड़क चौड़ी करने का आश्वासन भी दिया जाता रहा है, परन्तु उक्त सड़क को अभी तक 40 फीट चौड़ी नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) सरकार उक्त सैक्टर रोड को अब कब तक 40 फीट चौड़ा करवा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

### उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि विधानसभा क्षेत्र बनीपार्क जयपुर में गोपालपुरा बाईपास पर गंगाराम नगर स्कीम नं. 15 का जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमितीकरण दिनांक 28.2.2002 को किया गया है।

(2) जी हां । उक्त कालोनी के भूखण्डों पर पट्टा सैक्टर रोड 40 फीट छोड़कर दिया गया है, किन्तु उक्त कॉलोनी की सैक्टर रोड को अभी तक 40

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

फीट नहीं किया गया है। उक्त सैक्टर रोड जेडीए नक्शे में 40 फीट ही अनुमोदित है, किन्तु मौके पर उक्त सैक्टर रोड 40 फीट के स्थान पर 18 फीट से लेकर 24 फीट तक उपलब्ध है। शेष भूमि का सर्वे करवाया गया था। जिसके मुताबिक सड़क के दोनों और 9 फीट की चौड़ाई में अतिक्रमण करते हुए 14 मकानों की बाउण्ड्रीवाल, 8 मकानों में आगे दुकान, कमरे व शौचालय उक्त निर्धारित सड़क सीमा में बने हुए है।

मौके पर उक्त अतिक्रमणों को ध्वस्त करते हुए रोड को 40 फीट किया जाना है। पुन : इस कालोनी के पीछे की कालोनियों का सर्वे कराया जा रहा है। इस रोड के माध्यम से जुड़ने वाली सभी पीछे की कालोनियों की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण बीपीसी में प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) मात्र एक बार ही श्री रमेश चन्द्र खींची, माननीय सदस्य, राजस्थान विधान सभा द्वारा अतारांकित प्रश्न संख्या 43 के द्वारा पूछे गये प्रश्न के सम्बन्ध में इस बाबत आश्वासन दिया गया था, किन्तु अभी तक उक्त आश्वासन की क्रियान्विति नहीं की जा सकी है क्योंकि उक्त अतिक्रमणों को ध्वस्त करते हुए रोड को 40 फीट किया जाना है। इस बाबत सर्वे रिपोर्ट के आधार पर पुनः बीपीसी में निर्णय किया जावेगा एवं तदनुसार इस सम्बन्ध में सड़क सीमा निर्धारण की कार्यवाही की जावेगी।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण के स्तर पर उपरोक्त के सम्बन्ध में निर्णय होते ही नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

## विद्याधर नगर योजना, जयपुर में आवश्यक सुविधाएं

205. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या नगरीय विकास एवं आश्वासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार जयपुर की विद्याधर नगर योजना में पूर्व घोषित सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है? यदि हां. तो कौन-कौनसी ?

(2) सरकार उक्त क्षेत्र में शेष रही आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को कब तक उपलब्ध करवाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। विद्याधर नगर में आवश्यक मूलभूत सुविधाएं यथा सड़कें,

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

नालियां, सीवर लाइन, विद्युत लाइन, विद्युत कार्यालय, पानी की लाइन, जलदाय विभाग का कार्यालय, पार्क, सामुदायिक केन्द्र, स्कूल, कालेज बाजार स्टेडियम, श्मशान, कब्रिस्तान, पुलिस स्टेशन, चिकित्सालय इत्यादि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं।

(2) प्राधिकरण द्वारा आवश्यक मूलभूत सुविधाएं समय-समय पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराई जाती रही हैं।

## राजकीय आवासों की साज-सज्जा पर व्यय

**206. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) :** क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2002 से अब तक नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री एवं ऊर्जा राज्य मंत्री तथा नगरीय विकास सचिव के निवास एवं कार्यालयों में साज-सज्जा का क्या-क्या कार्य सम्पन्न करवाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त साज-सज्जा पर कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य हेतु व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) राज्य मंत्री नगरीय विकास व आवासन विभाग एवं अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर के सरकारी निवास पर निम्नानुसार साज-सज्जा के कार्य करवाये गये :-

सरकारी निवास पर मुख्य रूप से आगन्तुकों के बैठने के लिये शैड का निर्माण, चारदीवारी के ऊपर बैंत की जाफरी तथा निवास पर स्थित कार्यालय में कारपेट का कार्य करवाया गया।

राज्य मंत्री नगरीय विकास एवं आवासन विभाग एवं अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के कार्यालय कक्ष में निम्न साज-सज्जा के कार्य करवाये गये :-

कार्यालय में मुख्य रूप से वुड वर्क पेनेलिंग मय पेन्ट व पेन्ट आदि का कार्य करवाया गया।

(नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री)

सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग कार्यालय कक्ष में साज-सज्जा के रूप में मुख्य रूप से वाल पेनेलिंग मय पेन्ट का कार्य करवाया गया।

ऊर्जा राज्य मंत्री के कार्यालय व निवास पर इस विभाग द्वारा कोई कार्य नहीं करवाया गया।

(2) राज्य मंत्री नगरीय विकास व आवासन विभाग एवं अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण के सरकारी निवास पर उपरोक्त कार्यों में साज-सज्जा हेतु रुपये 1,89,631.00 (रुपये एक लाख नवासी हजार छः सौ इकत्तीस मात्र) खर्च किये गये।

राज्य मंत्री, नगरीय विकास व आवासन विभाग एवं अध्यक्ष जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय कक्ष में साज-सज्जा हेतु उपरोक्त कार्यों में रुपये 2,89,228.00 (रुपये दो लाख छियासी हजार दो सौ अटाईस मात्र) का व्यय किया गया।

सचिव, नगरीय विकास व आवासन विभाग के कार्यालय कक्ष में साज-सज्जा के लिये उपरोक्त कार्यों हेतु कुल रुपये 1,66,203.00 (रुपये एक लाख छियासठ हजार दो सौ तीन मात्र) व्यय किये गये।

## एल.एन.मित्तल इंस्टीट्यूट जामडोली, जयपुर हेतु आबंटित भूमि

207. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

एल.एन.मित्तल इंस्टीट्यूट जामडोली, जयपुर हेतु कितनी भूमि किन-किन शर्तो एवं किस मूल्य पर आबंटित की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

### उत्तर

एल.एन. मित्तल इंस्टीट्यूट, जामडोली, जयपुर को ग्राम रूपा की नांगल एवं ग्राम बाल मुकुन्दपुरा में 160 बीघा भूमि निःशुल्क आबंटित की गई है। आबंटित भूमि का विवरण एवं आबंटन की शर्ते परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

**परिशिष्ट 'अ'**

## जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : जविप्रा/जोन/सी2सी/02/डी-176 दिनांक : 4-1-2003

**<u>आबंटन पत्र</u>**

**दी एल.एन.एम. सूचना प्रोयोगिकी संस्थान,**

**कमरा नं. 42 फूड बिल्डिंग, सचिवालय,**

**जयपुर**

राज्य सरकार के आदेश दिनांक : 6.7.2002 के अनुक्रम में ग्राम रूपा की नांगल एवं मुकुन्दपुरा में दी एल.एन.एम. प्रोद्योगिकी संस्थान (आई.आई.आई.टी) को 160 बीघा भूमि नि:शुल्क आबंटित की जाती है जिसका विवरण इस प्रकार है :-

| क्र.स. | ग्राम का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्रफल | |
|---|---|---|---|---|
| | | | बीघा | बिस्वा |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | रूपा की नांगल की जविप्रा खाते की भूमि | 97 | 2 | 14 |
| | | 103 | 0 | 8 |
| | | 105 | 1 | 5 |
| | | 107 मिन | 68 | 0 |
| | | 96 मिन | 11 | 15 |
| | | 102 | 2 | 13 |
| | | 104 | 1 | 18 |
| | | 106 | 3 | 5 |
| | | 70 मिन | 20 | 15 |
| | रूपा की नांगल की निजी खातेदारी की अवाप्त की गई भूमि | 103/270 | 2 | 0 |

| क्र.स. | ग्राम का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्रफल | |
|---|---|---|---|---|
| | | | बीघा | बिस्वा |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | रूपा की नांगल की निजी खातेदारी की अवाप्त की गई भूमि | 70/296<br>100<br>101<br>98 | 27 | 15 |
| | कुल योग :- | कुल किता-14 | 142 | 08 |
| 2. | ग्राम मुकुन्दपुरा की जविप्रा-खाते की भूमि जो रूपा की नांगल के सरकारी खाते में भी दर्ज है | 6 मिन | 2 | 10 |
| | | 8 मिन | 3 | 4 |
| | | 9 | 1 | 17 |
| | | 10 | 4 | 8 |
| | | 11 | 4 | 6 |
| | | 12 | 0 | 17 |
| | | 13 मिन | 0 | 10 |
| | कुल योग :- | कुल किता-7 | 17 | 12 |
| कुल आवंटित भूमि— | | 160 बीघा | | |

**आबंटन की शर्ते :-**

1. भूमि का आबंटन 99 वर्ष की लीज पर होगा, जिसमें पूर्ण स्वामित्व प्राधिकरण का होगा। आबंटित भूमि एवं इसके पश्चात निर्मित भवन को संस्था किसी को भी उस पट्टे (सब लीज) पर स्थायी / अस्थायी रूप से नहीं दे सकती। उप पट्टे/किराये पर देने पर आबंटन स्वत : ही निरस्त समझा जाकर भूखण्ड जब्त कर लिया जायेगा तथा कोई मुआवजा नहीं दिया जायेगा।

2. भूखण्ड का निर्माण कार्य आबंटन की तिथि से 6 माह की अवधि में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के अनुसार प्रारम्भ किया जाएगा एवं 2

वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लिया जायेगा। भवन मानचित्रों अनुमोदन करवाने की जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी।

3. यदि भूखण्ड/ भूमि का उपयोग आबंटन की तिथि से 2 वर्ष की अवधि में नहीं किया गया तो भूखण्ड व उस पर बने अधूरे भवन यदि कोई हो तो, का अधिग्रहण कर लिया जायेगा व मुआवजा देय नहीं होगा।

4. भूखण्ड/ भूमि केवल संस्था बिल्डिंग बनाने हेतु काम में लिया जायेगा एवं किसी भी प्रकार के अन्य निर्माण की स्वीकृत नहीं दी जायेगी और न ही किसी प्रकार का वाणिज्यिक एवं लाभ कमाने की दृष्टि से इसका उपयोग किया जा सकेगा।

5. संस्था को जिस उद्देश्य की पूर्ति हेतु भूमि दी गई है उसमें परिवर्तन होने अथवा संस्था के किसी अन्य संस्था या सोसायटी में सम्मिलित हो जाने की स्थिति में भूमि का आबंटन स्वत: ही निरस्त समझा जाकर समस्त आबंटित भूमि राज्य सरकार/जयपुर विकास प्राधिकरण में निहित हो जायेगी तथा उस पर निर्मित मकान इत्यादि का निस्तारण राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जा सकेगा।

6. भूखण्ड एवं इस निर्मित भवन को पुनर्गृहीत कर लिये जाने पर इसको पुन: आबंटित/विक्रय करने का प्राधिकरण को पूर्ण अधिकार होगा।

7. राजस्थान इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट/ डिस्पोजल आफ अरबन लेण्ड / रूल्स, 1974 एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये नियमों, उपनियमों व समय-समय प्रचलित अन्य नियमों एवं उनके किये गये व किये जाने वाले संशोधनों व समय-समय पर दिये जाने वाले आदेशों/निर्देशों एवं प्राधिकरण के निर्णयों के अधीन भूखण्ड/भूमि का आबंटन समझा जायेगा।

8. राज्य हित व विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकार / स्थानीय निकाय/ जिला दण्डनायक उक्त आबंटित भूमि व उस पर निर्मित भवन को अस्थाई रूप से प्रयोग में ले सकेगा, जिसके लिए कोई मुआवजा देय नहीं होगा।

9. भूमि का कब्जा प्राप्त करने से पूर्व भूमि का विक्रय विलेख निष्पादित करवाना आवश्यक होगा।

10. संस्था के अवसायन होने की स्थिति में भूमि का आबंटन स्वत: ही निरस्त समझा जाकर समस्त भूमि राज्य/सरकार जयपुर विकास प्राधिकरण में

निहित हो जायेगी तथा उस पर निर्मित भवन इत्यादि का निस्तारण राज्य सरकार के निर्देशानुसार किया जा सकेगा।

11. उपरोक्त शर्तों में किसी एक या अधिक का उल्लंघन किया गया तो प्राधिकरण को अधिकार होगा कि बिना कोई नोटिस दिये भूखण्ड अग्रिहित कर लें।

**उपायुक्त जोन सी-2 (सी)**

**जयपुर विकास प्राधिकरण**

## सहायक आयुक्त, देवस्थान, कोटा द्वारा उज्रदारी प्राप्त करने हेतु जारी नोटिस

**208. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-**

(1) सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग कोटा खण्ड को गत 5 वर्षों में प्रपत्र संख्या 6 के तहत कुल कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ? प्रपत्रों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग कोटा खण्ड द्वारा सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 18(2) के अन्तर्गत उज्रदारी प्राप्त करने हेतु कुल कितने नोटिस जारी किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) निरीक्षक से मौके की रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 19 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके गत 5 वर्षों में कितने पंजीयन किये गये हैं ?

**उत्तर**

(1) सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग कोटा को गत 5 वर्षों में प्रपत्र संख्या 6 के कुल 99 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। उक्त प्रार्थना पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं। (परिशिष्ट-1)

(2) प्रपत्र संख्या 6 में प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर सभी में अधिनियम की धारा 18(2) के तहत उज्रदारी प्राप्त करने हेतु नोटिस जारी किये जाते हैं। गत 5 वर्षों में प्राप्त 99 प्रकरणों में उज्रदारी नोटिस जारी किये गये। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-2)

(3) निरीक्षक के मौके की रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात प्रन्यास अधिनियम, 1959 की धारा 12 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके गत 5 वर्षों में 31 प्रकरणों का पंजीयन किया गया।

**(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)**

## राज्य में विद्युत उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रस्तावित योजनाएं

**209. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात से कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किस-किस यूनिट से कितना-कितना बढ़ा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात ऊर्जा उत्पादन हेतु किन-किन नई परियोजनाओं की स्थापना परं विचार-विमर्श एवं निर्णय लिया गया ? इन योजनाओं की स्थापना कर कब तक उत्पादन चालू कर दिया जायेगा। ?

(3) पूर्ववर्ती सरकार द्वारा ऊर्जा उत्पादन हेतु किन-किन परियोजनाओं को तैयार कर उनकी स्थापना के लिये प्रयास किया गया तथा कितनी योजनाएं आरम्भ की गईं और उनमें से कितनी में उत्पादन शुरू हुआ ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

**उत्तर**

(1) वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात राज्य की उपलब्धता में निम्न परियोजनाओं से वृद्धि हुई है :-

| विवरण | क्षमता में वृद्धि (मेगावाट) |
|---|---|
| राज्य द्वारा संचालित/निजी उपक्रमों द्वारा | |
| अ – पवन विद्युत संयंत्रों से | 151.12 |
| साझेदारी परियोजनाओं से | |
| अ – पोंग परियोजना (क्षमता वृद्धि) | 3.51 |
| केन्द्रीय परियोजनाओं से | |
| अ- चमेरा पन विद्युत गृह चरण द्वितीय | 46.40 |
| ब- नाथपा जाखरी | 93.34 |
| कुल वृद्धि | 294.37 (मेगावाट) |

(ऊर्जा मंत्री)

इसके अतिरिक्त गिरल लिग्नाइट आधारित नई विद्युत परियोजना (1x125 मेगावाट) का कार्य माह मार्च, 2006 तथा धौलपुर गैस आधारित नई परियोजन (330 मेगावाट) का कार्य माह दिसम्बर, 2006 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

(2) वर्तमान सरकार के गठन के पश्चात राज्य में विद्युत मांग एवं आपूर्ति के बढ़ते अन्तर को कम करने के लिये निम्न परियोजनाएं राज्य स्तर पर शुरू किए जाने हेतु चिन्हित की गई हैं :-

1. 250 मेगावाट, सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियेाजना इकाई–6
2. 125 मेगावाट, गिरल लिग्नाईट तापीय विद्युत परियोना, इकाई–2
3. 195 मेगावाट, कोटा तापीय विद्युत परियोजना इकाई–7
4. 125 मेगावाट (अनुमानित) गुढा लिग्नाईट तापीय विद्युत परियोजना।
5. धौलपुर व छबड़ा में भी 1000-1000 मे.वा. की तापीय (गैस व कोयला) विद्युत परियोजना स्थापित करने की योजनाओं पर भी गहनता से विचार किया जा रहा है। इन योजनाओं के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी निजी क्षेत्रों के उद्यमियों के लिग्नाईट व कोयला आधारित परियोजनाओं के प्रस्तावों को भी अध्ययन कर राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(3) वर्तमान सरकार से पूर्व की सरकार ने विद्युत उत्पादन के लिये निम्न नये प्रोजेक्टों का काम शुरू किया था :-

1. 1x125 मेगावाट, सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना, इकाई–5
2. 1x195 मेगावाट, कोटा तापीय विद्युत परियोजना इकाई–6
3. रामगढ़ गैस थर्मल पावर स्टेशन (75 मेगावाट)
4. 1x125 मेगावाट गिरल लिग्नाईट तापीय विद्युत परियोजना, इकाई–1
5. धौलपुर गैस आधारित परियोजना (330 मेगावाट

उपरोक्त परियोजनाओं में से सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना, इकाई–5, दिनाक 30.06.2003 को, कोटा तापीय विद्युत परियोजना, इकाई–6 दिनांक 30.07.2003 को, व रामगढ़ गैस थर्मल की 37.5 मेगावाट की गैस

(ऊर्जा मंत्री)

टरबाइन दिनांक 07.08.2002 को तथा 37.5 मेगावाट की स्टीम टरबाइन को दिनांक 25.04.2003 को ग्रिड से सिंक्रोरनाइज किया गया था।

इसके अलावा सूरतगढ तापीय विद्युत परियोजना, इकाई–3 व 4 का कार्य माह जून 1999 से शुरू कर इकाई–3 को दिनांक 29.10.2001 को व इकाई–4 को दिनांक 25.03.2002 को ग्रिड से सिंक्रोनाइज किया गया था।

## बांदीकुई में ग्रिड सब-स्टेशनों की स्थापना

210. **श्री मुरारीलाल मीणा** (बांदीकुईद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में 132 के.वी. एवं 33 के.वी. के कितने ग्रिड सब-स्टेशन चालू हैं ?

(2) उक्त ग्रिड सब स्टेशन बनाने के लिये सरकार के क्या मापदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ग्राम ढिगोरिया भीम में 132 के.वी. एवं ग्राम मोटूका, हिंगोटा पीचूपाड़ा, लीलोज तथा धनावड़ में 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में 132 के.वी. बांदीकुई का एक ग्रिड सब स्टेशन स्थापित है तथा 33/11 के.वी. के 9 सब स्टेशन क्रमशः बांदीकुई, बडियाल कलां, बसवा, बिवाई, डिगारिया भीम, भांवटा, आभानेरी, गुढा कटला एवं प्रतापपुरा स्थापित हैं?

(2) 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन एवं 33/11 के.वी. सब स्टेशन बनाने के मापदण्डों का विवरण परिशिष्ट-"अ" उपलब्ध है।

(3) जी नहीं । फिलहाल डिगारिया भीम में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाना फिलहाल विचाराधीन नही है तथापि ग्राम मोटूका में 33/11 के.वी. सब स्टेशन बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है एवं इसका निर्माण वर्ष 2005-06 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम हिंगोटा व धनाचड में 33/11 के.वी. सब स्टेशन बनाने के प्रस्ताव बनाए गए हैं जिनकी

(ऊर्जा मंत्री)

तकनीकी जांच कर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। पीचूगाडा में 33/11 के.वी. के निर्माण के प्रस्ताव तकनीकी दृष्टि से साध्य नहीं है तथा ग्राम लीलोज में 33/11 के.वी. सब स्टेशन के निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

## 132/33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने के मापदण्ड

**132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन**

नये 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशनों के प्रस्ताव विद्युत वितरण निगम द्वारा आवश्यकतानुसार मांग करने पर निम्न मापदण्ड के आधार पर परीक्षण उपरान्त अनुशंसाओं के आधार पर स्वीकृत किये जाते हैं :-

(i) 33 के.वी. विद्युत तंत्र का वोल्टेज रेग्यूलेशन तथा डिमाण्ड लास का आंकलन।

(ii) आवश्यकतानुसार सामान्यतया वर्तमान 132 के.वी. जी.एस.एस. से लगभग 30 कि.मी. (ग्रामीण क्षेत्र) की दूरी।

(iii) क्षेत्र में विद्युत भार की अत्यधिक वृद्धि।

(iv) छीजत में कमी से लागत का आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाया जाना।

(v) वैकल्पिक प्रस्तावों (जैसे अतिरिक्त 33 के.वी. की लाईन बनाना, नया 33 के.वी. सब-स्टेशन बनाना, कम क्षमता के 33 के.वी. लाईन कन्डक्टर को बदलना तथा वोल्टेज सुधार हेतु कैपेसीटर बैंक लगाना) से विद्युत तंत्र में सुधार सम्भव न हो।

(vi) उक्त मापदण्डों पर वरिष्ठ तकनीकी अधिकारयों की समिति द्वारा प्रस्ताव का अध्ययन कर की गयी सिफारिश के उपरान्त उसे तकनीकी एवं आर्थिक जांच में उपयुक्त पाया जाना एवं संसाधनों की उपलब्धता ।

## 33/11 के.वी. सब स्टेशन स्थापित करने के मापदण्ड

11 के.वी. फीडर के वोल्टेज रेगुलेशन 8 प्रतिशत से अधिक होने पर नया 11 के.वी. फीडर खींचकर भार विभाजित करना, वर्तमान क्षमता के कन्डक्टर को उच्च क्षमता के कन्डक्टर में बदलना अथवा नजदीकी अन्य 33

के.वी. सबस्टेशन पर भार स्थानान्तरित करना आदि प्रावधानों से तंत्र को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जाता है। यदि इन प्रावधानों से 11 के.वी. फीडर का वोल्टेज रेगुलेशन निर्धारित सीमा में नहीं लाया जा सकता है तो विद्युत भार का उचित केन्द्र चयनित कर वहां नया 33/11 के.वी. सबस्टेशन बनाने हेतु तकनीकी एवं वित्तीय साध्यता की जांच की जाती है। तकनीकी एवं वित्तीय रूप से साध्य पाये जाने पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुसार क्रियान्विति पर विचार किया जाता है।

## अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति

211. **श्री सुरेश मीणा (करौली)** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में विद्यालय स्तर पर अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने की सरकार की क्या नीति है ? क्या यह छात्रवृत्ति प्रतिवर्ष दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी ? कक्षा अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या प्रदेश के कुछ विद्यालयों में पिछले कुछ वर्षों से इन वर्गों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित नहीं करने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई जांच करवाई गई ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा इन वर्गों के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति में महंगाई के अनुरूप वृद्धि की जाती है ? यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में यह छात्रवृत्ति कब-कब कितनी-कितनी बढ़ाई गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

### उत्तर

(1) प्रदेश में विद्यालय स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष 10 माह के लिए छात्रवृत्ति दी जाती है । छात्रवृत्ति की दरें कक्षानुसार निम्न प्रकार से हैं :-

(समाज कल्याण मंत्री)

अनु.जाति/जनजाति हेतु छात्रवृत्ति

| कक्षा | | छात्रवृत्ति की दर |
|---|---|---|
| 6 से 8 | (छात्र) | 15 रूपये प्रतिमाह |
| | (छात्रा) | 20 रूपये प्रतिमाह |
| 9 से 10 | (छात्र) | 30 रूपये प्रतिमाह |
| | (छात्रा) | 40 रूपये प्रतिमाह |

स्वच्छकार परिवारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति

| | |
|---|---|
| 1 से 5 (छात्र एवं छात्रा) | 40 रूपये प्रतिमाह |
| 6 से 8 (छात्र एवं छात्रा) | 60 रूपये प्रतिमाह |
| 9 से 10 (छात्र एवं छात्रा) | 75 रूपये प्रतिमाह |

अनु. जाति/जनजाति/स्वच्छकार परिवारों के बच्चों हेतु छात्रवृत्ति

| | |
|---|---|
| 11 से 12 (छात्र एवं छात्रा) | 140 रूपये प्रतिमाह |

(2) जी हां। छात्रवृत्ति वितरण नहीं करने की समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिनकी जांच करवाई जाकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाती है। दौसा जिले के निजी विद्यालयों में छात्रवृत्ति में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर जांच करवाई गई। जांच रिपोर्ट की छाया-प्रति परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

गत 5 वर्षों में 01.04.2003 से कक्षा 11 व 12 के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति 90 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 140 रूपये प्रतिमाह की गई है।

स्वच्छकार छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति दरें 01.04.2003 से कक्षा 1 से 5 तक के लिए रूपये 25 प्रतिमाह से बढाकर रुपये 40, कक्षा से 6 से 8 तक के लिए 40 प्रतिमाह से बढाकर रूपये 60 तथा कक्षा 9 से 10 तक के लिए रूपये 50 प्रतिमाह से बढ़ाकर 75 रुपये प्रतिमाह की गई है तथा प्रतिवर्ष

(समाज कल्याण मंत्री)

एकमुश्त दी जाने वाली तदर्थ सहायता राशि रुपये 500 को बढाकर रुपये 550 प्रतिवर्ष किया गया है।

(प्रतिवेदन विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

## बैराठ के भवन रहित छात्रावास

212. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बैराठ में किन-किन स्थानों पर कौन-कौनसे छात्रावास चल रहे हैं? उक्त में से कौन-कौनसे सरकारी भवनों में व कौन-कौन से निजी भवनों में चल रहे हैं ?

(2) उक्त छात्रावासों में वर्तमान में कितने-कितने छात्र रह रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार उक्त छात्रावासों को भवन निर्मित करवाकर स्थानान्तरित करने या पुराने भवनों का विस्तार करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बैराठ में संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र. सं. | नाम छात्रावास | स्वीकृत छात्र संख्या | प्रवेशित छात्र संख्या | भवन की स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | राजकीय अनु. जाति छात्रावास, मनोहरपुर | 60 | 60 | सरकारी भवन |
| 2. | राजकीय अनु. जाति छात्रावास, मेढ | 40 | 40 | किराये का भवन |
| 3. | राजकीय अनु. जाति छात्रावास, राडावास | 35 | 24 | किराये का भवन |
| 4. | राजकीय अनु. जाति छात्रावास, शाहपुरा | 25 | 25 | किराये का मकान |

(समाज कल्याण मंत्री)

| क्र. सं. | नाम छात्रावास | स्वीकृत छात्र संख्या | प्रवेशित छात्र संख्या | भवन की स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| 5. | राजकीय स्वच्छकार छात्रावास, अमरसर | 35 | 34 | किराये का भवन |
| 6. | राजकीय विमुक्त जाति एवं घुमन्तु जाति छात्रावास, विराटनगर | 35 | — | दि. 29.09.04 के द्वारा छात्रावास संचालन के आदेश जानी किये गये है। किराये का भवन लेने की प्रक्रिया विचाराधीन है। |
| 7. | अनुदानित नेहरू छात्रावास, अमरसर | 25 | 25 | संस्था का निजी भवन |

(2) उक्त छात्रावासों में प्रवेशित छात्रों की संख्या प्रश्न के बिन्दु संख्या (1) के अनुसार है।

(3) उक्त छात्रावासों में बजट के अभाव में राजकीय भवनों का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है। बजट उपलब्ध होने पर उक्त भवनों का निर्माण कराया जावेगा।

## सहकारी समितियों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण।

213. श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपलदा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विभिन्न सहकारी समितियों में प्रबन्ध समिति द्वारा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियुक्त किये गये हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को संस्थाओं में निरन्तर कार्य करते हुए चार पांच वर्ष ले गये हैं तथा उन्हें नियमित नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार श्रम अधिनियम के प्रावधानानुसार इन कर्मियों को नियमित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों में न्यायालय के निर्णयानुसार एवं शेष प्रकरणों में संस्था की आर्थिक स्थिति एवं पदों के औचित्य के मद्देनजर प्रकरणवार परीक्षणोपरान्त नियमानुसार सम्बन्धित सहकारी संस्थाओं द्वारा कार्यवाही किया जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है, जिसकी कोई अन्तिम समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

## चैनपुरा व बापी ग्राम (दौसा) की नर्सरियों में अवैध कटाई

**214. श्री बनेसिंह राठौड़** (ओसिदा) : क्या पंचायत राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बापी, तहसील व जिला दौसा के अधीन ग्राम चैनपुरा व बापी में नर्सरी है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त नर्सरियों का संधारण ग्राम पंचायत बापी द्वारा किया जा रहा है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त नर्सरियों में अवैध कटाई के सम्बन्ध में जिला प्रशासन/पंचायत समिति दौसा को शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इसमें किन्हें दोषी पाया गया तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। इसमें सरपंच श्री घनश्याम शर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय

(पंचायत राज मंत्री)

शर्मा निवासी चैनपुरा दोषी पाया गया जिसके विरूद्ध थाना सैथल में एफ आई आर दर्ज करवाई गई एवं संभागीय आयुक्त जयपुर को विकास अधिकारी दौसा के पत्रांक 659 दिनांक 29.9.2004 द्वारा धारा 38 में कार्यवाही करने के लिये पत्र लिखा गया है।

## कोटड़ा (उदयपुर) पंचायत समिति में निर्मित एनीकट

215. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा पंचायत समिति कोटड़ा की पंचायत क्यारी में वर्ष 1999 से 2004 तक किस-किस योजना में कहां-कहां पर कितना विकास कार्य करवाया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत में वाटर हार्वेस्टिंग या एनीकट का कार्य कराया गया? यदि हां, तो उसकी क्या स्थिति है ?

(3) सरकार द्वारा वर्ष 2004 में पंचायत समिति कोटड़ा में कहां-कहां पर कार्य स्वीकृत किये गये व उनमें से कितने कार्य प्रगति पर हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति कोटड़ा की ग्राम पंचायत क्यारी में वर्ष 1999 से 2004 तक कुल 53 कार्य स्वीकृत किये गये। योजना एवं कार्यवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त पंचायत में दो वाटर हार्वेस्टिंग व छह एनीकट स्वीकृत किये गये। सभी छह एनीकट पूर्ण हैं एवं दोनो वाटर हार्वेस्टिंग कार्य प्रगति पर हैं।

(3) पंचायत समिति कोटड़ा में वर्ष 2004 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत कुल 363 कार्य स्वीकृत किये गये, उनमें से 189 कार्य प्रगति पर हैं। कार्यवार विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

## अजमेर जिले के पर्यटन स्थलों में उपलब्ध सुविधाएं

216. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) : क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अजमेर में कहां-कहां, कौन-कौन से पर्यटन स्थल हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ?

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र ब्यावर में स्थित पर्यटन स्थल की सुन्दरता बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जिला अजमेर में स्थित प्रमुख पर्यटन स्थलों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) पर्यटन विभाग के रेलवे स्टेशन, अजमेर, होटल खादिम, अजमेर व सरोवर होटल, पुष्कर में स्थापित पर्यटन सूचना केन्द्र/स्वागत केन्द्र में पर्यटकों को सूचनायें उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

इसके साथ ही राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा अजमेर में 3 इकाइयों का संचालन किया जा रहा है, जिससे होटल खादिम, अजमेर में पर्यटकों को आवास, भोजन एवं बार की सुविधा, सरोवर इकाई व पर्यटक ग्राम इकाई, पुष्कर में पर्यटकों को भोजन एवं आवास सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है।

(3) वर्तमान में ब्यावर स्थित पर्यटन स्थल के विकास का कोई कार्य विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

अजमेर स्थित पर्यटन स्थलों की सूची

1. अजमेर:- अकबर का किला, ख्वाजा साहब की दरगाह, अढाई दिन का झोपड़ा, आना सागर व बारादरी, सोनीजी की नसियां, तारागढ़ का किला व पृथ्वीराज चौहान स्मारक।

| | | |
|---|---|---|
| 2. | पुष्कर:- | पवित्र सरोवर, पुष्कर व घाट, ब्रह्माजी का मन्दिर, रंगजी का पुराना व नया मन्दिर, वराह मन्दिर व जहांगीर के महल के अवशेष। |
| 3. | किशनगढ़:- | किशनगढ़ का किला, रूपनगढ एवं रूपनगढ का किला एवं पिताम्बर की गाल नारेली-जैन तीर्थ नारेली। |
| 4. | मांगलीयावास:- | कल्पवृक्ष का जोड़ा |
| 5. | बघेरा:- | बघेरा का किला |
| 6. | सरवाड़:- | सरवाड़ का किला |
| 7. | टाडगढ़ | |

## जयपुर जिले के आंगनबाडी केन्द्रों में सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाएं

217. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जयपुर में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं ? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) राज्य में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की प्रक्रिया का विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम अन्तर्गत जयपुर में 319 आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में सभी 319 आंगनबाड़ी केन्द्र कार्यरत हैं।

| क्र. सं. | विधानसभा क्षेत्र का नाम | संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | जौहरी बाजार | 44 |
| 2. | बनीपार्क | 99 |

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

| क्र. सं. | विधानसभा क्षेत्र का नाम | संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या |
|---|---|---|
| 3. | किशनपोल | 90 |
| 4. | हवामहल | 07 |
| 5. | सांगानेर | 52 |
| 6. | आमेर | 17 |
| 7. | जयपुर ग्रामीण | 10 |
| योग : | | 319 |

(2) विधान सभा क्षेत्रवार आंगनबाड़ी केन्द्रों की (सूची संलग्न) है । आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 0-6 वर्ष के बच्चों एवं महिलाओं को निम्नानुसार सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं -

1. पूरक पोषाहार
2. शालापूर्व शिक्षा
3. टीकाकरण
4. पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा
5. स्वास्थ्य जांच
6. सन्दर्भ सेवाएं

उपरोक्त सेवाओं में से बिन्दु संख्या 3, 5, 6 की सेवाएं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से उपलब्ध कराई जा रही हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर मेडिकल किट एवं शालापूर्व शिक्षा किट भी उपलब्ध कराये गये हैं । इसके अतिरिक्त फर्नीचर, उपकरण, मनोरंजन की सामग्री, बर्तन, पूरक पोषाहार सामग्री, आई.एफ.ए. की गोलीयां, विटामिन–ए, आदि सामग्री के साथ-साथ प्रचार प्रसार की सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है।

(3) आंगनबाड़ी केन्द्र भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ग्रामीण/शहरी क्षेत्र की बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत औसतन 1000 की आबादी पर एवं जनजाति

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

क्षेत्र की परियोजनाओं में औसतन 700 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जाता है। आंगनबाड़ी केन्द्र प्रारम्भ करने में अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों, आर्थिक, सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों तथा शहरी कच्ची बस्तियों को प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

## ब्यावर के ग्रामीण क्षेत्रों में निगम बस सेवा

**218. श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में ब्यावर आगार से प्रतिदिन कितने बसें प्रस्थान करती हैं ? इनके द्वारा प्रतिदिन कितनी कि.मी. की दूरी तय होती है एवं कितनी आय होती है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या विधान सभा क्षेत्र ब्यावर के आस-पास जाने वाले वे मार्ग जिन पर वर्तमान में राज्य पथ परिवहन निगम की बसें न चलाकर निजी बसें सेवा संचालित हो रही हैं, के क्रम में निजी बस सेवाओं को रोकने हेतु सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो क्या?

उत्तर

(1) वर्तमान में निगम के ब्यावर आगार की ब्यावर से 80 बसें प्रतिदिन प्रस्थान करती हैं, जो 39392 कि.मी. की दूरी प्रतिदिन तय करती हैं। लगभग 4,60,000/- रुपये की औसत आय प्रतिदिन होती है।

(2) जी नहीं। ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है। लेकिन यदि निजी बसें अनधिकृत रूप से अथवा बिना अनुज्ञापत्र के संचालित होती हैं तो उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

## कपासन में निगम बस सेवा

**219. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में वर्तमान में कौन-कौन से मार्गों पर

(श्री बद्रीलाल जाट)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित हो रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार सांवरियाजी से जयपुर एवं जाशमा से चित्तौड़गढ़ के लिए बसें शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(3) विधान सभा क्षेत्र कपासन में सरकार इस वित्तीय वर्ष में कौन-कौन से मार्गों पर निगम की बसें संचालित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

## उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कपासन में वर्तमान में निगम के विभिन्न आगारों द्वारा संचालित बस सेवाओं का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) मार्गवार वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :-

**सांवरियाजी से जयपुर** : वर्तमान में सांवरियाजी से जयपुर वाया चित्तौड़-भीलवाड़ा-शाहपुरा-केकड़ी मार्ग पर दैनिक 2 एकल परिचक्र निम्न समयानुसार संचालित है :-

| सांवरियाजी | जयपुर | जयपुर | सांवरियाजी |
|---|---|---|---|
| 0600 | 1715 | 0800 | 1900 |

**जाशमा से चित्तौडगढ़** : के लिए वर्तमान में चित्तौडगढ़ से राशमी वाया जाशमा होकर एक बस सेवा संचालित की जा रही है लेकिन राशमी से चित्तौडगढ़ आने में उक्त बस सेवा जाशमा के स्थान पर हिण्डौली होकर चित्तौड़ आती है। इसके अतिरिक्त कोई नई बस सेवा शुरू करने का विचार नहीं है क्योंकि पर्याप्त यात्रीभार उपलब्ध नहीं है।

(3) खण्ड "1" पर दर्शायी गई सूची के अतिरिक्त अन्य किसी नये मार्ग पर वाहन संचालन का फिलहाल विचार नहीं है क्योंकि निगम की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है।

परिशिष्ट "1"

**निगम के विभिन्न आगारों द्वारा विधान सभा क्षेत्र कपासन में संचालित बस सेवाओं का विवरण**

| क्र.सं. | मार्ग का नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. | चित्तौड़ से उदयपुर वाया कपासन-फतहनगर-मावली |
| 2. | चित्तौड़ से नाथद्वारा वाया कपासन-फतहनगर-मावली |
| 3. | चित्तौड़ से सिरोही वाया कपासन-फतहनगर-मावली |
| 4. | चित्तौड़ से जालौर वाया कपासन-फतहनगर-मावली-नाथद्वारा |
| 5. | भीलवाड़ा से डूंगरपुर वाया चित्तौड़-कपासन-मावली-उदयपुर |
| 6. | चित्तौड़ से आकोला वाया कपासन-भोपालसागर |
| 7. | चित्तौड़ से भोपालसागर वाया कपासन-बबराना |
| 8. | चित्तौड़ से राशमी वाया कपासन |
| 9. | चित्तौड़ से राशमी वाया जाशमा |
| 10. | पहुंना से उदयपुर वाया राशमी-कपासन-मावली |
| 11. | उदयपुर-गिलूण्ड वाया कपासन |
| 12. | चित्तौड़ से कांकारोली वाया कपासन-गिलूण्ड-रेलमगरा |
| 13. | कपासन-भीलवाड़ा वाया राशमी-पहुंना |
| 14. | कपासन-भीलवाड़ा वाया रुद-गंगरार |
| 15. | उदयपुर-कोटा वाया कपासन-चित्तौड़गढ-बेगू-रावतभाटा |
| 16. | उदययपुर-कोटा वाया कपासन-चित्तौड़गढ़ बेगू-बून्दी |
| 17. | डूंगरपुर-जयपुर वाया उदयपुर-कपासन-चित्तौड़गढ़-भीलवाड़ा-अजमेर |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 18. | चित्तौड़-फालना वाया कपासन-गिलूण्ड-रेलमगरा-कांकरोली |
| 19. | भीलवाड़ा-अहमदाबाद वाया चित्तौड़गढ़-कपासन-मावली-उदयपुर |
| 20. | चित्तौड़गढ़-माउन्टआबू वाया कपासन-मावली-उदयपुर |
| 21. | चित्तौड़ से नाकोड़ा वाया कपासन-मावली-नाथद्वारा |
| 22. | नाथद्वारा-कनेरा वाया मावली-कपासन-चित्तौडगढ़-निम्बाहेड़ा-जावद |

## परिवहन निगम में वाहन-कार्मिक अनुपात

**220. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :** क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा कुल कितनी बसें संचालित की जाती हैं तथा इसमें कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

(2) निगम में प्रति बस कर्मचारियों का अनुपात कितना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य में अन्य राज्यों की तुलना में कर्मचारी-बस अनुपात अधिक है?

**उत्तर**

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा प्रतिदिन औसतन 4650 बसें संचालित की जा रही हैं। परिवहन निगम में 22,617 अधिकारी/कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं ।

(2) निगम में प्रति बस कर्मचारी अनुपात 4.87 है।

(3) जी नहीं।

## मानगढ़ धाम (बांसवाड़ा) की शहीद स्मारक का निर्माण

**221. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :** क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला बांसवाड़ा में गोविन्द गुरू की मुख्य धूणी स्थल मानगढ़

(श्री नन्दलाल मीणा)

धाम में शहीदों की याद में बनाये गये शहीद स्मारक के निर्माण की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति कब जारी की गई ?

(2) शहीद स्मारक के माडल का चयन किसके द्वारा किया गया ? स्मारक का निर्माण किसकी देखरेख में चलाया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त स्मारक अल्प समय में टूट फूट गया है ? यदि हां, तो इसके निर्माण की तकनीकी जांच किस अधिकारी द्वारा की गई ? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) स्मारक का निर्माण कब शुरू किया गया और कितने दिनों में पूरा किया गया ?

उत्तर

(1) जिला बांसवाड़ा में गोविन्द गुरू की मुख्य धूणी स्थल मानगढ़ धाम में शहीदों की याद में बनाये गये शहीद स्मारक के निर्माण हेतु प्रथमतया प्रशासनिक स्वीकृति संख्या 39/2002-03 दिनांक 26.10.2002 द्वारा राशि रुपये 223.71 लाख हेतु प्रसारित हुई। तत्पश्चात इस कार्य की वित्तीय स्वीकृति संख्या 72/2002-03 दिनांक 12.3.2003 एवं स्वीकृति संख्या 45/2003-2004 दिनांक 8.1.04 द्वारा क्रमशः राशि रुपये 100.00 लाख एवं 10.00 लाख की जारी की गई है।

(2) शहीद स्मारक के माडल का चयन लोक निर्माण विभाग द्वारा किया गया। स्मारक निर्माण का कार्य (सिविल निर्माण) सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-5-प्रथम, बांसवाड़ा एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त बांसवाड़ा की देखरेख में चलाया गया व पेयजल योजना का कार्य जनस्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, खण्ड बांसवाड़ा द्वारा करवाया जा रहा है।

(3) जी हां। यह सही है कि मानगढ़ धाम शहीद स्मारक कार्य अल्प समय में क्षतिग्रस्त हुआ है। इसके निर्माण की जांच अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा की गई। जांच रिपोर्ट की प्रति परिशिष्ट "अ" उपलब्ध है।

(4) स्मारक निर्माण का कार्य दिनांक 4.6.2003 से प्रारम्भ किया गया एवं कार्य दिनांक 20.9.2003 तक आंशिक रूप से किया गया तत्पश्चात

(जनजाति क्षेत्रीय विकास)

वन विभाग की आपत्ति के कारण रुका हुआ है। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही निरन्तर की जा रही है।

परिशिष्ट "अ"

## जांच प्रतिवेदन

राजस्थान अनुसूचित जन जाति कल्याण समिति 2004-05 द्वारा दिनांक 23-05-2004 को मानगढ शहीद स्मारक का अवलोकन करने पर समिति के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा कार्यों की गुणवत्ता को सही नहीं होना माना । इस पर सामग्री एवं गुणवत्ता की जांच हेतु समिति के निर्देश अनुसार जिला कलक्टर महोदय बांसवाड़ा ने आदेश क्रमांक परि./अधि./टीएडी/ बांस/04-05/1662-1667 दिनांक 31.5.2004 से अति. जिला कलक्टर बांसवाड़ा की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की है।

जांच समिति के सदस्यों ने रिकार्ड का अवलोकन एवं मानगढ़ धाम स्मारक स्थल पर किये गये निर्माण कार्यो का निरीक्षण कर जांच का कार्य किया, जिसका बिन्दूवार विवरण निम्नानुसार है :-

1. राज. सरकार के जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग से स्वीकृति क्रमांक 391 दिनांक 26.10.2002 से मानगढ़ धाम शहीद स्मारक के निर्माण हेतु 223.71 लाख की स्वीकृति जारी की।
2. इस स्वीकृति में कार्यों का एवं राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | स्वीकृत राशि (लाखों में) |
|---|---|---|
| 1 | डामर सड़क निर्माण | 15.06 |
| 2 | समाधि निर्माण | 41.65 |
| 3 | पानी की सुविधा | 20.00 |
| 4 | विद्युत कार्य | 30.00 |
| 5 | गार्डन/लॉन | 3.55 |
| 6 | गार्डन/लॉन में ईजी चेयर्स | 17.46 |
| 7 | शेड निर्माण | 15.51 |

| क्र.सं. | कार्य का विवरण | स्वीकृत राशि (लाखों में) |
|---|---|---|
| 7 | शेड निर्माण | 15.51 |
| 8 | स्मारक की चारदिवारी निर्माण | 42.39 |
| 9 | सम्पूर्ण स्मारक स्थल का परकोटा निर्माण | 28.88 |
| 10 | आकस्मिक व्यय | 5.37 |
| योग :- | | 219.87 |

3. सार्वजनिक निर्माण विभाग ने उक्त समस्त कार्यों के लिये 21991037.78 रूपये अर्थात 220.00 लाख के लगभग का एस्टीमेट तैयार किया था, जिसके अनुसार ही उक्त कार्य स्वीकृत हुए है।

4. जनजातिय क्षेत्रीय विकास विभाग ने जून, 2002 में सानिवि को 50 लाख की राशि हस्तान्तरित की थी तथा 20 लाख की राशि जलदाय विभाग को दी है।

5. जलदाय विभाग को दी गई 20 लाख की राशि में से विभाग द्वारा ओवर हेड टैंक का निर्माण कार्य आरम्भ किया था, जो अपूर्ण स्थिति में होकर वर्तमान में बन्द है। रोड साइड पर पानी के बिना लगे हुए पाइप अलग-अलग स्थानों पर पड़े हैं तथा सम्पूर्ण कार्य अपूर्ण स्थिति में है।

6. सानिवि को दी गई 50 लाख की राशि में से 12 लाख रु. विभाग की विद्युत शाखा उदयपुर को विद्युत कार्य हेतु दिये गये, जिसके विरूद्ध 12.20 लाख व्यय कर दिये गये। विद्युत कार्य पूर्ण हो चुका है। स्मारक स्थल पर विद्युत चालू स्थिति में है किन्तु निगरानी एवं सुरक्षा के अभाव में अनेक खम्भों पर लगी ट्यूब लाइट तथा हेलोजन बल्ब आदि तोड़ दिये गये हैं।

7. सानिवि को दी गई 50 लाख की राशि में से स्मारक स्थल एवं W.B.M. सड़क का कार्य हुआ है।

8. इस प्रकार से निर्धारित कार्यो के मौके पर होने की स्थिति निम्नानुसार है :-

| क्र. सं. | कार्य | स्वीकृत राशि (लाखों में) | कार्य की स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | सड़क | 15.06 | केवल W.B.M. हुआ है।डामरीकरण शेष है। |
| 2 | समाधि स्थल विकास | 41.65 | पूर्ण कार्य होना बताया गया। |
| 3 | पानी | 20.00 | ओवरहेड टैंक का निर्माण अपूर्ण है तथा पाइप लाइन पूर्ण नहीं बिछी है। |
| 4 | विद्युत | 30.00 | 12.20 लाख का कार्य होना बताया |
| 5 | गार्डन/लॉन | 3.55 | कोई कार्य नहीं हुआ। |
| 6 | ईजी चेयर्स | 17.46 | कोई कार्य नहीं हुआ। |
| 7 | शेड निर्माण | 15.51 | कोई कार्य नहीं हुआ। |
| 8 | चारदिवारी | 42.39 | कोई कार्य नहीं हुआ। |
| 9 | परकोटा | 28.88 | कोई कार्य नहीं हुआ। |
| 10 | आकस्मिक व्यय | 5.37 | |

9. इस प्रकार से सानिवि को दिये गये 50 लाख में से निम्न कार्य होना बताया गया है :-

| कार्य | कुल स्वीकृत राशि | कार्य आदेश दिया गया | कार्य होना बताया गया | भुगतान किया गया | सम्बन्धित फर्म |
|---|---|---|---|---|---|
| समाधि स्थल पर स्मारक निर्माण विकास एवं W.B.M. सड़क | 56.71 | 47.67 | 43.70 | 43.70 | मैं. जैन कन्स्ट्रक्शन्स<br>मैं. अमोल कन्स्ट्रक्शन्स |

10. सानिवि ने 43.70 लाख का जो कार्य एवं भुगतान होना बताया है, उसमें विद्युत का कार्य 12.00 लाख की राशि से विभाग की उदयपुर इकाई के माध्यम से हुआ है। 1.5 किमी डब्ल्यूबीएम सड़क एवं समाधि स्थल के अन्य कार्य मै. जैन कन्स्ट्रक्शन बांसवाड़ा से कराये गये हैं, जिसे 43.80 लाख का कार्य आदेश दिया गया था एवं 27.58 लाख का भुगतान कर दिया गया है। ग्रेनाइट एवं मार्बल का कार्य मै. अमोल कन्स्ट्रक्शन्स बांसवाड़ा से कराया गया है, जिसे 4.87 लाख का कार्य आदेश दिया गया था तथा 3.89 लाख का भुगतान किया गया है।

11. ठेकेदारों की दरें बीएसआर रेट से 5 प्रतिशत अधिक पर रही हैं।

12. समिति ने स्मारक स्थल पर कार्य की गुणवत्ता एवं सामग्री का निरीक्षण करने पर पाया कि कराया गया कार्य "जी" शेडयुल में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं है, जैसे ग्रेनाईट एवं मार्बल के लिए उदयपुर बाबरमल के पत्थर का स्पेसिफिकेशन दिया गया था, किन्तु मौके पर वह नहीं लगाया गया है।

13. समाधी स्थल पर ग्रेनाइट एवं मार्बल का कार्य इतने हल्के स्तर का है कि ग्रेनाईट एवं मार्बल पर जगह-जगह दरारें पड़ गयी हैं तथा क्रेक्स आ गये हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि ग्रेनाइट तथा मार्बल स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं लगाया गया है एवं ना ही इसकी फिक्सिंग में सावधानी बरती गयी है, जिसके कारण मुख्य स्मारक से ग्रेनाइट टूट कर गिर गया है एवं मार्बल में जगह-जगह दरारें आ गयी हैं।

14. ग्रेनाइट एवं मार्बल को जोड़ने हेतु जो प्वाइटिंग की गयी है, वह भी समुचित रूप से नहीं की जाकर हल्के स्तर की गई है, जिससे ग्रेनाइट तथा मार्बल की प्वाइटिंग पर भद्दापन आ गया है। सानिवि का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है कि असुरक्षा के कारण पत्थर आदि मारने से क्रेक्स आ गये हैं, क्योंकि फर्श के रूप में बिछाये गये मार्बल पर भी जगह-जगह बड़ी संख्या में काफी बड़े-बड़े क्रेक्स पड़ गये हैं, जिन पर पत्थर मारने का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देता।

15. "जी" शिडयुल में सड़क निर्माण हेतु ग्रेवल बाहर से लाने की कीमत लगायी गयी है, जबकि मौका निरीक्षण के अनुसार ग्रेवल सडक पर ही उपलब्ध थी अतः इसे "जी" शिडयुल में गलत सम्मिलित किया गया है।

16. गुणवत्ता की दृष्टि से इतनी कम अवधि में मार्बल का रंग बदल कर काला पड़ना शुरू हो गया है, जिससे स्पष्ट है कि स्पेसिफिकेशन के अनुसार अच्छी गुणवत्ता का मार्बल नहीं लगाया गया है।

17. कार्य के निरीक्षण से स्पष्ट होता है कि यह कार्य गुणवत्ता से समझौता करते हुए काफी जल्दीबाजी में किया गया है तथा इसके पर्यवेक्षण एवं निगरानी में कार्य पर नियुक्त सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता ने ध्यान नहीं देकर उदासीनता बरती है।

मानगढ़ धाम जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर शहीद स्मारक के ऐसे गरिमापूर्ण कार्य में, जिस पर बड़ी संख्या में दूरदराज क्षेत्रों से लोगों का आवागमन रहेगा, इस प्रकार हल्के स्तर का कार्य कराना विभाग एवं प्रशासन की छवि को धूमिल करता है, जिसके लिए सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निश्चित किया जाना चाहिए।

अतः जांच के निष्कर्ष के रूप में समिति के प्रस्ताव/सुझाव निम्नानुसार हैं :-

1. स्मारक स्थल पर ग्रेनाईट तथा मार्बल के हल्के स्तर के कराये गये कार्य के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निश्चित किया जावे।

2. जगह-जगह ग्रेनाईट/मार्बल में क्रेक्स आ जाने से इन्हें रिप्लेस कराया जावे तथा संवेदकों को इस हेतु पाबन्द किया जावे।

3. वन विभाग की भूमि होने के कारण सड़क डामरीकरण, पानी की टंकी आदि का जो कार्य रूका पड़ा है, उसे वन विभाग को दूसरी भूमि देकर शीघ्र आरम्भ कराया जावे।

4. स्मारक स्थल की सुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय जन प्रतिनिधियों तथा अधिकारियों की एक ऐसी निगरानी समिति बनाई जावे, जो इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करा सके।

5. शहीद स्मारक वन क्षेत्र से लगा हुआ है, जहां वन गार्ड/चौकीदार उपलब्ध

रहते हैं, अतः किसी वनगार्ड/चौकीदार को स्थाई रूप से स्मारक स्थल पर सुरक्षा एवं निगरानी हेतु ड्यूटी पर नियुक्त किया जावे।

संदर्भित अभिलेखों के साथ समिति की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत है।

| | | |
|---|---|---|
| परियोजना अधिकारी (अभियांत्रिक), जिला परिषद्, बांसवाड़ा | अति. कलक्टर (प्रशासन), बांसवाड़ा | लेखाधिकारी, जिला परिषद, बांसवाड़ा |

## बूंदी जिले में डांग विकास योजनान्तर्गत विकास कार्य

222. श्री प्रभु लाल वर्मा (पीपलदा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी में डांग विकास योजना संचालित है ? यदि हां, तो उसमें पंचायत समिति केशोरायपाटन के कौन-कौन से ग्राम सम्मिलित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में पंचायत समिति केशोरायपाटन में डांग विकास योजना में किन-किन ग्रामों में कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य स्वीकृत किये गये ? स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य किस स्तर तक पूर्ण हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) चालू वित्तीय वर्ष में उक्त ग्रामों में से किस-किस ग्राम में क्या-क्या कार्य कितनी-कितनी राशि के प्रस्तावित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जिला बूंदी में डांग क्षेत्रीय विकास योजना वर्ष 1995-96 से वर्ष 2000-01 तक संचालित रही थी। इस योजना में पंचायत समिति केशोराय-पाटन के जिन ग्रामों को सम्मिलित किया गया था उनका विवरण (परि.–1) संलग्न है

(2) गत पांच वर्षों में पं.स. केशोरायपाटन (बूंदी) के किसी भी ग्राम में डा.वि. योजना के अन्तर्गत कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किये गये।

(ग्रामीण विकास मंत्री)

(3) चालू वित्तीय वर्ष में डांग क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत बजट प्रावधान नहीं होने के कारण उक्त ग्रामों में कार्य स्वीकृत नहीं किये गये हैं।

**डांग क्षेत्र विकास योजना में आने वाली ग्राम पंचायतें एवं उनके ग्राम**

**पंचायत समिति केशोरापाटन**

| ग्राम पंचायत | | गांव का नाम | ग्राम पंचायत | | गांव का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| बसवाडा | 1 | बसवाड़ा | | 6 | ढगारिया |
| | 2 | कांकरामेज | | 7 | प्रतापगढ़ |
| | 3 | करीरिया | | 8 | ढीबरी |
| | 4 | सहनपुर | खरायता | 1 | खरायता |
| बडाखेड़ा | 1 | बड़ाखेडा | | 2 | डपटा |
| पापडी | 1 | पापडी | | 3 | डडवाडा |
| | 2 | जाडला | | 4 | खेडलीदेवजी |
| | 3 | नयागांव | मोहनपुरा | 1 | मोहनपुरा |
| सखावदा | 1 | सखावदा | | 2 | छत्रपुरा |
| | 2 | बालापुरा | | 3 | बालापुरा |
| | 3 | बिशनपुरा | | 4 | दरामाताजी |
| | 4 | बडगांव | | 5 | झीडा |
| | 5 | लाखेरीग्रामीण | | 6 | शोदानपुरा |
| | 6 | भाण्डगंवार | सुमेरगंजमंडी | 1 | सुमेरगंजमंडी |
| उतराना | 1 | उतराना | | 2 | अणघोरा |
| | 2 | चमावली | | 3 | खेडलीमांफी |
| | 3 | बुढेल | | 4 | मुई |
| | 4 | कांकराडूंगर | | 5 | हिम्मतपुरा |
| | 5 | डांगाहेडी | दौलतपुरा | 1 | दौलतपुरा |

| ग्राम पंचायत | | गांव का नाम | ग्राम पंचायत | | गांव का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | हरदेवगंज | | 5 | कोलाशपुरा |
| | 3 | नान्ता | | 6 | गेदापुरा |
| | 4 | नयागांव | | 7 | शिवगंज |
| | 5 | सुनारी | | 8 | पीचूपुरा |
| | 6 | देवपुरा | गुढा | 1 | गुढा |
| | 7 | टोकसपुरा | | 2 | चमनगंज |
| | 8 | कानपुर | | 3 | बेलनगंज |
| | 9 | महापुरा | | 4 | शेरगंज |
| | 10 | रुपपुरा | | 5 | रामनगर |
| | 11 | हीरापुर | | 6 | रामपुरिया |
| बलवन | 1 | बलवन | | 7 | केमलिया |
| | 2 | कवरपुरा | | 8 | पापड़ा |
| | 3 | धाकडखेडी | बाबई | 1 | बाबई |
| | 4 | आमलीखेडा | | 2 | बोहरियागांव |
| | 5 | रक्सपुरा | | 3 | सुमेरपुरा |
| | 6 | अमरपुरा | | 4 | संग्रामगंज |
| | 7 | अरनिया | | 5 | रमजपुरा |
| नवलपुरा | 1 | नवलपुरा | | 6 | जयनगर |
| | 2 | अभयपुरा | | 7 | लालपुरा |
| | 3 | लक्ष्मीपुरा | | 8 | जयनिवास |
| | 4 | केशोपुरा | | 9 | कैलाशपुरा |

| ग्राम पंचायत | | गांव का नाम | ग्राम पंचायत | | गांव का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| चाणदाखुर्द | 1 | चाणदाखुर्द | | 5 | डोबरली |
| | 2 | चाणदाकलां | | 6 | किशनपुरा |
| | 3 | खेडलीखुर्द | | 7 | मुरजादपुरा |
| | 4 | खुडलीकला | | 8 | किशनगंज |

## ग्रामों के सुनियोजित विकास हेतु नजरी नक्शा

**223. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गांवों के सुनियोजित विकास की दृष्टि से प्रत्येक गांव का विलेज प्लान (नजरी नक्शा) तैयार करने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो कब और इस प्लान में किन सुविधाओं को दर्शाया जाना निश्चित किया गया था ?

(2) उक्त निर्णय के पश्चात राज्य के कितने गांवों का विलेज प्लान (नजरी नक्शा) तैयार किया गया ? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

(1) जी हां । वर्ष 2001-2002 में सरकार द्वारा गांवों के विलेज प्लान तैयार करने का निर्णय लिया गया। इस प्लान में निम्न सुविधाओं को दर्शाया जाना निश्चित किया गया :-

1. आबादी क्षेत्र
2. सिवाय चक
3. चरागाह भूमि
4. वन भूमि
5. गांव के उपलब्ध भौतिक सुविधा मय पाठशाला, औषधालय, स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र, आंगनबाड़ी पंचायत वार, पटवार घर डाकघर आदि

(ग्रामीण विकास मंत्री)

6. यदि वर्तमान में यह सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो भविष्य में इनके निर्माण हेतु स्थान का निर्णय कर प्लान में दर्शाया जावे।

(2) राज्य के कुल 2957 गांवों का विलेज प्लान (नजरी नक्शा) तैयार किया जा चुका है। जिलेवार संख्या विवरण सदन की पटल पर रख दिया गया है।

| क्र.स. | जिले का नाम | जिले में तैयार किये गये विलेज प्लान (नजरी नजर का नक्शा) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अंजमेर | 84 |
| 2. | अलवर | 151 |
| 3. | बारां | 66 |
| 4. | बांसवाड़ा | 08 |
| 5. | बाड़मेर | 07 |
| 6. | भरतपुर | 99 |
| 7. | भीलवाड़ा | 36 |
| 8. | बीकानेर | 33 |
| 9. | बूंदी | 20 |
| 10. | चित्तौड़गढ़ | 10 |
| 11. | चूरू | 06 |
| 12. | दौसा | 14 |
| 13. | धौलपुर | 04 |
| 14. | डूंगरपुर | 24 |
| 15. | गंगानगर | 77 |
| 16. | हनुमानगढ | 03 |
| 17. | जयपुर | 166 |
| 18. | जैसलमेर | 08 |

(ग्रामीण विकास मंत्री)

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 19. | जालोर | 77 |
| 20. | झालावाड़ | 02 |
| 21. | झुन्झुनूं | 86 |
| 22. | जोधपुर | 99 |
| 23. | कोटा | 52 |
| 24. | नागौर | 92 |
| 25. | पाली | 100 |
| 26. | सवाई माधोपुर | 55 |
| 27. | राजसमन्द | 42 |
| 28. | सीकर | 249 |
| 29. | सिरोही | 50 |
| 30. | टोंक | 1084 |
| 31. | उदयपुर | 121 |
| 32. | करौली | 32 |
| योग | | 2957 |

## तेजा का वास (उदयपुर) में निर्मित सामुदायिक भवन

**224. श्री मांगीलाल गरासिया** (गोगुन्दा) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि महादेव फला तेजा का वास पंचायत समिति कोटड़ा में सामुदायिक भवन स्वीकृत है? यदि हां, तो किस योजना में कितनी लागत का व कहां पर?

(2) क्या यह सही है कि किसी व्यक्ति विशेष की घर की सीमा में सामुदायिक भवन बनाया जा सकता है? यदि हां, तो पंचायत समिति कोटड़ा में

(श्री मांगीलाल गरासिया)

ऐसे कितने भवन निर्मित किये गये हैं ? यदि नहीं, तो तेजा का वास पंचायत में सामुदायिक भवन निर्माण किए जाने के क्या कारण रहे ?

(3) विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास मद में वर्ष 2004 में कोटड़ा में किस-किस स्थान पर कार्य स्वीकृति के बावजूद भी प्रारम्भ नहीं किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महादेव फला तेजा का वास पंचायत समिति कोटड़ा में किसी भी योजना में सामुदायिक भवन स्वीकृत नहीं है।

(2) किसी भी व्यक्ति के घर की सीमा के अन्दर सामुदायिक भवन नहीं बनाया जा सकता है। पंचायत समिति कोटड़ा में ऐसे सामुदायिक भवन निर्मित नहीं कराये गये हैं। पंचायत तेजा का वास में कोई सामुदायिक भवन किसी व्यक्ति के घर की सीमा में नहीं बनाया जा रहा है।

(3) वर्ष 2004-05 में विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास मद में 21 कार्य स्वीकृत हैं, जिनमें से 13 कार्य पूर्ण हैं व 7 कार्य प्रगति पर है, शेष एक कार्य सामुदायिक भवन, तिलखा भैंरूजी के स्थान के पास स्वीकृत हैं एवं आरम्भ नहीं हुआ है। कार्य का विस्तृत विवरण प्रपत्र-1 पर अवलोकनीय है।

प्रपत्र -1

| क्र. सं. | कार्य का नाम | ग्राम पंचायत | स्वीकृति दिनांक | स्वीकृति राशि (लाख रू.) | व्यय राशि (लाख रू.) | कार्य की भौतिक स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | सी.सी. रोड़ नर्सरी मोहल्ला | कोटड़ा | 6.10.2004 | 2.000 | 2.000 | पूर्ण |
| 2. | बाउण्ड्रीवाल गणधोर स्थान कण्डी | कोटड़ा | 6.10.2004 | 1.500 | 1.500 | पूर्ण |
| 3. | बाउण्ड्रीवाल शि.क.वि. गुजनिया फला | नयावास | 6.10.2004 | 2.000 | 2.000 | पूर्ण |
| 4. | सम्पर्क सड़क धुनिया फला से मामेर | बुढिया | 6.10.2004 | 2.000 | 1.600 | प्रगति पर |
| 5. | सम्पर्क सड़क लूणा | मामेर | 6.10.2004 | 2.000 | 1.600 | प्रगति पर |
| 6. | एनिकट निर्माण आड़ी पहाड़ी | बडली | 6.10.2004 | 2.500 | 2.400 | पूर्ण |
| 7. | एनिकट चीतरा मगरा | ढेडमारिया | 6.10.2004 | 4.920 | 4.800 | पूर्ण |
| 8. | एनिकट निर्माण भूत खुणा ठेप | धधमता | 6.10.2004 | 2.980 | 2.800 | पूर्ण |
| 9. | एनिकट जानी हांकला जानिया खाखरा | जोगीबड | 6.10.2004 | 2.950 | 2.800 | पूर्ण |
| 10. | एनिकट बरला वाला नाका देवी का खेत | खजुरिया | 6.10.2004 | 3.000 | 3.000 | प्रगति पर |
| 11. | सामुदायिक भवन खजुरिया | खजुरिया | 6.10.2004 | 1.500 | 1.400 | पूर्ण |
| 12. | एनिकट डिगावरी खुर्द | लाम्बा हल्दु | 6.10.2004 | 2.960 | 2.800 | पूर्ण |

| क्र. सं. | कार्य का नाम | ग्राम पंचायत | स्वीकृति दिनांक | स्वीकृति राशि (लाख रू.) | व्यय राशि (लाख रू. | कार्य की भौतिक स्थिति |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | एनिकट कोठी वाला वियोल | महाड़ी | 6.10.2004 | 2.000 | 1.930 | पूर्ण |
| 14. | एनिकट निवण का नाका | सडा | 6.10.2004 | 2.880 | 2.400 | प्रगति पर |
| 15. | चार दीवारी उ.मा.वि. कोटड़ा | कोटडा | 6.10.2004 | 1.500 | 1.500 | पूर्ण |
| 16. | सी.सी. रोड़ मेन बाजार से रावला तक | जुडा | 6.10.2004 | 1.500 | 1.400 | पूर्ण |
| 17. | सामुदायिक भवन थला | लाम्बा हल्दु | 6.10.2004 | 2.600 | 2.300 | प्रगति पर |
| 18. | सामुदायिक भवन मुण्डावली बांध टेकरी पर | पडावली खुर्द | 3.7.2004 | 1.520 | 1.20 | प्रगति पर |
| 19. | बाउण्ड्रीवाल रा.गां.पा. महुड़ी खेड़ा | पडावली खुर्द | 3.7.2004 | 1.200 | 1.00 | पूर्ण |
| 20. | सामुदायिक भवन भैरूजी के स्थान के पास | सामोली | 3.7.2004 | 2.000 | 0.00 | प्रारम्भ नहीं |
| 21. | सामुदायिक भवन उपला पोटिया | गोगरूद | 20.8.2004 | 2.000 | 1.60 | प्रगति पर |
| | योग | | | 48.785 | 41.530 | |

## परिशिष्ट-1
(तारांकित प्रश्न संख्या 136 की सूचना)

| व : | वर्ष में प्राप्त प्रकरणों की संख्या | वर्ष में निपटाये गये प्रकरणों की संख्या |
|---|---|---|
| 2001-02 | 5088 | 4816 |
| 2002-03 | 3926 | 4990 |
| 2003-04 | 3018 | 5483 |

# सदस्य सूची

## बुधवार, 23 फरवरी, 2005


| नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| **श्री अध्यक्ष** | |
| **व्यवस्था** | |
| -असंसदीय शब्दों का अपलोपन | 158 |
| **शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि** | |
| -रेवतराम चौधरी श्री, पूर्व सदस्य के निधन पर | 36 |
| **स्थगन प्रस्ताव** | |
| -श्री मांगीलाल गरासिया एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से गोगुन्दा की साबरमती परियोजना व पिपराना कोहनीधरा चित्रावास सिंचाई परियोजनाओं का कार्य तत्काल प्रारम्भ करने के संबंध में | 38 |
| -श्री हरिमोहन शर्मा एवं एक अन्य सदस्य की ओर से घना पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान में पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में | 38 |
| **श्री अमराराम (धोद)** | |
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **पंचायती राज** | |
| -जिला परिषद सदस्यों की पंचायत समिति एवं पंचायतों की बैठकों में भागीदारी | 15 |
| **वित्त** | |
| -उपायुक्त/अतिरिक्त आयुक्त (अपील्स) के समक्ष कर निर्धारण के लम्बित प्रकरण | 10 |
| **शासकीय वक्तव्य** | |
| **ऊर्जा** | |
| -राज्य में ऊर्जा की स्थिति | 167 |

| नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| **स्थगन प्रस्ताव** | |
| -सरसों का समर्थन मूल्य न मिलने से किसानों में उत्पन्न रोष | 43 |
| **श्री अर्जुन लाल जीनगर (गंगरार)** | |
| **नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख** | |
| -गंगरार विधान सभा क्षेत्र की मिट्टी सड़कों का डामरीकरण | 101 |
| **श्री अर्जुन लाल मीणा (सलूम्बर)** | |
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **जनजाति क्षेत्रीय विकास** | |
| -शिक्षकों की भर्ती में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अभ्यर्थियों का आरक्षण | 1 |
| **श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा)** | |
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **वित्त** | |
| -पड़ोसी राज्यों से आने वाले खाद्य तेल टैंकरों से प्राप्त राजस्व | 186 |
| **श्री उपाध्यक्ष** | |
| **सूचना** | |
| -कुचामन क्षेत्र के किसानों का विधान सभा पर प्रदर्शन | 117 |
| **श्री ओ.पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर)** | |
| **नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख** | |
| -गंगानगर शुगर मिल्स की नये स्थान पर स्थापना | 111 |
| **श्री ओम बिरला (कोटा)** | |
| **स्थगन प्रस्ताव** | |
| -कोटा में असामाजिक तत्वों द्वारा फैलायी जा रही धार्मिक असहिष्णुता | 60 |

| नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|


**श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा), मंत्री**

**तारांकित प्रश्नोत्तर**

**जनजाति क्षेत्रीय विकास**

-शिक्षकों की भर्ती में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अभ्यर्थियों का आरक्षण 1

**श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी)**

**पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे**

-बस्सी विधान सभा क्षेत्र के 55 गांवों की भूमि का मंदिर माफी प्रकरण 159

**श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार)**

**पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे**

-जयपुर स्थित एस.एम.एस. अस्पताल में कैंसर के इलाज हेतु लीनियर एक्सीलेटर मशीन की स्थापना 145

**श्री कालूलाल गुर्जर (मांडल), मंत्री**

**तारांकित प्रश्नोत्तर**

**पंचायती राज**

-जिला परिषद सदस्यों की पंचायत समिति एवं पंचायतों की बैठकों में भागीदारी 14

-टोंक जिले के प्राथमिक विद्यालयों में पोषाहार कार्यक्रमों में अनियमितताएं 5

**श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची)**

**स्थगन प्रस्ताव**

-सरसों का समर्थन मूल्य न मिलने से किसानों में उत्पन्न रोष 45

**श्री गजेन्द्र सिंह (नागौर), राज्य मंत्री**

**शासकीय वक्तव्य**

**ऊर्जा**

-राज्य में ऊर्जा की स्थिति 162

| नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| **श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर), मंत्री** | |
| **सूचना** | |
| -कुचामन क्षेत्र के किसानों का विधान सभा पर प्रदर्शन | 116 |
| **स्थगन प्रस्ताव** | |
| -कोटा में असामाजिक तत्वों द्वारा फैलायी जा रही धार्मिक असहिष्णुता | 67 |
| **श्री गोविन्द राम चौहान (नोखा)** | |
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **समाज कल्याण** | |
| -आरक्षित वर्ग के सहकारी निगमों को राज्य अंशदान की गारंटी | 28 |
| **नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख** | |
| -नोखा नगरपालिका क्षेत्र में रेहड़ी वालों को कियोस्क को आबंटन | 110 |
| **श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर), मंत्री** | |
| **प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक** | |
| -राजस्थान स्व-वित्त पोषित प्राइवेट विश्वविद्यालय विधेयक, 2005 | 129 |
| **डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर)** | |
| **अतारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **नगरीय विकास एवं आवासन** | |
| -राजकीय आवासों की साज-सज्जा पर व्यय | 199 |
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **ऊर्जा** | |
| -तारानगर के गरीबी रेखा में चयनित परिवारों को घरेलू विद्युत कनेक्शन | 187 |
| **स्थगन प्रस्ताव** | |
| -कोटा में असामाजिक तत्वों द्वारा फैलायी जा रही धार्मिक असहिष्णुता | 57 |

नाम पृष्ठ संख्या

**डा. जालम सिंह रावलोत (शिव)**

**नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख**

-बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में पशु–चिकित्सकों के रिक्त पदों की पूर्ति 109

**श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर)**

**स्थगन प्रस्ताव**

-कोटा में असामाजिक तत्वों द्वारा फैलायी जा रही धार्मिक असहिष्णुता 71

**श्री जीतमल खांट (बागीडोरा)**

**शासकीय वक्तव्य**

**ऊर्जा**

-राज्य में ऊर्जा की स्थिति 176

**श्री जुबेर खान (रामगढ़)**

**शासकीय वक्तव्य**

**ऊर्जा**

-राज्य में ऊर्जा की स्थिति 177

**स्थगन प्रस्ताव**

-कोटा में असामाजिक तत्वों द्वारा फैलायी जा रही धार्मिक असहिष्णुता 62

-जयपुर स्थित हनुमान नगर के हनुमान मंदिर में जे.डी.ए. द्वारा तोड़फोड़ 87

-सरसों का समर्थन मूल्य न मिलने से किसानों में उत्पन्न रोष 41

**डा. दिगम्बर सिंह (कुम्हेर), नेता, प्रतिपक्ष**

**पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे**

-जयपुर स्थित एस.एम.एस. अस्पताल में कैंसर के इलाज हेतु लीनियर एक्सीलेटर मशीन की स्थापना 153

| नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| **नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख** | |
| -वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण | 104 |
| **श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर)** | |
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **पंचायती राज** | |
| -टोंक जिले के प्राथमिक विद्यालयों में पोषाहार कार्यक्रमों में अनियमितताएं | 7 |
| **श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर)** | |
| **अतारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **नगरीय विकास एवं आवासन** | |
| -ब्यावर को विकास कार्यों हेतु आबंटित राशि | 194 |
| **पर्यटन** | |
| -अजमेर जिले में पर्यटन स्थलों में उपलब्ध सुविधाएं | 215 |
| **यातायात एवं परिवहन** | |
| -ब्यावर के ग्रामीण क्षेत्रों में निगम बस सेवा | 218 |
| **श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा)** | |
| **स्थगन प्रस्ताव** | |
| -कोटा में असामाजिक तत्वों द्वारा फैलायी जा रही धार्मिक असहिष्णुता | 63 |
| **श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)** | |
| **अतारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **जनजाति क्षेत्रीय विकास** | |
| -मानगढ़ धाम (बांसवाड़ा) की शहीद स्मारक का निर्माण | 221 |
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **जनजाति क्षेत्रीय विकास** | |
| -शिक्षकों की भर्ती में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अभ्यर्थियों का आरक्षण | 2 |

| नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| **समाज कल्याण** | |
| -विकलांगों हेतु आवश्यक उपकरण | 184 |
| **श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़)** | |
| **स्थगन प्रस्ताव** | |
| -सरसों का समर्थन मूल्य न मिलने से किसानों में उत्पन्न रोष | 56 |
| **श्री नवनीत नीनामा (घाटोल)** | |
| **नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख** | |
| -माही बांध, बांसवाड़ा की दुकवाड़ा माइनर द्वारा 13673 बीघा जमीन को पानी | 106 |
| **श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा)** | |
| **अतारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **ग्रामीण विकास** | |
| -ग्रामों के सुनियोजित विकास हेतु नजरी नक्शा | 231 |
| **नगरीय विकास एवं आवासन** | |
| -भैंरूखेडा–जगन्नाथपुरा (सीकर रोड़, जयपुर) की आवासीय कालोनियां | 196 |
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **वित्त** | |
| -उपायुक्त/अतिरिक्त आयुक्त (अपील्स) के समक्ष कर निर्धारण के लम्बित प्रकरण | 8 |
| **श्री नारायण सिंह (दांतारामगढ़)** | |
| **सूचना** | |
| -कुचामन क्षेत्र के किसानों का विधान सभा पर प्रदर्शन | 114 |
| **श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा), राज्य मंत्री** | |
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **स्वायत्त शासन** | |
| -अजमेर नगर परिषद क्षेत्र में निर्मित शॉपिंग काम्प्लैक्स | 11 |

| नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| **पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे** | |
| -जोधपुर स्थित अशोक उद्यान पर आवासन मण्डल द्वारा किया गया व्यय | 145 |
| **स्थगन प्रस्ताव** | |
| -जयपुर स्थित हनुमान नगर के हनुमान मंदिर में जे.डी.ए. द्वारा तोड़फोड | 80 |
| **श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा)** | |
| **अतारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **ग्रामीण विकास** | |
| -बूंदी जिले में डांग विकास योजनान्तर्गत विकास कार्य | 228 |
| **सहकारिता** | |
| -सहकारी समितियों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण | 212 |
| **श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द)** | |
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **समाज कल्याण** | |
| -आरक्षित वर्ग के सहकारी निगमों को राज्य अंशदान की गारंटी | 26 |
| **श्री बद्रीलाल जाट (कपासन)** | |
| **अतारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **यातायात एवं परिवहन** | |
| -कपासन में निगम बस सेवा | 218 |
| **श्री बन्ने सिंह राठौड़ (ओसियां)** | |
| **अतारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **पंचायती राज** | |
| -चैनपुरा व दापी ग्राम (दौसा) की नर्सरियों में अवैध कटाई | 213 |

| नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| **श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर)** | |
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **यातायात एवं परिवहन** | |
| -अवैध रूप से संचालित यात्री वाहनों को टैक्सी परमिट | 180 |
| **प्रो. बीरूसिंह राठौड़ (बनीपार्क)** | |
| **नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख** | |
| -जयपुर के अमानीशाह नाले का सर्वे तथा इसकी चौड़ाई | 102 |
| **स्थगन प्रस्ताव** | |
| -जयपुर स्थित हनुमान नगर के हनुमान मंदिर में जे.डी.ए. द्वारा तोड़फोड़ | 80 |
| **डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर), नेता, प्रतिपक्ष** | |
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **समाज कल्याण** | |
| -आरक्षित वर्ग के सहकारी निगमों को राज्य अंशदान की गारंटी | 22 |
| **सूचना** | |
| -कुचामन क्षेत्र के किसानों का विधान सभा पर प्रदर्शन | 114 |
| **स्थगन प्रस्ताव** | |
| -कोटा में असामाजिक तत्वों द्वारा फैलायी जा रही धार्मिक असहिष्णुता | 66 |
| -सरसों का समर्थन मूल्य न मिलने से किसानों में उत्पन्न रोष | 57 |
| -जयपुर स्थित हनुमान नगर के हनुमान मंदिर में जे.डी.ए. द्वारा तोड़फोड़ | 91 |
| **श्री भरत सिंह (दीगोद)** | |
| **अतारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **देवस्थान** | |
| -सहायक आयुक्त, देवस्थान, कोटा द्वारा उजदारी प्राप्त करने हेतु जारी नोटिस | 204 |

| नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| **श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा), संसदीय सचिव** | |
| **स्थगन प्रस्ताव** | |
| -कोटा में असामाजिक तत्वों द्वारा फैलायी जा रही धार्मिक असहिष्णुता | 64 |
| **श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़)** | |
| **याचिका** | |
| -किशनगढ़ अजमेर में राजकीय महिला महाविद्यालय | 161 |
| -रूपनगढ़ ग्राम पंचायत एवं अराई पंचायत समिति मुख्यालय किशनगढ़ पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को क्रमोन्नत करने बाबत् | 161 |
| **श्री मंगलाराम गोदारा (श्रीडूंगरगढ़)** | |
| **शासकीय वक्तव्य** | |
| **ऊर्जा** | |
| -राज्य में ऊर्जा की स्थिति | 174 |
| **श्री मदन दिलावर (अटरू), मंत्री** | |
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **समाज कल्याण** | |
| -आरक्षित वर्ग के सहकारी निगमों को राज्य अंशदान की गारंटी | 19 |
| **पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे** | |
| -कोटड़ा क्षेत्र के अनाथ बच्चों को मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था | 156 |
| **स्थगन प्रस्ताव** | |
| -सरसों का समर्थन मूल्य न मिलने से किसानों में उत्पन्न रोष | 44 |
| **श्री मदन मोहन सिंघल (कामां)** | |
| **अतारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **नगरीय विकास एवं आवासन** | |
| -गंगाराम नगर कालोनी, जयपुर की सड़कें | 197 |

| नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| **श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर)** | |
| **अतारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **यातायात एवं परिवहन** | |
| -परिवहन निगम में वाहन-कार्मिक अनुपात | 221 |
| **स्वायत्त शासन** | |
| -अशोक उद्यान, जोधपुर का पुनर्नामकरण | 193 |
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **पंचायती राज** | |
| -जिला परिषद सदस्यों की पंचायत समिति एवं पंचायतों की बैठकों में भागीदारी | 14 |
| **पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे** | |
| -जोधपुर स्थित अशोक उद्यान पर आवासन मण्डल द्वारा किया गया व्यय | 130 |
| **श्री महावीर प्रसाद जैन (टोंक), मुख्य मंत्री** | |
| **पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे** | |
| -जयपुर स्थित एस.एम.एस. अस्पताल में कैंसर के इलाज हेतु लीनियर एक्सीलेटर मशीन की स्थापना | 147 |
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **समाज कल्याण** | |
| -आरक्षित वर्ग के सहकारी निगमों को राजय अंशदान की गारंटी | 29 |
| **स्थगन प्रस्ताव** | |
| -कोटा में असामाजिक तत्वों द्वारा फैलायी जा रही धार्मिक असहिष्णुता | 61 |

| नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| **श्री महीपाल सिंह यादव (बानसूर)** | |
| **शासकीय वक्तव्य** | |
| **ऊर्जा** | |
| -राज्य में ऊर्जा की स्थिति | 172 |
| **स्थगन प्रस्ताव** | |
| -सरसों का समर्थन मूल्य न मिलने से किसानों में उत्पन्न रोष | 46 |
| **श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा)** | |
| **अतारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **ग्रामीण विकास** | |
| -कोटड़ा (उदयपुर) पंचायत समिति में निर्मित एनीकट | 214 |
| -तेजा का वास (उदयपुर) में निर्मित सामुदायिक भवन | 233 |
| **नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख** | |
| -गोगुन्दा में अकाल से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं का निवारण | 121 |
| **श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई)** | |
| **अतारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **ऊर्जा** | |
| -बांदीकुई में ग्रिड सब-स्टेशनों की स्थापना | 207 |
| **श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल)** | |
| **अतारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **नगरीय विकास एवं आवासन** | |
| -एल.एन. मित्तल इंस्टीट्यूट जामडोली, जयपुर हेतु आबंटित भूमि | 200 |
| **महिला एवं बाल विकास** | |
| -जयपुर जिले के आंगनबाड़ी केन्द्रों में सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाएं | 216 |

| नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| **स्थगन प्रस्ताव** | |
| -कोटा में असामाजिक तत्वों द्वारा फैलायी जा रही धार्मिक असहिष्णुता | 58 |
| **श्री मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)** | |
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **समाज कल्याण** | |
| -आरक्षित वर्ग के सहकारी निगमों को राज्य अंशदान की गारंटी | 18 |
| **शासकीय वक्तव्य** | |
| **ऊर्जा** | |
| -राज्य में ऊर्जा की स्थिति | 173 |
| **स्थगन प्रस्ताव** | |
| -सरसों का समर्थन मूल्य न मिलने से किसानों में उत्पन्न रोष | 47 |
| **श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा)** | |
| **नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख** | |
| -उदयपुर के राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय से प्रशिक्षित नर्स/कम्पाउण्डरों की नियुक्ति | 123 |
| **पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे** | |
| -कोटड़ा क्षेत्र के अनाथ बच्चों को मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था | 154 |
| **शासकीय वक्तव्य** | |
| **ऊर्जा** | |
| -राज्य में ऊर्जा की स्थिति | 177 |
| **श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़)** | |
| **अतारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **स्वायत्त शासन** | |
| -रतनगढ़ (चूरू) में विभिन्न स्थानों पर भरे गन्दे पानी की निकासी | 194 |

| नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|


**श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू), मंत्री**

**सदन पटल पर रखे गये पत्र**

**अधिसूचना**

**सार्वजनिक निर्माण**

-सार्वजनिक निर्माण विभाग की दो अधिसूचनाएं 161

**सूचना**

-कुचामन क्षेत्र के किसानों का विधान सभा पर प्रदर्शन 113

**स्थगन प्रस्ताव**

-सरसों का समर्थन मूल्य न मिलने से किसानों में उत्पन्न रोष 54

**श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता)**

**नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख**

-शिक्षा विभाग में कनिष्ठ लिपिकों के वेतन में विसंगति 125

**स्थगन प्रस्ताव**

-सरसों का समर्थन मूल्य न मिलने से किसानों में उत्पन्न रोष 47

**श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़)**

**तारांकित प्रश्नोत्तर**

**सहकारिता**

-किसान क्रेडिट कार्ड से कृषकों को लाभ 180

**श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा)**

**सूचना**

-पीलीबंगा मण्डी बन्द रखे जाने का नोटिस 127

**स्थगन प्रस्ताव**

-सरसों का समर्थन मूल्य न मिलने से किसानों में उत्पन्न रोष 50

| नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|


**श्री रामलाल शर्मा (चौमूं)**

**नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख**

-कृषि विद्युत कनेक्शन हेतु लाइन खींचने में पेश कठिनाइयों का निवारण 100

**श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ)**

**अतारांकित प्रश्नोत्तर**

**नगरीय विकास एवं आवासन**

-विद्याधर नगर योजना, जयपुर में आवश्यक सुविधाएं 198

**समाज कल्याण**

-बैराठ के भवन रहित छात्रावास 211

**श्री लालचन्द कटारिया (आमेर)**

**स्थगन प्रस्ताव**

-जयपुर स्थित हनुमान नगर के हनुमान मंदिर में जे.डी.ए. द्वारा तोड़फोड़ 87

**श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालरापाटन), मुख्य मंत्री**

**स्थगन प्रस्ताव**

-सरसों का समर्थन मूल्य न मिलने से किसानों में उत्पन्न रोष 57

**श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर पश्चिम)**

**स्थगन प्रस्ताव**

-कोटा में असामाजिक तत्वों द्वारा फैलायी जा रही धार्मिक असहिष्णुता 59

**श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर)**

**याचिका**

-राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, सुई तहसील लूणकरणसर का क्रमोन्नयन 162

| नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| **शासकीय वक्तव्य** | |
| **ऊर्जा** | |
| -राज्य में ऊर्जा की स्थिति | 173 |
| **स्थगन प्रस्ताव** | |
| -सरसों का समर्थन मूल्य न मिलने से किसानों में उत्पन्न रोष | 50 |
| **श्री वीरेन्द्र मीणा (लालसोट), राज्य मंत्री** | |
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **आयोजना** | |
| -योजना आयोग द्वारा स्वीकृत वार्षिक योजनाएं | 32 |
| **वित** | |
| -उपायुक्त/अतिरिक्त आयुक्त (अपील्स) के समक्ष कर निर्धारण के लम्बित प्रकरण | 9 |
| **श्री शांति लाल चपलोत (मावली)** | |
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **जनजाति क्षेत्रीय विकास** | |
| -शिक्षकों की भर्ती में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अभ्यर्थियों का आरक्षण | 3 |
| **डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर)** | |
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **स्वायत्त शासन** | |
| -अजमेर नगर परिषद क्षेत्र में निर्मित शॉपिंग काम्प्लैक्स | 11 |
| **श्री संयम लोढ़ा (सिरोही)** | |
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **समाज कल्याण** | |
| -आरक्षित वर्ग के सहकारी निगमों को राज्य अंशदान की गारंटी | 30 |

| नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| **शासकीय वक्तव्य** | |
| **ऊर्जा** | |
| -राज्य में ऊर्जा की स्थिति | 177 |
| **सूचना** | |
| -कुचामन क्षेत्र के किसानों का विधान सभा पर प्रदर्शन | 113 |
| **स्थगन प्रस्ताव** | |
| -जयपुर स्थित हनुमान नगर के हनुमान मंदिर में जे.डी.ए. द्वारा तोड़फोड़ | 78 |
| **श्री समर्थ लाल (राजगढ़)** | |
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **समाज कल्याण** | |
| -आरक्षित वर्ग के सहकारी निगमों को राज्य अंशदान की गारंटी | 22 |
| **श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर)** | |
| **स्थगन प्रस्ताव** | |
| -जयपुर स्थित हनुमान नगर के हनुमान मंदिर में जे.डी.ए. द्वारा तोड़फोड | 90 |
| **श्री सी.डी. देवल (रायपुर)** | |
| **पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे** | |
| -जोधपुर स्थित अशोक उद्यान पर आवासन मण्डल द्वारा किया गया व्यय | 138 |
| **सूचना** | |
| -कुचामन क्षेत्र के किसानों का विधान सभा पर प्रदर्शन | 119 |
| **डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा)** | |
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| **जनजाति क्षेत्रीय विकास** | |
| -शिक्षकों की भर्ती में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अभ्यर्थियों का आरक्षण | 4 |

| नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| पंचायती राज | |
| -जिला परिषद सदस्यों की पंचायत समिति एवं पंचायतों की बैठकों में भागीदारी | 16 |
| **पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे** | |
| -जोधपुर स्थित अशोक उद्यान पर आवासन मण्डल द्वारा किया गया व्यय | 132 |
| **शासकीय वक्तव्य** | |
| ऊर्जा | |
| -राज्य में ऊर्जा की स्थिति | 179 |
| **श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली)** | |
| **तारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| पंचायती राज | |
| -जिला परिषद सदस्यों की पंचायत समिति एवं पंचायतों की बैठकों में भागीदारी | 17 |
| **श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल)** | |
| **अतारांकित प्रश्नोत्तर** | |
| नगरीय विकास एवं आवासन | |
| -सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या प.6/37/नविआ/3/97 दिनांक 11 दिसम्बर, 2001 | 195 |
| **नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख** | |
| -सम्पदा विभाग द्वारा नजूल सम्पतियों के विक्रय में भेदभाव | 107 |
| **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (करणपुर), राज्य मंत्री** | |
| **स्थगन प्रस्ताव** | |
| -सरसों का समर्थन मूल्य न मिलने से किसानों में उत्पन्न रोष | 49 |

| नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|


**श्री सुरेश मीणा (करौली)**

**अतारांकित प्रश्नोत्तर**

**समाज कल्याण**

-अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति 209

**स्वायत्त शासन**

-जयपुर स्थापना दिवस समारोह पर आमंत्रित अतिथिगण 192

**श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)**

**नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख**

-वरिष्ठ नागरिकों का स्वास्थ्य परीक्षण 103

**श्री हंगामी लाल मेवाड़ा (आसीन्द)**

**अतारांकित प्रश्नोत्तर**

**वित्त**

-मंत्रालयिक कर्मचारियों का वेतन विसंगति प्रकरण 192

**श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली)**

**अतारांकित प्रश्नोत्तर**

**ऊर्जा**

-राज्य में विद्युत उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रस्तावित योजनाएं 205

**तारांकित प्रश्नोत्तर**

**आयोजना**

-योजना आयोग द्वारा स्वीकृत वार्षिक योजनाएं 31

**पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे**

-जयपुर स्थित एस.एम.एस. अस्पताल में कैंसर के इलाज हेतु 145

लीनियर एक्सीलेटर मशीन की स्थापना 145

-जोधपुर स्थित अशोक उद्यान पर आवासन मण्डल द्वारा किया गया व्यय 137

| नाम | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| स्थगन प्रस्ताव | |
| -कोटा में असामाजिक तत्वों द्वारा फैलायी जा रही धार्मिक असहिष्णुता | 58 |
| -सरसों का समर्थन मूल्य न मिलने से किसानों में उत्पन्न रोष | 49 |
| **श्री हीरालाल (निवाई)** | |
| तारांकित प्रश्नोत्तर | |
| पंचायती राज | |
| -टोंक जिले के प्राथमिक विद्यालयों में पोषाहार कार्यक्रमों में अनियमितताएं | 5 |
| स्थगन प्रस्ताव | |
| -कोटा में असामाजिक तत्वों द्वारा फैलायी जा रही धार्मिक असहिष्णुता | 58 |
| **श्री हेमराज मीणा (किशनगंज)** | |
| तारांकित प्रश्नोत्तर | |
| जनजाति क्षेत्रीय विकास | |
| -शिक्षकों की भर्ती में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अभ्यर्थियों का आरक्षण | 3 |
| **श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी)** | |
| शासकीय वक्तव्य | |
| ऊर्जा | |
| -राज्य में ऊर्जा की स्थिति | 171 |